पंचम माला, खंड 25, अंक 30 — सोमवार, 2 अप्रैल, 1973/12 चैत्र, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXV, No. 30 — Monday, April 2, 1973/Chaitra 12, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र / Seventh Session]

5th Lok Sabha

[खंड 25 में अंक 21 से 30 तक हैं / Vol. XXV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 30, सोमवार, 2 अप्रैल, 1973/12 चैत्र, 1895 (शक)

No. 30, Monday, April 2, 1973/Chaitra 12, 1895 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		
561. व्यावसायिक कर्मचारियों द्वारा सहकारी समितियों का चलाया जाना	Cooperatives to be manned by Professional Personnel.. ..	1–3
563. कालेज और विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के वेतनमान	Pay Scales of College and University Teachers	3–4
564. प्रत्येक फसल प्रणाली के लिये समेकित पोषक पदार्थ सप्लाई करने की नीति (इंटीग्रेटेड न्यूट्रियन्ट सप्लाई स्ट्रेटेजी)	Integrated Nutrient Supply Strategy for Cropping System	5–6
566. मध्य प्रदेश में सीमान्त किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के लिए प्रारम्भ की गई योजनाओं की प्रगति	Progress achieved in Schemes for Marginal Farmers and Landless Labourers in M.P.	6–8
569. व्यापारियों के पास अनाज के स्टाक की सीमा के बारे में भारतीय खाद्य निगम को आदेश	Order to Food Corporation of India regarding Limit on Stocks of Foodgrains with Traders	8–12
571. भूमि की अधिकतम सीमा के निर्धारण का ट्रैक्टरों की बिक्री पर प्रभाव	Effect of Land Ceiling on Sale of Tractors..	12–13
प्रश्नों के लिखित उत्तर	*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS*	
ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		
562. पारादीप पत्तन में सुरक्षा कर्मचारियों और श्रमिकों के बीच झड़प	Conflict between Security Staff and Workers at Paradip Port.. ..	14
565. दिल्ली की आवास समस्या को हल करने के लिये सर्वेक्षण	Survey for solving Housing Problem of Delhi.	14
567. दिल्ली दुग्ध योजना दुग्ध डिपुओं के निर्माण के लिए टैण्डर-प्रणाली	Tender System for Construction of Milk Depots by Delhi Milk Scheme..	14
568. होम्योपैथी शिक्षा के स्टैण्डर्ड में समानता	Uniformity in the Standard of Homœopathic Education..	14–15

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में प्रश्न में पूछा था ।

The Sign+marked above the names of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

5/Lok Sabha/73—1

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
570.	गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 1972 के दौरान की गई खाद्यान्नों की मांग और उसकी पूर्ति	Foodgrains demanded by and supplied to Gujarat Government during 1972	15
572.	सोवियत संघ से बड़े मालवाहक जहाजों की खरीद	Purcharse of Bulk Carriers from Soviet Union	15
573.	कागज की बोतलों में दूध का वितरण	Milk distribution in Paper Package..	15–16
574.	स्कूलों के लिये दिल्ली परिवहन की बसें	D.T.C. Buses for Schools.	16
575.	तमिलनाडु में 1971-72 और 1972-73 की फसलों में चीनी के कारखाने में गन्ने से निकली चीनी की औसत मात्रा और उसकी जांच की पद्धति	Average recovery of Sugar Factories in Tamil Nadu for the Seasons 1971-72 and 1972-73 and system to Check recovery	17
576.	विभिन्न राज्यों में धान का मूल्य	Price of Paddy in different States	17
577.	अनाज के थोक व्यापार के सरकारीकरण के कारण बेरोजगार होने वाले व्यक्ति	Persons Jobless due to take-over of Wholesale Trade in Foodgrains ..	17–18
578.	विक्रयार्थ लाये जाने वाले गेहूं की खरीद तथा गेहूं के थोक व्यापार का सरकारीकरण	Purchase of marketed surplus and take over of wholesale trade in Wheat	18
579.	सरकारी कर्मचारियों को स्थानान्तरण होने पर पेश आने वाली विकट आवास समस्या	Acute Housing Problem of Government Servants on Transfer	18
580.	किसानों के लिए इस्पात के सस्ते कृषि उपकरण उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजनायें	Schemes for Cheap Agricultural equipment of Steel for Farmers ..	19
अता० प्र० संख्या U. S.Q. Nos.			
5500.	भिखारियों का सर्वेक्षण	Survey of Beggars..	19
5501.	मैसर्स नव भारत निर्माण प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया मुआवजा	Compensation paid to M/S. Nav Bharat Nirman Private Limited ..	20
5502.	उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संस्थाओं को अनुदान	Grants to Institutions in Rae Barailly district of U.P. by Deptt. of Social Welfare	20
5503.	समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में संस्थाओं को अनुदान	Grants to Institutions in Partapgrah District of U.P. by Department of Social Welfare	21
5504.	केन्द्रीय सरकार द्वारा जम्मू तथा काश्मीर की कृषि उत्पादन के लिये अनुदान तथा ऋण दिया जाना	Central Grant and Loan to Jammu and Kashmir for Agricultural Production	21
5505.	विजय घाट, शांति वन और राजघाट के निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय	Expenditure on construction work on Vijaya Ghat, Shanti–Vana and Raj Ghat	22
5506.	राज्य की खाद्य उत्पादन योजनाओं में परिवर्तन सम्बन्धी सुझाव	Suggestion for changes in the Food Production Plans of State.. ..	22–23
5507.	राज्यों में यात्री सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Roadways in States..	23

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5508.	कोचीन शिपयार्ड की लागत	Cost of Cochin Shipyard ..	23–24
5509.	हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड त्रिवेन्द्रम का उत्पादन	Production of Hindustan Latex Limited Trivandrum	24
5510.	वर्ष 1973-74 में गैर सरकारी नौवहन कम्पनियों को ऋण दिया जाना	Sanctioning of Loans to Private Shipping Companies during 1973-74 ..	24
5511.	मध्य प्रदेश में पौधा पोषक तत्वों का कम मात्रा में उपयोग	Low rate of Plant Nutrient application in Madhya Pradesh	24–25
5512.	दिल्ली प्रशासन के अधीन आरक्षित पदों पर काम करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों को स्थायी करना	Confirmation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Teachers working against Reserved Posts under Delhi Administration	25
5513.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रधानाचार्य और अध्यापकों के पदों के लिये अर्हतायें निर्धारित किया जाना	Qualification prescribed for Posts of Principal and Teachers by Kendrya Vidyalaya Sangathan	25–26
5514.	दिल्ली टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, नई दिल्ली	The Delhi Teachers Cooperative House Building Society, New Delhi. ...	26–27
5515.	मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत ग्रामीण रोजगार द्रुत कार्यक्रम के अधीन योजना	Scheme under Crash Programme for Rural Employment submitted by Madhya Pradesh... ..	27
5516.	दिल्ली दुग्ध योजना के केन्द्रीय कार्यालय में शिकायत सैल	Complaints Cell in Central Office of Delhi Milk Scheme.	27
5517.	राजधानी में शरणार्थी पूल में मकान/प्लाट के किरायेदारों की बेदखली	Eviction of Tenants occupying House/Plot in the Refugee Pool in the Capital.	27–28
5518.	लाल किला, दिल्ली का रखरखाव	Upkeep of Red Fort, Delhi...	28
5519.	डेरा इस्माइल खां की कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी दिल्ली द्वारा भूमि के विकास कार्य की प्रगति	Progress of Development of Land by the Dera Ismail Khan Cooperative House Building Society, Delhi. ..	28–29
5520.	डेरा इस्माइल खान कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी दिल्ली के सभी अंशधारियों को विकसित प्लाटों का आवंटन	Allotment of developed plots to all the share holders of the Dera Ismail Khan Cooperative House Building Society, Delhi.	29
5521.	1972-73 में कारखानों को सप्लाई किये गये गन्ने का मूल्य	Price for Sugarcane supplied to Factories during 1972-73.	29
5522.	दिल्ली प्रशासन के सिविल पूर्ति विभाग के कार्यकरण की जांच	Probe in the working of Delhi Administration's Civil Supplies Department.	29
5523.	मोटर गाड़ियों के आने जाने के लिये कनाट प्लेस, नई दिल्ली की अन्दर वाली सड़क का बन्द किया जाना	Closure of inner circle of Connaught Place, New Delhi for Vehicular Traffic.	30

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5524.	दिल्ली और नई दिल्ली में किराया नियन्त्रक तथा अतिरिक्त किराया नियन्त्रक के न्यायालय में अनिर्णीत मामले	Suits pending with the Courts of Rent Controller and Additional Rent Controller in Delhi and New Delhi.	30
5525.	लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्यों में सड़कों के रखरखाव पर किया गया खर्च	Expenditure incurred in maintaining roads in the States by C.P.W.D. ..	30
5526.	दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों का सर्वेक्षण	Survey of Aided Schools in Delhi.	31
5527.	विभिन्न परियोजनाओं के लिये प्रशिक्षण के लिए नार्वे भेजे गये व्यक्ति	Persons sent to Norway for training for various development Projects. ..	31
5528.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा उड़ीसा को वित्तीय सहायता देना	Financial Assistance provided to Orissa by N.C.D.C.	31–32
5529.	उठाऊ सिंचाई निगम की स्थापना के लिये मध्य प्रदेश द्वारा केन्द्र से सहायता मांगा जाना	Central help sought by Madhya Pradesh for setting up Lift Irrigation Corporation.	32
5530.	सूखा वाले क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सिंचाई कार्य	Irrigation works in Sidhi District, M.P. under Drought Prone Area Programme...	32–33
5531.	केन्द्रीय वित्तीय ऐजेंसी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और छोटे कृषकों को ऋण देने के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्त	Condition laid down by R.B.I. regarding Central Financing Agency's Advance to Economically Weak and Small Farmers.	33
5532.	बंगला देश में मछलियों का आयात	Fish Imported from Bangladesh. ..	33–34
5533.	विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों की नियुक्ति	Appointments of Vice-Chanclers of Universities	34
5534.	वातावरण दूषण तथा पौधों के बारे में कृषि वैज्ञानिकों का सुझाव	Suggestion from agricultural scientists regarding atmosphere pollution and plants.	34–36
5535.	छात्रों को नैतिक अनुदेश देना	Moral instructions to students.	36
5536.	भारत की स्वतन्त्रता का इतिहास लिखने के लिये प्राध्यापक की नियुक्ति	Appointment of Lecturer to write history of Freedom Movement in India.	37
5537.	राज्यों में राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों में निम्न स्तर पर सामग्री सम्मिलित न किये जाने के लिये कार्यवाही	Steps to check spurious material being included in Text Books nationalised in States.	37
5538.	30 जनवरी, 1973 का कुष्ट रोग दिवस के रूप में माना जाना	30th January, 1973 as 'Leprosy Day'...	37–38
5539.	बिहार में खेलकूद गतिविधियों का विकास	Promotion of sports activities in Bihar.	38
5540.	बीकानेर (राजस्थान) के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित छात्रावास को अनुदान	Grants to students Hostel located to Border Area in Bikaner (Rajasthan).	38

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5541.	रबी की फसल के लिये मिलावट वाले उर्वरक की सप्लाई	Supply of Adulterated Fertiliser for Rabi Crop.	38–39
5542.	गुजरात, राजस्थान तथा अन्य राज्यों में चोर बाजार में उर्वरकों का बेचा जाना	Sale of Fertiliser in Black-Market in Gujarat, Rajasthan and other State..	39
5543.	राज्यों में पंचायत और सहकारी विधान की एकरूपता	Uniform Panchayat and Cooperative Legislation in States.	39–40
5544.	कोयम्बतूर में पेय जल का अभाव	Scarcity of Drinking Water in Coimbatore.	40
5545.	उड़ीसा में वारकोट और देवगढ़ में भूमिगत जल संसाधनों का अनुमान	Assessment of Ground Water resources in Barkota and Deogarh in Orissa...	40
5546.	यूरिया और डाईएमोनियम सल्फेट की कमी और इनका आयात	Shortage of Urea and Diammonium Sulphate and its import.	40–41
5547.	राज्यों में भूमि हदबन्दी के बारे में पुनरीक्षित विधान	Revised Legislation on Land Ceiling in State.	41
5548.	मैसूर में लघु सिंचाई सुविधाओं हेतु जल निकासी योजना के लिये धन का नियतन	Allocation for Drainage Scheme to improve Minor Irrigation in Mysore.	42
5549.	नहर से सिंचित क्षेत्र में समेकित विकास के लिये परियोजनाओं की स्थापना	Setting up of Projects for Integrated Development in Canal Irrigated Areas.	42
5550.	रतलाम, मध्य प्रदेश में जमे हुये वनस्पति तेल संयंत्र की स्थापना के लिये लाइसेंस	Licence for setting up of a Hydrogenerated Vegetable Oil Plant at Ratlam, M.P.	42
5551.	भारत में मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कालेज	Recognised Engineering Colleges in India.	42–43
5552.	दिल्ली के आटो रिक्शाओं को यू०टी० डायमण्ड मीटर खरीदने को बाध्य करना	Reported Compulsion to Auto Rikshaws of Delhi to purchase U.T. Diamond Meter.	43
5553.	यंत्रीकृत बूचड़खानों की स्थापना	Setting up of Mechanised Slaughter Houses.	43–44
5555.	अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी अध्यापन कार्यक्रम	Hindi Teaching Programme in Non-Hindi speaking Areas.	44
5556.	राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की तुलना में विश्व-विद्यालयों में बेहतर रचनात्मक अनुसन्धान	Universities better suited for Creative Research than National Laboratories.	44
5557.	देश में सूखे और अकाल से सम्बन्धित समस्याओं के परिमाण और स्वरूप के सम्बन्ध में प्रारूप	Blue print on the Magnitude and Nature of Problem relating to drought and famine in the Country..	44–45
5558.	परादीप पत्तन के कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों के बारे में समझौता ज्ञापन	Memorandum of Settlement re-Paradip Port Workers' Service Matters. ..	45

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5559.	पांचवीं योजना के दौरान संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से सहायता	Aid from U.N.I.C.E.F. during Fifth Plan.	45–46
5560.	बिहार में ऐतिहासिक पालामऊ किले की मरम्मत का प्रस्ताव	Proposal to Repair the Historical Palamau Fort in Bihar	46
5561.	'रायल बंगाल टाइगर' के परिरक्षण के लिए उपाय	Steps for Preservation of Royal Bengal Tiger	46
5562.	महाराष्ट्र के ज्वार उगाने वाले सर्वोत्तम क्षेत्र में उस्मानाबाद का बंजर हो जाना	Osmanabad, Best Jowar Relt in Maharastra now Barren	46–47
5563.	वेजीटेबल मीट (मांस) का उत्पादन	Production of Vegetable meat	47
5564.	राजस्थान में खरीफ लेवी समाप्त करने की अनुमति	Permission to Scrap Kharif Levy in Rajasthan	47
5565.	राजस्थान में एक खाद्य बैंक की स्थापना	Setting up of a Food Bank in Rajasthan	48
5566.	गुजरात और देश के अन्य भागों में भुखमरी से हुई मौतें	Starvation Deaths in Gujarat and other parts of the country	48
5567.	उन देशों के नाम जिनसे गत तीन वर्षों में उर्वरक का आयात किया गया	Countries from which Fertiliser was imported during last Three Years.	48
5568.	गांव को सड़कों से जोड़ने के लिये मैसूर सरकार द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance sought be Mysore Government for Linking Village with Roads	48–49
5569.	देश भर में पर्यटकों को ले जाने वाली टैक्सियों और ठेके पर चलने वाली गाड़ियों को अनुमति प्रदान करना	Permission to Taxis and Contract Carriage carrying Tourists throughout the Country..	49–50
5570.	खाद्यान्नों के थोक व्यापार को राज्यों द्वारा अपने नियन्त्रण में लेना	States took over Wholesale Trade in Foodgrains	50
5571.	राज्यों को दिया गया चीनी का कोटा	Sugar Allocation to States..	50
5572.	गुजरात सरकार से चीनी का वसूली (लेवी) मूल्य निश्चित करने और उसका मासिक कोटा बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन	Representation from Gujarat Government for Fixation of Levy Price for Sugar and Increase in its Monthly Quota.	50–51
5573.	गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए तमिलनाडु सरकार का अनुरोध	Request from Tamil Nadu Government for fixing Minimum Price of Sugarcane	51
5574.	खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक गोलियों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिये प्रायोगिक परियोजना	Pilot Project to study aspects of Oral Pills	51

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5575.	राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण के लिये शक्तियों का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of Powers for Construction and Maintenance of National Highways	51–52
5576.	मौसम के प्रभाव को अनुकूल बनाने के लिए वैकल्पिक फसल पद्धति	Alternate Cropping Strategy to reduce effect of weather on Food Production	52
5577.	खाद्यान्न के थोक व्यापार के सरकारीकरण के निर्णय को ध्यान में रखकर भारतीय खाद्य निगम का विस्तार तथा इसके कार्यकरण को सुव्यवस्थित किया जाना	Expansion of F.C.I. and Streamlining its working in view of the decision to take over Wholesale Trade in Food Grain	52
5578.	राज्यों को लघु सिंचाई योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Aid to States for Small Irrigation.	52–53
5579.	पुरानी दिल्ली में पेय जल का कम दवाब और उसकी सप्लाई	Low Pressure and Supply of Drinking Water in Old Delhi Area. ..	53–54
5580.	पश्चिमी तट पर लघु पत्तनों का विकास	Development of Minor Ports on Western Coast.	54
5581.	पश्चिमी तट पर मत्स्यग्रहण पत्तनों के सुधार के लिये केन्द्रीय ऋण तथा राज सहायता	Central Loan and subsidy for Improving fishing ports on Western Coast	54–55
5582.	खाद्यान्नों तथा रूई को एकाधिकारी वसूली की योजनाओं के पक्ष में राज्य	States favoured Monopoly Procurement Schemes in Foodgrains and Cotton	55
5583.	इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में दिल्ली प्रशासन की बहुमंजिली इमारत का निर्माण	Construction of Multi-storeyed Building of the Delhi Administration Indraprastha Estate.	55
5584.	अन्दमान द्वीप समूह में खजूर तेल के वृक्षारोपण में प्रगति	Progress of Palm Oil Plantation Andaman Islands	55–56
5585.	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में वन क्षेत्र	Forest Area in Andaman and Nicobar Islands	56
5586.	यन्त्रीकृत कृषि के अन्तर्गत कृषि श्रमिकों की मंजूरी	Wages of Farm Labour in Mechanised Agriculture	56
5587.	विद्या भवन महाविद्यालय हायर सेकेन्डरी स्कूल दिल्ली में अध्यापकों को पी०जी०टी० ग्रेड देना	Sanction of PGT Grade to Teachers in Vidya Bhawan Mahavidyalaya Higher Secondary School, Delhi ..	56–57
5588.	मलेरिया उन्मूलन	Eradication of Malaria	57
5589.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जांच के लिये नियुक्त जांच समिति का प्रतिवेदन	Report of Enquiry Committee on I.C.A.R.	57
5590.	सहकारी चीनी कारखाने में उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति	Upward trend of production in Co-operative Sugar Factory ..	58
5591.	दिल्ली में खाद्यान्न व्यापारियों के कर्मचारियों द्वारा रोजगार देने की गारंटी सम्बन्धी मांग	Demand by Employees of Food-grain Traders in Delhi regarding employment Guarantee	58

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5592.	भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमंडल संघ द्वारा खाद्यान्नों का सरकारीकरण का विरोध	Opposition to Grain Trade take over by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry ..	59
5593.	गेहूं और चावल की कम सप्लाई होने के कारण सांविधिक राशन व्यवस्था का समाप्त होना	Statutory rationing on verge of collapse due to short supply of wheat and rice.	60
5594.	दंत चिकित्सा सम्बन्धी सेवा योजना का बनाया जाना	Formation of Dental Services Scheme	60
5595.	कुष्ठ रोग की अधिकता वाले राज्य	District Hyper Endemic for Leprosy	60–62
5596.	कोचीन शिपयार्ड में जहाज बनाने के लिए ठेके की शर्तें	Terms and Conditions of Contract for ship Building at Cochin Shipyard	62
5597.	जर्मन जनवादी गणतंत्र के सहयोग से मकान निर्माण प्रोद्योगिकी	House building Technology in Collaboration with G.D.R.	62
5598.	जहाजों, पत्तनों और जहाजों के कारखानों के निर्माण के क्षेत्र में भारत युगोस्लाविया संयुक्त उद्यम	Indo-Yugoslavia Joint Venture in the field of Ship Building, Construction of Ports and Shipyards ..	62–63
5599.	मिश्र के विदेश मंत्री का दौरा	Visit of Egyptian Foreign Minister ..	63
5600.	दिल्ली में माडल स्कूलों का खोला जाना	Opening of Model School in Delhi ..	63
5601.	दिल्ली के रणजीत नगर के निवासियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by the residents of Ranjit Nagar, Delhi	63–64
5602.	दिल्ली में पालम कालोनी के लिये उपगमन मार्ग	Approach Road to Palam Colony in Delhi.	64
5603.	अहमदपुर चीनी मिल, बीरभूमि का पुनः चालू किया जाना	Re-opening of Ahmedpur Sugar Mill, Birbhum.	64
5604.	पंजाब भूमि सीमा अधिनियम, 1972 के उपबन्ध	Provisions of Punjab Land Ceiling Act, 1972.	64–65
5605.	मध्य आय समूह के लोगों को वजीरपुर चरण 1 में डी० डी० ए० के फलैटों का आवंटन	Allotment of DDA Flats in Wazirpur Phase I to Middle Income Group.	65
5606.	होस्टल भवनों के निर्माण के लिये ऋण	Loans for construction of Hostel Buildings.	65
5607.	स्कूलों के लिये भवनों के निर्माण हेतु राज्यों को ऋण	Loans to States for construction of School Buildings... ..	65
5608.	दिल्ली में सांस्कृतिक संगठनों को भूमि अलाट करना	Allotment of land to Cultural Organisations in Delhi.	66
5609.	दिल्ली में अध्यापकों की पदोन्नति के लिये निश्चित प्रतिशतता में समानता	Uniformity in Percentage fixed in Promotion of Teachers in Delhi. ..	66
5610.	सरकारी संगठनों द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकें	Text Books Published by Government Organisations.	67

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5611.	बिहार में अकाल	Famine in Bihar. ..	67
5612.	गुजरात राज्य में मिट्टी का सर्वेक्षण	Soil survey in Gujarat State.	67
5613.	अधिक उपज देने वाली किस्मों सम्बन्धी कार्यक्रम को क्रियान्वित करना	Implementation of high yieldings varieties programme.	68-69
5614.	ससद सदस्यों को दिल्ली में जमीन खरीदने की सुविधा	Facility of purchasing Land in Delhi by Members of Parliament. ..	70
5615.	नेशनल बुक ट्रस्ट के स्टाक में जमा पुस्तकों का मूल्य	Value of Books in stock with National Book Trust.	71
5616.	हिन्दी ग्रन्थ अकादमियों द्वारा प्रकाशित मौलिक तथा अनूदित पुस्तकें	Original and translated books published by Hindi Granth Academies. ..	71
5617.	अमरीकी प्रकाशकों से पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद करने के अधिकार प्राप्त	Securing Rights for Hindi translation of Books from American Publishers.	72
5618.	बिहार के पहाड़ी इलाकों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Grant for Development of Hill areas in Bihar.	72-73
5619.	त्रिपुरा में भुखमरी से हुई मौतें	Starvation deaths in Tripura.	73
5620.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण	House Building Advance to Central Government employees.	73
5621.	राज्यों में ग्राम पंचायतें	Gram Panchayats in States.	73-74
5622.	स्वाधीनता के रजत जयन्ती वर्ष के दौरान राष्ट्रीय रंगशाला	National Theatres during Silver Jubilee Year of Independence.	75
5623.	खेलकूद कार्यों के लिये दान देने पर करों में छूट	Exemption of taxes on giving donations for sports activities... ..	75
5624.	दिल्ली बम्बई राष्ट्रीय राजपथ द्वारा जयपुर को बम्बई से जोड़ने का प्रस्ताव	Proposal to connect Jaipur with Bombay by Delhi Bombay National Highway.	75-76
5625.	भारतीय जहाज निर्माण कारखाने के विस्तार के लिये युगोस्लाविया के साथ करार	Agreement with Yugoslavia for expansion of Indian shipyard. ..	76
5626.	उर्वरक के वितरण हेतु निगम की स्थापना	Setting up of Corporation for distribution of fertiliser. ..	76
5627.	लन्दन में रहने वाले भारतीय कलाकार द्वारा बनाया गया सार्वदेशिक कीबोर्ड	New Universal keyboard designed by a London based Indian artist. ..	76-77
5628.	खाद्य पदार्थों में रंग	Colours used in Food-stuffs. ..	77
5629.	सूखा तथा अकाल के कारण मानव जीवन और पशुधन की हानि	Loss of Human Life, Cattle and Crops due to Drought and Famine. ..	77-78

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5630.	मध्य प्रदेश में सूखा	Drought in Madhya Pradesh.	78
5631.	जनवरी-फरवरी, 1973 के लिये महाराष्ट्र को खाद्यान्नों की सप्लाई में कटौती करना	Cut in supply of Foodgrains to Maharashtra for January-February, 1973.	78
5632.	केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम के स्कूल के माध्यम से ली गई मैट्रिक की परीक्षा	Matriculation Examination conducted by Central Board of H.S. Education through School of Correspondence Course.	78-79
5633.	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्रोपण के लिये बीजों का उत्पादन बढ़ाना	Housing of seed production for re-planning in drought hit areas.	79
5634.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पुनर्गठन का मामला 1964-65 से निलम्बित रहना	Reorganization of Indian Council of Agricultural Research Pending since 1964-65.	79-80
5635.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बागवानी विभाग में दैनिक मजूरी	Daily wages in the Horticulture Department of C.P.W.D.	80
5636.	एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान में गेहूं लाने ले जाने पर रोक की अनुमति	Permission to ban movement of Wheat within States.	80-81
5637.	कमी की स्थिति पर काबू पाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य सहायता के लिये अपील	Appeal for International Food Aid to overcome scarcity conditions.	81
5638.	पश्चिम बंगाल के लिये भूमि आयोग का गठन	Formation of Land Commission for West Bengal.	81
5639.	केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षा संस्थायें	Educational Institutions receiving Central assistance.	81
5640.	शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत बजट में रखी गई धनराशि	Amount budgeted under head of Education. ..	81-82
5641.	हिन्दी और उर्दू के प्रचार पर खर्च की गई धनराशि	Money spent on propagation of Hindi and Urdu.	82
5642.	मंत्रियों को दी गई सुविधाओं का नियतन	Allocation of amenities provided to Ministers.	82
5643.	विदेशों में सामुदायिक विकास और सहकारिता	Foreign Tours for study of Community Development and co-operation Programme in Foreign countries. ..	82-83
5644.	सस्ते मूल्यों पर विज्ञान की पुस्तकों का उत्पादन	Productions of Science stocks at Cheap Price.	83
5645.	परिवार नियोजन प्रचार कार्यक्रम का प्रभाव	Impact made by the Family Planning Publicity Programme.	83-84
5646.	हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों को परिवहन एवं विपणन की सुविधायें	Central Assistance to Himachal Pradesh for lift Irrigation Scheme.	84
5647.	हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों को परिवहन एवं विपणन की सुविधायें	Transportation and Marketing facilities to Apple Producers of Himachal Pradesh. .	84

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5648.	रूस और भारत की सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग और सहायता देने सम्बन्धी करार	Agreement for Collaboration and Assistance between Co-operative Institutions of USSR and India. ..	85
5649.	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद को कार्य सौंपना	Assignments to N. C. E. R. T. ..	85
5650.	रूस और भारत के बीच समुद्री मार्ग से माल की ढुलाई	Transhipment of Cargo by Sea between U.S.S.R. and India	85-86
5651.	प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कृषि मजदूर ठेका निर्माण समिति	Agricultural Labour contract and Construction Society in each Panchayat	86-87
5652.	सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशों को भेजे गये कलाकार	Artists sent abroad under Cultural Exchange Programme	87-88
5654.	इंडिया आफिस लायब्रेरी लंदन का स्थानान्तरण	Transfer of India Office Library, London	88
5655.	दक्षिण अंदमान में इमारती लकड़ी के वृक्षों के अवैध रूप से जलाये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन	Representations against illegal burning of Virgin Timber in South Andaman	88
5656.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में किसानों को ऋण देने की योजना	Scheme for Loans to Farmers during Fifth Five Year Plan	89
5657.	दिल्ली में कृषि संग्रहालय की स्थापना	Setting up of Agricultural Museum Delhi	89
5658.	मध्य प्रदेश में डेरी परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण	Central Loan for Dairy Projects in Madhya Pradesh..	89
5659.	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई के लिये मध्य प्रदेश की धनराशि देना	Funds to Madhya Pradesh for supply of Drinking Water in Rural Areas	90-91
5660.	मध्य प्रदेश में उत्पादित उर्वरक की अन्य राज्यों को सप्लाई	Supply of Fertiliser produced in Madhya Pradesh to other States ..	91-92
5661.	श्रव्य-दृश्य साधन सामग्री की कमी	Shortage of Audio-Visual Material ..	92
5662.	गन्ना उत्पादकों को देय बकाया राशियां	Amount of Arrears Due to Sugarcane Growers	92-93
5663.	के-8 हानोमाग क्रालर ट्रैक्टरों का आयात तथा निर्माण	Import of K-8 Hanomag Crawler Tractor and its manufacture ..	93
5664.	गुजरात और महाराष्ट्र में सहकारी समितियों द्वारा सीधे तम्बाकू खरीदने की योजना	Scheme for Direct Purchase of Tobacco in Gujarat and Maharashtra through Co-operatives	93-94
5665.	वरिष्ठ विज्ञान प्रतिभा अनुसन्धान पुरस्कृत व्यक्तियों की छात्रवृत्तियों की धनराशि में अन्तर	Discrepancies in amount of scholarship to Senior Science Talent Research Awards	94

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5666.	केन्द्रीय विद्यालयों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों का दाखिला	Admission of Children of Central Government Employees in Central Schools..	94-95
5667.	नई दिल्ली में कृषि अनुसंधान तथा विकास पर हुई गोष्ठी	Symposium on Agricultural Research and Development held in New Delhi	95
5668.	गौरक्षा समिति के सदस्य और उस पर व्यय	Composition of and Expenditure on Committee on Cow Protection ..	95-96
5669.	बिहार में उचित मूल्य की दुकानों से सप्लाई किये गये गेहूं में लोहे के कणों का होना	Wheat supplied at Fair Price Shops in Bihar contained particles of Iron	96-97
5670.	दिल्ली में अनधिकृत मकानों के निर्माण को रोकना	Stoppage of Unauthorised Construction of Houses in Delhi	97
5671.	खाद्य निगम द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थ सप्लाई किये जाने के कारण दंड दिया जाना	Punishment for supplying adulterated Food articles by Food Corporation	97
5672.	मैसूर और अन्य राज्यों के लिये चावल का नियत मूल्य	Price of Rice Fixed for Mysore and other States.	97-98
5673.	उचित मूल्य की दुकानों से मुर्गियों के खाने का विक्रय	Sale of Poultry Feed through Fair Price Shops ..	98
5674.	राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलाने के लिये अन्तर्राज्यीय पुल का निर्माण-कार्य पूरा किया जाना	Completion of Inter-State Bridges to Link Rajasthan and M. P... ..	98-99
5675.	पंजाब वक्फ बोर्ड की नई दिल्ली में 19 अगस्त, 1972 को हुई बैठक में इस के विभाजन का निर्णय	Bifurcation of Punjab Wakf Board Decided at its Meeting held on 19th August, 1972 at New Delhi ..	99
5676.	स्टेट बैंक आफ इंडिया की अम्बाला शाखा से पंजाब वक्फ बोर्ड के लेखों का हस्तान्तरण	Transfer of Accounts of Punjab Wakf Board from S.B.I. Ambala Branch ..	100
5677.	पंजाब वक्फ बोर्ड के कार्यकरण आदि के बारे में शिकायतें	Complaints against the working etc. of Punjab Wakf Board	100-101
5678.	वर्तमान वक्फ बोर्ड का विभाजन	Bifurcation of Existing Punjab Wakf Board	101
5679.	उड़ीसा और देश के अन्य भागों में खोली गई उचित मूल्यों की दुकाने और उनको दिया गया अनाज	Fair Price Shops opened in Orissa and other Parts of Country and Foodgrains Released	101
5680.	लघु कृषक विकास एजेन्सी तथा सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत चुने गये जिले	Districts selected under Small Farmers Development Agency and Marginal Farmer and Agricultural Labour Project	102
5681.	कीट और बीमारियों से शीघ्र ग्रस्त हो जाने वाली धान की अधिक उपज देने वाली किस्म	High yielding variety of rice susceptible to pests and diseases ..	102-104

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5682.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड का "एन्सीलरी काम्पलैक्स"	Ancillary complex of Hindustan Ship yard	104
5683.	वर्ष 1973 में बिहार में खाद्यान्नों का उत्पादन उनकी आवश्यकता तथा सप्लाई	Foodgrains production, requirement and Supply to Bihar during 1973	104
5684.	उड़ीसा में 11 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था	Provision of Education of Age Group of 11-14 in Orissa. ..	..104-105
5685.	उड़ीसा में प्राथमिक शिक्षा के लिये अध्यापकों की नियुक्ति हेतु व्यवस्था	Provision for Appointment of Teachers for Primary Education in Orissa ..	105
5686.	उड़ीसा में जयंती ग्राम	Jayanti Village in Orissa	..105-106
5687.	उर्वरक संवर्धन योजना के अन्तर्गत जिले	Districts covered under Fertiliser Promotional Plan	107
5688.	1974 से चावल, गेहूं और आलू की अच्छी किस्मों के बीज सप्लाई करने की योजना	Scheme for Supply of Food Variety of Rice, Wheat and Potato Seeds from 1974. ..	..107-108
5689.	ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता का समाप्त किया जाना	Eradication of Illiteracy in Rural Areas	108
5690.	शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन	Overhauling Education System	..108-109
5691.	राष्ट्रीय अभिभावक शिक्षक कन्वेंशन की गोष्ठी	Seminar of National Parent Teacher Convention.	109
5692.	सूरत जिले में पेछड़ी में गांधी विद्यापीठ का प्रबन्ध	Management of Gandhi Vidyapeeth at Perchhi in Surat District ..	..109-110
5693.	'ओपन नेशनल लाइब्रेरी' की स्थापना	Setting up of Open National Library	110
5694.	शोलापुर जिले में नसबन्दी आप्रेशन से हुई मृत्यु	Deaths due to Vasectomy in Sholapur District	110
5695.	छोटे तथा सीमांत किसानों द्वारा किये जाने वाले पूंजी निवेश के बारे में समिति	Committee on Investment by Small and Marginal Farmers ..	..110-111
5696.	नई दिल्ली में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सहकारिता आन्दोलन के बारे में किया गया निर्णय	Decision regarding Cooperative Movement taken at Chief Ministers' Conference held in New Delhi ..	111
5697.	बड़ी आटा-मिलों के प्रबन्ध-ग्रहण का प्रस्ताव	Proposal to take over management of Big Flour Mills	111
5698.	उर्वरक की सार्वजनिक वितरण प्रणाली	Public distribution system of fertilizers	111-112
5699.	उत्तरकाशी में नसबन्दी शिविर	Vasectomy Camps in Uttarkashi ..	112
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना भारतीय अभ्रक के निर्यात के लिये सोवियत संघ और पोलैंड के साथ करार करने में खनिज और धातु व्यापार निगम की असफलता का समाचार	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance Reported failure of the Minerals and Metals Trading Corporation to conclude contracts with USSR and Poland for export of Indian Mica.	..113-118

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
स्थगन प्रस्ताव	Motion for Adjournment	
आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम में संशोधन करने के बारे में उच्चतम न्यायालय के समक्ष महान्यायवादी के वक्तव्य का समाचार	Reported Statement of Attorney-General before Supreme Court about amending Maintenance of Internal Security Act ·	118-120
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	118
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	119
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	119
श्री एन०के०पी० साल्वे	Shri N. K. P. Salve	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	119
श्री ए०के० सेन	Shri A. K. Sen	
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	120
श्री विक्रम महाजन	Shri Vikram Mahajan	120
श्री पी०के० देव	Shri P.K. Dev	120
श्री वी०के० कृष्णा मेनन	Shri V. K. Krishna Menon	120
श्री मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	120
श्रीमती माया राय	Shrimati Maya Ray	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	121
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha ..	122
उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Orissa State Legislature (Delegation of Powers) Bill As Passed by Rajya Sabha	122
विदेशों से 'माइलो' की खरीद के बारे में वक्तव्य श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Statement re-Purchase of Milo from abroad Shri F. A. Ahmed ..	123
कार्य मंत्रणा समिति 28वां प्रतिवेदन	Business Advisory Committee Twenty-eighth Report	123
स्टेनोन पाइप एण्ड फाउन्डरी फेक्टरी, उज्जैन में हड़ताल के बारे में	Re Strike in Stanton Pipe and Foundry Factory, Ujjain	123-124
अनुदानों की मांगे, 1973-74 औद्योगिक विकास मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	Demands for Grants, 1973-74 Ministry of Industrial Development and Department of Science and Technology	124
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	124
श्री एम० कल्याणसुन्दरम	Shri M. Kolyanasundaram	125
श्री डी०डी० देसाई	Shri D.D. Desai	126
श्री के० एस० चावडा	Shri K.S. Chavda	127
श्री रामसिंह भाई वर्मा	Shri Ramsingh Bhai Verma	128
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S.R. Damani	128
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra	130
श्री मनोरंजन हाजरा	Shri Manoranjan Hazra	130
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	130
श्री राम नारायण शर्मा	Shri R. N. Sharma ..	131
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga ..	134

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 2 अप्रैल, 1973/12 चैत्र, 1895 (शक)

Monday, April 2, 1973/Chaitra 12, 1895 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

व्यावसायिक कर्मचारियों द्वारा सहकारी समितियों का चलाया जाना

+
***561. श्री राम कंवर**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जनवरी, 1973 के 'इकानामिक टाइम्स' ; प्रकाशित कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री ए०पी० शिन्दे द्वारा दिये इस आशय के एक वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि इसके बाद सहकारी समितियां व्यावसायिक कर्मचारियों द्वारा चलाई जायेंगी और इनके दैनिक कार्यों में राजनीतिज्ञों को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जायेगी; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार इस बात की उत्सुक है कि सहकारी सोसायटियों में व्यावसायिक कार्मिक होने चाहिएं और उनके दैनिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और इसके अतिरिक्त सहकारी सोसायटियों के कार्यचालन में राजनीतिज्ञों का प्रभाव कम से कम होना चाहिए ।

Shri Ram Kanwar : Till how these Co-operative societies have remained under the control of those people who have been exploiting poorer people and they have also been in league with the Government. Last year, a President of a Co-operative Society in Maharashtra celebrated the marriage of his daughter, which was attended by Sarvashri Chavan and Shinde. But no action was taken against him. Jeeps belonging to these Co-operative Societies are utilized by Congress Party during General Elections. Hon. Minister has agreed to it that Politicians would not be encouraged in future.

How much asistance Government propose to give to these Co-operative Societies during the next Five Year Plan and how much money would be collected by the societies themselves ? Those politicians who indulge in wasteful expenditure, they indulge in hungling in these Societies. How many such persons have been turned out and against how many persons complaints have been received ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मेरे वक्तव्य में केवल कांग्रेस पार्टी से संबंधित राजनीतिज्ञों का ही वर्णन नहीं, उसमें अन्य दलों के राजनीतिज्ञों की बात भी कही गई है। सहकारी समितियां वास्तव में व्यापार संगठन हैं और उन्हें उसी रूप में चलाया भी जाना चाहिए। अब हमारा मत यह है कि सहकारी समितियों में व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रबंध कर्मचारियों के हाथ में होना चाहिए और रोजमर्रा के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। यह समस्या का एक भाग है। दूसरे, हम यह चाहते हैं कि सहकारी समितियों का आधार व्यापक होना चाहिए और ये आम लोगों के लिये सहायक होनी चाहिए। इस समय मंत्रालय इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा है। सहकारिता, राज्य सूची का विषय है परन्तु हम इस बारे में विचार कर रहे हैं कि क्या सारे देश के लिये कोई आदर्श कानून बनाया जा सकता है जिसमें व्यावसायिक प्रबंध का उपबन्ध हो और वे आम लोगों का भला कर सकें। मेरा मंत्रालय इन सभी बातों पर विचार कर रहा है। हमें आशा है कि योजना आयोग और राज्य सरकारें इस मामले में आगे कार्यवाही करेंगी।

Shri Ram Kanwar : Presidents of all the Co-operative Societies belong to Congress Party, therefore, this applies to them. But Hon. Ministers has included all parties in the sphere.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं केवल यही कहूंगा कि सहकारिता एक रचनात्मक कार्य है और यदि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्त्ता इस में अपना सहयोग दे रहे हैं तो इस में कोई गलत बात नहीं है।

श्री एस० बी० गिरी : माननीय मंत्री ने कहा है कि सहकारी समितियों में पूर्णकालिक व्यक्तियों को नियुक्त किया जायेगा। इस देश में कितनी सहकारी समितियों का प्रबंध राजनीतिज्ञों से भिन्न अन्य पूर्ण कालिक कार्यकर्त्ताओं के हाथ में है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम इतना ही अन्तर करते हैं कि वे गैर सरकारी लोग हैं। यह अलग बात है कि वे पूर्ण कालिक हैं अथवा अंशकालिक। वे ईमानदार नीति-निर्माता होने चाहिएं। कार्यकारी पदों पर सिविल अधिकारी होंगे जो कि सहकारी आन्दोलन को संगठित करेंगे। हम इसी दृष्टि से सहकारी आन्दोलन को देख रहे हैं

अध्यक्ष महोदय : उनमें सभी राजनीतिज्ञ हैं।

श्री एस० बी० गिरी : कितनी सहकारी समितियों का प्रबंध राजनीतिज्ञों के हाथ में है ?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : महोदय, क्या जिस प्रस्ताव पर मंत्री महोदय विचार कर रहे हैं वह 'निश्चित समय' की है और माननीय मंत्री को जो स्वयं भी सहकारी है, मालूम है कि लोग अंशधारियों के रूप में निर्वाचित हो रहे हैं। निर्वाचित व्यक्ति जब कैन्टीन चला सकते हैं तो क्या वे सहकारी समितियां नहीं चला सकते ? ऐसे किसानों को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिएं जो सहकारिता के क्षेत्र में सफल हैं। माननीय मंत्री के इस सिद्धांत का आधार क्या है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, मैं अभी भी सहकारी हूं। मैं समझता हूं कि भारत में ऐसी अवस्था आ गई है कि जब सहकारी आन्दोलन के पुनर्विलोकन की आवश्यकता है। इस बात को देखने की भी आवश्यकता है कि माननीय सदस्य जैसे गैर-सरकारी सदस्यों को भी नीति-निर्धारण और सामान्य अधीक्षण आदि के कार्य में सम्मिलित किया जाये। इस कार्य में सहकारिताओं का दक्ष कार्यकरण और निदेश देना भी सम्मिलित है।

श्री एम० राय गोपाल रेड्डी : उन्होंने प्रश्न के केवल दूसरे भाग का ही उत्तर दिया है।

श्री अनन्त राव पाटिल : क्या यह सच है कि देश के कुछ भागों में कुछ सहकारी संस्थायें राजनीतिज्ञों के कुशल निर्देशन के अन्तर्गत बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं ? अथवा क्या आप राजनीतिज्ञों को उक्त संस्थाओं का मार्गदर्शन करने और उक्त संस्थाओं में प्रबंध ग्रहण करने से रोकना चाहते हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मुझे दुःख है कि माननीय सदस्य ने मेरी बात को ठीक तरह से नहीं समझा। मैं इस बात पर बल देता रहा हूं कि जहां तक आन्दोलन का मार्गदर्शन करने की बात है, राजनीतिज्ञ यह कार्य कर सकते

हैं । परंतु प्रबंध दूसरी बात है । सहकारी समितियां निश्चित रूप से व्यापारिक संगठन हैं और यदि सहकारी आन्दोलन को अत्याधिक आधुनिक क्षेत्रों में विकसित होना है तो सहकारी क्षेत्र में व्यवसायिक प्रबन्धकों की बहुत आवश्यकता है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : यह अच्छी बात है कि माननीय मंत्री सहकारी समितियों को राजनीतिज्ञों के हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न हुए कुप्रबंध से मुक्त करने के अथक प्रयास कर रहे हैं। क्या वे इन सहकारियों और विशेषज्ञयों का भर्ती कार्यक्रम सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा करने के बारे में सोच रहे हैं ? क्या ये अधिकारी राजनीतिज्ञों के हस्तक्षेप के होते हुए अपने दृष्टिकोण के अनुसार कार्य कर सकेंगे ? क्या यह सच है कि कुछ राजनीतिज्ञ सहकारी समितियों तथा अन्य सहायक संस्थाओं की धनराशि का दुरुपयोग करते रहे हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सहकारी समितियां अधिनियम के अन्तर्गत गठित की गई एक विशेषज्ञ समिति ने व्यवसायिक प्रबंध की कुछ समस्याओं पर विचार किया था । उन्होंने भी इसी प्रकार की सिफारिश की है जैसा कि मैंने पहिले बताया है। प्रबंध संस्थानों आदि की सहायता से देश में इस आन्दोलन के कार्य के लिये केडर बनाने के लिये कुछ प्रबंध करने होंगे । मेरा मंत्रालय इस मामले पर विचार करने के लिये एक विशेषज्ञ दल गठित करने की बात पर विचार कर रहा है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : उनकी भर्ती किस प्रकार से की जायेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इन सब बातों की प्रक्रिया आदि पर विचार किया जा रहा है जिससे कि दक्ष व्यक्ति भर्ती के लिये उपलब्ध हो सकें ।

श्री पी० जी० मावलंकर : कितनी सहकारी समितियां बन्द हो चुकी हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह सूचना देने के लिये मुझे अलग नोटिस चाहिए ।

Shri M. C. Daga : We are moving towards Individualism and thinking in terms of personal interests. Has this Co-operative Movement been successful or failed in much circumstances ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भारत में सहकारिता आन्दोलन का विचार बहुत तेजी से हो रहा है परन्तु उसकी सेवा का स्तर गिर रहा है । इस गरीब देश में, मेरे विचार के अनुसार, यह गरीबों की सेवा का बहुत महत्वपूर्ण साधन बनने वाला है, बशर्ते कि इस का प्रबंध सुचारू रूप से किया जाए ।

कालेज और विश्वविद्यालय क प्राध्यापकों के वेतनमान

***563. श्री सरोज मखर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भिन्न-भिन्न वर्गों के कालेज प्राध्यापकों और विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के वेतनमान क्या हैं ;

(ख) क्या उन प्राध्यापकों के वेतन बढ़ाने और पूरे देश में इन्हें एक समान बनाने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 4682/73**]

श्री सरोज मुखर्जी : उड़ीसा तथा नागालैंड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुरूप कालेज प्राध्यापकों के वेतनमानों को कार्यान्वित करने में क्यों असफल रहे हैं और मध्य प्रदेश इसे इतनी देरी से क्यों कार्यान्वित कर पाया है ?

प्रो० एस० नुरूल हसन : यह राज्य का विषय है और राज्य सरकारों ने ही इसका निर्णय करना है । केन्द्रीय सहायता का प्रस्ताव एक ही समय पर सभी राज्यों को किया गया था ।

श्री सरोज मुकर्जी : वक्तव्य में कहा गया है :

"कि विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के प्राध्यापकों की परिलब्धियों सहित, सेवा शर्तों के सामान्य प्रश्न

की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालयों और कालेजों के अभिशासन समिति द्वारा जांच की जा रही है ।"

उनकी सिफारिशों की रूपरेखा क्या है अथवा कम से कम क्या अब जब कि विभिन्न राज्यों में माध्यमिक तथा प्राइमरी स्कूल अध्यापकों के लिये पैंशन योजना है तो कालेज प्राध्यापकों के लिये कोई पैंशन योजना है ?

प्रो० एस० नुरूल हसन : समिति को इन समस्याओं पर विचार करने को कहा गया है । ऐसी संभावना है कि समिति का प्रतिवेदन विश्वविद्यालय आयोग को इसी पखवारे में प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

श्री डी० के पण्डा: उड़ीसा में सरकारी तथा गैर-सरकारी कालेज प्राध्यापकों ने छः मास पूर्व एक हड़ताल थी । पिछले मास उन्होंने एक सम्मेलन करके वेतनमानों के संबंध में इन सिफारिशों के कार्यान्वियन की मांग की उसके पश्चात, क्या केन्द्र ने राज्य सरकारों को इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के बारे में कोई अनुदेश जारी किए हैं ?

प्रो० एस० नुरूल हसन : मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं हुआ है ।

श्री माधुर्य्य हालदार : राज्य सरकारों द्वारा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतनमानों के कार्यान्वियन के लिये विश्वविद्यालयों को धन दिया जाता है । अतः उड़ीसा और कुछ अन्य राज्य सरकारें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को क्यों नहीं कार्यान्वित कर पाई और सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रो० एस० नुरूल हसन : जहां तक 1-4-66 को विद्यमान शिक्षकों के वेतनों में वृद्धि का प्रश्न है, यह तिथि वृद्धि के लिये रखी गई थी न कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सीधे क्रियाविति के लिये यह कोई योजनागत कार्य था । यह तो केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को अन्तर की 80 प्रतिशत राशि देने की पेश कश थी जिसे कुछ राज्यों ने तुरन्त मान लिया और शेष शायद वित्तीय या अन्य कारणों से इसका लाभ नहीं उठा सकीं अतः उक्त आयोग के पास न तो वृद्धि के भुगतान का अधिकार था और न ही वह नए वेतनमान लागू कर सकते थे।

श्री आर० बाल कृष्ण पिल्ले : अधिकांश राज्य सरकारों को, जिन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षकों को समान वेतन देने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निदेशों और सिफारिशों को लागू कर दिया है, आयोग से विभिन्न स्तरों पर भुगतान न होने से काफी कठिनाई होती है । उदाहरणार्थ, केरल सरकार को सरकारी कालेजों के शिक्षकों के समान गैर-सरकारी कालेजों के शिक्षकों को वेतन देने के लिये प्रतिवर्ष 4 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं जिससे उसे वित्तीय संकट का सामना है । क्या सरकार इस स्थिति को देखते हुए उन्हें कम से कम पांच वर्ष के लिये वित्तीय सहायता देगी ताकि वहां का संकट दूर हो सके ?

प्रो० एस० नुरूल हसन : मेरे पास ठीक-ठीक आंकड़े तो नहीं हैं परन्तु जहां तक मुझे स्मरण है केरल सरकार को उच्चतर शिक्षा स्तर पर अध्यापकों के वेतन-मानों में वृद्धि करने हेतु चार करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : विवरण से कुछ भ्रान्ति होती है । कुछ राज्यों के संबंध में कालम 4 में बताया गया है "1966–71 के समान" जबकि कुछ अन्य राज्यों के बारे में कहा गया है "1966–71 के समान परन्तु 1–11–1966 से लागू", जैसे कि हरियाणा में। क्या इसका अर्थ यह है कि अन्य राज्यों में यह वर्तमान तिथि से लागू होते हैं न कि भूतलक्षी प्रभाव से ? दूसरे, सरकारी कालेज अपने शिक्षकों के वेतन गैर-सरकारी कालेजों के शिक्षकों के समान बढ़ाने के मामले में बहुत कठोर हैं यद्यपि उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान भी मिलता है । तो क्या केन्द्रीय सरकार समान वेतन सुनिश्चित नहीं कर सकती ? क्या सरकार को पता है कि बहुत से सरकारी और गैर-सरकारी कालिजों के शिक्षकों को मनमाने ढंग से नौकरी से निकाल दिया जाता है और उनकी सेवा की कोई सुरक्षा नहीं है ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रो० एस० नुरूल हसन : प्रश्न के पहले भाग के संबंध में हमने सरकारी और सहायता प्राप्त गैर-सरकारी कालेजों में कोई भेद नहीं माना है । दूसरे, सरकार और आयोग दोनों की सेवा की सुरक्षा में बहुत रुचि है और इसीलिये उस समिति के निर्देश मदों में से एक यह भी है, जो अपनी रिपोर्ट आयोग को दो सप्ताह में दे देगी । इसकी प्राप्ति और आयोग के विचार जानने के बाद सरकार सभी आवश्यक और व्यवहार्य कदम उठाएगी ।

प्रत्येक फसल प्रणाली के लिये समेकित पोषक पदार्थ सप्लाई करने की नीति (इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएन्ट सप्लाई स्ट्रेटेजी)

***564. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक फसल प्रणाली के लिये समेकित पोषक पदार्थ सप्लाई करने की एक ऐसी नीति बनाने की कोई योजना है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक खादों का उचित सम्मिश्रण हो, जैसा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने 27 फरवरी, 1973 को नई दिल्ली में एक व्याख्यान में संकेत दिया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

प्रत्येक फसल प्रणाली के लिये समेकित पोषक पदार्थ सप्लाई करने की नीति के विकास के लिये कोई अलग योजना नहीं है । फिर भी प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध कार्बनिक अवशेष को संभाल कर रखना चाहिए और उसका भूमि में उपयोग करना चाहिए । यह विशेषकर दो पहलुओं से बड़ा महत्वपूर्ण है पहली बात यह है कि उर्वरकों को अधिक मात्रा में प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रहती जिसके फलस्वरूप जल के दोषयुक्त होने की समस्या उत्पन्न नहीं होती; दूसरे मौजूदा उर्वरकों के प्रयोग से अधिक खाद्य तथा अन्य वनस्पति उत्पाद उपलब्ध होते हैं । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने अपने भाषण में बताया था कि कार्बनिक खादों के (जिनका व्यापक रूप से संरक्षण करके इस्तेमाल किया जाना चाहिए) निम्नलिखित मुख्य स्रोत हैं :

(1) शहरी मल मूत्र, कीचड़ और वधशालाओं का कूड़ा कर-कट आदि

(2) नाली का गंदा पानी, कूड़ा कचरा, और पेशाब जैसे शहरी तरल गन्द

(3) औद्योगिक कूड़ा करकट

(4) फार्म और फसल का समस्त कूड़ा करकट

(5) काई तथा विशेषकर हार्यासिथ आदि जलकी काई

(6) पशुशालाओं की गंदगी और पशुओं का सब प्रकार का मलमूत्र

(7) अखाद्य खली

यदि हमें खाद तैयार करने के लिये गोबर और हड्डियों को सुरक्षित रखना है तो हमें गोबर गैस प्लाटों और बोन डाइजेस्टरों के व्यापक प्रयोग को लोकप्रिय बनाना चाहिए । यदि ईंधन के काम आने वाले, शीघ्र उगने वाले वृक्षों का विकास किया जाये तो ग्रामीण जनता को ईंधन के लिये गोबर जलाने की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ेगी । इस सभी कूड़ा-करकट आदि को इस्तेमाल करने के अलावा सिंचित क्षेत्रों में शुद्ध और क्रमागत अन्त: फसल के रूप में दाल तथा घास पात की खाद फसलों की खेती करने से दालें और नाइट्रोजन जब खाद अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकेगी ।

प्रकृति से नाइट्रोजन अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है । प्रति हैक्टार से ऊपर वायु मण्डल में लगभग 87,000 मीटरी टन नाइट्रोजन होता है । भूमि में नाइट्रोजन के निर्धारण में सेमी का योगदान आस्ट्रेलिया में सब से अधिक और भारत में सब से कम है । आस्ट्रेलिया में 20,000 लाख हैक्टार से अधिक क्षेत्र घास, चरागाह और चराई के अंतर्गत आता है उसमें से अधिकांश क्षेत्र शुष्क है ऐसी भूमि में से 1000 लाख हैक्टार क्षेत्र त्रिफालियम सबतरानियम (जो जीवाणुनाशक औषधि का टीका लगा हुआ और जो सामान्यत: सुपरफौस्फेट और कभी-कभी चूना तथा सूक्ष्म तत्वों सहित बोया जाता है) जैसी सेमों की खेती करके सुधार दिया गया है । अमरीका में भी सैम प्रारम्भिक उत्पादन के लिये काफी मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध करता है । सोयाबीन ही लगभग 14 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन प्रदान करता है । हमें इन उदाहरणों का अनुसरण करना होगा ।

समस्त कार्बनिक वस्तुओं की पुनर्चक्रगति को प्रोत्साहित करने के लिये विस्तार एजेंसियों के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं । इस प्रभावी रूप से करने के लिये नगर निगम, ग्राम पंचायतों तथा अन्य एजेंसियों के सहयोग की आवश्यकता

होगी । स्थानीय निकाय ही खाद के रूप में प्रयोग करने के लिये कूड़ा-कर-कट को सुरक्षित रखने में सहायक हो सकते हैं ।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : विवरण के आरंभ में बताया गया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है और अन्त में आह्वान किया गया है कि हमारे लिये इन उदाहरणों से लाभ उठाना हितकर होगा । यह आह्वान किसके लिये है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं समझता हूं कि इसका गलत अर्थ लिया गया है । जैसा प्रश्न था, उत्तर भी उसी के अनुसार दिया गया है । कोई योजना प्रत्येक फसल के लिये नहीं बनाई गई है । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि खाद बनाने की कोई योजना ही नहीं है । वास्तव में इस संबंध में राष्ट्रीय आधार पर चर्चा के लिये हम ने विवरण में स्पष्ट बात कह दी है ।

पहले तो एक योजना देश के 200 नगरों में खाद बनाने की है और दूसरे राज्य सरकारों के तत्वावधान में गांवों में चल रही योजनायें हैं । हम ने हाल में श्री शिवरामन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति भी नियुक्त की हैं जो शहरी कचरे के उपयोग के प्रश्न की जांच करेगी । वास्तव में हमने सभी बातें इस मान्य सदन में बता दी हैं ताकि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो सके ।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : मैं विवरण के अन्तिम वाक्य को दोहराता हूं । यह आह्वान किसानों के लिये है । उदाहरणार्थ, भाभा परमाणु शक्ति अनुसंधान केन्द्र ने काफी अच्छा कार्य किया है और जबतक सरकार यह उपयोगी जानकारी किसानों तक पहुंचाने के बारे में स्पष्ट निर्णय नहीं करती तब तक यह दस्तावेजों तक ही सीमित रहेगी । अतः सरकार की इस जानकारी के उपयोग संबंधी क्या नीति है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम ने हाल ही में 'रिजोब्रियम' का प्रयोग सभी शैम्बिक फसलों के बीजों पर करने को प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर विचार किया है । हमारा इस विषय के किसी भी सुझाव पर विचार करने का विचार है । अन्य देशों में इस का प्रयोग घास पर भी किया जाने लगा है। हमारा विचार इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर करने का है और राज्य सरकारों की सलाह से इसे देश भर में शैम्बिक फसलों और घास पर इसका प्रयोग करने का भी हमारा विचार है ।

मध्य प्रदेश में सीमान्त किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के लिए प्रारम्भ की गई योजनाओं की प्रगति

***566. श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सीमान्त किसानों और भूमिहीन श्रमिकों की सहायता के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या प्रगति अपेक्षित लक्ष्यों के अनुकूल है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक विकास अभिकरणों की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत दुर्ग और रायसेन–सिहोर जिलों में सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक विकास सम्बन्धी 2 अभिकरण हैं । इनकी प्रगति का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) आशा है प्रत्येक सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक विकास अभिकरण से विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र के 20,000 सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों को सहायता मिलेगी । आशा है कि अभिरकण वर्ष 1971–72 से शुरू होने वाली 5 वर्षों की अवधि में कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे ।

मध्य प्रदेश में सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक कार्यक्रम की क्रियान्विति की जनवरी, 1973 के अन्त तक की प्रगति

		सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक दुर्ग	सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक रायसेन-सिहोर
1. अभिज्ञात भागीदारों की संख्या	सीमान्त कृषक	17366	7212
	कृषि श्रमिक	5288	17965
2. सहकारी संस्थाओं के सदस्यों के रूप में दर्ज व्यक्तियों की संख्या		3243	3769

	1	2
3. खुदाई कुओं/नलकूपों की संख्या	80	147
4. पम्पसैटों की संख्या	104	121
5. अन्य लघु सिंचाई कार्यों की संख्या	2	3
6. कुल लघु सिंचाई कार्य	186	271
7. दुधारू पशुओं की संख्या	82	322
8. कुक्कुटों की संख्या	10	--
9. ग्रामीण कारीगरों की योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वालों की संख्या	10	--
10. ग्रामीण निर्माण के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वालों की संख्या	--	685
11. भुगतान किये गये ऋण (लाख रुपये) (स्थापना से अब तक)		--
(क) सहकारी संस्थाओं के माध्यम से		
(1) अल्पकालीन	6.63	4.21
(2) मध्यकालीन	1.19	0.95
(3) दीर्घकालीन	3.60	1.67
(ख) वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से		
(1) अल्पकालीन	--	0.41
(2) आवधिक ऋण	0.41	10.56
12. स्थापना के बाद निर्मुक्त की गई राशि (लाख रुपये)	19.71	27.28
13. स्थापना के बाद उपयोग की गई राशि (लाख रुपये)	14.78	17.50

श्री नरेन्द्र सिंह : क्या दस मास के लिये मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक हजार व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य पूरा हो गया है और यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो० शेर सिंह : पता नहीं आप द्रुत कार्यक्रम के बारे में पूछ रहे हैं या सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों के रोजगार संबंधी योजना के बारे में पूछ रहे हैं। इस योजना के अधीन भी हमने कुछ कार्य कृषि श्रमिकों को काम देने के लिये चला रखे हैं। इसके लिये धन थोड़ा है जिसे पांच वर्षों में खर्च करना होगा। जैसा विवरण में बताया गया है रायजनसिहोर जिले में 685 व्यक्तियों को इन कार्यों से रोजगार दिया गया है।

Shri Dhanshah Pradhan : I want to know the scheme for tribal tillers ? If these tribals are provided land independently, this could be one of the means to provide employment to them.

प्रो० शेर सिंह : क्या यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित है ? मुख्य प्रश्न तो मध्य प्रदेश के सीमान्त किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के बारे में है ?

Mr. Speaker : This question is about Marginal farmers and landless labourers in Madhya Pradesh. If you want to know particularly about tribals, you may give notice of a separate question.

श्री प्रसन्न भाई मेहता : केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः मैं यह प्रश्न नहीं पूछना चाहता।

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : वह हमें प्रश्न पूछने के अवसर से वंचित कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ? श्री मेहता प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं ।

Order to Food Corporation of India regarding limit on Stocks of Foodgrains with Traders

569. Shri Dhanshah Pradhan : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have issued any orders to the Food Corporation of India regarding the limit on stocks of foodgrains with the traders for sale in the market; and

(b) the broad outlines thereof ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम को कोई विशिष्ट अनुदेश नहीं दिये हैं । तथापि, राज्य सरकारों द्वारा गेहूं का थोक व्यापार लेने के प्रयोजन से जारी किये गये आदेशों में थोक व्यापारियों को समाप्त करने और खुदरा व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं को बेचने के लिये खरीदी, बेची या संचित की जाने वाली गेहूं की मात्रा का विनियमन करने की व्यवस्था है ।

Shri Dhanshah Pradhan : May I know whether the traders who have defied these orders have been arrested by the Government, if so, the details of the foodgrains for selling which, they have been arrested and the action taken against them ? What is the state-wise numbers of such traders and the quantity a licensed or a non licensed trader may have ? May I also know the action the Government propose to take against the persons involved in black marketing of sugar, rice, pulses, oilseeds etc. ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : थोक व्यापारियों को थोक व्यापार न करने के लिये आदेश भेजे जा चुके हैं और ये आदेश हाल ही में लागू किये गये हैं । यदि वे आदेशों की अवहेलना करेंगे तो निश्चितरूप से उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

जहां तक फुटकर व्यापारियों का सम्बन्ध है, उनके लिये सीमा निर्धारित की गई है जो प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है । फुटकर व्यापारी 10 क्विटल खाद्यान्न खरीद सकते हैं 25 क्विटल का भंडार रख सकते हैं । पंजाब तथा हरियाणा के मामले में यह मात्रा अधिक है ।

Shri Dhanshah Pradhan : Is it a fact that the rate of sugar at fair price shops is Rs. 2 per kilogram while in the open market it is available at the rate of Rs. 4 per kilogram, if so, whether the orders will be issued today itself so that there is a uniform rate of Rs. 2 per kilogram in market also ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह प्रश्न चीनी के विषय में नहीं है, खाद्यान्नों के बारे में है ।

Mr. Speaker : The question does not relate to sugar.

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को सुदृढ़ बनाने के लिये कोई कदम उठाए हैं क्योंकि थोक व्यापार खाद्यनिगम को सौंपा जा रहा है ? क्या यह भी सच है कि सरकार यह चाहती है कि थोक व्यापार से वंचित किये गये व्यापारी अपने को फुटकर व्यापारियों के रूप में पंजीकृत करायें, यदि ऐसा है, तो क्या सरकार यह समझती है कि इन व्यापारियों को फुटकर व्यापारी नियुक्त करके वे कदाचार समाप्त हो जायेंगे जो ये लोग किया करते थे ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमारी नीति तथा राज्य सरकार को हमारा परामर्श यह है कि वे थोक व्यापारियों को फुटकर व्यापारियों के रूप में पंजीकृत न करें परन्तु ऐसे कुछ मामलों में जहां थोक व्यापारियों के पास कुछ लोग काम करते हैं, राज्य सरकारें उन्हें फुटकर व्यापारी मानने के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगी । परन्तु सामान्यत: थोक व्यापारियों को फुटकर व्यापारियों के रूप में पंजीकृत करने का हमारा कोई विचार नहीं है । **(व्यवधान)**

क्योंकि खाद्यनिगम पर एक बहुत बड़ा दायित्व आ रहा है, इसलिये हम समय समय पर स्थिति का पुर्नविलोकन करने का प्रयास कर रहे हैं तथा प्रशासन की दृष्टि से और खाद्यनिगम के क्षेत्रीय कर्मचारियों की स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिये सभी प्रकार की आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं । आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं और राज्यवार समीक्षा की जा रही है ।

श्री रामसहाय पांडे : खाद्यान्नों के थोक व्यापार का सरकारीकरण करने के निर्णय के लिये भारत सरकार बधाई की पात्र है । मैं यह बात जानना चाहता हूं कि क्या खाद्य निगम को पर्याप्त धन राशि दे दी गई है ? क्या सरकारीकरण के मामले में बहुत से प्रबन्ध भी किये जाने हैं ? क्या खाद्य निगम से कहा गया है कि वे फसल कटते ही खाद्यान्नों की वसूली तथा खरीद के लिये शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करें ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि थोक-व्यापार से वंचित थोकव्यापारी सरकार के साथ सहयोग न करने के लिये किसानों में प्रचार कर रहे हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक वित्तीय व्यवस्था का सम्बन्ध है, स्टेट बैंक ग्राफ इंडिया ने खाद्य निगम को गेहूं के थोकव्यापार के लिये 600 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की है । यदि खाद्य निगम को और अधिक राशि की आवश्यकता होगी, तो इसके कारण कोई बाधा नहीं आयेगी और इस बात के लिये पूरा प्रयास किया जायेगा कि भारतीय खाद्य निगम को पर्याप्त तथा आवश्यक धन राशि उपलब्ध करायी जाये ।

जहां तक कुछ लोगों के असहयोग की बात है, हमें ऐसी सूचना मिली है कि कुछ लोग जानबूझकर भ्रमात्मक स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं और इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि रास्ते में कोई बाधा खड़ी हो । हमने इस बात का प्रयास किया है कि राज्यों में 5 से 10 मील की परिधि के अन्दर बहुत से खरीद केन्द्र उपलब्ध हों जिससे किसानों को अधिक दूर न जाना पड़े । विद्यमान मंडियों से इन केन्द्रों की संख्या बहुत अधिक हैं । किसानों के माल का शीघ्र भुगतान करने की भी व्यवस्था की गई है ।

श्री राम सहाय पांडे : राजनैतिक दलों का भी सहयोग लिया जाना चाहिए ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जी हां, उनका सहयोग भी लिया जायेगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या सरकार द्वारा खाद्यान्नों के व्यापार का सरकारीकरण करने के पश्चात और बिचौलियों को समाप्त कर देने के पश्चात गेहूं के फुटकर मूल्य में कोई कमी आयेगी और क्या भारतीय खाद्य निगम के ध्यान में यह बात है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या साधारण उपभोक्ता को खाद्य सामग्री के पैकेट सप्लाई किये जायेंगे ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सारी योजना एक विशिष्ट उद्देश्य को दृष्टि में रखकर बनायी गई है क्योंकि माननीय सदस्य को पता है कि भारत की खाद्यान्न अर्थव्यवस्था में समय समय पर उलट फेर चल रही थी । बिचौलिये, लोगों की कठिनाइयों से लाभ उठा रहे थे । मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव रहता था । सरकार द्वारा बनायी गई इस योजना से देश की खाद्य सम्बन्धी अर्थव्यवस्था स्थिर होगी । इस प्रकार उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के हितों की रक्षा होगी । माननीय सदस्य के खाद्य सामग्री के पैकेट के सुझाव पर विचार किया जायेगा । यह एक अच्छा सुझाव है ।

Shri Phool Chand Verma : Is it not a fact that after the take over of food grains trade people employed by the big traders have been rendered unemployed ? May I know whether at the time of taking over the trade the Government have tried to see that the farmers are paid by the food Corporation according to their cost of production, if not, what arrangements Government propose to make in this regard ? The Hon. Minister is aware that they have fixed the price at Rs. 76 per quintal whereas Cost of production comes to Rs. 109 per quintal.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, यह एक अलग प्रश्न है । प्रश्न संख्या 577 इस विशिष्ट विषय से सम्बन्धित है । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है सरकार ने मूल्य के लिये एक समिति नियुक्त की है जो खाद्यान्न का व्यापार संभालने तथा कीमतों के बारे में भी विचार करेगी और भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण को, जहां कहीं भी अत्यधिक मितव्ययता संभव हो सकती है, सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार करेगी । परन्तु इस समय हमारा क्रय मूल्य 76 रुपये है और विक्रय मूल्य 78 रुपये । इससे उपभोक्ता का हित किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं होता है क्योंकि सरकार उपभोक्ता के हित में बहुत अधिक राज सहायता दे रही हैं ।

Shri Phool Chand Verma : I have asked about farmers interests. I have asked whether the farmers are not paid even the cost of their production, if so, what action Government propose to take in this regard.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : कृषि मूल्य आयोग द्वारा इस बात पर विचार किया गया था। सरकार के कहने पर मूल्य के सम्बध में उन्होंने विचार किया था। आयोग ने इस पर गम्भीरता से विचार किया है। ये मूल्य विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के परामर्श से किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए निश्चित किये गये हैं। इस बात का भय करने की आवश्यकता नहीं है कि किसानों के हितों को ध्यान में न रखने से उत्पादन में कमी आयगी। वर्तमान मूल्य सूखे की स्थिति को ध्यान में रखकर निर्धारित किये गये हैं और इस बात से वर्तमान मूल्यों की तुलना नहीं की जानी चाहिए।

Shri Bibhuti Mishra : After taking over the foodgrains trade, certain people, like account keepers, and other low paid employees and labourers, employed by the wholesale traders are going to be unemployed. May I know whether arrangements will be made in this regard; whether the officers deputed on purchase will procure under official pressure or in the capacity of a purchaser; whether the producers will be paid for their produce according to the market's demand or their produce will be procured under Governmental pressure.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : बेरोजगारी के बारे में एक अलग प्रश्न पूछा गया है।

Shri Bibhuti Mishra : Sir, it is very relevant.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : श्रीमन्, आप जैसा कहें।

Mr Speaker : It is related to the broad outlines of the main question.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सरकार का विचार सम्पूर्ण खाद्यान्न व्यापार को अपने हाथ में लेने का नहीं है। कम साधन वालों को राज्य सरकारें फुटकर व्यापार का लाइसेंस दे सकती है। इनके मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा। जहां तक खरीद की बात है हम उस माल को खरीदते हैं। जिसे किसान बाजार में लाता है। यदि कोई राज्य सरकार व्यापारियों की सहायता करना चाहती है तो वह कर सकती है।

Shri Bibhuti Mishra : Sir, my question has not been replied to. I wanted to know whether the Government would make purchases under official pressure or in the capacity of a purchaser ?

The Minister for Agriculture (Shri F.A. Ahmed) : May I assure the Hon. Member that we will procure as a purchaser and not under official pressure.

श्री पी० एम० मेहता : क्या यह सच है कि किसान, विशेषतया गुजरात में, गेहूं तथा चावल के थोक व्यापार के सरकारीकरण के पक्ष में नहीं है। गुजरात में उन्होंने इसका विरोध किया है। यदि हां तो इसका क्या कारण है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : खेद की बात है कि देश में ऐसे लोग हैं जो किसानों को योजना के कार्य में सहयोग न करने के लिये उकसा रहे हैं। परन्तु मेरा विचार है कि किसान हमारे अनुरोध पर ध्यान देंगे और हमारे साथ सहयोग करेंगे। वे झूठे प्रचार के शिकार नहीं होंगे। किसानों को इस योजना से इसलिये सहयोग करना चाहिये कि इससे आगामी वर्षों में उनके हितों की रक्षा होगी।

श्री मनोरंजन हाजरा : क्या अनाज वसूली के मामले में खाद्य निगम ने बड़े कृषकों के स्थान पर छोटे कृषकों को अपना लक्ष्य बनाया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जो माल बाजार में आता है, चाहे किसी के द्वारा भी लाया जाये हमें उसे ही खरीदना है–चाहे बड़े किसान लायें या छोटे। छोटे किसानों के हितों की रक्षा तो अवश्य ही होनी है क्योंकि जो माल सरकारी एजेन्सी के पास आयेगा वह वितरण के लिये उपलब्ध होगा और फसल के कुछ महीनों बाद छोटे किसानों को अनाज बाजार से खरीदना होता है। इस प्रकार छोटे किसानों को खाद्यान्न उपलब्ध हो सकता है।

श्री कार्तिक उरांव : राशन की दुकानों पर एक कोने में माल नियंत्रित मूल्य पर बेचा जाता है और दूसरे कोने में वही माल चोरबाजारी से बेचा जाता है। क्या बिक्री की दोहरी पद्धति समाप्त करने के लिये किसानों से खरीद करने तथा उपभोक्ताओं को वितरित करने के मामले में कोई प्रभावी कदम उठाये जायेंगे ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमें इस समस्या की जानकारी है। सरकारीकरण की सारी योजना में वितरण करना ही महत्वपूर्ण बात है। हमारा प्रस्ताव वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने का रहा है। यह कार्य राज्य सरकारों के परामर्श से करना है।

श्री ए०पी० शर्मा : यह बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । इस विषय पर अलग से चर्चा होनी चाहिए ।

श्री डो० एन० तिवारी : क्या सरकार को ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि थोक व्यापारी अपने आदमियों को लाइसेंस दिलाकर उनके माध्यम से गेहूं खरीदने का प्रयास कर रहे हैं और वे ही सारे पैसे का भुगतान करते हैं तथा गेहूं को भिन्न-भिन्न स्थानों पर रखते हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : योजना में इस बात की ओर ध्यान दिया गया है । उदाहरण के लिये, पंजाब और हरियाणा को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों के व्यापारियों को 25 क्विंटल भंडार करने का अधिकार है । यह सीमा फुटकर व्यापारियों के लिये है । इसके साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में एक बार 10 क्विंटल से अधिक नहीं खरीद सकता है । इससे यह बात सुनिश्चित होती है कि थोक व्यापारी व्यापार कार्य नहीं कर सकेंगे । यदि किसी भी ढंग से कानून को भंग करने का कोई प्रयत्न किया जाता है तो हम राज्य सरकारों को परामर्श देंगे कि वे ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें । इस उद्देश्य के लिये कानून में पर्याप्त व्यवस्था है । राज्य सरकारों को भी आवश्यक शक्तियां दी गई हैं । वे ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती हैं ।

श्री डी०के० पंडा : मंत्री महोदय बता चुके हैं कि जिन थोक व्यापारियों के व्यापार को सरकारी अधिकार में ले लिया गया है उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार किया जायेगा । यदि सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि छोटे व्यापारियों तथा फुटकर व्यापारियों की संख्या इतनी अधिक है कि वे पूरी स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं तो थोक व्यापारियों के मामलों पर सहानूभूतिपूर्वक विचार करने का प्रश्न कहां रह जाता है ? यह तो इस प्रकार है कि रोगी कोई औषधि मांगे और डाक्टर उसे वह औषधि दे दे । थोक व्यापारियों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना इस प्रकार है जैसे आमों की टोकरी में सड़ा हुआ एक आम सारी टोकरी को गन्दा कर देता है ।

अध्यक्ष महोदय : यहां सड़े हुए आम की बात नहीं है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह प्रश्न पूछने से पहले उन्हें वह सब कुछ ध्यान से सुनना चाहिये था जो मैंने कहा है । यदि थोक व्यापारियों के कुछ मुनीम और अन्य कर्मचारी यह रिपोर्ट करते हैं कि बेरोजगार हो गये हैं तो हमने राज्य सरकारों को आदेश दिये हैं कि ऐसे अल्पसाधनों वाले लोगों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये ।

Shri Ram Singh Bhai Verma : Traders from other places used to come to sell the food-grains in Labour Colonies of big industrial areas but now they wont be available. May I know whether in view of avoiding exploitation, instructions will be issued to Food Corporation to make additional arrangements for the sale of foodgrains on Pay day or on advance day in Labour Colonies of big industrial areas.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मेरे विचार से इस योजना से औद्योगिक क्षेत्रों को विशेषरूप से लाभ होगा क्योंकि इन क्षेत्रों में अनाज उचित मूल्य पर मिल सकेगा और इससे औद्योगिक क्षेत्रों का अच्छा औद्योगिकरण होगा ।

पहले से ही भंडार रखने आदि के प्रश्न पर खाद्य निगम विचार करेगा ।

Shri Ram Singh Bhai Verma : I have not asked this I have asked about the supply of foodgrains or Pay day and advance day.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम राज्य सरकारों को आवंटन करते हैं, शहरों और नगरों में वितरण करने का दायित्व राज्य सरकारों का है । परन्तु हम राज्य सरकारों को यही परामर्श देंगे कि वे औद्योगिक क्षेत्रों की ओर पर्याप्त ध्यान दें ।

Shri Ram Singh Bhai Verma : Sir, I have asked regarding the arrangements to be made on two days. The day labour get their wages and the day they get advances, the Government should make arrangements for these two days so that labour may get foodgrains at reasonable prices.

Shri Shankar Dyal Singh : Otherwise the money is wasted or Liquor.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह कार्यरूप देने के लिये एक सुझाव है । हम इसे राज्य सरकारों के पास भेज देंगे ।

5/Lok Sabha/73—4

श्री नटवरलाल पटेल : क्या यह सच है कि जहां तक वसूली की वर्तमान नीति का सम्बन्ध है किसान संतुष्ट नहीं हैं और गेहूं पैदा करने वाले लगभग सभी राज्यों में उन्होंने मांग की है कि गेहूं का मूल्य 100 रुपये से कम निर्धारित न किया जाये? मैं यह बात भी जानना चाहता हूं कि क्या गुजरात सरकार से गेहूं का वर्तमान मूल्य बढ़ाने तथा मूल्य 100 रु० से कम निर्धारित न करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है, यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में अनिश्चितता की कोई बात न लायें क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है, इस मामले में कृषि मूल्य आयोग से विचार किया गया था। इसके पश्चात इस मामले पर मुख्य मंत्रियों से बात-चीत की गई थी और फसल बोने के समय से पहले ही मूल्यों की घोषणा कर दी गई। अतः इस स्तर पर इस मामले पर फिर से विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगले वर्ष क्या होगा, वह एक अलग बात है।

जहां तक गुजरात सरकार का सम्बन्ध है **(व्यवधान)** वह मेरी बात क्यों नहीं सुनते---ये निर्णय करने में गुजरात सरकार स्वयं शामिल थी।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

Effect of Land Ceiling on Sale of Tractors

***571. Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state.

(a) The extent of the short fall in the purchase of Tractors in the various States due to the imposition of ceiling on land holdings, State-wise; and

(b) The action proposed to be taken by Government in this regard ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्य कृषि उद्योग निगमों के पास ट्रैक्टरों के लिये नाम दर्ज कराने वालों की संख्या कम हो रही है। विभिन्न कृषि उद्योग निगमों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि मांग में कमी कई कारणों से हुई है। ये कारण हैं---(1) मूल्य अधिक होना (खासकर सीमा शुल्क, उत्पादन-शुल्क तथा अन्य शुल्कों के कारण); (2) कृषि भूमि की प्रस्तावित अधिकतम सीमा निर्धारण के कारण अनिश्चित स्थिति; (3) कुछ राज्यों में सूखे की स्थिति और (4) ऋण सुविधाओं की शर्तें सख्त होना, कार्यविधि संबंधी औपचारिकताओं की जटिलता और बैंकों द्वारा ऋण मंजूर करने में विलम्ब किया जाना। अतः कृषि जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के कारण विभिन्न राज्यों में ट्रैक्टरों की मांग और खरीद में वास्तविक कमी के बारे में बता सकना सम्भव नहीं होगा। छोटे किसानों को यंत्रीकृत कृषि की सुविधाओं के लाभ पहुंचाने की दृष्टि से राज्य कृषि उद्योग निगमों द्वारा भाड़े पर दिया जाना और उद्यमियों द्वारा कृषि यंत्र सर्विस केन्द्रों की स्थापना के काम में तेजी लाई जा रही है।

Shri Shiv Kumar Shastri : I had sought State-wise information. Had the question been answered state-wise, the question of drought situation would not have arisen. In so far as the question of rise in prices of tractor is concerned, the prices of the agricultural commodities have also increased. It has further been stated that cumbersome procedural formalities in getting credit from the banks are responsible for it but there is nothing new in it. In view of this, will the hon'ble Minister categorically say that shortfall in the purchase of tractors is due to the imposition of Ceiling on land holdings ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमारे पास राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हमने कृषि उद्योग निगम के विचार पूछे थे और उनके विचारों को इस उत्तर में शामिल कर दिया गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद को इस देश में ट्रेक्टरों की मांग की समस्या की विशेष रूप से जांच करने के लिये कहा था और हम उनके अन्तरिम प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं और हम इस सम्बन्ध में अपने विचार निश्चित करके सभा को समुचित जानकारी देंगे। अभी सरकारी एजेंसियों के सम्बन्ध में कृषि उद्योग निगम के मूल्यांकन को इस उत्तर में शामिल किया गया है।

Shri Shiv Kumar Shastri : The matter is still not clear. It has been stated that small farmers would be provided with the required equipment on hire. May I know the details of these facilities and how they would be arranged ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : छोटे किसानों को ट्रेक्टर उपलब्ध करने के दो-तरफा प्रयत्न किये जायेंगे । सरकारी एजेंसियों को ग्रामीण क्षेत्रों में शुल्क-सेवा बढ़ाने की सलाह दी गई थी जिससे किसानों को किराये पर ट्रेक्टर उपलब्ध हो सकें । बेरोजगार इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने और शुल्क सेवा की व्यवस्था करने हेतु ऋण सुविधायें देने को भी एक योजना है । कुछ राज्यों में कुछ एकक स्थापित किये गये हैं परन्तु उन्हें अपने कार्यकलापों का विस्तार करना होगा ताकि वे इन सुविधाओं को अधिक किसानों को उपलब्ध कर सकें ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मंत्री महोदय इस बात पर सहमत हैं कि ट्रेक्टरों की मांग कम हो रही है परन्तु सरकार का विचार विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करके अन्य देशों से लगभग 2,000 ट्रेक्टर आयात करने का है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि इन 2000 ट्रेक्टरों का निपटान किस प्रकार किया जायेगा ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैंने जो विवरण दिया है उसे सापेक्ष समझना चाहिये । दो वर्ष पूर्व अनुमान लगाया गया था कि ट्रेक्टरों की मांग लगभग 2 लाख की होगी । अब भी देशी निर्माताओं के पास लगभग 28000 ट्रेक्टरों के लिये प्रतीक्षा-सूची है, कृषि उद्योग निगम के पास 15000 ट्रेक्टरों के लिये और भूतपूर्व सैनिकों के लिये भी 15,000 ट्रेक्टरों की प्रतीक्षा सूची बनी हुई है । मुख्य बात यह है कि किसी किस्म विशेष के ट्रैक्टरों को तरजीह दी जाती है, 28000 में से 26,000 लोग मेस्से-फरगुसन चाहते है । अतः खास किस्म के ट्रैक्टरों की मांग है और खास आयातित किस्म की मांग है । मेरे विचार में जितना आयात किया जा रहा है वह देश की मांग की अपेक्षा अधिक नहीं है । हम अपने देश में उत्पादन को प्रोत्साहित करते रहे हैं और आयात करके इस अन्तर को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री जी० विश्वनाथन : क्या सरकार अलाभकारी जोतों की समस्या पर भी विचार कर रही है जो ट्रेक्टरों की मांग कम होने का एक कारण है ? क्या सरकार जमीन के पुश्त-दर-पुश्त टुकड़े हो जाने को रोकने के लिये ज्येष्ठाधिकार का कानून जैसा कोई कानून बनायेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : अलाभकारी जोतों की समस्या बहुत कठिन और जटिल है और मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत हूं । सिंचाई की अधिक सुविधायें उपलब्ध किये जाने के कारण छोटी जोतें भी पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भर होती जा रही हैं । भारत सरकार का दृष्टिकोण मूलभूत आवश्यक ढांचे को सुदृढ़ बनाने और तकनीकी सुविधायें उपलब्ध करने का है क्योंकि हमारे देश में 70 प्रतिशत छोटे किसान हैं और जब तक उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर नहीं बना दिया जाता तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ बेरोजगार इंजीनियरों को ट्रेक्टर दिये जा रहे हैं ताकि वे ग्रामीणों को सुविधायें उपलब्ध कर सकें । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या देश में कोई ऐसा काम हो रहा है और यदि हां, तो क्या वह किसी ऐसी यात्रा की व्यवस्था करेंगे ताकि संसद सदस्य उसे देख सकें ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं इस प्रकार की यात्रा की व्यवस्था करने के लिये तैयार हूं । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह वहां पर जा कर देखें ।

श्री पी० के० देव : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का इरादा सहकारी और सामूहिक खेती की व्यवस्था करने का है ताकि इन ट्रेक्टरों का उचित उपयोग किया जा सके ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है, हमारा दृष्टिकोण यह नहीं है कि ट्रेक्टर मांग की अपेक्षा बहुत कम हो, कुछ फार्मों के सम्बन्ध में यह कठिनाई है कि कुछ किसानों ने ट्रेक्टर नहीं खरीदे है । इसलिये कुछ ऐसे संगठन स्थापित करने होंगे जो किसानों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पारादीप पत्तन में सुरक्षा कर्मचारियों और श्रमिकों के बीच झड़प

***562. श्री सुरेन्द्र महन्ती :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन में 13 जनवरी, 1973 को सुरक्षा कर्मचारियों और श्रमिकों के बीच बड़े पैमाने पर झड़प हुई थी जिसमें लगभग 80 व्यक्ति घायल हो गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उक्त झड़प के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) 12 जनवरी, 1973 को पारादीप पत्तन में केन्द्रीय उद्योग सुरक्षा दल के सुरक्षा कर्मचारियों तथा पत्तन कर्मचारियों के बीच झड़प हुई । झड़प उस समय हुई जब सुरक्षा गार्ड ने उड़ीसा फिशरीज विभाग के दो कर्मचारियों को पत्तन के परिसर में बिना पासों के घुसने से रोका । कर्मचारियों के एक दल ने सी०आई०एस०एफ० की अभिरक्षा से रोके गये व्यक्तियों को बल पूर्वक निकाल ले गये तथा सी०आई०एस०एफ० कर्मचारियों की मार पीट की । सी०आई०एस०एफ० के लोगों के साथ देने के लिये बैरकों से व्यक्ति तथा जनता और पत्तन के कर्मचारी जमा हो गये और झड़प होगई, इसमें सी०आई०एस०एफ० के 58 कर्मचारी तथा पत्तन के 20 कर्मचारी घायल हुये ।

Survey For Solving Housing Problem of Delhi

***565 Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government propose to conduct such a survey for solving the present housing problem of Delhi on humanitarian ground as to find out the percentage of those people of Delhi who are earning their livelihood by resorting to unauthorised constructions; and

(b) if so, the date decided for conducting a survey ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) The Government have no such proposal under their consideration.

(b) The question does not arise.

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दुग्ध डिपुओं के निर्माण के लिए टेण्डर-प्रणाली

***567. श्री रामकृष्ण रेड्डी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना अपने दुग्ध डिपुओं का तेजी से निर्माण करने के लिये जनता से टेण्डर आमंत्रित करती है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रक्रिया क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं । 1968 तक दिल्ली दुग्ध योजना अपने दुग्ध बूथों का निर्माण हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के जरिये करा रही थी उसके बाद दुग्ध बूथ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जरिये बनवाये जा रहे हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

होम्योपैथी शिक्षा के स्टेण्डर्ड में समानता

***568. श्री श्री किशन मोदी :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह देशी चिकित्सा प्रणाली का विकास करे; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात बतायी गयी है कि देश में होम्योपैथी शिक्षा के स्तर में समानता नहीं है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) जी हां । होम्योपैथी की केन्द्रीय परिषद बनाने का एक विधेयक संसद के सामने है । इस केन्द्रीय परिषद के बन जाने पर इसका एक मुख्य कार्य होम्योपैथी शिक्षा के स्तर में समानता लाना होगा ।

गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 1972 के दौरान की गई खाद्यान्नों की मांग और उसकी पूर्ति

***570. श्री डी०पी० जदेजा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने वर्ष 1972 में, मास-वार, कितने खाद्यान्नों की मांग की थी; और

(ख) उक्त अवधि में उन्हें कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की पूर्ति की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4683/73]**

सोवियत संघ से बड़े मालवाहक जहाजों की खरीद

***572. श्री जी० वाई कृष्णन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत संघ से बड़े मालवाहक जहाजों का खरीदने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) सरकार ने, अपनी पांचवीं योजना के दौरान शीघ्र सुपुर्दगी के लिये जहाजों की विशेष कर खुले माल वाहक पोत तथा तेल वाहक पोतों की खरीद करने में अपने हित के बारे में रूस को सूचित कर दिया है । रूस इस अनुरोध पर विचार करने तथा 1974 में अपना प्रत्युत्तर देने के लिये सहमत हो गया है ।

कागज की बोतलों में दूध का वितरण

***573. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री भागवत झा आजाद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कागज की बोतलों का प्रयोग करके देश में दूध के वितरण के लिये नये तरीके लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) "आपरेशन फ्लड" नामक परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू दूध और डेरी विकास को बढ़ावा देने के लिये शीघ्र और बड़े पैमाने पर दूध वितरण की सुविधायें देना है । हालांकि पुराने तरीके से बोतलों में दूध की सप्लाई जारी रहेगी और वास्तव में यह बढ़ भी सकती है, लेकिन दुग्ध उपभोक्ताओं की दूध की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये दुग्ध वितरण के वैकल्पिक तरीके प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । इनमें से एक दूध का बिक्री के बड़े युनिटों के जरिये वितरण करना है और दूसरा एक ही बार प्रयोग में लाये जाने वाले तेतरापेक पैकेजों के जरिये दूध का वितरण करना है । कागज के ये पैकेज पिल्फर प्रूफ होंगे और ऐसे दूध को डेरी संयंत्र से भेजने के बाद उसके प्रशीतन या अभिशीतन की कोई आवश्यकता नहीं होगी । इस दूध की क्वालिटी सामान्य तापमान में 15 दिन या इससे अधिक समय तक बनी रहेगी । दूध के ये पैकेज किराने की आम दुकानों और डिपार्टमैंटल स्टोर के जरिये दिन भर बेचे जा सकते हैं । इससे पुराने दुग्ध डिपों के बाहर लगने वाली लम्बी कतारों से बचा जा सकता है, जोकि दिन में केवल दो या तीन घण्टे ही दूध की बिक्री करते हैं ।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने इस सम्बन्ध में एक ब्योरेवार परियोजना और उसकी व्यवहारिकता संबंधी रिपोर्ट तैयार की है । प्रत्येक संयंत्र में तेतरापेक, दुग्ध अवशीतन मशीनें लगाने की पूंजीगत लागत 114.70 लाख रुपये आने का अनुमान है । इस मशीन में प्रतिदिन 100,000 लिटर दूध निपटाने की क्षमता होगी । इसपर 46.77 लाख रुपये की

विदेशी मुद्रा खर्च होगी। तेतरापेक दूध भरने की मशीनों के लिये आवश्यक लेमिनेटेड कागज तेतरापेक इन्टरनेशनल स्वीडन, भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा (सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रतिष्ठान) और मैसर्स कैंट एण्ड कम्पनी प्राइवेट लि० कलकत्ता के सहयोग से भारत में बनाने का प्रस्ताव है।

एक ही बार प्रयोग में लाये जाने वाले कागज के पैकेजों के जरिये दूध के वितरण की प्रस्तावित वैकल्पिक प्रणाली पर सरकार ध्यानपूर्वक विचार कर रही है। नई प्रणाली तभी प्रारम्भ की जायेगी, जब सरकार को इसकी उपयोगिता और प्रस्तावित सहयोग व्यवस्था के बारे में पूरी तरह विश्वास हो जायेगा।

स्कूलों के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसें

***574. श्री वेकारिया :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने के लिये अपनी बसें स्कूलों को दी हैं;

(ख) स्कूलों ने कितनी बसें ठेके पर ली हैं;

(ग) स्कूलों से प्रति किलोमीटर कितना किराया लिया जाता है; और

(घ) किन-किन स्कूलों ने कितनी-कितनी बसें किराये पर ली हैं ?

नौवहन और परिहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) 184

(ग) 1.2 रु० प्रति कि०मी०

(घ) निम्नलिखित 17 स्कूल प्रत्येक के सामने दिखाये गये दिल्ली परिवहन निगम की बसों को उपयोग कर रहे है।

स्कूल का नाम	बसों की संख्या
1. बाल भारती पब्लिक स्कूल पूर्वी मार्ग, नई दिल्ली	7
2. भाई जोगा सिंह खालसा बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली	2
3. केम्ब्रिज स्कूल, श्रीनिवासपुरी (रिंग रोड) नई दिल्ली	22
4. कारमेल कानवेन्ट स्कूल डिपलोमेटिक इनक्लेव, नई दिल्ली	15
5. कानवेंट आफ जीजस, एंड मेरी, बंगला साहिब रोड, नई दिल्ली	7
6. दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, नई दिल्ली	29
7. डिफेंस सरविसेज पब्लिक स्कूल, अपर रिज रोड, धौला कुआं, नई दिल्ली	1
8. लोरेटो कानवेंट परेड रोड, दिल्ली कैंट	7
9. दी मदर इंटरनेशनल स्कूल श्री अरविन्दो आश्रम, नई दिल्ली	5
10. मातेर देई कानवेंट स्कूल, तिलक लेन, नई दिल्ली	13
11. मांउट सेंट मेरी स्कूल, परेड रोड, दिल्ली कैंट	12
12. रामकृष्ण सारदा मिशन, निवेदिता विद्या मंदिर, हौज खास, नई दिल्ली	1
13. आर० एस० जूनियर माडर्न स्कूल, हुमायू रोड, नई दिल्ली	5
14. रोजरी स्कूल रेडियो कालोनी, किंग्जवे कैंप, दिल्ली	4
15. सेंट जेवियरस स्कूल राजनिवास मार्ग, दिल्ली	26
16. सेंट थेरसे हाई स्कूल प्रेजैंटेशन कानवेंट, दिल्ली-6	15
17. सेंट कोलम्बस हाई स्कूल, एलेक्जंड्रा प्लेस, नई दिल्ली	13
कुल	184

तमिलनाडु में 1971-72 और 1972-73 की फसलों में चीनी के कारखानों में गन्ने से निकली चीनी की औसत मात्रा और उसकी जांच की पद्धति

***575. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के चीनी के कारखानों में 1971–72 और 1972–73 की फसलों में दिसम्बर, जनवरी और फरवरी महीनों में कारखाना-वार, गन्ने से निकली चीनी की औसत मात्रा क्या थी;

(ख) चूंकि मूल्य का प्रश्न निकाली गई चीनी की मात्रा से सम्बद्ध है, क्या सरकार के पास इसकी जांच का कोई तरीका है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार भविष्य में ऐसा करने के लिये क्या आवश्यक प्रबन्ध करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जहां तक तमिलनाडु राज्य में स्थित चीनी कारखानों का संबंध है, 1971–72 और 1972–73 मौसम के दिसम्बर, जनवरी और फरवरी के महीनों के दौरान, कारखाना वार, चीनी की औसत उपलब्धि बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4684/73**]

(ख) और (ग) जी हां । केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कानून के अधीन चीनी कारखानों को कच्चे माल के प्रयोग और चीनी के उत्पादन जिसमें चीनी की उपलब्धि की प्रतिशतता आदि शामिल है, के बारे में प्रतिदिन सांविधिक विवरणी तैयार कर प्रस्तुत करनी होती है केन्द्रीय उत्पादन शुल्क-विभाग का तकनीकी विंग यह सुनिश्चित करने के लिये इसकी जांच करता है कि चीनी की कोई चोरी-छिपे निकासी न हो जिससे कि राजस्व की हानि हो । इसके अलावा, केन्द्रीय राजस्व रसायन सेवा के तकनीकी अधिकारी प्रत्येक मौसम में बिना पूर्व सूचना के कुछ कारखानों की अचानक जांच करते हैं और उचित परीक्षण कर उपलब्धि का पता लगाते हैं ।

विभिन्न राज्यों में धान का मूल्य

***576. श्री धर्मराव अफजल पुरकर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और महाराष्ट्र को धान के लिये क्रमशः 65 रुपये तथा 78 रुपये प्रति क्विंटल की अनुमति दी गई थी जबकि मैसूर को 54 रुपये प्रति क्विंटल की; और

(ख) यदि हां, तो चावल के थोक व्यापार के सरकारीकरण के लिये धान के वास्तविक मूल्य की अनुमति न देने के मार्ग में सरकार के सामने क्या बाधायें हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) केरल, महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों में 1972-73 के खरीफ मौसम के लिये धान की मानक किस्मों का निम्नलिखित अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित किया गया है :—

	रुपये प्रति क्विंटल
केरल	56.25
महाराष्ट्र	58.52
मैसूर	52.00

केरल सरकार अधिप्राप्ति मूल्य के अलावा 8.75 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उत्पादकों को सुपुदर्गी बोनस दे रही है ।

(ख) चावल का थोक व्यापार 1973–74 के खरीफ मौसम से लिया जाएगा । उस मौसम के लिये अधिप्राप्ति मूल्य अधिप्राप्ति मौसम के प्रारम्भ होने से पहले निर्धारित किये जायेंगे ।

अनाज के थोक व्यापार के सरकारीकरण के कारण बेरोजगार होने वाले व्यक्ति

***577. श्री लाल जी भाई :**

श्री मूल चंद डागा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के अनाज-व्यापार के सरकारीकरण के निर्णय के परिणामस्वरूप लगभग 16 लाख व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो उनके हित के लिये सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) गेहूं और चावल का आगामी रबी और खरीफ मौसम से थोक व्यापार लेने की योजना की कार्यान्विति से खाद्यान्नों के व्यापार में लगे व्यक्तियों के बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार होने की नहीं सम्भावना है क्योंकि ये व्यापारी गेहूं और चावल के अलावा, खाद्यान्नों और अन्य कृषि विभिन्न जिन्सों का व्यापार करते रहेंगे ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विक्रयार्थ लाये जाने वाले गेहूं की खरीद तथा गेहूं के थोक व्यापार का सरकारीकरण

578 श्री राजदेव सिंह :

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में एकमत से यह निर्णय हुआ था कि केवल वही गेहूं और चावल उत्पादकों से वसूल किया जाये जो कि वे विक्रयार्थ लायें न कि उसको जो उनके पास विक्रय के लिये उपलब्ध है;

(ख) चूंकि सरकारीकरण का उद्देश्य अथवा अभिप्राय सट्टेबाजी समाप्त करना और थोक व्यापारियों की कार्यवाहियों के कारण मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव को रोकना है इसलिये क्या विक्रय के लिये उपलब्ध अतिरिक्त अनाज को गैर-सरकारी हाथों में ही रहने दिया जायेगा;

(ग) क्या वसूली 76 रुपये प्रति क्विंटल के सरकारी नियत मूल्य पर की जायेगी और सप्लाई मूल्य 78 रुपये प्रति क्विंटल होगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या खेती के लिये आवश्यक पदार्थों के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए, वसूली मूल्य किसानों के लिये लाभप्रद होगा अथवा नहीं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, गेहूं के बारे में । चावल के बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) जी नहीं । योजना के अधीन बिकाऊ अधिशेष की अधिप्राप्ति के बाद बची केवल थोड़ी मात्रा ही उत्पादकों और खुदरा व्यापारियों को रखने की इजाजत दी जायेगी ।

(ग) गेहूं का प्रति क्विंटल अधिप्राप्ति मूल्य इस प्रकार हैं ---विशेष बढ़िया किस्म का 82.00 रुपये, लाल देशी गेहूं का 71.00 से 74.00 रुपये तक और अन्य किस्मों के लिये 76.00 रुपये । बढ़िया किस्मों का निर्गम मूल्य शीघ्र ही निर्धारित किया जा रहा है अन्य किस्मों के लिये मौजूदा निर्गम मूल्य 78.00 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है ।

(घ) अधिप्राप्ति मूल्य हमेशा निर्धारित किये जाते है ताकि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिले ।

सरकारी कर्मचारियों को स्थानान्तरण होने पर पेश आने वाली विकट आवास समस्या

***579 श्री डी० बी०चंद्र गौडा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरण पर, उन्हें विकट आवास समस्या का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) जी, हां, कभी-कभी ।

(ख) एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किये गये अधिकारियों को सामान्य पूल से वास के आबंटन के उनके मामले पर विशेष ध्यान देने का कोई प्रस्ताव नहीं है । अपनी नई तैनातियों के स्थानों पर सामान्य पूल से वास के आबटन के लिये उनको अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है । भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के मामले में, जो राज्य के केडर पर होते हैं तथा जिन्हें नई दिल्ली/दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के पदों पर कार्य करना अपेक्षित होता है, 'टैनोर आफीसरज पूल" नाम से एक पृथक पूल बनाया गया है ।

Schemes for Cheap Agricultural Equipment of Steel for Farmers

***580. Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the prices of those agricultural equipments, which are made of Steel are increasing ; and

(b) If so, whether Government are considering the question of making these equipments available to the farmers at reasonable prices ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde): (a) The pieces of Agricultural equipments have increased on account of increase of prices of iron and steel and increase in labour wages.

(b) Government of India have taken various steps for the introduction and supply of agricultural equipment to farmers at reasonable rates. These are as under :-

(i) During the Third Plan period, improved implements were sold to the farmers at subsidised rates varying from 25% to 33½% in various States to popularise them. 25% of this subsidy was borne by the Central Government.

(ii) Manufacture of agricultural implements is being intensified particularly in public sector units. These units have been asked to expand their production so that implements manufactured by them could be supplied to farmers at reasonable prices.

(iii) A large variety of improved tools and implements have been developed in the country to meet the needs of the farmers for various farming operations. Most of the agricultural implements are manufactured by the small-scale units in the country to cater to the local needs of the farmers.

(iv) Government is also giving necessary assistance to the indigenous manufacturers for import of Proto-types of agricultural implements and other equipments for tests, trials and demonstrations.

(v) The Indian Standard Institution is rendering valuable work in the preparation of standards for agricultural implements, tools etc. It has already prepared standards for 55 implement, and some more are being finalised.

भिखारियों का सर्वेक्षण

5500. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की कुल जनसंख्या में भिखीरियों की प्रतिशत पाकिस्तान, श्रीलका, जापान तथा अन्य एशियाई और अफ्रीकी देशों की जनसंख्या की तुलना में कितनी है; और

(ख) क्या भिखारी समस्या के साथ निपटने के लिये विभिन्न राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों को कोई सामान्य निदेश दिये गये हैं; यदि हां, तो इन निदेशों का ब्योरा क्या है और भारतीय भिखारियों की जनशक्ति का राष्ट्र के लाभ के लिये किस प्रकार उपयोगी किया जा सकता है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) अन्य एशियाई और अफ्रीकी देशों के भिखारियों की जनसंख्या के बारे आंकड़े में उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) राज्य सरकारों से निवेदन किया गया है कि वे भिक्षावृत्ति निरोधक कानूनों, बाल अधिनियमों, इत्यादि के द्वारा भिक्षावृत्ति की समस्या को थोड़े समय में हल करें । आशा है कि भिक्षावृत्ति को समाप्त करने में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों का लम्बे समय में प्रभाव पड़ेगा ।

5/Lok Sabha/73—5

मैसर्स नव भारत निर्माण प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया मुआवजा

5501. श्री डी० पी० जदेजा : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी भवन निर्माण समिति लिमिटेड को इस शर्त पर रियायती मूल्य पर भूमि दी गई है कि वह भूमि पंचाट संख्या 1809, दिनांक 29 मार्च, 1965 के विरुद्ध कोई याचिका दायर नहीं करेंगी ;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन के भूमि और भवन विभाग की जानकारी में यह बात है कि मेसर्स नवभारत निर्माण प्राइवेट लिमिटेड ने एक याचिका दायर की है तथा अतिरिक्त जिलाधीश ने उपरोक्त समिति की भूमि से सम्बन्धित अपने 31 जुलाई, 1970 के अपने निर्णय में उसे स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो बढ़े हुए मुआवजे के रूप में मैसर्स भारत निर्माण प्राइवेट लिमिटेड को कितना रुपया दिया गया ; और

(घ) क्या समिति बढ़ा हुआ मुआवजा देने के लिये बाध्य है ?

संसदीय कार्यविभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी भवन निर्माण समिति की भूमि दिनांक 29–3–1965 के पंचाट सं० 1804 द्वारा अर्जित की गई थी न कि भूमि अर्जन पंचाट सं० 1809 द्वारा। समिति ने यह वचन दिया था कि समिति उक्त पंचाट के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की रकम में वृद्धि के लिये अपील दायर नहीं करेगी और इसलिए समिति को आवंटित की गई भूमि का मुल्य मुआवजा के आधार पर लिया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) 1,09038.08 रुपये।

(घ) क्षतिपूर्ति की उक्त वृद्धि के फलस्वरूप समिति से अतिरिक्त रकम की वसूली के प्रश्न पर दिल्ली प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

Grants to Institutions in Rae Bareilly District of U.P. By Department of Social Welfare

5502. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the names of the institutions in Rae Bareilly District in Uttar Pardesh which were given grants by the Department of Social Welfare during the financial years 1971-72 and 1972-73 alongwith the amounts thereof.

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam): No grants were given directly by the Department of Social Welfare. However, grants to the following institutions were given by the Central Social Welfare Board, during 1971-72 and 1972-73 in Rae Bareilly district.

	1971-72 (Amount released)	1972-73 (Amount Sanctioned)
1. District Council for Child Welfare Rae Bareilly.	Rs. 1180/-	Rs. 3240/-
2. Mahilakalyan Kendra, Rac Bareilly.	—	Rs. 2000/-
3. Nagric Seva Sansthan Haridio, Jayes, Rae Bareilly.	—	Rs. 500/-
4. Indra Nehru Gandhi Vidayalaya, Sahfoora Rae Bareilly.	—	Rs. 1500/-
5. Family & Child Welfare Project, Block Rahi, Distt. Rae Bareilly.	—	Rs. 73,000/-

Grants to Institutions in Partapgarh District of U. P. By Department of Social Welfare

5503. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the names of the institutions in Partapgarh district of Uttar Pradesh which were given grants by the Department of Social Welfare during the financial years 1971-72 and 1972-73 alongwith the amounts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare & in the Department of Culture (Shri Arvind Netam): No grants were given directly by the Department of Social Welfare. However, grants to the following institutions were given by the Central Social Welfare Board during 1971-72 and 1972-73 in Partapgarh district:—

	1971-72 (Amount released)	1972-73 (Amount Sanctioned)
1. District Eye Relief Society Partapgarh.	Rs. 1,000/-	Rs. 1,000/-
2. Smaj Seva Sansthan, Kalakankar, Partapgarh.	Rs. 13048.95	Rs. 9,825

Central Grant and Loan to Jammu and Kashmir For Agricultural Production

5504. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) The amount of grant and loan provided to Jammu-Kashmir for increasing agricultural production during financial year 1971-72; and

(b) The amount of grant being provided to the said State for this proposal during financial year 1972-73?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde): (a) & (b) The procedure for release of Central assistance to the State Governments for their Plan schemes has been revised from 1969-70. Assistance is now relesed to the State Governments in block loans and grants for the annual plan as a whole and is not related to any individual scheme or programme. The assistance given to the Government of Jammu & Kashmir, by way of block loan and grant as Central assistance for State Plan Schemes during 1971-72 and 1972-73 are as follows:—

(Rs. in lakhs)

	1971-72	1972-73
Loan	1928.00	2125.40
Grant	918.00	1044.60
Total :	2846.00	3170.00

Besides, the assistance given to the State Government for Central and Centrally Sponsored Schemes in the Agriculture Sector during 1971-72 and 1972-73 are as under:—

(Rs. in lakhs)

	1971-72	1972-73
Loan	5.45	4.67
Grant	21.33	45.42
Total :	26.78	50.09

Expenditure on construction work on Vijaya Ghat, Shanti Vana and Raj Ghat

5505. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the construction work on Vijay Ghat, Shanti Vana and Raj Ghat has since been completed ;

(b) if not, the extent of work remaining to be completed thereon; and

(c) the amount spent so far on their construction work separately and the additional expenditure likely to be incurred till their completion ?

The Minister of state in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) No.

(b) The following works are yet to be completed :—

1. Vijay Ghat :

(i) Development of Mound No. 1.

(ii) Development of area under Idle Truck parking and certain low lying area.

(iii) Foot bridge in water body.

(iv) Provision of shelters, piao, book stall, public lawn, etc.

(v) Unfiltered water supply in certain area.

2. Shanti Vana :

(i) Foot-bridge in water body.

(ii) Pedestrian pathways.

(iii) Approach to Samadhi and platform in front of Samadhi.

(iv) Extension of delivery line of pumps.

(v) Provision of good earth in certain area.

3. **Raj Ghat :** Out of the two phases, in which the work has so far been taken up the following items remain to be completed :—

(i) Work of Murals in caves.

(ii) Work of Canals and Lagoons and associated work on the south site of Samadhi.

(c) The amount spent so far and the additional expenditure likely to be incurred is as under :—

Name of the Samadhi	Amount spent	Additional expenditure likely to be incurred
	(Rs.)	(Rs.)
Vijay Ghat	32,76,233	3,90,000
Shanti Vana	69,08,541	6,41,700
Raj Ghat	64,97,296	29,43,000

Suggestion for changes in the food production plans of State

5506. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have made suggestions to the State Governments to give final shape to the drafts relating to their production schemes;

(b) if so, the names of these States which have submitted their drafts to the Central Government; and

(c) other measures stressed for increasing production of food grains in the States ?

The Ministry of state in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde): (a) & (b) The annual production plans of all the State Governments for 1973-74 were discussed by the Planning Commission with the respective States in November-December, 1972 and the targets for the various schemes were finalised.

(c) The major stress for increasing production of foodgrains includes expansion of area under High-Yielding Varieties Programme, development of minor irrigation facilities, adequate and balanced use of fertilisers, proper plant protection measures, arrangements for timely supply of inputs such as seeds, fertilisers, pesticides etc. and training of farmers.

राज्यों के यात्री सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण

5507. कुमारी कमला कुमारी : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी राज्यों में यात्री बसों को अपने नियंत्रण में लेने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्य सरकारों को समूचे यात्री सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने के अनुदेश दे दिये गये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बंधी मोटी रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० राना) : (क) से (ग) 1954 में, योजना आयोग ने पहले राज्य सरकारों को यात्री परिवहन के चरणवार राष्ट्रीयकरण की नीति की रूप रेखायें भेजी थी। उसमें यह बताया गया था कि जहां प्राइवेट परिचालकों को परमिट जारी करने होते हैं, वे आर्थिक दृष्टि से सक्षम एकक होने चाहिये और अवधि तीन वर्षों से कम नहीं होनी चाहिये। बाद में, परिवहन नीति तथा समन्वय समिति ने पुनः कहा कि राज्य सरकारों के अपने तथा यात्री परिवहन में नगर पालिका उपक्रमों के शेयरों में विस्तार किये जाने के पक्ष में वैध आर्थिक आधार हैं। 15 और 16 फरवरी, 1973 को हुई परिवहन विकास परिषद की 10वीं बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि यात्री सड़क परिवहन को धीरे धीरे अधिग्रहण करने की घोषित नीति को कार्यान्वयन के लिये एक कदम के रूप में, राज्य सरकारों को चाहिए कि वे सभी राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्गों पर यात्री सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करें और हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन की मुख्य धारा से दूर गावों के निवासियों की पृथकता को समाप्त करने के लिये निजी परिचालकों द्वारा भी मौजूदा और नई ग्रामीण योजक सड़कों पर देश के आंतरिक ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क परिवहन का लाभ पहुंचे ।

चूंकि सड़क परिवहन की कार्यकारी जिम्मेदारी राज्यों की है, अतः यह निर्णय करना मुख्यतः उनके लिये है कि किस मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया जाये और कब किया जाये। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अनुदेश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन शिपयार्ड की लागत

5508. श्री वयालार रवि : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन शिपयार्ड की वास्तविक लागत 45.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अधिक होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना को शीघ्र-अतिशीघ्र पूरा करने हेतु 1973–74 के लिये नियत राशि में वृद्धि करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) सामग्री की लागत में वृद्धि और बड़े सिविल कार्यों के ऊंचे टेन्डर दरों के कारण कोचीन शिपयार्ड की वास्तविक लागत अनुमानित लागत से बढ़ जाने की संभावना है । फिलहाल वास्तविक वृद्धि ज्ञात नहीं है ।

(ग) इस समय 1973–74 वर्ष के लिये नियतन पर्याप्त समझा गया है । परन्तु कार्यों की प्रगति के आधार पर वर्ष के दौरान स्थिति की समीक्षा की जायेगी ।

हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का उत्पादन

5509. श्री वयालार रवि : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का कुल कितना उत्पादन है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कारखाने का विस्तार करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस कम्पनी के प्रशासनिक कार्यालय को नई दिल्ली से त्रिवेन्द्रम स्थानान्तरित करने का है जिससे प्रशासनिक व्यय में कमी हो सके और यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) फैक्टरी चालू होने की तारीख से मार्च, 1973 तक हिन्दुस्तान लैटेक्स फैक्टरी, त्रिवेन्द्रम, में निरोध का कुल अनुमानित उत्पादन 33.431 करोड़ निरोध है ।

(ख) 116.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत से त्रिवेन्द्रम की फैक्टरी की संस्थापित क्षमता दुगनी करने के लिये सरकार को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) कम्पनी को पहले ही अपना मुख्यालय नई दिल्ली से त्रिवेन्द्रम स्थानान्तरित कर लेने के लिये कह दिया गया है ।

वर्ष 1973-74 में गैर सरकारी नौवहन कम्पनियों को ऋण दिया जाना

5510. श्री वयालार रवि : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 में गैर-सरकारी नौवहन कम्पनियों को कुल कितना ऋण दिया गया है और उसका कम्पनीवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) कितने मामलों में ऋण सम्बन्धी आवेदन पत्र रद्द किये गये हैं और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) जहाजों की खरीद के लिये नौवहन विकास निधि समिति प्राइवेट नौवहन कम्पनियों को ऋण देती है । 1973–74 के दौरान ऋण आवेदन पत्रों पर ऋण की मंजूरी और नामंजूरी का प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं हुआ है क्योंकि वर्ष 1–4–1973 से प्रारम्भ होता है ।

मध्य प्रदेश में पौधा पोषक तत्वों का कम मात्रा में उपयोग

5511. श्री रणबहादुर सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में पौधा पोषक तत्वों का उपयोग केवल 2.47 किलोग्राम प्रति एकड़ है जबकि पंजाब में 33.67 किलोग्राम और उत्तर प्रदेश में 20.80 किलोग्राम प्रति एकड़ है ;

(ख) इस स्थिति में समानता लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) मध्य प्रदेश में पोषक तत्वों के इतने कम उपयोग किये जाने के क्या मुख्य कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिण्दे) : (क) जी हां । वर्ष 1969–70 के सम्बन्ध में ये आंकड़े सही हैं ।

(ख) राज्य सरकार, प्रदर्शनों तथा अन्य विस्तार उपायों के माध्यम से उर्वरकों के उपयुक्त तथा संतुलित उपयोग पर अधिक बल दे रही है। 1972–73 तथा 1973–74 के दो वर्षों की अवधि में राज्य के 4 जिलों, अर्थात मोरेना, छतरपुर, बालघाट तथा टिकमगढ़ में उर्वरकों का उपयोग बढ़ाने के कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। चौथी योजना की अवधि के दौरान उर्वरकों का उपयोग बढ़ाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के नौगोंग, पावरखेड़ा, उज्जैन तथा रायपुर नामक स्थानों में स्थित 4 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1972–73 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को 3.64 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है।

(ग) मध्य प्रदेश में पौध उर्वरकों के कम उपयोग के लिये सिंचाई की सुविधाओं की कमी, अधिक उत्पादनशील किस्मों की फसलों की सीमित क्षेत्र में बुआई होना, विस्तार प्रयत्नों की कमी तथा कुछ अन्य कारणों से उर्वरकों के वितरण में रुकावट उत्पन्न होना उत्तरदायी हो सकते हैं।

दिल्ली प्रशासन के अधीन आरक्षित पदों पर काम करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों को स्थायी बनाना

5512. श्री अम्बेश : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अधीन वर्ष 1962 से नियुक्त किये गये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के संवर्गवार, अध्यापकों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक संवर्ग और प्रत्येक मामले में वे किस किस तारीख से अर्धस्थायी एवं स्थायी बनाये गये हैं; और

(ग) क्या उन अध्यापकों को वर्ष 1962 से अर्धस्थायी और स्थायी नहीं बनाया गया है, प्रत्येक मामले के संबन्ध में इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी०यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रधानाचार्य और अध्यापकों के पदों के लिए अर्हताएं निर्धारित किया जाना

5513. श्री अम्बेश : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने फरवरी, 1973 में प्रधानाचार्यों और अध्यापकों के कुछ पदों के लिये विज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो संवर्गवार कितने पदों के लिये विज्ञापन दिया गया था और प्रत्येक पद के लिये, अलग-अलग क्या अर्हतायें निर्धारित की गई थीं;

(ग) क्या प्रधानाचार्यों के पदों के लिये वांछित अर्हतायें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाचार्य के पद के लिये निर्धारित अर्हताओं से अधिक रखी गई है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या प्रधानाचार्यों और स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के तृतीय श्रेणी प्राप्त उम्मीदवारों को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि उपरोक्त समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) भरे जाने वाले संभावित पदों की संख्या विज्ञापन में अंकित नहीं की गई थी क्योंकि उस समय वे निर्धारित नहीं किये जा सके थे। विभिन्न पदों के कितने कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी इसका सम्बन्ध आगामी शैक्षणिक सत्र में खोले जाने वाले नए केन्द्रीय स्कूलों की संख्या से संबंधित है। केन्द्रीय विद्यालय जो सारे देश में फैले हुए हैं, उन के कर्मचारियों का सही मूल्यांकन सामान्यत: केवल जून मास में मालूम हो सकता है क्योंकि खोले जाने वाले नए स्कूलों की संख्या तथा संगठन की सेवा छोड़ रहे अध्यापकों की संख्या या जो कर्मचारी अपने मूल विभागों में वापिस जाना चाहते हैं, उनकी सही स्थिति तब तक निश्चित रूप से मालूम हो जाती है।

विभिन्न पदों के लिये निर्धारित अर्हताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं (परिशिष्ट–1)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 4685/73]**

(ग) केन्द्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल पद के लिये जो अर्हतायें निर्धारित की गई हैं वे दिल्ली प्रशासन/संघ शासित प्रदेश में प्रिंसिपल के पद के लिये निर्धारित अर्हताओं से मामूली उच्च हैं तथा इसकी भर्ती भी संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है।

चूंकि केन्द्रीय विद्यालय से उच्च कोटि की शिक्षा देने की आशा की जाती है इसलिये यह आवश्यक समझा जाता है कि अर्हतायें मामूली उच्च निर्धारित की जानी चाहिए।

(घ) जी, नहीं, क्योंकि इससे शैक्षणिक स्तर नीचे गिरने लगेगा। तथापि न्यूनतम अर्हतायें रखने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के बारे में सामान्य समुदायों के उम्मीदवारों के साथ-साथ उन्हें प्राप्त रियायतों के अनुसार विचार किया जाता है।

दिल्ली टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, नई दिल्ली

5514. श्री अम्बेश : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में दिल्ली टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटियों के नाम क्या हैं;

(ख) 3 अगस्त, 1967 को उपरोक्त प्रत्येक हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटी सदस्यों की संख्या कितनी थी;

(ग) उपरोक्त प्रत्येक सोसाइटी को अलग-अलग कितनी भूमि आवंटित की गई है, प्रत्येक सोसाइटी को कितनी फालतू भूमि दी गई है; और

(घ) क्या सरकार उपरोक्त सोसाइटियों को दी गई फालतू भूमि को वापस ले रही है, और क्या इस फालतू भूमि को दिल्ली/नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों के अध्यापकों को आवंटित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

समिति का नाम	3–8–1967 को सदस्यों की संख्या	आबंटित क्षेत्र का एकड़ों में क्षेत्रफल	इलाका
1	2	3	4
1—दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति	1171 (जून, 1966 को)	91.72	शाहदरा
2—दरियागंज जामा मस्जिद स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति	47	3.6	–वही–
3—केन्द्रीय स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति	1188	108.88	पीतमपुरा
4—दिल्ली नगर निगम स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति	291	20.00	–वही–

5—दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति	248	27.00	—पीतमपुरा—
6—ए०इ०एस० टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग . सोसाइटी लिमिटेड	22		इस समिति को भूमि आवंटित करने के मामले पर विचार नहीं किया गया ।

आवंटन के समय सदस्यता के बारे में दी गई सूचना को ध्यान में रखते हुए समितियों को भूमि का आवंटन किया गया था । इनको फालतू भूमि का आवंटन करने का प्रश्न ही नहीं उठा ।

Scheme Under Crash Programme for Rural Employment Submitted by Madhya Pradesh

5515. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have submitted various schemes under crash programme of rural employment; and

(b) if so, the estimated amount involved in these schemes, district-wise?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library See No. L.T. 4686/73]**

दिल्ली दुग्ध योजना के केन्द्रीय कार्यालय में शिकायत सैल

5516. श्री के० सूर्यनारायण : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के केन्द्रीय कार्यालय में एक शिकायत सैल था; और यदि हां, तो इस में कर्मचारी-वर्ग का ढांचा क्या था और यह सैल कब बन्द किया गया था और इस के क्या कारण थे; और

(ख) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के विस्तृत कार्य-कलाप को देखते हुए इस सैल को पुन: खोलने का विचार है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां । इस सैल में एक सहायक दुग्ध वितरण अधिकारी और एक अवर श्रेणी लिपिक थे । यह सैल समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इसका डेरी के डाकेट अनुभाग के साथ विलय कर दिया गया था । डाकेट और शिकायत अनुभाग चौबीसों घण्टे काम करते हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजधानी में शरणार्थी पूल में मकान/प्लाट के किरायेदारों की बेदखली

5517. श्री के० सूर्यनारायण : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिये गये एक निर्णय के अनुसार शरणार्थी बस्तियों में अलाटियों द्वारा रिहाइशी मकानों में से कुछ भाग वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये किराये पर दिया जाना, राजधानी में शरणार्थी पूल में से मकान या प्लाट आवंटित करते समय अलाटियों द्वारा किये गये करार की शर्तों का उल्लंघन है;

(ख) क्या इस निर्णय के परिणामस्वरूप इस प्रकार के रिहाइशी मकानों के कई हजार किरायेदारों को जहां वे पूर्वी/पश्चिमी पटेल नगर जैसी शरणार्थी बस्तियों में गत बीस वर्षों से दुकानें चला रहे हैं, बेदखली का सामना करना पड़ रहा है; और उन्हें फिर शरणार्थी बनाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन किरायेदारों के संरक्षण के लिये सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि किरायेदार द्वारा किसी भी मकान का वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये प्रयोग किया जाना

पट्टे का उल्लंघन है, तथा किरायेदार को पट्टे की उपयोग की धारा के उल्लंघन के लिये बेदखल किया जा सकता है, यदि दिल्ली विकास प्राधिकरण (पट्टे दाता) द्वारा दिये गये पट्टे में यह व्यवस्था है कि परिसर का उपयोग केवल रिहायशी प्रयोजन के लिये किया जाना चाहिए ।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पुनर्वास मन्त्रालय द्वारा दिए गए पट्टे के मामले में नहीं दिया गया है परन्तु विस्थापित लोगों की कालोनियों में रिहायशी सम्पत्तियों/प्लाटों के सम्बन्ध में उस विभाग द्वारा दिए गए पट्टों के मामलों में कानूनी स्थिति वही होगी ।

(ख) कानूनी तौर पर पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने वाले किरायेदारों को बेदखल किया जा सकता है ।

(ग) कठिनाई को समझते हुए, सरकार कुछ श्रेणी के कारोबार वाले व्यक्तियों को रिहायशी मकान के एक भाग को उनके कारोबार के लिए प्रयोग किए जाने की आज्ञा दे रही है ।

लाल किला, दिल्ली का रखरखाव

5518. श्री वरके जार्ज :

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग दिल्ली में लाल किले के रखरखाव की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है जैसा कि श्री बेग ने, जो दिल्ली के बारे में विशिष्ट जानकारी रखते हैं, 22 फरवरी, 1973 को समाचार पत्रों को बताया था, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) दिल्ली स्थित लाल किले के रखरखाव पर उचित ध्यान दिया जा रहा है । मरम्मत कराने के लिए एक क्रमिक कार्यक्रम तैयार किया गया है और मरम्मतें की जा रहीं हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डेरा इस्माइल खां की कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली द्वारा भूमि के विकास कार्य की प्रगति

5519. डा० सरदीश राय : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति द्वारा भूमि का विकास करने के बारे में 18 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4655 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त समिति का विकास कार्य पूरा करने के लिए कोई अस्थायी तिथि, यदि कोई स्थायी तिथि नहीं दी गई है; यदि हां, तो यह तिथि क्या है;

(ख) क्या समिति ने विकास कार्य की प्रगति में होने वाली कठिनाइयों का समाधान करने के लिए सरकार से कोई सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो समिति ने कितनी सहायता मांगी है और सरकार ने अब तक कितनी सहायता दी है; और

(घ) आज तक विकास कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) डेरा इस्माइल खां सहकारी आवास निर्माण समिति द्वारा भूमि का विकास 13-3-1970 तक किया जाना अपेक्षित था । तथापि, विकास कार्य रुक गये, क्योंकि समिति की भूमि का लेआऊट प्लान जनवरी 1971 में मंजूर किया गया था । ऐसी स्थिति में, विकास कार्य के पूर्ण हो जाने की निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

(ख) जी, हां ।

(ग) समिति ने अपने सर्विस प्लान को तुरन्त स्वीकार कराने के लिए सहायता की याचना की थी । दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम को इसे शीघ्र ही स्वीकार करने के लिए कहा गया है ।

(घ) समिति द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31-12-72 तक समिति ने निम्नलिखित प्रगति की थी :—

(*i*) भूमि की ड्रेसिंग तथा समतल करना	90 प्र० श०
(*ii*) सड़कें	80 प्र० श०
(*iii*) बरसाती पानी की नालियां	80 प्र० श०
(*iv*) जलपूर्ति	50 प्र० श०
(*v*) सड़क की रोशनी	5 प्र० श०
(*vi*) मल-नालियां	50 प्र० श०
समग्र रूप से प्रगति	60 प्र० श०

डेरा इस्माइल खान कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली के सभी अंशधारियों को विकसित प्लाटों का आवंटन

5520. डा० सरदीश राय : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेरा इस्माइल खान कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली अपने सभी अंशधारियों को, विकसित प्लाट आवंटित कर सकेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो कितने अंशधारियों को प्लाट नहीं मिल सकेंगे और उन अंशधारियों के लिए (एक) सरकार; और (दो) सोसाइटी क्या व्यवस्था करेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) समिति द्वारा नये आदर्श नियमों को अपनाना तथा प्लाटों के आवंटन की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सभी सदस्यों से शपथ-पत्र प्राप्त करने अपेक्षित हैं । क्योंकि समिति ने अभी तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है, अतः इस स्थिति में यह कहना संभव नहीं है कि क्या समिति अपने सदस्यों को प्लाट उपलब्ध कर सकेगी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

1972-73 में कारखानों को सप्लाई किए गए गन्ने का मूल्य

5521. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में प्रत्येक कारखाने ने 1972-73 के दौरान सप्लाई किए गए गन्ने के लिए प्रति क्विंटल क्या मूल्य दिये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : 1972-73 मौसम के दौरान खरीदे गये गन्ने के लिए चीनी कारखानों द्वारा कारखाने के दरवाजे पर दिए जा रहे मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4687/73]**

दिल्ली प्रशासन के सिविल पूर्ति विभाग के कार्यकरण की जांच

5522. श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के सिविल पूर्ति विभाग के पिछले वर्ष के कार्यकरण की जांच करने के प्रश्न पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मोटर गाड़ियों के आने जाने के लिए कनाट प्लेस, नई दिल्ली की अन्दर वाली सड़क का बन्द किया जाना

5523. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाट प्लेस, नई दिल्ली के विकास के अंग के रूप में उसके अंदर वाली सड़क को मोटर गाड़ियों के आने-जाने के लिये बन्द कर देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) सरकार ने दिल्ली महानगर नगर-केन्द्र के विकास के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया था जिसका नाम "नई दिल्ली पुनर्विकास सलाहकार समिति" था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि कनाट प्लेस के अन्दर वाले सर्कल को मोटर गाड़ियों के यातायात के लिए बन्द कर दिया जाए और उसे पैदल चलने के लिए बना दिया जाये तथा कनाट प्लेस के सैन्ट्रल पार्क से मिला दिया जाए।

(ग) समिति की सिफारिशों पर निर्णय शीघ्र ही लिए जाने की सम्भावना है।

दिल्ली और नई दिल्ली में किराया नियंत्रक तथा अतिरिक्त किराया नियंत्रक के न्यायालय में अनिर्णीत मामले

5524. श्री अम्बेश : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में किराया नियन्त्रक तथा अतिरिक्त किराया नियन्त्रक के कितने न्यायालय हैं;

(ख) इन न्यायालयों में न्यायालयवार 31 दिसम्बर, 1972 को कितने मामले अनिर्णीत पड़े थे; और

(ग) पिछले पांच वर्षों से न्यायालयवार कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) चार।

(ख) तथा (ग) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:—

किराया नियंत्रक/अतिरिक्त नियंत्रक का नाम	31-12-72 तक निलम्बित मामलों की संख्या	पिछले पांच वर्षों से निलम्बित मामलों की संख्या
1. श्री जसपाल सिंह	1851	19
2. श्री मोहम्मद शमीम	1960	20
3. श्री आर० पी० गुप्ता	1929	49
4. श्री बी० एस० अग्रवाल	1868	16

लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्यों में सड़कों के रखरखाव पर किया गया खर्च

5525. श्री रोबिन ककोटी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 के अन्त तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत राज्यवार कितने किलोमीटर सड़कें थीं ;

(ख) गत तीन वर्षों में राज्यवार इन सड़कों के रखरखाव पर कितना रुपया प्रति वर्ष खर्च किया गया; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कितने किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाने की योजना है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों का सर्वेक्षण

5526. श्री पी० गंगादेव :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त 150 स्कूलों के सर्वेक्षण से ऐसी स्थिति का पता लगा है जो देश के अधिकांश बड़े नगरों के सम्बन्ध में लागू होती है;

(ख) क्या देश में शिक्षा की छुपी हुई लागत, धोखाधड़ी का रूप धारण कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डॉ० पी० यादव): (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उसके पास दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के सर्वेक्षण के संबंध में कोई सूचना नहीं है ।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा स्कूल के प्रत्येक बच्चे पर किए जाने वाले खर्च की राशि के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है । इस लिए सरकार इस विषय में कोई मत व्यक्त करने में असमर्थ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रशिक्षण के लिए नार्वे भेजे गए व्यक्ति

5527. श्री राजदेव सिंह : क्या **कृषि** मंत्री नार्वे के साथ उर्वरकों की सप्लाई के लिए तकनीकी सहयोग करार के बारे में 12 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2870 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे के साथ हुए करार के अन्तर्गत आने वाली विकास परियोजनाओं के लिए कुछ कर्मचारियों का चयन किया गया था तथा उन्हें प्रशिक्षण के लिए नार्वे भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चयन किस ढंग से किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) दिसम्बर, 1972 में सामान्य तकनीकी सहयोग करार पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद इस करार के अन्तर्गत किसी भी कर्मचारी को नार्वे में प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा उड़ीसा को वित्तीय सहायता देना

5528. श्री पी० गंगादेव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने वर्ष 1973-74 में उड़ीसा को सहकारी विकास योजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) उन योजनाओं के नाम क्या हैं और मद-वार उन्हें कितनी धनराशि दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 1973-74 में उड़ीसा को विभिन्न सहकारी विकास योजनाओं के लिए कुल 133.49 लाख रु० की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

योजनाओं के नाम और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा 1973-74 में उड़ीसा को विभिन्न सहकारी विकास कार्यक्रमों के लिए दी जाने वाली धन राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(क) केन्द्रीय प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं :

1. उर्वरकों के वितरण के लिए उपान्त धन (मार्जिन मनी) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	5.00 लाख रु०

2.	सहकारी भण्डारण की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना		28.12 लाख रु०
3.	चुनी सहकारी विपणन सोसाइटियों के अंशपूंजी आधार को मजबूत बनाने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना		8.00 लाख रु०
4.	छोटे तथा मध्यम आकार वाली विधायन यूनिटों की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना		
	(1) सहकारी डेरी	1.40 लाख रु०	48.25 लाख रु०
	(2) सहकारी तेल मिलें	17.60 लाख रु०	
	(3) सहकारी आमदनी	17.85 लाख रु०	
	(4) सहकारी दाल मिलें	3.40 लाख रु०	
	(5) सहकारी शीत भण्डार	8.00 लाख रु०	
		(क) का योग	89.37 लाख रु०

(ख) निगम की प्रायोजित योजनाएं :

(1) तकनीकी तथा प्रोत्साहन सेल (उत्पादन)	0.50 लाख रु०
(2) सह० विधायन यूनिटों (चावल मिलों) के लिए उपान्त धन	37.25 लाख रु०
(3) सह० विधायन यूनिटों (नारियल यूनिटों) के लिए उपान्त धन	1.08 लाख रु०
(4) शीत भण्डारों के लिए उपान्त धन	3.76 लाख रु०
(5) कृषि—सेवा केन्द्र	1.53 लाख रु०
(ख) का योग	44.12 लाख रु०
(क) व (ख) का कुल योग	133.49 लाख रु०

उठाऊ सिंचाई निगम की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश द्वारा केन्द्र से सहायता मांगा जाना

5529. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उठाऊ सिंचाई निगम की स्थापना के लिए केन्द्र से सहायता मांगी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या किसी अन्य राज्य ने भी ऐसा अनुरोध किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने उठाऊ सिंचाई निगम की स्थापना के लिए शेयर पूंजी के अंशदान के रूप में केन्द्रीय सहायता मांगी है।

(ख) भारत सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ग) उड़ीसा सरकार ऐसा अनुरोध करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है।

सूखा वाले क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सिंचाई कार्य

5530. श्री बहादुर सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सीधी जिले तथा अन्य जिलों में सूखा वाले क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई कार्यों में असाधारण विलम्ब हो रहा है क्योंकि 1935 के लोक निर्माण विभाग की नियमावली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और वह प्रभावशाली ढंग से उसमें बाधक है;

(ख) यदि हां, तो इस बाधा को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो कार्य की धीमी गति के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) जी नहीं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि लोक निर्माण विभाग की नियमावली की विभिन्न धाराओं में समय-समय पर संशोधन किया गया है और सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई निर्माण कार्यों के तेजी से क्रियान्वयन के लिए अधीक्षक इंजीनियरों को अतिरिक्त शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय वित्तीय ऐजेंसी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और छोटे कृषकों को ऋण देने के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्त

5531. श्री अण्णा साहिब गौटखिण्डे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यह शर्त निर्धारित की है कि केन्द्रीय वित्तीय एजेंसी की अपेक्स बैंक से लिए गए ऋण की कम से कम 20 प्रतिशत राशि आर्थिक रूप से कमजोर और छोटे कृषकों को ऋण के रूप में देनी होगी।

(ख) क्या उक्त कृषकों की व्याख्या का आधार "एकड़ के स्थान पर लिए गए ऋण की राशि" किए जाने के लिए कोई मांग की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कम से कम निरन्तर सूखाग्रस्त होने वाले क्षेत्रों के कृषकों के सम्बन्ध में परिवर्तित व्याख्या को अपनाने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। तथापि, कुछ राज्य सरकारों ने भारतीय रिजर्व बैंक से यह निवेदन किया है कि लघु कृषकों की परिभाषा के लिए अपनाए गए जोतों के आकार में, विशेष रूप से अर्ध-बंजर, सूखा-उन्मुख एवं पहाड़ी क्षेत्रों की जोतों के औसत आकार तथा कृष्ट भूमि के किस्म के आधार पर संशोधन किया जाए।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात तथा राजस्थान के निरन्तर सूखा-उन्मुख क्षेत्रों के बारे में समुचित संशोधन किया है।

बंगला देश से मछलियों का आयात

5532: श्री समर गुह :
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश से फरवरी, 1973 के अन्त तक कितने मूल्य की, रुपयों में, मछलियों का आयात किया गया ;

(ख) मछलियों का आयात कम होने के क्या कारण हैं; और

(ग) बंगला देश से मछलियों के आयात में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) लगभग 50 लाख रुपये के मूल्य की लगभग 840 मीटरी टन मछलियां।

(ख) भारत सरकार और बंगलादेश सरकार के बीच 27 मार्च, 1972 से एक वर्ष की अवधि के लिए तय हुए सीमित अदायगी करार के अधीन बंगला देश से मछलियों का आयात किया जा रहा है। अब इस करार को 27 जून, 1973 तक बढ़ा दिया गया है। करार की अवधि में 9 करोड़ रुपये के मूल्य की मछलियां आयात करने का लक्ष्य रखा गया था। परन्तु मछलियों का वास्तविक आयात शुरू करने से पूर्व दोनों सरकारों के बीच व्यापार से सम्बन्धित अनेक मामलों पर विचार-विमर्श होना था। बंगलादेश में निर्यात करने वाली कोई उपयुक्त संस्था नहीं थी और बंगलादेश सरकार ने व्यवस्था करनी थी। आयात की मछलियों के लिए बंगलादेश में विक्रय-कर और भारत में आयात शुल्क से छूट देने की भी आवश्यकता थी और इसके लिए दोनों सरकारों द्वारा वर्तमान विनियमों में उपयुक्त संशोधन किए जाने थे। इसके बाद केन्द्रीय मात्स्यकी निगम ने बंगलादेश की अधिकृत निर्यात करने वाली संस्थाओं से बातचीत की, ठेकों को अन्तिम रूप दिया और ऋण के अपेक्षित पत्र जारी किए। मछलियों का आयात अक्तूबर, 1972 के प्रथम सप्ताह में शुरू हुआ था। इस तथ्य की मौजूदगी में भी कि अक्तूबर, 1972 से पूर्व वास्तविक आयात नहीं किया जा सका, अक्तूबर से दिसम्बर 1972 की प्रारम्भिक अवधि में आपूर्ति

काफी कम स्तर पर रही। अतः फरवरी, 1973 तक आयात की गई मछलियों का कुल मूल्य करार में तय हुए मूल्य की व्यवस्था की तुलना में एक छोटा सा अंश मात्र है।

(ग) कठिनाइयों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने की दृष्टि से अक्तूबर 1972 और जनवरी 1973 में दोनों सरकारों के अधिकारियों के बीच संयुक्त पुनरीक्षण बैठकें हुई थीं। इन पुनरीक्षणों के आधार पर बंगला देश में अतिरिक्त एकत्रीकरण और निर्यात केन्द्र स्थापित करने और बंगलादेश में अपर्याप्त परिवहन व्यवस्था, पैकिंग सामग्री आदि की कमी से पैदा होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठाए गए हैं। वर्ष 1973 के पहले दो महीनों में व्यापार के स्तर में महत्वपूर्ण सुधार होना शुरू हो गया। आयात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

माह		मात्रा (मीटरी टन)	मूल्य (रुपये)
अक्तूबर, 1972		99	5,94,000
नवम्बर, 1972		51	3,06,000
दिसम्बर, 1972		73	4,38,000
जनवरी, 1973		265	15,90,000
फरवरी, 1973		350	21,00,000
	कुल	838	50,28,000

निर्यातकों की समस्याओं का अध्ययन करने और व्यापार का परिमाण बढ़ाने के लिए अपेक्षित कदम उठाने के लिए मार्च 1973 के प्रथम सप्ताह में एक सरकारी शिष्टमण्डल ने ढाका, जैसूर और खुलना का दौरा किया था। बंगलादेश में सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से क्रय मूल्यों के आवधिक निर्धारण और बंगलादेश के निर्दिष्ट बैंकों के माध्यम से निर्यातकों को अदायगी करने की प्रक्रिया में कुछ सुधार करने के लिए सहमति व्यक्त की गई।

Appointments of Vice-Chancellors of Universities

5533. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the number of Universities in India at present and whether University Grants Commission is consulted in regard to the appointment of Vice-Chancellors of these Universities ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): At present there are 91 Universities, and nine institutions 'deemed' to be universities, declared as such under section 3 of the University Grants Commission Act.

The appointment of Vice-Chancellor of a University is made according to the provisions of the Act and Statutes of the University. According to the information furnished by the University Grants Commission, Acts of a few Universities however, provide that the Chairman, University Grants Commission or his nominee would be a member of the Committee appointed to recommend a panel of names for the appointment of Vice-Chancellor.

Suggestion from Agricultural Scientists Regarding Atmosphere Pollution and Plants

5534. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the main features of the suggestions given by the agricultural scientists of the world to save the atmosphere from pollution and save the plants and crops from insects; and

(b) the extent to which Government is in a position to implement those suggestions keeping in view its position ?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) A statement giving the requisite information is attached.

STATEMENT

The problems of atmospheric pollution and chemical pollution caused by indiscriminate use of Pesticides are two different aspects. The former involves various factors like the municipal wastes industrial wastes, exhausts, animal and Plant wastes, noise and thermal pollution. As such the problem relates to various other Ministries like Health. Industries and Transport etc. and not confined to Agriculture only.

A U.N. Conference on the Human Environment held at Stockholm in 1972 has recommended the need for co-operative research and technical assistance to developing countries on:

(i) Basic research on Ecological aspects of pesticides and fertilizers.

(ii) Pesticides of biological origin.

(iii) Integrated Pest Control.

The importance of integrated pest control has been realised by the Government and hence the I.C.A.R. has recently constituted an Action Group to consider and make suitable recommendations on integrated control of pests of **rice, sugarcane, cotton, coconut.**

The following broad items in this programme are of importance:

(a) To pin-point newer pest control methods with a minimum use of chemicals.

(b) Select areas and fields and collect information on factors behind occurrence of epidemic and on insect population dynamics, ecology of distribution by various means to enable the workers to take necessary and timely precautions and control measures.

(c) Mass release of parasites and predators at suitable and proper time.

All these and other approaches will be undertaken with the main object of reducing the poisonous chemicals polluting the soil and to a certain extent work out and determine the economic threshold, economic injury levels for each crop and each pest.

On the basis of information available from world scientists, two pilot projects for control of insect pests of Rice and Cotton have been formulated by the Council. The major emphasis in these projects is to employ all possible methods of either avoiding the pests or destroying them with minimum need based use of pesticides.

A special committee was appointed by the I.C.A.R. in 1964 under the Chairmanship of Prof. M.S. Thacker (Planning Commission) to report on the harmful effects of Pesticides and make recommendations on the following:—

(a) whether the use of a particular pesticides should be prohibited entirely or allowed for some special purposes and under prescribed conditions;

(b) what should be the future performances for the manufacture and import of pesticides in the light of the recommendation under (a);

On the basis of the recommendations of the Thacker Committee, the Government of India has constituted an Insecticide Board which would look after all aspects of insecticides including the residual effects of chemicals.

As suggested by the Thacker Committee, testing of residues of chemicals is being done at the Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, Central Food Technological Research Institute, Mysore, Central Plant Protection Training Institute, Hyderabad, Central Food Laboratory, Calcutta, Central Medical Toxicology Unit (ICMR) Ahmedabad, Punjab Agricultural University, Ludhiana and Haryana Agricultural University, Hissar.

Recently the I.C.A.R. has also constituted an Pesticide Assessment Committee comprising of eminent scientists to examine the results and recommendations on chemical and other

methods to pest and disease control received from various research organisations for the purpose of making suitable recommendations to the Government of India for adoption.

The use of insecticides for protection of crops against pests and diseases in India is still extremely low compared to other advanced countries of the world. However, since indiscriminate and uncontrolled use of pesticides pose various problems of pollution, India along with other member-countries of F.A.O. and W.H.O. are quite alive to the harmful effects. It is in keeping in view the fact that pests can develop resistence, that the Directorate of Plant Protection while making recommendations have been suggesting the use of different chemicals in the crop spraying schedule to the extent possible.

Moral Instructions to students

5535. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether a Committee was appointed after India's Independence to give suggestions for making the students morally strong through moral instructions; and

(b) if so, the main recommendations made and whether these recommendations have been implemented and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) & (b) The Government of India appointed a Committee on Religious and Moral Instruction under the Chairmanship of Shri Sri Prakasa in 1959 to make a detailed study of the entire question of religious and moral instruction in educational institutions. The main recommendations of the Committee are given in the enclosed statement.

The Report of the Committee was circulated to States/Union Territories and Universities for appropriate action.

STATEMENT

Main recommendations of the Committee on Religious and Moral Instruction :

(a) The teaching of moral and spiritual values in educational institutions is desirable, and specific provision for doing so is feasible within certain limitations.

(b) The content of such education in moral and spiritual values should include a comparative and sympathetic study of the lives and teachings of great religious leaders and at the later stages their ethical systems and philosophies. The inclusion of good manners, social service and true patriotism should be continuously stressed at all stages.

(c) We regard it most important that in any educational scheme, the home should not be left out; and we suggest that through mass media the faults and draw-backs of our homes both in the matter of their physical orderlines and their psychological atmosphere, should be pointed out, and instruction given on how these can be removed.

(d) It would be very desirable as suggested by the University Education Commission (Radhakrishnan Commission) to start work every day in all educational institutions with a few minutes of silent meditation either in the class room or in common hall.

(e) Suitable books should be prepared for all stages from primary to the University level which should described briefly in a comparative and systematic manner the basic ideas of all religions as well as the essence of the lives and teachings of the great religious leaders.

(f) In the course of extra-curricular activities, learned and experienced persons may be invited to deliver lectures on inter-religions understanding. Educational broadcasts and group discussions may be organised to stimulate interest in the study of moral and spiritual values.

(g) Special stress should be laid on teaching good manners and promoting the virtues of reverence and courtesy which are badly needed in our society.

(h) Some form of physical training should be compulsory at every stage.

भारत की स्वतंत्रता का इतिहास लिखने के लिए प्राध्यापक की नियुक्ति

5536. श्री समर गुह : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता विद्यासागर कालेज के एक प्राध्यापक को भारत की स्वतंत्रता का इतिहास लिखने में सहयोग देने के लिए नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए नियुक्त किए गए प्राध्यापक का नाम तथा उसकी नियुक्ति की शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या उसकी शैक्षणिक योग्यता तथा अगस्त 42 के आन्दोलन में उसके द्वारा निभाई गई भूमिका को ध्यान में रखा गया था ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों में राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों में निम्न स्तर की सामग्री सम्मिलित न किये जाने के लिये कार्यवाही

5537. श्री रणबहादुर सिंह: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के छात्रों को, जिनमें पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है जबरदस्ती निम्न स्तर की सामग्री बढ़ाए जाने को रोकने के लिए क्या सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ख) ऐसी नीति राज्यों में किस प्रकार क्रियान्वित हो रही हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) और (ख) प्रश्न में पूछा गया मामला मुख्यतया राज्य सरकारों से संबन्धित है,क्योंकि संविधान के अनुसार शिक्षा राज्य का विषय है। स्कूल पाठ्यपुस्तकों के निर्धारण के लिए राज्य सरकारों ने कार्यविधिस्वीकृत की हुई है। लेखकों के लिए मार्गदर्शक-रेखाएं हैं । किसी पुस्तक को स्कूली पाठयक्रम के रूप में स्वीकार किए जाने से पूर्व उसकी पांडुलिपि की जांच करने की पद्धति भी है । सब मिलाकर, ये पूर्वोपाय संतोषप्रद रहे हैं । हालांकि स्कूली पाठ्यपुस्तकों में जातिवाद, संप्रदायवाद को प्रोत्साहित करने वाली अनुचित सामग्री मिलने की कुछ शिकायतें मिली हैं । शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने 1968 में स्कूल पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीय बोर्ड स्थापित किया था, जोकि उच्च अधिकार संपन्न बोर्ड है तथा उसमें राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रियों के स्तर का प्रतिनिधित्व है। बोर्ड के कार्यों में से एक है राज्य स्तर पर स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों के निर्माण एवं निर्धारण की कार्यप्रणाली का सुधार करना इस बोर्ड के अनुरोध पर, इस मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने राज्यों में स्कूल पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन करने में राज्य सरकारों को सहायता देने का एक जोरदार कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि यदि कोई उपर्युक्त दोष हो तो उसे दूर किया जा सके । बहुत सी राज्य सरकारों ने इस योजना का लाभ उठाया है । मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट कार्यान्वियन के लिए राज्य सरकारों को भेजी गई है । अब तक लगभग 2,000 स्कूल पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन किया जा चुका है ।

30 जनवरी, 1973 का कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाना

5538. श्री रणबहादुर सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुष्ठ रोग दिवस, 30 जनवरी, 1973 को सिंधी जिले की देवसर तहसील में रामढिहा गांव के कुष्ठ रोग पीड़ित ग्रामीणों, जिनकी संख्या वहां 50 प्रतिशत से अधिक है, के इलाज के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०के० किस्कू) : राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन काम करने वाले कुष्ठ रोग संबन्धी कार्य करने वाले सभी सरकारी तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सारे मध्य प्रदेश राज्य में 30 जनवरी, 1973 से एक कुष्ठ निवारण सप्ताह मनाया गया था । राज्य के जिला मुख्यालयों, सब-डिविजनल स्थानों और विभिन्न कुष्ठ केन्द्रों शहरी तथा देहाती क्षेत्रों में चल रहे अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुष्ठ रोग और इसके उपचार के बारे में जन जागृति पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया गया था । कुष्ठ रोग के निवारण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए अथवा भविष्य में क्या कुछ करने का विचार है यह सब प्रकाशित कर राज्य भर में वितरित कर दिए गए । इस अवसर पर रेडियो वार्ताएं भी प्रकाशित की गई ।

मध्य प्रदेश में यह रोग कम हैं। यहां पर सामान्य तौर पर कुष्ठ रोग की व्यापकता 0.5 प्रतिशत से नीचे है।

सिधी जिले में इस रोग की व्यापकता 0.25 प्रतिशत से नीचे है। इस जिले की कुल जनसंख्या लगभग 6,00,000 है और इस लिए सारे जिले में इस रोग के रोगियों की संख्या 1500 के लगभग बैठती है। रामद्धिहा गांव में 816 की जनसंख्या (सर्वेक्षित) में 14 कुष्ठ रोगी पाये गये और इन रोगियों के उपचार की व्यवस्था कर दी गई है।

Promotion of Sports Activities in Bihar

5539. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the efforts made by the Central Government to promote sports activities in Bihar ; and

(b) the result achieved and the steps proposed to be taken by Government in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) & (b) Promotion of sports in States is the responsibility primarily of the State Governments. This Ministry do not directly undertake any project for promotion of sports in different States. However, under this Ministry's scheme of financial assistance to State Governments/State Sports Councils, financial assistance is rendered for construction of open stadia, swimming pools, indoor stadia, flood lighting of playgrounds, holding of coaching camps, purchase of sports equipment and establishment of rural sports centre etc. Under this scheme, financial assistance has been given to the Government of Bihar/Bihar State Sports Council for construction of stadia at Phulwari Sharif, Patna, Jamshedpur and Bhagalpur upto 1972-73.

Under the National Coaching Scheme, 4 trained coaches have been posted at Patna to provide training in sports to young sportsmen. 6 more trained coaches have been posted in various Nehru Yuvak Kendra functioning in the State of Bihar.

Creation of Physical facilities for sports have resulted in increasing sports activities and utilization of the Services of Coaches will lead to better performance by the sportsmen.

Further Schematic assistance will be made available on request from State Sports Councils/State Governments to the extent funds permit.

बीकानेर (राजस्थान) के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित छात्रावास को अनुदान

5540. श्री पन्नालाल बारूपाल : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर (राजस्थान) के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित छात्रावास को जनवरी, 1970 से 31 जनवरी, 1973 तक अनुदान के रूप में कितनी धनराशि दी गई और इस छात्रावास में रहने वाले छात्रों की संख्या कितनी है तथा इनमें से कितने छात्र अनुसूचित जातियों के हैं;

(ख) क्या छात्रावास में अनुसूचित जातियों के छात्र नहीं हैं, यदि हैं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सीमावर्ती क्षेत्रों की बजाय शहरों में ऐसे छात्रावास खोलने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Supply of Adulterated fertiliser for Rabi Crop

5541. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether persons who used fertilizer at the time of sowing Rabi crop and also for nursing it during the year 1973 state that the fertiliser were adulterated; and

(b) if so, the measures proposed to be taken by the Central Government to check adulteration in fertilizers ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde): (a) & (b) No specific reports of large scale adulteration of fertiliser have been received by the Government. The State Governments have been given adequate powers under the Essential Commodities Act and Fertiliser (Control) Order to make checks, seize stocks, and prosecute offenders in cases of sale of adulterated and sub-standard fertilisers. The Minister of State in the Ministry of Agriculture has addressed letters to the State Agriculture Ministers calling upon them to exercise utmost vigilance in enforcing vigorously the quality control measures and taking deterrent action against the offenders. The State Governments have been urged to draw samples at the rate of one for every 200 tonnes of fertiliser distributed in the State and have them analysed. The law has been amended recently empowering States to hold summary trial of offenders.

गुजरात, राजस्थान तथा अन्य राज्यों में चोर बाजार में उर्वरकों का बेचा जाना

5542. **श्री राम भगत पास्वान :**
श्री चन्दू लाल चन्द्राकर :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश के कुछ भागों में विशेषकर गुजरात और राजस्थान में उर्वरकों के चोर बाजार में बेचे जाने की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) देश के कुछ भागों में उर्वरकों की अपेक्षाकृत कमी का लाभ उठाकर चोर बाजारी करने वाले चरित्रहीन व्यापारियों के कुछ मामलों की सूचना मिली है।

(ख) राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के अन्तर्गत उर्वरकों की जांच करने, स्टाक जबत करने और चोर बाजारी करने वालों को दण्ड देने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। उनसे इस संबंध में सतर्कता का काम तेज करने तथा अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। हाल ही में राज्यों को उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत अपराधियों के विरुद्ध संक्षिप्त विचारण करके कार्रवाई करने का अधिकार भी दिया गया है ।

Uniform Panchayat And Cooperative Legislation in States

5543. Shri B. S. Chauhan : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether every State has a different Panchayat Legislation and different Cooperative Legislation;

(b) whether Central Government have taken any measures to bring uniformity in these legislation; and

(c) if not, whether steps would be taken to take it into consideration?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The basic guidelines for the Panchayati Raj are that, while the broad pattern of the fundamentals may be uniform there should be no rigidity in the pattern; the option of two or three tiers structure being left to the State Governments.

In regard to cooperative laws, a model Cooperative Societies Bill, model Cooperative Societies Rules and a set of model bye-laws for certain important types of Cooperative Societies were drafted by a Study Team appointed by the Government of India in 1956 and circulated to the State Governments. Later the National Development Council considered the question of simplification of cooperative law and procedure in 1958 and their suggestions

were also communicated to the State Governments in 1959. The question of Cooperative Legislation is, however, frequently reviewed by the Government of India.

(c) Does not arise.

कोयम्बतूर में पेय जल का अभाव

5544. श्री वरके जार्ज :
श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बतूर में पेय जल का अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये केन्द्र द्वारा दी गई सहायता का स्वरूप क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) कोयम्बतूर शहर में, विशेष रूप से गर्मियों में पेय जल अपर्याप्त होता है। तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बतूर की पेय जल व्यवस्था में सुधार करने की योजना पर 1970 में स्वास्थय तथा परिवार नियोजन मंत्रालय को एक प्रारम्भिक रिपोर्ट भेजी थी। तकनीकी दृष्टि से निरीक्षण के पश्चात योजना राज्य सरकार को लौटा दी गई थी। योजना का उद्देश्य एक नया डैम बनाकर सिरुवानी के वर्तमान जल स्रोत को बढ़ाना था। जनवरी, 1972 में राज्य सरकार ने यह सूचना दी कि केरल सरकार के साथ एक करारनामें के निष्पादन होने तक उस द्वारा योजना की प्रशासनिक मजूरी नहीं दी गई थी।

जलपूर्ति योजनाओं के निष्पादन का दायित्व राज्य सरकार पर है। 25 लाख रुपये से अधिक की लागत की शहरी जल पूर्ति की योजनाओं की तकनीकी मजूरी भारत सरकार द्वारा दी जानी है।

उड़ीसा में बारकोट और देवगढ़ में भूमिगत जल संसाधनों का अनुमान

5545. श्री पी० गंगादेव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के परामर्श से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में देवगढ़ सब डिवीजन के बारकोट और अडनली क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधनों का अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस वर्ष यह कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Shortage of Urea and Diammonium Sulphate and its Import

5546. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether there is acute shortage of Urea and Diammonium Sulphate fertilisers in the Country;

(b) If so, the names of the countries with which Government have entered into an agreement for the import of these fertilizers; and

(c) At what rate ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) It is a fact that owing to difficulties in domestic production and import of fertilisers, there have been constraints in the availability of all fertilisers in the country, including Urea and Diammonium Phosphate.

(b) & (c) A statement is attached showing the names of the countries with which contracts have been concluded for purchase of Urea and Diammonium Phosphate (DAP), also indicating prices.

STATEMENT

Country	Price per M. T. (A) Urea		Date of Contract
Italy	$ 77.00	FOB	January, 1973
Japan	Yen 19034.00	(FOB)	November, 1972
	Yen 23161.60	(C&F)	January, 1973
U.K.	£ 26.00	C&F	May, 1972
	£ 30.00	FOB	March, 1973
East Europe	Rs. 485.00	C&F	March, 1972
(USSR, Bulgaria, Poland)			
	Rs. 516.88	C&F	August, 1972
	Rs. 742.56	C&F	January, 1973
Finland	$ 54.40	FOB	August, 1972
Mexico	$ 74.50	C&F	September, 1972
Kuwait & S. Arabia	$ 65.00	C&F	May, 1972
Kuwait	$ 83.00	FOB	March, 1973
	$ 72.00	C&FFO	December, 1972
Holland	D. G. 206.04	FOB	March, 1973
	D. G. 220.00	C&F	May, 1972
Belgium	B. Franc 3026.00	C&F	May, 1972
	(B)- Di-Ammonium Phosphate		
Canada	$ 92.00 to $ 100.00	FOB	September, 1972
South Korea	$ 96.25 FOB		September, 1972
Japan	$ 106.61 C&F		November, 1972
U.S.A.	$ 93.45 to $ 99.50	FOB	September, 1972
	$ 105.50 to $ 110.24	C&F	September, 1972

Revised Legislation on Land Ceiling in States

5547. Shri Mahadeepak Singh Shakya :
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether several States have not yet enacted revised legislation on land ceiling;

(b) whether different States have fixed different limits on land ceiling; and

(c) if so, the reasons therefor and the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde): (a) Yes, Sir. Some States have yet to enact revised legislation, the position is as follows. Bills revising the existing ceiling laws are under the process of legislation in the States of Gujarat Mysore, Orissa, Manipur and Tripura. Bills already passed by the State Legislatures of Himachal Pradesh, Maharashtra and Uttar Pradesh are being examined prior to the accordance of President's assent to them.

(b) & (c) Different ceilings have been fixed by different States, having regard to the various relevant regional factors, broadly within the overall limits laid down in the national guidelines issued by the Government of India in the light of the recommendations of the Chief Ministers' Conference held in July, 1972.

मैसूर में लघु सिंचाई सुविधाओं हेतु जल निकासी योजना के लिए धन का नियतन

5548. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर प्रदेश में लघु सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने के लिये बनाई जाने वाली जल निकासी योजनाओं के लिये कोई धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) क्या कार्य शुरू हो गया है और यदि हां, तो यह कार्य ठेकों के माध्यम से शुरु किया गया है अथवा सरकारी एजेन्सियों के सहयोग से ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नहर से सिंचित क्षेत्रों में समेकित विकास के लिए परियोजनाओं की स्थापना

5549. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने नहर से सिंचित क्षेत्रों में समेकित विकास के लिए 1973-74 के दौरान लगभग बारह परियोजनाओं की स्थापना करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) योजना आयोग ने हाल ही में समेकित ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में गठित कृतिक दल की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। इस दल का गठन अक्तूबर, 1971 में योजना आयोग के सदस्य डा० बी० एस० मिन्हास की अध्यक्षता में किया गया था। सिंचित कृषि के विकास के सम्बन्ध में दी गई अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में इस कृतिक दल ने सिंचाई कमाण्ड क्षेत्रों में 11 समेकित कृषि विकास की मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरू करने की सिफारिश की है। ऐसी प्रत्येक मार्गदर्शी परियोजना के अन्तर्गत उस क्षेत्र की भूमि और जल-साधनों का समेकित आधार पर विकास किया जायेगा।

Licence for Setting up of a Hydrogenated Vegetable Oil Plant at Ratlam, M.P.

5550. Dr. Laxmi Narayan Pandeya : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Ratlam district is one of the districts in Madhya Pradesh which have been declared as backward district ;

(b) whether licence has been demanded for setting up a Hydrogenated vegetable oil plant on cooperative basis at the headquarter of the said district ; and

(c) if so, when and the reasons for delay in issuing the licence therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b) Yes, Sir.

(c) The application is under consideration by the Licensing Committee.

भारत में मान्यता प्राप्त इंजीनियरी कालेज

5551. श्री बेकरिया : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में राज्यवार, इंजीनियरी कालेजों के नाम और संख्या क्या हैं ; और

(ख) इन कालेजों में कौन से पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) और (ख) केन्द्रीय अथवा राज्य विधान के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित अथवा उनसे सम्बद्ध 122 इंजीनियरी कालेजों, विश्वविद्यालय समझे जाने वाली संस्थाओं, संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं तथा एक इंजीनियरी संस्था, जिसकी डिग्रियों को सरकार द्वारा रोजगार के प्रयोजन के लिये एक डिग्री के समकक्ष मान्यता दी गयी है, की एक सूची, जिसमें डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों को दर्शाया गया है, संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4688/73]**

दिल्ली के आटो रिक्शाओं को यू० टी० डायमण्ड मीटर खरीदने को बाध्य करना

5552. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता आटो रिक्शा संघ और अन्य अधिकारियों द्वारा दिल्ली के आटो रिक्शाओं को यू०टी० डायमण्ड मीटर, जो मान्यता प्राप्त न होने के साथ साथ महगा भी है, खरीदने के लिये बाध्य किये जाने के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने बाट और माप (प्रवर्तन) नियम 1959 के अन्तर्गत किसी यू०टी० डायमंड मीटर को अनुमोदित, सत्यापित तथा स्टाम्पित नहीं किया है। अतः प्रशासन द्वारा आटो रिक्शा परिचालकों को इस विशेष प्रकार के मीटर खरीद करने के लिये कहने का प्रश्न नहीं उठता। परन्तु जनता आटो रिक्शा संघ के महामंत्री से शिकायत प्राप्त होने पर दिल्ली प्रशासन ने उन्हें उक्त स्थिति सूचित की।

यंत्रीकृत बूचड़खानों की स्थापना

5553. श्री एस० ए० मुरुगन्तम : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यंत्रीकृत बूचड़खानों की स्थापना के बारे में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा की गई सिफारिश को क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समय देश में कितने बूचड़खाने और कौन-कौन से राज्य में ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं ! अभी नहीं। यहां यह भी बता दिया जाये कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ने अप्रैल, 1972 में "बूचड़खाना और पशु उत्पाद" से सम्बन्धित एक कृतिक दल की स्थापना की थी और देश में यंत्रीकृत बूचड़खानों की स्थापना के लिये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक को अगस्त, 1972 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने बूचड़खानों के कृतिक बल की सिफारिशें स्वीकार करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सचिव (कृषि) को लिखा है। अभी इस योजना को क्रियान्वित करना सम्भव नहीं है, क्योंकि इन सिफारिशों के प्रक्रिया, प्रशासकीय और वित्तीय निर्णयों के सम्बन्ध में काफी कुछ कार्य किया जाना है।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने देश के विभिन्न भागों में वाणिज्यिक आधार पर बूचड़खाने स्थापित करने की सिफारिश की है। भारत सरकार इसकी इक्विटी शेयर पूंजी में अंशदान दे सकती है। तदनुसार विभिन्न राज्यों में 12 करोड़ रुपये की अनुमानित लगत से 14 बूचड़खानों की परियोजनायें स्थापित करने की योजना बनाई गई हैं और अप्रैल, 1970 में वित्त मंत्रालय ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। यह योजना चौथी योजनावधि में क्रियान्वित की जा रही है। मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गोआ की राज्य सरकारों से ऐसी परियोजनायें स्थापित करने के लिये तकनीकी दृष्टि से सम्भाव्य रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। इन रिपोर्टों को इस विभाग में तकनीकी दृष्टि से स्वीकृत किया जा चुका है और इन परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय अंशदान प्रदान करने के लिये अब इसे मंजूर किया जा रहा है। मैसूर और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों ने इन परियोजनाओं के मण्डल के निदेशकों को पहले ही नामजद कर दिया है और भारत सरकार इन मण्डलों

के लिये शीघ्र ही अपने प्रतिनिधि नामजद कर देगी। अधिकांश राज्य सरकारें यंत्रीकृत बूचड़खानों की उपयोगिता को स्वीकार करती हैं। परन्तु राज्य सरकारें समाजार्थिक और राजनीतिक कारणों से इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की दिशा में उत्साह नहीं दिखा रही हैं, अतः यह कार्यक्रम कोई अधिक प्रगति नहीं कर सका है।

(ग) सितम्बर, 1972 से देवनार, बम्बई, महाराष्ट्र स्थित यंत्रीकृत बूचड़खानों में अपना कार्य शुरू कर दिया है। रक्षा उत्पादन मंत्रालय अपने उद्देश्य के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हजरतपुर स्थित यंत्रीकृत बूचड़खाने को चला रहा है।

Hindi teaching programme in non-Hindi speaking areas

5555. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the progress made in the Hindi teaching programme launched in non-Hindi speaking areas and the programme undertaken in each non-Hindi speaking areas during the years 1971-72 and 1972-73 separately as also the total expenditure incurred in this regard ; and

(b) the broad outlines of the Hindi-teaching programmes launched in Tamil Nadu during 1971 and 1972 indicating the dates on which each programme was undertaken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b) A statement is attached. **[Placed in Library See No. L. T. 4689/73]**

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की तुलना में विश्वविद्यालयों में बेहतर रचनात्मक अनुसंधान

5556. **श्री रानेन सेन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग के नए चेयर मैन द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि रचनात्मक अनुसंधान के लिये राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं अथवा अनुसंधान संस्थाओं जिन पर अत्याधिक धन लगा है और जो सुसज्जित हैं, की तुलना में विश्वविद्यालय अधिक उपयुक्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) और (ख) पटेल स्मारक भाषणों में फरवरी, 1973 में "साइन्स एण्ड सोसायटी" पर प्रो० एम० जी० के० मेनन के भाषण के दौरान अध्यक्षीय टीका टिप्पणी करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि यद्यपि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में कार्य कर रहे विख्यात वैज्ञानिक अच्छा अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, यदि उन्हीं वैज्ञानिकों को कम सुविधाओं के साथ विश्वविद्यालयों में कार्य करने दिया जाए तो वे अधिक रचनात्मक कार्य करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि इन अलग-अलग प्रयोगशालाओं की अपेक्षा, यद्यपि वे अच्छी तरह से उपकरणों से सज्जित हैं और एक विशेष क्षेत्र में अनुसंधान कार्य में व्यस्त हैं, एक प्रणाली के रूप में विश्वविद्यालय मौलिक और रचनात्मक कार्य की ओर अधिक प्रेरक हैं। तथापि अध्यक्ष के ये विचार व्यक्तिगत हैं।

देश में सूखे और अकाल से सम्बन्धित समस्याओं के परिणाम और स्वरूप के सम्बन्ध नें प्रारूप

5557. **श्री बसन्त साठे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई आयोग की सिफारिशों के आधार पर देश में सूखे और अकाल से सम्बन्धित समस्याओं के परिणाम और स्वरूप के सम्बन्ध में प्रारूप तैयार किया है;

(ख) क्या 1970-71 में कृषि विभाग द्वारा सतत सूखाग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाने के लिये जो मान दंड अपनाया गया था, वह सिंचाई आयोग द्वारा अपनाये गये मानदंड से भिन्न था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिये तथा तदुपरान्त सतत सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अतिरिक्त क्षेत्रों को समाविष्ट करने के लिये पांचवीं योजना के दौरान क्या मानदंड अपनाये जाने का विचार है; और

(घ) लाभप्रद नीति पर आधारित आवर्ती सूखे की समस्याओं को सुलझाने के लिये पांचवीं योजना में क्या कार्य-क्रम बनाया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां ।

(ग) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले जिलों का चयन करते हुए किसी निश्चित अवधि में वर्षा मात्रा, जिले के सिंचित क्षेत्र की सीमा और सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की अवधि आदि को भी ध्यान में रखा जाता है । सिंचाई आयोग ने निम्नलिखित कसौटी को अपनाया है "सूखा के प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिये न्यूनतम कसौटी यह है कि वर्षा के अभाव की स्थिति 20 प्रतिशत या उससे अधिक हो और जल की प्रतिकूल स्थिति हो । इस कसौटी के अनुसार यदि एक बार व्यापक सूखा क्षेत्र सीमांकित कर दिया जाता है तो उसके अन्तर्गत आए हुए जिलों या तालुकों के सम्बन्ध जरूरतमन्द इलाकों का पता लगाने के लिए सिंचाई की उपलब्धता के दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है ।

(घ) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम पांचवीं योजना में चालू रहेगा । पांचवीं योजना में इस कार्यक्रम की नीति के सम्बन्ध में अध्ययन किया जा रहा है ।

पारादीप पत्तन के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के बारे में समझौता ज्ञापन

5558. श्री अनादि चरण दास : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन की सम्भावित हड़ताल को रोकने के लिये भारत सरकार के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के हस्तक्षेप पर अलगाव भत्ता, स्टोर सुपरिन्टेन्डेटों के वेतन मान, स्नातक लिपिकों का अग्रिम वेतन वृद्धि देना तथा पत्तन के मुख्य लिपिकों की वरीयता के संबंध में पारादीप पत्तन ट्रस्ट और पारादीप पत्तन कर्मचारी संघ (मान्यता प्राप्त) के बीच 12 मई, 1972 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे ;

(ख) क्या पत्तन ट्रस्ट बोर्ड ने 4 सितम्बर, 1972 और 11 अक्तूबर को हुई अपनी बैठकों में भारत सरकार के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के सम्मुख किये गये वायदों को पूरा करने के लिये प्रत्येक मद के संबंध में विशेष संकल्प पारित किये थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने समझौता ज्ञापन और संकल्पों की प्रत्येक मद के संबंध में उनको लागू करने के लिये इस बीच अपनी स्वीकृति दे दी है, यदि नहीं तो उनमें से प्रत्येक मामला इस समय किस स्थिति में है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) 12.5.1972 को पारादीप पत्तन ट्रस्ट और पारादीप पत्तन कर्मचारी संघ (मान्यता प्राप्त) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए जो अलगाव भत्ते की स्वीकृति, स्टोर सुपरिन्टेन्डेन्टों के वेतन मानों को संशोधन और पारादीप पत्तन ट्रस्ट के स्नातक लिपिकों की वरीयता नियत करने के बारे में भी था । परन्तु स्नातक लिपिकों को अग्रिम वेतन वृद्धि के बारे में किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए । सारे मामले की जांच की जा रही है ।

पांचवीं योजना के दौरान संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से सहायता

5559. श्री के० मालन्ना :

श्री राजदेव सिंह :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तराष्ट्रीय बाल आपात निधि भारत में पांचवीं योजना के दौरान कोई सहायता देगी; और

(ख) यदि हां, तो देश की विभिन्न परियोजनाओं में इस धन का उपयोग किस प्रकार करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि ने पांचवीं योजना में भाग लेने के बारे में अपनी रज़ामन्दी का संकेत दिया है। इस प्रयोजन के लिये विचार विमर्श हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि सम्भवतया अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ निम्निलिखित कार्यक्रमों को सहायता देगी :–

(1) विज्ञान की शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा का नवीकरण।

(2) प्रारम्भिक बाल्यावस्था सेवायें।

(3) बालकों तथा युवकों के लिये शहरी समेकित कार्यक्रम।

बिहार में ऐतिहासिक पालामऊ किले की मरम्मत का प्रस्ताव

5560. कुमारी कमला कुमारी : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पालामऊ जिले में स्थित ऐतिहासिक पालामऊ किले को मरम्मत करने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त किले की सुरक्षा के कोई प्रबन्ध किये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) से (ग) 1962 तक पालामऊ किला केन्द्रीय संरक्षित स्मारक था और उसके बाद यह असंरक्षित घोषित कर दिया गया था। मामले पर पुनः विचार किया जा रहा है।

रायल बंगाल टाइगर के परिरक्षण के लिए उपाय

5561. श्री समर गुह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुन्दरबन क्षेत्र में रायल बंगाल टाइगरों की संख्या कम होती जा रही है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने सुन्दरबन में इन टाइगरों की संख्या का अनुमान लगाया है; और इनके परिरक्षण के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं; और

(ग) क्या विशेष रूप से रायल बंगाल टाइगर और बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों के अरुद्ध नदमुख सौंदर्य को देखने के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु सुन्दरबन क्षेत्र में वन्यजीव रक्षित क्षेत्र अथवा नेशनल पार्क बनाया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1972 में की गई टाइगरों की गणना के अनुसार सुन्दरबन में 27 टाइगर थे। यह गणना सुन्दरबन के क्षेत्र के केवल 1/5 भाग में की गई थी। अगेती वर्षा आदि के कारण शेष 4/5 क्षेत्र में गणना नहीं की जा सकी।

'प्रोजेक्ट टाइगर' के अन्तर्गत गहन परिरक्षण और विकास के लिये सुंदरबन को टाइगर रक्षित क्षेत्र में शामिल करने का विचार है।

(ग) सुंदरबन के एक भाग को आश्रयस्थल घोषित करके उसका पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का विचार है।

महाराष्ट्र के ज्वार उगाने वाले सर्वोत्तम क्षेत्र उस्मानाबाद का बंजर हो जाना

5562. श्री राय कंवर : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 फरवरी, 1973 के इकानामिक टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि महाराष्ट्र या उस्मानाबाद क्षेत्र, जोकि देश में ज्वार उगाने वाला सर्वोत्तम क्षेत्र है, बंजर हो गया है; और

(ख) क्या सरकार ने इस समाचार का अध्ययन किया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) जी हां। विगत सितम्बर तक, स्थिति का जायजा लेने और अभाव राहत के लिये व्यय की समुचित सीमा निर्धारण के संबंध में सिफारिश करने के लिये पांच केन्द्रीय दलों ने राज्य का दौरा किया था। सितम्बर 1972 में राज्य का दौरा करने वाले दल ने 1-4-1972 से 31-10-1972 तक की अवधि में 20.09 करोड़ रुपये के अधिकतम व्यय की सिफारिश की। दल ने सुझाव दिया कि तत्पश्चात एक नये केन्द्रीय दल को स्थिति का पुनरीक्षण करना चाहिए। तदनुसार, महाराष्ट्र राज्य की इच्छा के अनुसार, 4 और 5 दिसम्बर 1972 को एक नये केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया और महाराष्ट्र में 1-11-1972 से 31-3-1973 तक अभाव की स्थिति का सामना करने के लिये निम्नलिखित अधिकतम व्यय की सिफारिश की :—

राहत कार्य	रुपये करोड़ों में	52
पीने के पानी की व्यवस्था		10
चारे की व्यवस्था		12
	कुल	74

केन्द्रीय दल की सिफारिशें पूर्णतया स्वीकार कर ली गई हैं।

वेजीटेबल मीट (मांस) का उत्पादन

5563. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि संयुक्त राज्य खाद्य वैज्ञानिकों ने 'वेजीटेबल मीट' (मांस) का उत्पादन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार मांस के वर्तमान अधिक मूल्यों को देखते हुए देश में उसी प्रकार के मांस का उत्पादन आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह संभवतः कब तक आरंभ हो जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) ऐसा पता चला है कि समाचार-पत्रों में इस विषय पर कुछ समाचार प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रकाशित समाचार का ब्यौरा संयुक्त राज्य सूचना सेवा से एकत्र किया जा रहा है।

(ग) और (घ) समाचार का ब्यौरा उपलब्ध होने पर इस पर विचार किया जायेगा।

राजस्थान में खरीफ लेवी समाप्त करने की अनुमति

5564. श्री श्रीकृष्ण मोदी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र से राज्य में खरीफ लेवी समाप्त करने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राजस्थान में नवम्बर, 1972 में बाजरा, ज्वार और मक्का के लाइसेंसशुदा व्यापारियों पर 50 प्रतिशत लेवी लागू की गयी थी। राजस्थान सरकार ने इस लेवी को समाप्त करने की अनुमति मांगी है।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

राजस्थान में एक 'खाद्य बैंक' की स्थापना

5565. श्री श्रीकृष्ण मोदी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में 'खाद्य बैंक' की स्थापना के लिये केन्द्र से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार उनके प्रस्ताव पर सहमत हो गई है; और

(ग) 'खाद्य बैंक' की स्थापना के बारे में राजस्थान की प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

गुजरात और देश के अन्य भागों में भुखमरी से हुई मौतें

5566. श्री डी० पी० जदेजा :

श्री राम प्रकाश :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में देश में भुखमरी से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या गुजरात राज्य में भुखमरी से कोई मौत दर्ज की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) देश में चालू वर्ष के दौरान किसी भी राज्य सरकार ने भुखमरी से हुई मौत के बारे में सूचित नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उन देशों के नाम जिनसे गत तीन वर्षों में उर्वरक का आयात किया गया

5567. श्री डी० पी० जदेजा :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे गत तीन वर्षों में उर्वरक का आयात किया गया है ; और

(ख) आयात किन एजेंसियों की मार्फत किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) गत 3 वर्षों के दौरान जिन देशों से उर्वरकों का आयात किया गया था, उनके नाम हैं—आस्ट्रिया, बेल्जियम, बुलगारिया, कनाडा, डेनमार्क, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी जर्मनी, यूनान, हालैंड, हंगरी, ईरान, इटली, जापान, कुवैत, नार्वे, पोलैन्ड, रूमानिया, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वेडन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत रूस ।

(ख) कृषि विभाग द्वारा उर्वरकों का आयात पूर्ति विभाग और भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि० के जरिये किया जाता है ।

गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए मैसूर सरकार द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता

5568. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक गांव को अच्छी सड़क से जोड़ने के लिये मैसूर राज्य ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) सितम्बर, 1972 में मैसूर सरकार ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया था कि तीन वर्षों की अवधि में यातायात की माला तथा अन्य

कसौटियों के अनुरूप ऐसे स्तर जैसा आवश्यक हो की सड़कों को राज्यों के प्रत्येक ग्राम तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्यों द्वारा बनाये गये सामांकलित तथा व्यापक ग्रामीण संचार कार्यक्रम की क्रियान्वित के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाये। उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम को नीचे दिये गये चरण बद्धता के आधार पर पूरा करने का प्रस्ताव किया है, ताकि सीमित वित्तीय साधनों के अन्दर अन्दर अधिकतम फल की प्राप्ति हो सके :-

चरण I	रोक नालियों और ह्यूम पाइप सहित सड़कों का निर्माण
चरण II	सड़क सतह पर बजरी बिछाना, जहां आवश्यक हो छोटे राजगिरी निकासी कार्यों सहित ।
चरण III	जहां कहीं आवश्यक हो रोड़ी बिछाना ।

राज्य सरकार ने सितम्बर, 1972 में सूचित किया कि प्रस्तावित समांकलित तथा व्यापक ग्रामीण सड़क कार्यक्रम में सम्मिलित सड़कों के निर्माण/सुधार कार्य के प्रथम चरण पर 17–18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आयेगी और उनका विचार है कि निर्माण के इस चरण को तीन वर्षों की अवधि में पूरा करने के लिये अगले 3 वर्षों में 6 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का परिव्यय होगा। राज्य सरकार चाहती थी कि इस कार्यक्रम के प्रथम चरण के कार्यान्वियन के लिये अपेक्षित धन राशि का कम से कम 50% अनुदान मिले।

इस मामले की योजना आयोग के परामर्श से जांच की गयी थी जिसने राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री को सूचित किया कि चौथी योजना के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय सहायता की पद्धति में राज्यों में ग्रामीण संचार कार्यक्रम के लिये दी जा रही निर्धारित केन्द्रीय सहायत शामिल नहीं थी और इस समय इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना कठिन होगा। उन्होंने बताया कि जहां तक पांचवीं योजना का संबंध है, ऐसी सड़कों के लिये केन्द्रीय सहायता की प्रतिरूप पर अभी तक विचार किया जाना है। इस दृष्टि से, राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया कि वे स्वयं इसके लिये चालू योजना की शेष अवधि के लिये राज्य योजना में उचित व्यवस्था शामिल करें ।

योजना आयोग ने उपरोक्त स्थिति से इस मंत्रालय को भी अवगत किराया और बताया कि विशेष रोजगार कार्यक्रम, जिसे 1972–73 में केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू किया जाना था, में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित चुनी हुई योजनाओं के लिये निर्धारित सीमा तक बराबरी के आधार पर राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की व्यवस्था थी। इस कार्यक्रम के लिये मैसूर सरकार से प्राप्त प्रस्तावों में, 1972–73 के लिये ग्रामीण सड़कों के लिये 50 लाख रुपये का परिव्यय शामिल था। 1973–74 के विशेष रोजगार कार्यक्रम पर अभी तक अंतिम रूप से विचार किया जाना है, परंतु योजना आयोग का विचार है कि इस धारणा पर आगे की कार्यवाही करना उचित होगा कि 1972–73 में दी गयी राशि की सहायता तक अगले वर्ष में मिलेगी ।

देश भर में पर्यटकों को ले जाने वाली टैक्सियों और ठेके पर चलने वाली गाड़ियों को अनुमति प्रदान करना

5569. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार प्रत्येक राज्य की टैक्सियों और ठेके पर चलने वाली गाड़ियों को देश के किसी भी भाग में पर्यटकों को ले जाने की अनुमति देने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) परिवहन विकास परिषद के अप्रैल, 1963 में हुई अपनी चौथी बैठक में इकहरे कराधान के आधार पर और उनके परमिटों पर प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता के बिना सारे देश में 25 टैक्सियों और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की इस ठेका गाड़ियों के परिचालनार्थ एक योजना की रूप रेखा स्वीकृत की और उसके अनुसार योजना के कार्यान्वियन को सुगम बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों में अपनाने के लिये नमूना नियम परिचालित किये तत्पश्चात मोटर गाड़ी (संशोधन) अधिनियम, 1969 के अंतर्गत अखिल भारत आधार पर या देश के किसी भी क्षेत्र से परिचालनार्थ

पर्यटन गाड़ियों के लिये नियमित परमिटों के जारी करने हेतु धारा 63 की उपधारा (7) से (10) द्वारा मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 में मूल उपबन्ध शामिल किये गये। राज्य सरकारों के साथ एक समान प्रतिरूप पर इन गाड़ियों की छूट के प्रश्न के बारे में भी बातचीत की गई थी। अगस्त, 1971 में हुई परिवहन विकास परिषद की नवम बैठक में प्रगति की समीक्षा की गई जब यह सुझाव दिया गया कि योजना के अंतर्गत टैक्सियों की हालत में 100 और ठेका गाड़ियों की स्थिति में 25 तक परमिटों की संख्या बढ़ा दी जाये। प्रत्येक राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी किये जाने वाले परमिटों की उपर्युक्त संख्या को निर्धारित करने वाली आवश्यक अधिसूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा फरवरी, 1972 को जारी की गई। केन्द्रीय सरकार ने सितम्बर, 1972 में पर्यटन गाड़ियों की विशिष्टियों को भी अधिसूचित किया। कुछ राज्यों ने, अखिल भारत में परिचालनार्थ जिन पर्यटन गाड़ियों को परमिट दिये गये हैं, को दोनों सड़क कर और यात्री कर से छूट देना मान लिया है। कुछ राज्यों ने इन गाड़ियों को सड़क कर से, नकि यात्री कर से, छूट देना मान लिया है। अन्य कुछ ऐसे राज्य भी हैं, जोकि पर्यटन गाड़ियों को सड़क कर या यात्री कर से मुक्त करने के लिये सहमत नहीं हुए हैं। संबंधित राज्यों से मामले के बारे में बात चीत हो रही है ताकि वे सभी उपर्युक्त दोनों करों से ऐसी गाड़ियों को छूट देने में सहमत हो सकें।

खाद्यान्नों के थोक व्यापार को राज्यों द्वारा अपने नियन्त्रण में लेना

5570. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में हाल ही में खाद्यान्न का थोक व्यापार सरकार ने अपने नियन्त्रण में ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) गेहूं और चावल का थोक व्यापार लेने के पूर्व निर्णय के अनुसरण में गेहूं पैदा करने वाले सभी राज्यों अर्थात, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में चालू रबी मौसम से गेहूं के बारे में इस योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय किया है।

राज्यों को दिया गया चीनी का कोटा

5571. श्री बेकारिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1972 से जनवरी, 1973 तक की अवधि में विभिन्न राज्यों को प्रति मास दी जाने वाली चीनी की मात्रा कितनी-कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : सितम्बर, 1972 से जनवरी, 1973 तक की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को लेवी चीनी का मासिक आबंटन बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये एल० टी० 460/77]**

गुजरात सरकार से चीनी का वसूली (लेवी) मूल्य निश्चित करने और उसका मासिक कोटा बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन

5572. श्री बेकारिया :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से चीनी का वसूली (लेवी) मूल्य निश्चित करने और राज्य को चीनी का कोटा बढ़ाने संबंधी अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) गुजरात सरकार से हाल ही में लेवी चीनी के मूल्यों को फिर से निर्धारित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्य सरकार ने लेवी-चीनी के मासिक कोटे में वृद्धि करने के लिये अवश्य कहा था लेकिन सीमित मात्रा में स्टाक उपलब्ध होने के कारण, राज्य सरकार के अनुरोध को मानना सम्भव नहीं हुआ है।

सभी राज्यों को लेवी चीनी का आबंटन जनसंख्या सम्बन्धी तथ्य, 1967–68 और 1968–69 के दौरान चीनी के खपत परिमाण, जबकि लेवी चीनी और खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के मूल्यों में उल्लेखनीय अन्तर था. और स्टाक की उपलब्धता को ध्यान में रखकर, किया जाता है ।

गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए तमिलनाडु सरकार का अनुरोध

5573. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने के वर्तमान मूल्य से अधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिये तमिलनाडु सरकार से कोई पत्र मिला है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु सरकार ने कितने मूल्य की सिफारिश की है; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए प्रायोगिक परियोजना

5574. श्री धर्मराव अफजलपुरकर :
श्री डी० बी० चन्द्रगोडा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिये चुने हुए चिकित्सालयों में आरम्भ की गई प्रायोगिक योजना के आरम्भ के छः वर्ष बाद भी इस गोली का प्रयोग अभी तक प्रायोगिक अवस्था में है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों के उपयोग को और आगे बढ़ाने के प्रश्न का अध्ययन किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए शक्तियों का विकेन्द्रीकरण

5575. श्री धर्मराव अफजलपुरकर :
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य परिवहन विकास परिषद की एक बैठक हुई थी जिसमें सभी राज्यों के मंत्रियों ने भाग लिया था, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण के लिये शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण करने की केन्द्रीय सरकार से मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य 15 और 16 फरवरी, 1973 को नयी दिल्ली में हुई परिवहन विकास परिषद की 10वीं बैठक का उल्लेख कर रहे हैं । यह एक केन्द्रीय संस्था है ।

इस बैठक में, राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में राज्यों को शक्तियां प्रत्यायोजित करने की आवश्यकता के संबंध में बैठक में कुछ भाग लेने वाले व्यक्तियों ने सरसरी तौर से उल्लेख किया था, यह मद न तो कार्य सूची में ही थी और न ही परिषद ने इस विषय में कोई सिफारिश की थी। परन्तु 10 लाख रुपये तक की लागत के राष्ट्रीय राजमार्गों (मूल) कार्यों के बारे में तकनीकी अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति देने के लिये भारत सरकार स्वयं ही राज्यों के शक्तियां प्रत्यायोजित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है परन्तु मामला अभी विचार के आरम्भिक चरण में है और इसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

मौसम के प्रभाव को अनुकूल बनाने के लिए वैकल्पिक फसल पद्धति

5576. श्री राजदेव सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में खाद्य उत्पादन में अस्थिरता के लिये मौसम का प्रमुख हाथ रहा है ;

(ख) क्या फार्म वैज्ञानिकों का, अधिक वैकल्पिक फसल उगाने के संबंध में ऐसी पद्धतियां बनाने के लिये पूल बनाया जायेगा जिससे जल्दी उपज देने वाली ऐसी किस्मों का प्रयोग किया जाये जिन पर मौसम का असर न हो और मौसम के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिये फसल उगाने संबंधी समय में परिवर्तन किया जा सके; और

(ग) क्या फार्म उत्पादन में प्रति व्यक्ति उत्पादन को बढ़ाये बिना हमारी जनता की वास्तविक आय में वृद्धि नहीं की जा सकती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) देश के विभिन्न भागों में 24 केन्द्रों में चल रही बारानी कृषि की समन्वित परियोजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ऐसी फसल पद्धतियों का विकास करना है जिनसे मौसमी प्रवृत्तियों के आधार पर वैकल्पिक फसलों का चयन किया जा सके। मौसम की विभिन्न परिस्थितियों में कारगर सिद्ध होने वाली फसलें और उनकी किस्में अभिज्ञात करने के लिये बारानी खेती अनुसन्धान केन्द्रों में बड़े पैमाने पर 'क्राप कैफेटीरिया' उगाई जाती है । वनस्पति संवर्धक ऐसी 'फोटो इनसेंसिटिव' और शीघ्र फलने-फूलने वाली किस्मों का विकास करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं जो पूर्णतः मानसून की प्रवृत्ति पर निर्भर न रहेंगी।

(ग) जी हां ।

खाद्यान्न के थोक व्यापार के सरकारीकरण के निर्णय को ध्यान में रख कर भारतीय खाद्य निगम का विस्तार तथा इसके कार्यकरण को सुव्यवस्थित किया जाना

5577. श्री राम सहाय पांडे : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्यान्न के सम्पूर्ण थोक व्यापार के शीघ्र ही सरकारीकरण के निर्णय के सन्दर्भ में सरकार भारतीय खाद्यान्न निगम का विस्तार करने तथा उसके कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम के कार्यचालन की बराबर समीक्षा की जाती है। चावल और गेहूं का थोक व्यापार लेने के कारण कार्य के परिमाण में वृद्धि को देखते हुए भारत खाद्य निगम संगठन को सशक्त करने के लिये आवश्यक पग उठा रहा है ।

Central Aid to States for Small Irrigation Schemes

5578. Shri Sathu Ram Ahirwar :
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unsstarred Question No. 3774 on the 11th December, 1972 regarding expenditure incurred on minor irrigation schemes during Fourth Plan and state :

(a) the scheme-wise amount of expenditure incurred in each of the States on minor irrigation during the last three years; and

(b) the extent to which the amount given to each of the states was less or more in proportion to the amount asked for by these States?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Minor irrigation programme comprises in most of the States construction of dugwells, boring of dugwells, improvement of wells, installation of shallow tubewells/filter points, installation of pumpsets, persian wheels, State tubewells and construction of Storage and diversion works etc. The information regarding the scheme-wise amount of expenditure in each of the States on these schemes during the last three years is not available and its collection will involve enormous time and labour not commensurate with the results likely to be achieved.

(b) according to the existing financial pattern Central Assistance for State Schemes is given in the form of block loans and grants for the annual plan as a whole and is not related to any individual programme. The discretion for allocation of funds to any particular scheme lies entirely with the State Government. Hence the question of giving Central assistance more or less to the State Governments does not arise.

Low Pressure and Supply of Drinking Water in Old Delhi Area

5579. Shri Fateh Singh Rao Gaekwad :
Shri Prabodh Chandra :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to State :

(a) whether water pressure in Old Delhi areas, particularly in Churiwalan, Bazar Sita Ram, Chawri Bazar etc., is too low and during winter also water is supplied for a very short period and the water cannot reach high even upto 1st storey and if so, the reasons therefor;

(b) action being taken to improve the supply of drinking water in Old Delhi area during coming summer; and

(c) the details of the construction works which are in progress in Delhi for improving the position in regard to supply of drinking water and the present position of these works as also the time by which they would be completed?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : The water Supply and Sewage Disposal Undertaking of the Municipal Corporation of Delhi have informed that :—

(a) It is true that in Old Delhi City area particularly in Churiwalan, Bazar Sita Ram, Chawri Bazar etc., the pressure of water is low and the water supply is intermittent. During winter months also in certain high level areas and upper floors shortages are felt.

(b) To improve water supply in Old City area, Sadar and Paharganj bigger water mains are being laid.

(c) For improving the pressure and quantity of water in Old City area, the following works are in progress :

(1) A 900 mm PSC main from Wazirabad to Rajghat and further to Ajmeri Gate is being laid. The work is expected to be completed by May, 1973.

(2) A 5 Million Gallon Ground Reservoir with Booster pumping station is being constructed in Ram Lila Maidan near Turkman Gate. This is expected to be commissioned in about 18 months.

(3) Some schemes for improving the internal distribution system are also in hand such as :—

(a) laying 14"-12" water main in Bazar Balli Maran from Chandni Chowk to Charkhewalan.

(b) laying 14" main in Bazar Katra Bariyan.

(c) laying 7" main in Kucha Rehman.

(d) laying 7" main in Kucha Chelan.

(e) laying 7" main along main Bazar Khari Baoli from Naya Bazar to Church Mission Road.

पश्चिमी तट पर लघु पत्तनों का विकास

5580. श्री शंकरराव सावंत : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र की वित्तीय सहायता से पश्चिमी तट पर किन-किन लघु पत्तनों का विकास किया जा रहा है अथवा विकास करने का विचार है;

(ख) कितनी वित्तीय सहायता दी गई है अथवा देने का विचार है; और

(ग) संबंधित राज्यों द्वारा प्रत्येक पत्तन पर कितना खर्च वहन किया गया है अथवा वहन करने का विचार है और इन पत्तनों में प्रत्येक पत्तन पर कब तक कार्य पूरा हो जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) पश्चिम तट पर निम्नलिखित पत्तनों का चौथी पंचवर्षीय योजना की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत उनको दी गई वित्तीय सहायता की मदद से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विकास किया जा रहा है ।

1. पोरबंदर (गुजरात)
2. मिर्यावे (महाराष्ट्र)
3. कारवाड़ (मैसूर)
4. बेपोर (केरल)

(ख) वित्तीय सहायता ऋणों के रूप में दी जाती है। ऋण उक्त पत्तनों के विकास पर राज्य सरकारों द्वारा किये गये व्यय के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा यथास्वीकृत योजना के पूरे व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। कुल नियतन और अब तक विमोचित राशि संलग्न विवरण में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4691/73]**

(ग) राज्य सरकार केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में सम्मिलित कार्यों के व्यय को वहन नहीं करती। मिर्यावे के सिवाय उक्त पत्तनों में कार्य के पांचवीं योजना काल के दौरान पूरे हो जाने की संभावना है। मिर्यावे पत्तन के चौथी योजना काल के अंत तक पूरे हो जाने की संभावना है।

पश्चिमी तट पर मत्स्यग्रहण पत्तनों के सुधार के लिए केन्द्रीय ऋण तथा राज सहायता

5581. श्री शंकरराव सावंत : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड ने कोचीन में हुई अपनी बैठक में यह निश्चय किया है कि पश्चिमी तट के कुछ पत्तनों का मत्स्यग्रहण पत्तनों के रूप में केन्द्रीय ऋणों तथा राज-सहायता से विकास किया जाये;

(ख) यदि हां, तो वे पत्तन कौन-कौन से हैं; और

(ग) उक्त निश्चय को कार्य रूप देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड की नवम्बर, 1971 में कोचीन में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि द्वारा उठाये गए एक प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया था कि मछली पकड़ने के बन्दरगाहों के निर्माण के लिये महाराष्ट्र में दो

स्थान, अर्थात (1) रत्नागिरी जिले में मिरकावाड़ा तथा (2) कोलाबा जिले में जंजीरा (दिघी) चुने गये थे। मछली पकड़ने के बन्दरगाहों के निवेश-पूर्व सर्वेक्षण के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना ने मिरकावाड़ा तथा जंजीरा में क्रमशः 180 लाख रुपये तथा 59 लाख रुपये की अनुमानित लागत से बन्दरगाहों के लिये परियोजना रिपोर्ट तैयार की थीं। राज्य सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात इन योजनाओं तथा अनुमानों का पुनरीक्षण किया गया और अब क्रमशः 184 लाख रुपये तथा 70 लाख रुपये के अन्तिम अनुमान तैयार किये गये हैं। इन प्रस्तावों को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

खाद्यान्नों तथा रुई की एकाधिकारी वसूली की योजनाओं के पक्ष में राज्य

5582. श्री शंकरराव सावंत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में खाद्यान्नों तथा रुई की एकाधिकारी वसूली की योजनायें क्रियान्वित करने की पेशकश की है तथा ऐसा कब से किया जायेगा; और

(ख) किन-किन राज्यों ने खाद्यान्नों का थोक व्यापार अपने नियंत्रण में लेने की सहमति व्यक्त की है तथा ऐसा कब से किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) धान और चावल के बारे में एकाधिकार अधिप्राप्ति की योजना असम, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों में पहले से ही चल रही है। गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों ने चालू रबी मौसम के दौरान गेहूं के लिये इस योजना को लागू करने का निर्णय किया है। जहां तक कपास का संबंध है, केवल महाराष्ट्र राज्य में ही एकाधिकार अधिप्राप्ति की योजना चल रही है, महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना को चालू कपास मौसम (सितम्बर, 1972—अगस्त, 1973) के दौरान शुरू की थी।

(ख) सभी राज्यों ने गेहूं और चावल का थोक व्यापार लेने के लिये अपनी सहमति प्रकट की है। भारत सरकार के निर्णय के अनुसार गेहूं का थोक व्यापार चालू रबी मौसम से ले लिया जाएगा।

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में दिल्ली प्रशासन की बहुमंजिली इमारत का निर्माण

5583. श्री रामजी राम :
श्री भागीरथ भंवर :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में दिल्ली प्रशासन की एक बहुमंजिली इमारत निर्माणाधीन है;

(ख) क्या इस इमारत की आठ मंजिलें वास के लिये तैयार हैं; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन प्राइवेट इमारतों में अपने कार्यालयों के लिये भारी किराया क्यों दे रहा है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं। परन्तु, यद्यपि सारा भवन पूरा नहीं हुआ है, इसकी केवल चार मंजिलें दिल्ली प्रशासन के अधीन बनाए गए नए कार्यालयों द्वारा अंशतः दखल में ले ली गई हैं क्योंकि और कहीं उपयुक्त वास उपलब्ध नहीं है।

(ग) ऊपर (ख) में दिये उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्दमान द्वीप समूह में खजूर, तेल के वृक्षारोपण में प्रगति

5584. श्री वयालार रवि : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान द्वीप में खजूर, तेल के वृक्षारोपण के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इस कार्य में कोई विलम्ब हुआ है, और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) विस्तृत परियोजना और उसकी व्यावहारिकता संबंधी रिपोर्टें तैयार कर ली गई हैं और परियोजना की मंजूरी देने की कार्यवाही की जा रही है। इसी बीच अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने प्रथम वर्ष में खजूर तेल के वृक्षारोपण हेतु इसके बीजों का नाइजेरिया से आयात करने

के आदेश दे दिये हैं। बन क्षेत्रों को साफ करने के लिये भी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस प्रकार कार्य में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह में वन क्षेत्र

5585. **श्री वयालार रवि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने क्षेत्र में वन हैं और इन द्वीपों के कुल कितने क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया गया है ;

(ख) सरकार का विचार विभिन्न उद्देश्यों हेतु वनों में कुल कितने क्षेत्र को साफ करने का है; और तत्संबंधी योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन योजनाओं की क्रियान्विति में कोई विलम्ब हुआ है; और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह): (क) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 7466 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन हैं और 2435 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया गया है।

(ख) सरकार का विचार कुल 37480 हैक्टार वन क्षेत्र को साफ करने का है। योजनावार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. आयल पाम परियोजना	2400 हैक्टार
2. रबड़ के बागान	7400 हैक्टार
3. लिटल अन्दमान में 7000 प्रवासी परिवारों को बसाना	20000 हैक्टार
4. ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में 1000 भूतपूर्व सैनिक परिवारों को बसाना	5280 हैक्टार
5. कच्छल द्वीप समूह में विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रबड़ के बागान लगाना	2400 हैक्टार

(ग) इन योजानाओं की क्रियान्विति में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

यंत्रीकृत कृषि के अन्तर्गत कृषि श्रमिकों की मंजूरी

5586. **श्री डी० डी० देसाई**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन क्षेत्रों में जहां पर कृषि का बहुत अधिक यंत्रीकरण हुआ है, कृषि श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कृषि के यंत्रीकरण के लिए कोई सहायता अथवा प्रोत्साहन देने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) देश भर में कृषि श्रमिकों की मजदूरी में सामान्य वृद्धि हुई है और यह केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित नहीं है जहां कृषि का बहुत अधिक यंत्रीकरण हुआ है। अत: यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि कृषि के यंत्रीकरण के कारण ही कृषि श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि हुई है।

विद्या भवन महाविद्यालय हायर सैकण्डरी स्कूल दिल्ली में अध्यापकों को पी०जी०टी० ग्रेड देना

5587. **श्री हरी सिंह**: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पी० जी० टी० वेतनमान देने के बारे में 18 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4837 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, विद्या भवन महाविद्यालय हायर सैकेन्डरी स्कूल में गत शिक्षा सत्र (1971-72) में 11वीं कक्षा के विषयवार विद्यार्थियों की संख्या क्या थी;

(ख) क्या प्रत्येक ऐसे मामले में, जहां 11वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में 12 से अधिक है, पी० जी० टी० पद मंजूर किए गए हैं;

(ग) क्या इन सभी पदों पर नियुक्तियां की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव):

(क) विषय	छात्रों की संख्या
अंग्रेजी	52
हिन्दी	52
इतिहास	14
नागरिक शास्त्र	18
अर्थ शास्त्र	38
वाणिज्य	34
भूगोल	24
गृह विज्ञान	18
गणित	11

(ख) जी हां। इतिहास को छोड़कर अन्य ऐसे सभी मामलों में, जहां पी० जी० टी० के पद अनुमत्य थे। शैक्षिक सत्र के बाद अध्यापक की छंटनी को रोकने के उद्देश्य से इतिहास के पद को स्वीकृत नहीं किया गया था क्योंकि कक्षा में केवल 6 छात्र थे।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Eradication of Malaria

5588. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred by Government for eradication of Malaria during 1972 indicating the amount spent, State-wise; and

(b) whether the amount spent by the Health Department for this purpose is not fully utilised and spent unnecessarily?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) A Statement indicating the expenditure incurred State-wise for National Malaria Eradication Programme by the Centre during 1971-72 is enclosed. [**Placed in Library. See No. L.T. 4692/73**]

(b) The amount spent is fully utilised to achieve the aim of eradication of Malaria from the country.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति का प्रतिवेदन

5589. श्री जगन्नाथ मिश्र:

श्री भारत सिंह चौहान:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जांच के लिये नियुक्त जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मामलों की जांच करने के लिए स्थापित की गई गजेन्द्रगडकर समिति ने 19 जनवरी, 1973 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सहकारी चीनी कारखाने में उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति

5590. श्री जगन्नाथ मिश्र: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी चीनी कारखानों के उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो अन्य व्यक्तिगत चीनी कारखानों की तुलना में उनकी स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश के सहकारी कारखानों की संख्या और उनका चीनी का उत्पादन इस प्रकार है :—

मौसम	चालू कारखानों की संख्या	चीनी का उत्पादन (लाख मी० टन में)
1967-68	57	7.05
1968-69	63	12.06
1969-70	69	13.61
1970-71	73	12.63
1971-72	79	12.85

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश के सहकारी कारखाने, संयुक्त स्टाक कारखाने और सरकारी क्षेत्र के कारखानों के चीनी उत्पादन के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

मौसम	चीनी का उत्पादन		(लाख मी० टन में)
	सहकारी कारखाने	संयुक्त स्टाक कारखाने	राज्य स्वामित्व/राज्य प्रबंधित कारखानों समेत सरकारी क्षेत्र के कारखाने
1967-68	7.05	14.96	0.47
1968-69	12.06	22.62	0.91
1969-70	13.61	27 88	1.13
1970-71	12.63	23.79	0.98
1971-72	12.85	17.17	1.11

दिल्ली में खाद्यान्न व्यापारियों के कर्मचारियों द्वारा रोजगार देने की गारंटी सम्बन्धी मांग

5591. श्री मोहम्मद शरीफ :

श्री एम० एस० शिवस्वामी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न के थोक व्यापार का सरकारीकरण करने से पहले दिल्ली के खाद्यान्न व्यापारियों के कर्मचारियों द्वारा उन्हें रोजगार की गारन्टी देने के बारे में कोई मांग की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) थोक व्यापार लेने के प्रस्तावित निर्णय से बहुत संख्या में व्यापारियों के बेरोजगार होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि मौजूदा थोक व्यापारी गेहूं और चावल के अलावा, खाद्यान्नों और अन्य विभिन्न कृषि जिंसों का व्यापार करते रहेंगे।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा खाद्यान्नों के सरकारीकरण का विरोध

5592. श्री मोहम्मद शरीफ: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने सरकार द्वारा खाद्यान्नों का व्यापार अपने अधिकार में लेने के प्रयास का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है तथा उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां ।

(ख) संघ की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं । थोक व्यापार लेने की योजना के बारे में इन बातों और अन्य सम्भावी आपत्तियों को इस योजना पर आगे कार्यवाही करने का निर्णय करते समय ध्यान में रख लिया गया था ।

विवरण

गेहूं और चावल का थोक व्यापार लेने संबंधी सरकारी निर्णय के विरोध में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा प्रस्तुत की गई मुख्य-मुख्य बातें ।

(1) भारतीय खाद्य निगम आवश्यक जिन्सों की अधिप्राप्ति और उनकी ढुलाई तथा वितरण का कार्य करने में अच्छी तरह सशक्त नहीं है । भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों में किसानों के साथ वैयक्तिक मेल-मिलाप की कमी होती है । दूसरी ओर, निजी व्यापारियों ने कई वर्षों से मंडियों में वित्तीय और सामाजिक साख बना रखी है ।

(2) सरकारी एजेंसियों के अधीन अधिप्राप्ति और वितरण करने की लागत निजी व्यापारियों की तुलना में अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है ।

(3) खाद्यान्नों के कारोबार में लगे बहुत बड़ी संख्या में व्यापारियों में काफी होड़ होने से लाभ का स्तर बहुत कम होता है और एकाधिकार सम्भव नहीं होता है ।

(4) खाद्यान्नों विशेषकर गेहूं और चावल का थोक व्यापार लेने से वित्तीय बोझ बहुत अधिक होगा और बाद के वर्षों में बढ़ता ही जाएगा ।

(5) सरकार को विषम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिनमें खपत तथा उत्पादन दोनों केन्द्रों पर अतिरिक्त भण्डारण स्थान की व्यवस्था करने की समस्या; अधिप्राप्ति, ढुलाई और वितरण से सम्बंधित संगठनात्मक समस्याएं हैं ।

(6) सरकार द्वारा थोक व्यापार लेने से 5 लाख व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे और उससे 25 लाख जनसंख्या प्रभावित होगी ।

(7) खाद्यान्न का व्यापार लेने के बाद उपभोक्ता को घटिया अनाज मिलेगा, इससे भ्रष्टाचार, कदाचार, कार्य क्षमता में नयूनता को बढ़ावा मिलेगा और समाज के जरूरत वर्गों को ऋण की सुविधाएं प्राप्त न हो सकेंगी ।

(8) किसान को अपनी पैदावार राज्य की एजेंसी को निर्धारित मूल्य पर बेचनी होगी । इससे वह एकाधिकार व्यवस्था का शिकार बन जाएगा ।

(9) खाद्यान्नों के थोक व्यापारी देश भर में खाद्यान्नों का समान वितरण कर शताब्दियों से जनता की सेवा करते आ रहे हैं । इसका विकास जनहित और उन्नत सेवाओं के लिए करने की आवश्यकता है ।

(10) समस्याओं का पता लगाने, अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने में मदद देने, सप्लाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और खाद्यान्नों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए किसानों, व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों की एक संयुक्त सलाहकार मशीनरी स्थापित की जानी चाहिए ।

गेहूं और चावल की कम सप्लाई होने के कारण सांविधिक राशन व्यवस्था का समाप्त होना

5593. श्री प्रबोध चन्द्र :

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र से गेहूं और चावल की कम सप्लाई के कारण कुछ राज्यों में सांविधिक राशन व्यवस्था समाप्त होने की स्थिति में है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दंत चिकित्सा सम्बन्धी सेवा योजना का बनाया जाना

5594. श्री प्रबोध चन्द्र :

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चिकित्सा सम्बन्धी सेवा योजना बनाये जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू): (क) और (ख) सरकार को भारतीय दंत संस्था के अहमदाबाद में हुए सत्ताइसवें सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें दन्त स्वास्थ्य सेवा योजना के निर्माण का सुझाव दिया गया है । इस मामले की सरकार जांच कर रही है ।

कुष्ठ रोग की अधिकता वाले राज्य

5595. श्री राम भगत पस्वान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दस राज्यों के 48 जिलों में कुष्ठ रोग अधिक होता है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे जिलों और राज्यों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए०के० किस्कू) : (क) संक्रामक रोगों सम्बन्धी उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत के 9 राज्यों के 52 जिले कुष्ठ रोग की अधिक स्थानिक स्थिति वाले जिले माने जाते हैं जहां कुष्ठ रोग 1.0% और इससे अधिक है ।

(ख) भारत में कुष्ठ रोग की अधिक स्थानिक स्थिति वाले 52 जिलों की सूची जहां यह रोग 1% और इससे अधिक है

राज्य	जिलों के नाम
आन्ध्र प्रदेश	1. श्रीकाकुलम
	2. विशाखापत्तनम
	3. पूर्वी गोदावरी
	4. पश्चिम गोदावरी
	5. कृष्णा
	6. गुण्टुर
	7. निल्लोर
	8. कुडप्पा

राज्य	जिलों के नाम
	9. निजामाबाद
	10. आदिलाबाद
	11. करीमनगर
	12. वारंगल
	13. खरमाम
असम	
	1. यूनाइटेड मिकिर हिल्स
	2. एन० सी० हिल्स
बिहार	
	1. संथाल परगन्ना
	2. धनबाद
तमिलनाडु	
	1. मद्रास निगम
	2. चिगंलेपट
	3. उतरी अर्काट
	4. दक्षिणी अर्काट
	5. सलेम
	6. मदुरई
	7. तिरुचिरापल्ली
	8 थंजावर
	9. रामनाथ पुरम
	10. तिरुनेलवेली
	11. धरमपुरी
महाराष्ट्र	
	1. शोलापुर
	2. नन्देद
	3. चन्दा
	4. अमरावती
	5. अकोला
	6. वर्धा
	7. इयोतमल
	8. उस्मानाबाद
	9. भीर
मैसूर	
	1. बेलारी
	2. मैसूर
	3. बेलगांव
	4. गुलवर्गा
	5. बीदर
उड़ीसा	
	1. गंजाम
	2. पुरी
	3. बालासोर
	4. कटक

राज्य	जिलों के नाम
उत्तर प्रदेश	1. बहराइच
पश्चिम बंगाल	1. वर्धवान 2. बीरभूमि 3. बांकुरा 4. मिदनापुर 5. पुरुलिया

कोचीन शिपयार्ड में जहाज बनाने के लिए ठेके की शर्तें

5596. श्री राम भगत पस्वान : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोचीन शिपयार्ड में जहाज बनाने के लिये जापान की मितस्युबिस्ती हैवी इंडस्ट्रीज के साथ किये गये करार की शर्तें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम०बी० राना) : जहाज निर्माण के बारे में मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है।

सम्भवत: उल्लेख, कोचीन में शिपयार्ड निर्माण के बारे में है। 13-8-70 को शिपयार्ड के निर्माण में मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड आफ जापान के तकनीकी सहयोग वाले समझौते में निम्नलिखित की व्यवस्था की गई है :—

(1) गोदियों, जहाजी घाटों, विशेष मशीनरी और सेवाओं जैसी विशिष्ट कार्य मदों के लिए डिजाइनों, नक्शों और विशिष्टयों की तैयारी और सुपुर्दगी,

(2) यार्ड के वास्तविक निर्माण के दौरान सलाह और परामर्श सेवाओं की व्यवस्था।

जर्मन जनवादी गणतंत्र के सहयोग से मकान निर्माण प्रोद्योगिकी

5597. श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन जनवादी गणतन्त्र अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में मकान निर्माण प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग देने के बारे में बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला और इस बैठक में किये गये निर्णय किस प्रकार क्रियान्वित किये जायेंगे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां। जर्मन जनवादी गणतन्त्र की भवन अकादमी के अध्यक्ष के साथ जर्मन जनवादी गणतन्त्र की आवास तकनीक पर एक संक्षिप्त चर्चा हुई थी।

(ख) चूंकि बातचीत अनौपचारिक रूप में हुई थी, अत: जर्मन जनवादी गणतन्त्र में भवन निर्माण टेक्नालोजी में आरम्भ किये गये अध्ययनों के बारे में विस्तृत सूचना मांगी गई है।

जहाजों, पत्तनों और जहाजों के कारखानों के निर्माण के क्षेत्र में भारत युगोस्लाविया संयुक्त उद्यम

5598. श्री एम० एस० संजीवी राव :

श्री भागीरथ भंवर :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजों, पत्तनों और जहाजों के कारखानों के निर्माण के क्षेत्र में भारत-युगोस्लाविया संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना): (क) और (ख) हाल ही में युगोस्लाव प्रतिनिधि मण्डल के साथ हुई बैठक में यूगोस्लाविया की ओर से भारतीय शिपयार्डों के निर्माण और विस्तार तथा अनुपूरक आधार पर अनुबंधियों की स्थापना के सहयोग की पेशकश का स्वागत किया गया। पांचवीं योजना के ब्यौरे को अंतिम रूप देते समय इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा।

मिश्र के विदेश मंत्री का दौरा

5599. श्री एम० एस० संजीवी राव : : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और सांस्कृतिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिश्र के विदेश मंत्री के मार्च, 1973 में भारत दौरे के दौरान शिक्षा की किसी परियोजना पर चर्चा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां। भारत और मिश्र में वर्ष 1973–75 के लिये एक कार्यकारी कार्यक्रम पर चर्चा और हस्ताक्षर किये गये थे।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दोनों देश आपस में प्रोफेसरों, विशेषज्ञों, डाक्टरों, कलाकारों, पुरातत्वज्ञों और नृत्य तथा संगीत मंडलियों के आदान प्रदान, उच्चतर अध्ययन और अनुसंधान के लिये शिक्षावृत्तियों तथा शिक्षा सहायक-साधनों, प्रकाशनों, पुरावशेषों के नमूनों और कला वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे। एक दूसरे देश की शिक्षा डिग्रियों और प्रमाणपत्रों की समानता के लिये क्रमबद्ध योजना तैयार करने के लिये प्रासंगिक आंकड़े, पाठ्यचर्याओं और पाठ्-विवरणों का आदान प्रदान किया जाएगा। एक दूसरे देश की इतिहास और भूगोल की स्कूली पुस्तकों में सम्मिलित सूचना का भी दोनों देशों में आदान प्रदान किया जाएगा, ताकि मालूम किया जा सके कि यह सही और अद्यतन है। युवक कल्याण के क्षेत्र में प्रासंगिक आंकड़ों और सूचना का भी आदान प्रदान किया जाएगा, पारस्परिक भ्रमण-यात्राओं, तथा खेलकूद प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्कृष्ट शास्त्रीय और समसामयिक ग्रन्थों का अनुवाद करने के लिए दोनों देशों द्वारा सुविधायें प्रदान की जाएंगी। दोनों देश संगीतात्मक अभिलेख (रिकार्डों), टेलीविजन कार्यक्रमों, फिल्मों (चलचित्रों) का भी आदान प्रदान करेंगे, फिल्म उत्सवों का आयोजन करेंगे और अपने अपने फिल्म उद्योगों तथा समाचार एजेंसियों में सहयोग को प्रोत्साहन देंगे। पुस्तकों का संयुक्त निर्माण और प्रदर्शनियों के आयोजन को भी हाथ में लिया जाएगा।

दिल्ली में माडल स्कूलों का खोला जाना

5600. श्री फूल चन्द्र वर्मा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्ष दिल्ली में दो अथवा तीन और माडल स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव है तथा क्या दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद ने केन्द्रीय अकादमी और बाल शिक्षा संस्थान के छठे अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए इस सम्बन्ध में कोई घोषणा की थी; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में माडल स्कूल किन स्थानों पर खोले जाएंगे तथा इस पर कितना व्यय होगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री० डी० पी० यादव) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली प्रशासन का तीन और माडल स्कूल खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

Demonstration by the Residents of Ranjit Nagar, Delhi

5601. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state.

(a) whether the women of Shadipur, Khampur and Ranjit Nagar (Delhi) had staged a demonstration in front of the residence of the Lt. Governor in the first week of January and

demanded that four-storeyed quarters built by D.D.A. should be allotted to the persons living in slum areas there and steps should be taken for development of the locality; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard and the action proposed to be taken in the future?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) A few persons including some women came on deputation to the Lt. Governor's Office.

(b) The Delhi Development Authority has built these tenements for re-settlement of the jhuggi dwellers and will be allotted to the eligible persons in terms of the Jhuggi Jhompri Removal Scheme.

दिल्ली में पालम कालोनी के लिए उपागमन मार्ग

5602. **श्री ग्रार० पी० उलगनम्बी:** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के निकट नांगलराय गांव से पालम कालोनी तक के लिये उपागमन मार्ग अभी तक कच्चा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संबंधित नगरपालिका अधिकारियों को कह कर इस सड़क को पक्का बनवाने का है क्योंकि इस सड़क का अधिकतर प्रयोग प्रायः केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है; और

(ग) क्या इस मामले में कालोनी के निवासियों से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम महता) : (क) से (ग) पंखा रोड और पालम डबरी रोड के बीच से पालम कालोनी को नांगल राय से मिलाने वाली एक पक्की सड़क है। तथापि, निवासियों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि नांगल राय को नसीरपुर गांव से मिलाने के लिये एक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाये जिससे पालम कालोनी तथा नांगल राय के मध्य दूरी कम हो जायेगी ।

उपर्युक्त योजना को नगर निगम दिल्ली द्वारा अपनी पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है ।

अहमदपुर चीनी मिल, वीरभूम का पुनः चालू किया जाना

5603. **श्री ग्रार० एन० बर्मन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के जिला बीरभूम में अहमदपुर चीनी मिल पुनः चालू करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह मिल कब से चालू होगी तथा यह मिल किन शर्तों पर पुनः चालू की जायेगी; और

(ग) भविष्य में इस मिल को इस प्रकार पुनः बंद होने से रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) पश्चिमी बंगाल सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि उन्होंने अहमदपुर की बन्द पड़ी चीनी मिल अर्थात 'दि नेशनल शूगर मिल्स, अहमदपुर, जिला बीरभूम को फिर से चालू करने का सिद्धांत रूप में निर्णय कर लिया है और इससे संबंधित प्रस्ताव उनके विचाराधीन है ।

पंजाब भूमि सीमा अधिनियम, 1972 के उपबन्ध

5604. **श्री मान सिंह भौरा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब भूमि सीमा अधिनियम 1972 में वे सभी बातें नहीं हैं जिन पर केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) पंजाब भूमि सीमा निर्धारण अधिनियम, 1972 मोटे तौर पर जुलाई, 1972 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा बनाए गए कृषि जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

मध्य आय समूह के लोगों को वजीरपुर चरण I में डी० डी० ए० के फ्लेटों का आबंटन

5605. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वजीरपुर चरण I मध्य आय समूह में कुछ फ्लैट ऐसे आवेदकों को आबंटित किये जो कि अक्टूबर, 1968 के प्रथम पंजीयण में से हैं ;

(ख) क्या के० सी० और के० डी० बलाकों में नीचे की मंजिल के कुछ ऐसे फलैट पंजीकृत आवेदकों को आबंटित किये गये हैं जिनके आगे प्रवेश द्वार नहीं हैं और वे अस्वास्थ्यकर वातावरण में स्थित हैं;

(ग) क्या नियमों के विरुद्ध कुछ फ्लैट 'ड्रा' से बाहर रखे गए थे; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उनका आबंटन किस प्रकार एवं किन लोगों को किया गया अथवा किया जाना है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां (पहला पंजीकरण नवम्बर, 1969 तथा जनवरी, 1970 के बीच खुला था)।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) निर्धारित फ्लैटों के आबंटन के लिये 18 दिसम्बर, 1972 तथा 12 फरवरी, 1973 को किए गए 'ड्रा' में भाग लेने वालों में सफल आवेदकों के अनुरोध पर के०सी० तथा के० डी० पाकेटों के फ्लैटों को ड्रा से वापस ले लिया गया। ये फलैट अब वजीरपुर की प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को पेश किये जायेंगे। इन आवेदकों की मांग पूरी करने के बाद शेष फ्लैट वजीरपुर के लिये असफल आवेदकों को पेश किए जाएंगे।

होस्टल भवनों के निर्णय के लिए ऋण

5606. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने होस्टल भवनों के निर्माण के लिये वर्ष 1971 और 1972 में देश की शिक्षा सस्थाओं को कोई ऋण दिये; और

(ख) यदि हां, तो उक्त शिक्षा संस्थाओं के राज्यवार नाम क्या हैं और प्रत्येक को कितना ऋण दिया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिम अदायगियों की अपेक्षित सूचना दर्शाने वाले दो विवरण संलग्न हैं। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 4693/73]**

स्कूलों के लिये भवनों के निर्माण हेतु राज्यों को ऋण

5607. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के लिये भवनों और कर्मचारी-क्वार्टरों के निर्माण के लिये गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य के लिये कितनी राशि के ऋण मंजूर किए गए;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारें इन ऋणों की पूरी राशि खर्च करने में असफल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) भारत सरकार के पास ऐसी कोई विशिष्ट योजना नहीं है जिसके अधीन स्कूल भवनों तथा स्टाफ-क्वार्टर के निर्माण के लिये राज्य सरकारों को ऋण दिये जायें।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में सांस्कृतिक संगठनों को भूमि अलाट करना

5608. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सांस्कृतिक संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों में दिल्ली में भूमि अलाट की गई है;

(ख) क्या भूमि प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन शिक्षा मंत्रालय के विचाराधीन पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे आवेदनों के बारे में किस तारीख तक फैसला कर लिया जाएगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Uniformity in Percentage fixed in Promotion of Teachers in Delhi

5609. **Shri Shiv Shankar Prasad Yadav** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether there is no uniformity in the percentage fixed for Departmental promotions from the post of trained Graduate Teachers to the Post of Post-Graduate Teachers, from post Graduate Teachers to Principals and from Principals to Education Officers, and from Education Officers to Deputy Directors;

(b) if so, the reasons for this anamoly; and

(c) whether this Ministry propose to adopt a policy of cent percent Departmental promotions for all categories?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) & (b) Thre is no uniformity in the percentage fixed for Departmental promotions. The quota fixed for promotion in different categories of posts is given below:

	Post Graduate Teachers	Direct Promotion	25% 75%
	Principal	Direct Promotion	50% 50%
	Education Officers	Direct Promotion	50% 50%
	Deputy Director of Education		
(i)	General Posts	Promotion	100%
(ii)	Science & Sports	Direct	100%

The above quota has been fixed keeping in view the requirement of the Department. It is not considered desirable to have 100% promotion from departmental candidates for all the above posts as the Administration would like to have some fresh talent.

(c) No, Sir.

सरकारी संगठनों द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकें

5610. श्री पीलू मोदी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की **कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 फरवरी, 1973 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित सम्पादकीय लेख की ओर आकर्षित किया गया है जिस में कहा गया है कि अनेक सरकारी संगठनों द्वारा घटिया स्तर की पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) इस लेख में नई दिल्ली के एक स्कूल अध्यापक के द्वारा लिखित "हमारी भूमि का इतिहास" (हिस्ट्री आफ अवर लैन्ड) नामक इतिहास की पुस्तकों की क्रम माला का हवाला दिया गया है, जिससे आभास मिलता है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यचर्या के अनुस र है। सम्पादकीय लेख में यह कहा गया है कि रा० शि० अनु० एवं प्रशि० परि० को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या प्राइवेट प्रकाशक इस (परिषद) के नाम से एतद्द्वारा यह सुझाते हुए कि यह परिषद द्वारा अनुमोदित है, घटियास्तर की पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। रा० शि० अनु० एवं प्रशि० परि० मामले की छानबीन कर रही है। लेख में एक ऐसे विदेशी प्रकाशन गृह द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में त्रुटियों का भी उल्लेख है, जो भारत में क्रियाशील है। लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि पाठ्य पुस्तकों का लेखन और निर्माण केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एक अखिल भारतीय विशेषज्ञ बोर्ड को सुपुर्द करना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से मंत्रालय को उत्तरदायी होगा। भारत सरकार ने पहले ही एक राष्ट्रीय स्कूल पाठ्य पुस्तक बोर्ड की नियुक्ति की है। इस बोर्ड ने स्कूल पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन करने की एक योजना स्वीकृत की है। अब तक स्कूली पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन किया जा चुका है तथा रिपोर्टें राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं। इस प्रकार का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है।

बिहार में अकाल

5611. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की **कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 फरवरी, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि बिहार में 1.60 करोड़ लोग अकाल पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र की सहायता अपर्याप्त है; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने और सहायता अनुदान देने के लिये केन्द्र से अनुरोध किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दो केन्द्रीय अध्ययन दलों की सिफारिशों पर राज्य सरकार को पर्याप्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है। इन दलों ने राज्य का अगस्त और अक्तूबर, 1972 में दौरा किया था। राज्य सरकार को सूखा राहत उपायों के लिये अब तक 10 करोड़ रुपये की एक राशि आबंटित की गयी है। इसके अतिरिक्त, आपातक कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अधीन विशेष लघु सिंचाई कार्यक्रमों और कृषि आदानों के लिये क्रमशः 17.728 करोड़ रुपये और 7 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। राज्य सरकार से और केन्द्रीय सहायता के लिये कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

गुजरात राज्य में मिट्टी का सर्वेक्षण

5612. श्री सोम चन्द्र सोलंकी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण संस्थान ने गुजरात राज्य के विभिन्न भागों में मिट्टी का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) देश में प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण संस्थान नाम की किसी संस्था द्वारा मृदा का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य किये जाने संबंधी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अधिक उपज देने वाली किस्मों सम्बन्धी कार्यक्रम को क्रियान्वित करना

5613. श्री सोम चन्द्र सोलंकी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक उपज देने वाली किस्मों संबंधी कार्यक्रम को किन राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है ;

(ख) गुजरात राज्य में अब तक कितने अनुसंधान तथा प्रदर्शन कार्यक्रमों को आरम्भ किया गया है; और

(ग) ऐसे अनुसंधान कार्यक्रमों में, राज्यवार कितना धन व्यय किया जाता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अधिक उत्पादनशील किस्मों का कार्यक्रम सब राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ख) अनुसंधान तथा प्रदर्शन के स्वरूप के दो कार्यक्रम हैं । एक चावल का मिनि-कट कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को कृषकों के खेतों में परीक्षण करने के लिये चावल की विभिन्न किस्मों के 2 किलो बीज के थैले दिये जाते हैं । यह कार्यक्रम वर्ष 1972 के दौरान शुरू किया गया था । गुजरात ने खरीफ 1972 के दौरान परीक्षण के लिये 60 किट लिये थे और खरीफ 1973 के दौरान उन्हें 1500 किट दिये जाने हैं । दूसरे कार्यक्रम का नाम राष्ट्रीय प्रदर्शन परीक्षण है । गुजरात में अब तक किये गये परीक्षणों की संख्या नीचे दी गई है :—

परीक्षण वर्ष	एक फसली प्रदर्शन
1965–66	37
1966–67	48

परीक्षण वर्ष	बहु फसली प्रदर्शन
1967–68	27
1968–69	37
1969–70	40
1970–71	40
1971–72	72
1972–73	138 (नियंत किये गये प्रदर्शन)

(ग) मिनि-किट कार्यक्रम का व्यय राज्यवार आधार पर नहीं बांटा जाता । तथापि, 2 किलो० वाले बीजों के प्रत्येक किट की लागत 4.50 रु० है । इसके अतिरिक्त, परिवहन तथा रेल भाड़ा, आदि अन्य व्यय भी है । विभिन्न राज्यों को सप्लाई किये गये किटों की संख्या नीचे दी गई है :—

राज्य	वर्ष 1972 में सप्लाई किये गये किटों की संख्या
आंध्र प्रदेश	5000
असम	4000
बिहार	6000
गुजरात	60
हरियाणा	1500
केरल	2400
मध्य प्रदेश	3000
महाराष्ट्र	3000
मणिपुर	1000
मैसूर	3000
उड़ीसा	3000
पंजाब	6780

1	2
तमिल नाडु	3500
त्रिपुरा	60
उत्तर प्रदेश	7000
पश्चिम बंगाल	3020
राजस्थान	50
गोवा	200
पांडिचेरी	150
	52720

वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान विभिन्न राज्यों को राष्ट्रीय प्रदर्शन परीक्षणों के लिये दी गई धनराशि संबंधी जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

राष्ट्रीय प्रदर्शन परीक्षणों के लिए दी गई धनराशि

क्रम सं०	राज्य का नाम	दी गई धनराशि	
		1971-72 (रु०)	1972-73 (रु०)
1.	आंध्र प्रदेश	1,74,952	3,79,800
2.	असम	1,70,000	86,630
3.	बिहार	2,00,000	4,96,960
4.	गुजरात	1,99,520	2,50,576
5.	हरियाणा	1,04,575	3,30,003
6.	हिमाचल प्रदेश	10,000	—
7.	केरल	1,98,439	1,27,970
8.	मध्य प्रदेश	1,97,700	4,06,620
9.	महाराष्ट्र	4,28,262	4,71,680
10.	मणिपुर	—	1,300
11.	मैसूर	2,59,503	2,19,550
12.	नागालैंड	—	63,100
13.	उड़ीसा	1,82,298	1,83,790
14.	राजस्थान	3,89,900	3,86,747
15.	तमिल नाडु	5,24,000	4,67,895
16.	त्रिपुरा	58,000	9,850
17.	उत्तर प्रदेश	6,84,877	5,78,760
18.	पश्चिम बंगाल	2,15,656	1,34,765
19.	पंजाब	4,18,248	1,20,430

Facility of purchasing lands in Delhi by members of Parliament

5614. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether members of Parliament have been provided any special facility for purchasing land in Delhi;

(b) if so, whether some members of Parliament have been provided land under the said facility; and.

(c) the number and names of the members of Parliament who have been provided land under this facility ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c)	*Sl. No.*	*Names of the Members of Parliament.*
	1.	Shri Arjuna Singh Bhadoria
	2.	Shri K.N. Tewari
	3.	Shri M. D. Narayan
	4.	Shri D. N. Tiwary
	5.	Shri M. Asad Madani
	6.	Shri O. P. Tyagi
	7.	Shri R. K. Poddar
	8.	Shri Swami Ramanand Shastri
	9.	Shri P. L. Barupal
	10.	Shri Arjun Arora
	11.	Shri Parkash Vir Shastri
	12.	Shri Shiv Kumar Shastri
	13.	Shri Bibuti Mishra
	14.	Chowdhury Ram Sewak
	15.	Shri P. C. Mitra
	16.	Shri Shivajirao S. Deshmukh
	17.	Shrimati Savitri Shyam
	18.	Shri R. S. Panjhazari
	19.	Shri Ram Sarup
	20.	Shri Anand Prasad Sharma
	21.	Shri Awdesh Chander Singh
	22.	Shri B. K. Das Chowdhury
	23.	Shri N. K. Shejwalkar
	24.	Shri P. M. Sayeed
	25.	Shri Shankar Narayan Singh Deo
	26.	Shri Balram Dass
	27.	Shrimati Shakuntala Nayar
	28.	Shri Mukhtiar Singh
	29.	Shri Achal Singh
	30.	Shri Ram Kanwar Bairwa
	31.	Shri Narendra Singh Bisht
	32.	Shri Mohan Lal Gautam
	33.	Shri B. C. Pattanayak
	34.	Shri Subodh Chandra Hansda

Value of Books in stock with National Book Trust

5615. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the value of the books in stock with the National Book Trust up to December, 1972;

(b) the effective measures taken by the Trust for their sale; and

(c) the main aim behind setting up the National Book Trust and the extent to which the Trust has achieved those aims ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Approximately Rs. 47.11 lakhs.

(b) The Trust has reorganised its Sales Unit for effecting better sales promotion. It has also appointed Sole Distributors language-wise, who have undertaken to sell the entire edition within five years.

(c) The Trust has been set up with the broad objectives to produce and encourage the production of good books in original or in translation from one Indian language into another and to make these books available at moderate prices and to foster the reading habit.

It is not possible to measure in tangible terms the extent to which these objectives have been achieved. However, the Trust has established itself as one of the biggest publishers in the public sector, having brought out well conceived series in English and the various Indian languages. The Government have also entrusted the National Book Trust with some specific projects, *i. e.*, the Scheme for Subsidised Publication of University Level Books in English, Aadan–Pradan programme and the Nehru Bal Pustakalaya.

To foster book-mindedness the Trust has successfully organised various seminars workshops, regional and National Book exhibitions and recently organised the first world book fair.

Original and translated books published by Hindi Granth Academies

5616. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of original and translated books published by Hindi Granth Academies set up in various States during the last one year, State-wise and the expenditure incurred by each of them; State-wise; and

(b) the amount given by the Central Government so far to each Granth Academy, State-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) and (b) The required information is furnished in the statement below :—

S. No.	Name of the State	Books published during last one year		Expenditure incurred during 1971-72	Amount sanctioned by the Central Government upto 31.3.1973
		Original	Translated		
1	2	3	4	5	6
				(Rs. in lakhs)	
1.	Uttar Pradesh	15	13	6.81	21.00
2.	Haryana	5	6	2.32	12.00
3.	Madhya Pradesh	50	18	13.32	40.00
4.	Rajasthan	8	8	8.33	19.00
5.	Bihar	18	6	6.56	27.00

अमरीकी प्रकाशकों से पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद करने के अधिकार प्राप्त करना

5617. श्री नवल किशोर शर्मा: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने गत तीन वर्षों में विदेशी मुद्रा में अग्रिम धनराशि दे कर अमरीकी प्रकाशकों के पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद करने के अधिकार प्राप्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस करारके अन्तर्गत अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं और प्रकाशकों की विदेशी मुद्रा के रूप में दी गई धन-राशि की तुलना में इन पुस्तकों की बिक्री से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या सरकार को इस में हानि हुई है और इस हानि को पूरा करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) विदेशी पुस्तकों के अनुवाद का कार्यक्रम, 1960 के शुरू में हाथ में लिया गया था जिसमें विश्वविद्यालय स्तर की अमरीकी पुस्तकें भी शमिल है, और समय समय पर अनुवाद के शीर्षक स्वीकृत किये गये थे । विदेशी प्रकाशकों से अनुवाद के अधिकार पाने में बहुत कठिनाई थी क्योंकि वे समझते थे कि ऐसे अधिकार पाने वाली सरकार उनके सामान्य व्यापार मार्गों में बाधा डालेगी । प्रत्येक मामले में रायल्टी की धनराशि बात चीत की शर्त पर निर्भर थी और इसलिये हर मामले में यह धनराशि अलग अलग थी । 1968 में भारत सरकार ने प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें लिखने के लिए इस योजना को विस्तृत करने का निर्णय लिया और प्रतिष्ठित अमरीकी प्रकाशकों के साथ समझौतों की बात चीत हुई जिसके अन्तर्गत संस्करण के आकार प्रकार का लिहाज किए बिना प्रति भाषा के प्रति शीर्षक के लिये 100 डालर की समान दर से सरकार द्वारा अब अनुवाद अधिकार दे दिए गए हैं । बशर्ते कि इसमें आयकर की कटौती भी हो जो 1970–71 और 1971–72 के दौरान 50% थी और 1972–73 में 52.8% थी ।

गत तीन वर्षों—अर्थात, 1970–71 से 1972–73 तक के दौरान, भारत सरकार ने 10,300 डालर के भुगतान पर पूर्णतया शुल्क (लगभग 75,000 रुपये) के रूप में 207 अमरीकी शीर्षकों के लिये हिन्दी भाषा में अनुवाद करने के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं ।

207 शीर्षकों में से जिसके लिये अनुवाद-अधिकार प्राप्त कर लिये गए हैं, गत तीन वर्षों में हिन्दी में 6 अनुवाद प्रकाशित किए जा चुके हैं । इन पुस्तकों की अब तक कुल बिक्री 17,755 रु० की हुई है । शेष शीर्षकों के संबंध में अनुवाद कार्य विभिन्न ग्रंथ-अकादमियों को सौंप दिया गया है और तैयार किया जा रहा है । उम्मीद है कि चौथी योजना के अन्त तक बहुत सी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हो जाएंगी । उनके अनुवाद अधिकारों को प्राप्त करने के लिये पूर्णतया शुल्क के रूप में विदेशी मुद्रा में दी गई धनराशि की तुलना में बिक्री की राशि बहुत अधिक बढ़ जाएगी ।

Central Grants for Development of Hill Areas of Bihar

5618. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Agriculture** be please to state :

(a) whether the Central Government have formulated any special scheme for agricultural development of hill areas in Bihar including areas of Chhota Nagpur; and

(b) if so, the main features thereof and the amount of grants given to the Government of Bihar for the purposes ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) & (b) At present a pilot project for Tribal Development is operating in the Singhbhum district of Chhota Nagpur plateau of Bihar under the Central Sector.

The project with an outlay of Rs 1.5 crores for economic programmes takes care f tribal, agriculture, debt redepation, land restoration, land record and survey, land reclamation, land development, soil conservation measures, control of shifting cultivation, minor irrigation, horticulture development, animal husbandry and fisheries, encouragement of forest based industries and programme for strengthening and development of multi-purpose cooperative

societies etc. for providing credit storage and marketing. The Agency subsidies 50 percent to 75% of the requirements on each programme and the balance of 25% to 50% is expected to be met by the Tribal beneficiaries from other resources.

A sum of Rs. 0.50 crore has also been provided for arterial roads.

So far a total sum of Rs. 43 lakhs has been released to the Agency during the year 1971-72 and 1972-73.

The Planning Commission have also recently received proposals from the State Government amounting to about Rs. 32 crores for the development of Chhota Nagpur Santhal Parganas areas which are under examination.

त्रिपुरा में भुखमरी से हुई मौतें

5619. श्री राम प्रकाश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में भुखमरी से हुई मौतों का समाचार मिला है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) यह मामला राज्य सरकार को भेज दिया गया है और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण

5620. श्री राम प्रकाश : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जिन्होंने हाल ही में अपने मन्जूर शुदा इमारत के नक्शे के आधार पर आंशिक निर्माण के लिये पुराने दरों पर गृह निर्माण ऋण लिया है, अपनी पूरी इमारत बनाने के लिये वर्तमान स्वीकृत सीमा के अन्दर अतिरिक्त ऋण ले सकते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां, बशर्ते कि :–

(i) सरकारी कर्मचारी को इस मंत्रालय द्वारा पहले अनुमोदित किए गए उसके मकान का निर्माण पूरा करने के लिये अग्रिम की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो;

(ii) अग्रिम की बढ़ी हुई राशि निर्माण की लागत या पूर्व निर्मित मकान की लागत या ग्रामीण क्षेत्रों में मकान की कुल लागत के 80% से अधिक न हो;

(iii) अग्रिम की बढ़ी हुई राशि नियमों के नियम 4(ख) के अनुसार निर्धारित सरकारी कर्मचारी की वापस अदायगी की क्षमता के भीतर हो;

(iv) निर्माण के लिये ली गई प्रथम किश्त की तारीख से 18 महीनों की निर्धारित अवधि के बीच मकान का पूरा किया जाना प्रस्तावित हो ।

(ख) वृद्धि की अनुमति, भवन निर्माण सामग्री की लागत तथा मजदूरी में हुई सामान्य वृद्धि के कारण दी गई है ।

राज्यों में ग्राम पंचायतें

5621. श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में, राज्यवार ग्राम पंचायतों की कितनी संख्या है; और

(ख) क्या कृषि मंत्री ने संघराज्य क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के लिये कोई माडल विधेयक तैयार किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) ग्राम पंचायतों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

विवरण

ग्राम पंचायतों की राज्य-वार संख्या

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	ग्राम पंचायतों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	15,906
2. असम	2,602
3. बिहार	10,844
4. गुजरात	12,067
5. हरियाणा	4,950
6. हिमाचल प्रदेश	1,695
7. जम्मू और काश्मीर	1,496
8. केरल	960
9. मध्य प्रदेश	12,815
10. महाराष्ट्र	22,356
11. मणिपुर	224
12. मेघालय	@
13. मैसूर	8,307
14. नागालैंड	@
15. उड़ीसा	3,826
16. पंजाब	9,645
17. राजस्थान	7,361
18. तमिल नाडु	12,651
19. त्रिपुरा	449
20. उत्तर प्रदेश	72,846
21. पश्चिम बंगाल	19,662
केन्द्र शासित क्षेत्र	
22. अन्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	39
23. अरूणाचल प्रदेश	623
24. चण्डीगढ़	18
25. दादरा तथा नगर हवेली	10
26. दिल्ली	195
27. गोवा, दमन तथा दीव	173
28. ल० मी० अ० दीप समूह	@
29. पांडीचेरी	@
30 मिजोराम	@
अखिल भारत	2,21,720

@पंचायती राज प्रणाली नहीं है।

स्वाधीनता के रजत जयन्ती वर्ष के दौरान राष्ट्रीय रंगशाला

5622. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वाधीनता के रजत जयन्ती वर्ष में दिल्ली में एक राष्ट्रीय रंगशाला और प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय रंगशाला मंच बनाने की सरकार की एक योजना है; और

(ख) क्या राष्ट्रीय रंगशाला आंदोलन को गति देने के लिये लेखकों को अपने सुझाव देने के लिये आमंत्रित किया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खेल-कूद कार्यों के लिए दान देने पर करों पर छूट

5623. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का विचार, खेल-कूद कार्यों के लिये दान देने पर करों में छूट देने, और राज्य खेल-कूद विकास कार्यक्रमों के लिये एक कोष बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो कब और इसे किस प्रकार लागू किया जाएगा; और

(ग) क्या अखिल भारतीय फुटबाल संघ और लान-टेनिस की सम्पूर्ण गतिविधियों के बारे में उनके मंत्रालय द्वारा कोई ध्यान दिया जा रहा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) खेल कार्य-कलापों के विकास के लिये कोई कोष स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि संसद में पेश किये गए वित्त विधेयक 1973 में आय कर अधिनियम में ऐसी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जिसमें यह सुनिश्चित होगा कि अनुमोदित खेल संस्थाओं या संघों को दिए गए दानों को धर्मार्थ संस्थाओं को दिए गए दान समझा जाए और ये दान कर रियायत के पात्र हों।

(ख) खेल कूद संस्थाओं और निकायों के लिये प्रस्तावित रियायतें वित्त विधेयक 1973 के अधिनियमित हो जाने के बाद ही लागू की जाएगी ।

(ग) किसी खेल विशेष और खेलों से संबंधित सर्वतोमुखी कार्यकलापों को विकसित करना मुख्यत: खेलकूद संघों का उत्तरदायित्व है और सरकार संघ द्वारा प्रस्तावित किसी सुधार कार्यक्रम के लिये वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार करेगी जो निधि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

दिल्ली-बम्बई राष्ट्रीय राजपथ द्वारा जयपुर को बम्बई से जोड़ने का प्रस्ताव

5624. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर को दिल्ली-बम्बई राष्ट्रीय राजपथ द्वारा बरास्ता सवाई माधोपुर, शिवपुरी और ग्वालियर, बम्बई से जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) जोड़ने संबंधी यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० बी० राना): (क) से (ग) संभवत : माननीय सदस्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 तथा 8 से डौसा और सवाई माधोपुर होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर शिवपुरी तक की सड़क की स्थिति की जानकारी चाहते हैं। यह पहले ही मौजूदा राज्य सड़क है और सुधार यदि आवश्यक हो, तो इसकी जिम्मेदारी मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों की है। परन्तु इस सड़क के साथ साथ सीधे संचार सुविधाओं की वृद्धि में

सहायता देने के लिये, भारत सरकार ने चतुर्थ योजना में सवाई माधोपुर के निकट चम्बल नदी के उपर पुल के निर्माण हेतु 70 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये हैं। यह ऋण राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा बराबरी के आधार पर वहन किया जाना है परंतु राजस्थान राज्य सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग इस कार्य को कर रहा है। उक्त कार्य की निविदायें उसके विचाराधीन हैं और मौजूदा संकेतों के अनुसार इसके शुरू होने के दो वर्ष के बाद पूरा हो जाने की संभावना है। निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर डौसा और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर शिवपुरी के बीच के मिलाने वाली सड़क के भाग के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किये जाने के प्रश्न पर पांचवीं योजना के अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जाएगा।

भारतीय जहाज निर्माण कारखाने के विस्तार के लिए यूगोस्लाविया के साथ करार

5625. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगोस्लाविया के प्रधानमंत्री की हाल की यात्रा के फलस्वरूप, भारतीय जहाज निर्माण कारखाने के विस्तार के लिये भारत और युगोस्लाविया के बीच कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में युगोस्लाविया द्वारा दी जाने वाली सहायता व सहयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्यमान जहाज निर्माण कारखानों का विस्तार किया जाएगा या नए कारखाने लगाए जायेंगे और यदि नए कारखाने लगाए जायेंगे तो कहां पर; और

(घ) इस परियोजना पर अनुमानतः कितना विदेशी व्यय होगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) यूगोस्लाव प्रतिनिधि मण्डल के साथ हुई बैठक में यूगोस्लाव का भारतीय शिपयार्डों के निर्माण और विस्तार तथा अनुपूरक आधार पर अनुषगियों की स्थापना के सहयोग की पेशकश का स्वागत किया गया। जब पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जायेगा तब इस पर पूरी तौर से विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) पांचवीं योजना में और शिपयार्डों और वर्तमान शिपयार्डों की क्षमता को विस्तार करने का प्रश्न विचाराधीन है।

उर्वरक के वितरण हेतु निगम की स्थापना

5626. श्री भागवत झा आजाद : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरक का वितरण करने हेतु एक निगम स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह निगम कब स्थापित किया जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) इस समय उर्वरकों का वितरण करने के लिये कोई अलग संगठन स्थापित करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। तथापि, सरकार की यह नीति है कि उर्वरकों का वितरण जितनी मात्रा में संभव हो सके, सहकारी संस्थाओं, कृषि उद्योग निगमों और अन्य सार्वजनिक एजेन्सियों के जरिये करने के लिये बढ़ावा दिया जाए।

लन्दन में रहने वाले भारतीय कलाकार द्वारा बनाया गया सार्वदेशिक कीबोर्ड

5627. श्री भागवत झा आजाद : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन में रहने वाले एक ग्राफ और टाइप बनाने वाले कलाकार ने ऐसा सार्वदेशिक कीबोर्ड बनाया है जिस पर टाइपिस्ट आसानी और शीघ्रता से एक लिपि के स्थान पर दूसरी लिपि में टाइप कर सकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसका उपयोग विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिये करने के सम्बन्ध में जांच करेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) लन्दन में आस्थानिक एक ग्राफ कलाकार और टाइप डिजाइनकार द्वारा एक यूनिवर्सल की बोर्ड सार्वजम्नाम कुंजी पटल) बनाए जाने के बारे में समाचार पत्रों में हाल ही में एक रिपोर्ट छपी है।

यदि वह डिजाइकार उस टाइपराइटकार के प्रोटोटाइप के साथ सरकार से संपर्क स्थापित करे तो सरकार उसकी उपयोगति के संबंध में जांच कराएगी ।

Colours used in Food-Stuffs

5628. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have published the list of articles generally mixed in large quantities in colours used in the food-stuffs; and

(b) if so, the steps taken by Government to check such malpractices?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku): (a) List of various adulterants found in food articles giving the names of articles containing unpermitted colours, has been drawn up. This, however, has not been published.

(b) Prevention of Food Adulteration Rules 1955 prescribe that coal-tar dyes or their mixtures or any preparation of such colours for use in/upon food shall be sold under a licence. The Central Committee for Food standards has recommended that coal-tar dyes permitted for use in foods be sold compulsorily under I.S.I. certification mark. The recommendation is under consideration.

Loss of human life, cattle and crops due to drought and famine

5629. Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Dhan Shah Pradhan :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the loss of human life, cattle and crops as a result of drought and famine conditions in Maharashtra, Rajastan, Gujarat, Mysore and other parts of the country; and

(b) the emergent and long-term steps taken by Government in this regard and the salient features of the scheme formulated in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No death due to starvation has been reported by any of the State Governments.

Precise figures of loss to food production are not yet available. However, both kharif and Rabi crops are reported to have been affected in a large measure.

Regarding loss of cattle, the matter has been referred to the State Governments to report whether such an assessment is possible.

(b) The measures undertaken to meet the drought situation are :-

(i) Opening of relief works such as minor irrigation, soil conservation, afforestation, percolation tanks, etc. to provide employment to the affected population;

(ii) Providing gratuitous relief and free feeding and free milk distribution programmes;

(iii) Emergency Agricultural Production Programme to increase the production of rabi and summer crops and grant of short-term loans for agricultural inputs;

(iv) Arrangements for maintaining drinking water supply and fodder availability;

(v) Preventive measures against out-break of epidemics; and

(iv) The Development programmes of the Five Year Plans in the Agriculture, Irrigation, Health and allied sectors will minimise the severity of drought in future. In particular, under the Drought Prone Areas programme, which is in operation in several States, 54 districts have been selected and various programmes/schemes are being implemented to make them drought-proof.

मध्य प्रदेश में सूखा

5630. श्री बक्शी नायक :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने कमी वाले क्षेत्रों के भार को कम करने हेतु केन्द्रीय सरकार से विशेष सहायता मांगी है; और

(ख) क्या राज्य सरकार के अनुरोध पर कोई कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहब पी० शिन्दे) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने सूखा सहायता उपायों के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ।

(ख) एक केन्द्रीय अध्ययन दल ने सूखे की स्थिति का स्थल पर जायजा लेने और केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रयोजन के लिये खर्च की उच्चतम सीमा की सिफारिश करने के लिये 21 फरवरी, 1973 को राज्य का दौरा किया था ! दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है । राज्य सरकार को खाद्यान्नों की उचित मात्रायें आवंटित की गई है। आपातिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकार को विशेष लघु सिंचाई कार्यक्रम और कृषि आदानो के लिये क्रमश: 5.810 करोड़ रुपये और 6.00 करोड़ रुपये दिये गए हैं ।

जनवरी-फरवरी, 1973 के लिए महाराष्ट्र को खाद्यान्नों की सप्लाई में कटौती करना

5631. श्री बक्शी नायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जनवरी-फरवरी, 1973 के लिये महाराष्ट्र को खाद्यान्नों की सप्लाई में भारी कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर महाराष्ट्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता और कमी तथा सूखे से प्रभावित अन्य राज्यों की जरूरतों को देखते हुए महाराष्ट्र की खाद्यान्नों की उचित आवश्यकतायें पूरी की गई थी ।

केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम के स्कूल के माध्यम से ली गई मैट्रिक की परीक्षा

5632. श्री के० लकप्पा :

श्री पी० गंगादेव :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल के माध्यम से ली जाने वाली मट्रिककी परीक्षा शुरू हो गई है;

(ख) क्या सैंकड़ों उम्मीदवारों को परीक्षा के लिये समय पर प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हुए थे;

(ग) क्या सभी उम्मीदवारों को उन विषयों पर, जिनके लिये उन्होंने लिखा था, पाठ प्राप्त नहीं हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं। दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार सभी उम्मीदवारों को 2 मार्च, 1973 को शुरू हुई परीक्षा से पहले ही अपने अपने प्रवेश कार्ड प्राप्त हो गए थे।

(ग) जी नहीं। सभी उम्मीदवारों को उनके द्वारा दिए गए पतों पर पाठ भेज दिए गए थे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्रोपण के लिए बीजों का उत्पादन बढ़ाना

5633. श्री आर०वी० स्वामीनाथन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम का विचार वर्ष 1973-74 के दौरान देश के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्रोपण के लिये और नये क्षेत्रों को अधिक उपज वाली किस्मों के अन्तर्गत लाने के लिये बीजों का उत्पदान बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में बीजों का उत्पादन किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के द्वारा 1973-74 में किस सीमा तक बीजों का उत्पादन होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) राष्ट्रीय बीज निगम ने वर्ष 1973-74 के लिये अधिक मात्रा में बीज उपलब्ध करने हेतु रबी 1972-73 के दौरान बीज उत्पादन का एक अतिरिक्त कार्यक्रम प्रारम्भ किया था। सी० एस० एच-1 किस्म का 400 मीटरी टन अतिरिक्त बीज उत्पादन करने के लिये 1973 के ग्रीष्म मौसम में 685 एकड़ क्षेत्र में संकर चरी के विशेष बीजों के उत्पादन का कार्य प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 1973 के खरीफ मौसम के दौरान निगम का निम्नलिखित फसलों के बीजों के उत्पादन का कार्यक्रम प्रारम्भ करने का है :-

	आयोजित क्षेत्र एकड़ों में	उत्पादन क्विंटलों में
धान	5400	58000
चरी	3480	9600
मक्का	3640	24000
बाजरा	6720	10800

राष्ट्रीय बीज निगम के अलावा, बीजों का उत्पादन करने वाली अन्य कई एजेन्सियां भी हैं, जो वर्ष 1973-74 में कृषकों को बीजों की अधिक मात्रा उपलब्ध करने के लिये बीज उत्पादन कार्यक्रम प्रारम्भ कर रही हैं।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के पुनर्गठन का मामला 1964-65 से निलम्बित रहना

5634 श्री भारत सिंह चौहान :

श्री देवेन्द्र सिंह गरचा:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पुनर्गठन का कार्य 1964-65 में प्रारम्भ किया गया था परन्तु उसे पूर्व-निर्धारित योजना के अनुसार आज तक भी पूरा नहीं किया जा सका है ;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति की सिफारिशों के अनुरूप नये सिरे से इसके पुनर्गठन का कार्य इस प्रकार से किया जायेगा जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की देरी न हो; और

(ग) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अभी पुनर्गठन के कार्य को पूरा करने के लिये क्या सावधानी बरती जा रही है और उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन पूर्ण हो चुका है। परन्तु अभी इसके भावी स्तर और संगठनात्मक ढांचे के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए सरकार अब इस संबंध में विचार कर रही है।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति की सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। सरकार द्वारा प्रतिवेदन के संबंध में अन्तिम निर्णय होने के बाद ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन किया जायेगा। यह सुनिश्चित करने के लिये भी अपेक्षित कदम उठाये जायेंगे कि जो भी पुनर्गठन होना है उसे शीघ्र पूरा किया जाए।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बागवानी विभाग में दैनिक मजूरी

5635. श्री भारत सिंह चौहान : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बागवानी विभाग के कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों और क्षेत्र में दैनिक मजूरी पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन में क्या अन्तर है; और

(ख) इस अन्तर के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) उद्यान निदेशालय के कार्यालयों में नैमितिक मजदूर नहीं रखे जाते। तथापि, उद्यान निदेशालय द्वारा मस्टर रोल पर लगाये गये मालियों को दी गई मजदूरी तथा भारत सरकार के कार्यालयों में लगाये गये नैमितिक मजदूरों को दी गई मजदूरी में 80 पैसे प्रति दिन का अन्तर है। पूर्वोक्त को 3.70 रुपये प्रतिदिन तथा अवरोक्त को 4.50 रुपये प्रति दिन दिया जाता है।

(ख) मस्टर रोल पर नियुक्त माली न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 से नियंत्रित होते हैं तथा अधिनियम के अधीन अधिनियम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय द्वारा 19 मई, 1969 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार उन्हें भुगतान किया जाता है। यह अधिसूचना अब भी लागू है तथा इस अधिसूचना के अधीन नियत की गई न्यूनतम मजदूरी का, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, प्रशासकीय आदेशों द्वारा संशोधन नहीं कर सकता। तथापि, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय ने कृषि की अनुसूचित नौकरी में लगे मजदूरों, जिसमें उद्यान कार्य भी शामिल हैं, की न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने का एक प्रस्ताव पहले ही 25 अगस्त 1972 को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड ने दिनांक 5 मार्च, 1973 को हुई अपनी बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया और बोर्ड ने श्रम तथा रोजगार विभाग को अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं, सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, श्रम तथा रोजगार विभाग संशोधित न्यूनतम मजदूरी अधिसूचित करेगा।

एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान में गेहूं लाने-ले-जाने पर रोक की अनुमति

5636. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने राज्य में ही एक स्थान से दूसरे स्थान में गेहूं लाने-ले-जाने पर रोक लगाने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र का क्या निर्णय है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) गेहूं का थोक व्यापार लेने के प्रयोजन के लिये राज्य सरकारों के परामर्श से भारत सरकार द्वारा तैयार की गई योजना की एक बात यह है कि मुख्य

उत्पादक राज्यों में अधिशेष क्षेत्रों की हदबन्दी कर दी जायेगी। बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने अपने अपने राज्यों में गेहूं के संचलन का तदनुसार, विनियमन करने का फैसला किया है।

कमी की स्थिति पर काबू पाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य सहायता के लिए अपील

5637. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने कमी की स्थिति पर काबू पाने के लिये इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य सहायता के लिये अपील की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) कमी की स्थिति पर काबू पाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य सहायता हेतु कोई सामान्य अपील जारी नहीं की गयी है। तथापि, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन के विश्व खाद्य कार्यक्रम से सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिये सहायता मांगने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल के लिए भूमि आयोग का गठन

5638. श्री यमुना प्रसाद मंडल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि-सुधार सम्बन्धी राष्ट्रीय कृषि आयोगों के कार्यकारी दल ने सुझाव दिया है कि पश्चिम बंगाल के लिये स्थायी भूमि आयोग गठित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे आयोग के कृत्य क्या-क्या होंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा गठित भूमि सुधार विषयक कार्यकारी दल ने पश्चिम बंगाल में भूमि आयोग की स्थापना के लिये आयोग को कोई सुझाव नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षा संस्थाएं

5639. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में कितनी शिक्षा संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता मिली और उनके नाम तथा पते क्या हैं;

(ख) इन में से कितनी संस्थाओं पर इस बात का सन्देह है कि वे सहायता को अन्य कार्यों पर लगाती हैं तथा उसका दुरुपयोग करती हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनके नाम और पते क्या हैं; और

(घ) प्रत्येक संस्था में इस प्रकार कितनी धनराशि का दुरुपयोग किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत बजट में रखी गई धनराशि

5640. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में बजट में शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत कितनी धनराशि रखी गई है ;

(ख) 31 जनवरी, 1973 तक वास्तव में कितनी राशि व्यय हुई थी; और

(ग) वर्तमान शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत जो राशि रखी गई है उसमें गत वर्ष की बची हुई राशि कितनी थी ?

शिक्षा और समाज कल्ताण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) शिक्षा मंत्रालय की मांगों के अन्तर्गत 127.07 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक व्यवस्था की गई थी । इसके अतिरिक्त, 5.26 करोड़ रुपये का एक पूरक अनुदान भी स्वीकृत किया गया है ।

(ख) 85.16 करोड़ रुपये ।

(ग) 5.36 करोड़ रुपये ।

हिन्दी और उर्दू के प्रचार पर खर्च की गई धनराशि

5641. श्री एस० एन० मिश्र : क्या शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार पर गत तीन वित्तीय वर्षों में कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) इन्हीं वित्तीय वर्षों में उर्दू के प्रचार पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) हिन्दी और उर्दू के प्रचार पर प्रत्येक राज्य में, वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिये 661.89 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है ।

(ख) उर्दू के विकास और प्रसार के लिये 16.63 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है ।

(ग) विवरण संलगन है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4694/73]**

मंत्रियों को दी गई सुविधाओं का नियतन

5642. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक मंत्री को 31 दिसम्बर, 1972 को कितनी राशि की सुविधायें प्राप्त थीं;

(ख) 31 दिसम्बर, 1971 को इन सुविधाओं का मंत्री-वार कितनी राशि का आबंटन था;

(ग) बिजली तथा टेलीफोन के लिये मंत्री-वार कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(घ) क्या किसी मंत्री के नाम कोई अतिरिक्त बिल या टेलीफोन की राशि चुकाये जाने को बाकी है और यदि हां, तो 31 जनवरी, 1973 को किस-किस मंत्री पर कितनी राशि शेष थी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विदेशों में सामुदायिक विकास और सहकारिता कार्यक्रमों के अध्ययन के लिए विदेशों के दौरे

5643. श्री वीरेन्द्र सिंह राव: क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशों में सामुदायिक विकास और सहकारिता कार्यक्रमों के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिये कितने दौरों की व्यवस्था की गई; और

(ख) इन अध्ययनों के प्रतिवेदनों की मुख्य बातें क्या हैं और उनसे क्या लाभ मिले हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह): (क) कोई भी नहीं।
(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सस्ते मूल्यों पर विज्ञान की पुस्तकों का उत्पादन

5644. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विज्ञान की अच्छी पुस्तकों की कमी है; और

(ख) विज्ञान की पुस्तकों का सस्ते मूल्य पर उत्पादन करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी०पी० यादव): (क) और (ख) सरकार ने अपनी विशिष्ट ऐजेन्सियों के सहयोग से अच्छी कोटि की विज्ञान की पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिये बहुत से कदम उठाये हैं ।

स्कूल स्तर पर, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, विज्ञान में ऐसी आधुनिक पाठ्यपुस्तकों के विकास में सक्रिय रूप से व्यस्त है, जो अद्यतन और चित्रात्मक हैं । अधिकतर राज्यों में और संघ-शासित प्रदेशों में इन पुस्तकों का प्रायोगिक आधार पर प्रयोग किया गया है , और अब कई राज्य इन पुस्तकों को अपने राज्य में व्यापक रूप से लागू करने की प्रक्रिया में हैं ।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव-विज्ञान, गणित और बीजगणित तथा ज्योमिती में अब तक पुस्तकें प्रकाशित की हैं । जिन्हें राज्यों द्वारा या तो अपना लिया गया है अथवा अपनाया जा रहा है । ये पुस्तकें श्रेणी 1 से लेकर श्रेणी 10 तक की हैं तथा उनका मूल्य प्रति पुस्तक 1.10 रुपए से 4.50 रुपए तक के बीच है ।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने "नेहरू बाल पुस्तकालय" में अपनी योजना के अन्तर्गत जिसका उद्देश्य बच्चों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री उपलब्ध करना है, अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में विज्ञान की दो-दो पुस्तकें प्रकाशित की हैं ।

भारत सोवियत रूस पाठ्यपुस्तक कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्वविद्यालयीय स्तर की अंग्रेजी में अच्छी कोटि की विज्ञान की पुस्तकें सस्ते मूल्य पर प्रकाशित की गई हैं । अंग्रेजी भाषा पुस्तक सोसायटी कर्ममाला के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अब तक काफी बड़ी संख्या में पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं । भारत-अमरीका पाठ्य-पुस्तकें कार्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अच्छी कोटि की पुस्तकें कम कीमत पर प्रकाशित की गई हैं ।

सरकार स्वयं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के माध्यम से भारतीय लेखकों द्वारा लिखित विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन में सहायता देने की एक योजना चला रही है । ऐसी सहायता से भारतीय लेखकों द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर लिखी गई पुस्तकों सहित विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के संस्करणों को प्रकाशक कम-मूल्य पर प्रस्तुत कर सके हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारतीय लेखकों द्वारा लिखित विश्वविद्यालयीय स्तर की पुस्तकों के निर्माण की एक योजना चला रहा है, जिसमें विज्ञान सहित विश्वविद्यालय शिक्षा की सभी विधाएं सम्मिलित हैं ।

आशा है कि इन सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वित होने से, देश में अच्छी कोटि की विज्ञान की पुस्तकों की कोई कमी नहीं रहेगी ।

परिवार नियोजन प्रचार कार्यक्रम का प्रभाव

5645. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन प्रचार कार्यक्रम से हुए प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी, हां। परिवार नियोजन प्रचार कार्यक्रम से हुए प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये कई अध्ययन और सर्वेक्षण किये गये हैं।

(ख) इन अध्ययनों के निष्कर्ष से पता चलता है कि यद्यपि देश में परिवार नियोजन के प्रति बड़ी जागरूकता आई है, किन्तु कार्यक्रम के प्रति आई जागरूकता और इसको पात्र दम्पतियों द्वारा अपनायें जाने में बड़ा अन्तर है।

हिमाचल प्रदेश को उठाऊ लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए केन्द्रीय सहायता

5646. श्री पन्नालाल बारूपाल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के बर्फीले पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को निश्चित सिंचाई सुविधाओं के अभाव में प्रति वर्ष भारी नुकसान उठाना पड़ता है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में चालू वर्ष के दौरान उठाऊ सिंचाई योजनायें बनाने और उन्हें लागू करने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है अथवा देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो वे योजनायें किन-किन क्षेत्रों में तथा कितने क्षेत्र में लागू की जायेंगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों को परिवहन एवं विपणन की सुविधायें

5647. श्री पन्नालाल बारूपाल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों को विगत दो तीन वर्षों में दूरस्थ गावों से शिमला, दिल्ली तथा अन्य नगरों तक परिवहन के अपर्याप्त प्रबन्धों (2) जल्दी नष्ट होने वाले इस फल के समय पर और लाभप्रद विपणन को सुनिश्चित करने में राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों की पूर्ण उपेक्षा (3) विपणन विनियमों के पूर्ण अभाव के कारण करोड़ों रुपये की हानि हुई;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भावी सेब मौसम में सीधे अथवा राष्ट्रीय कृषि सहकारी फैडरेशन जैसी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से दिल्ली, बम्बई और अन्य प्रमुख शहरों में विक्रय और शीत भण्डारण की सुविधायें देकर सेब विपणन में योगदान देने का है जिससे कि सेब उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त हो सके; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों को 1971-72 में लगातार भारी वर्षा भू-स्खलन ओलावृष्टि से उत्पन्न परिवहन संबंधी कठिनाइयों के कारण हानि उठानी पड़ी। 1972–73 में हानि मुख्यत: फसल की विफलता के कारण हुई। राज्य तथा केन्द्रीय दोनों सरकारें समस्याओं से परिचित हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सेबों के विपणन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। सरकार तथा निगम ने दिल्ली और बम्बई में प्रशीतनगृह की सुविधायें स्थापित की हैं और दिल्ली तथा बम्बई में थोक की दुकानों के निर्माण का प्रस्ताव है जिसके लिये बम्बई तथा दिल्ली दोनों ही स्थानों पर, 99 वर्ष के लिये पट्टे पर भूमि ले ली गई है।

हालांकि एक कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम मौजूद है फिर भी फल के बाजारों को अभी संगठित और विनियंत्रित किया जाना है।

Agreement for Collaboration and Assistance between Cooperative Institutions of U.S.S.R. and India

5648. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether an agreement for mutual collaboration and assistance has been arrived at between the cooperative institutions of U.S.S.R. and India;

(b) if so, the main features of the said agreement; and

(c) the benefit likely to accrue to India as a result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) No formal agreement as such has been arrived at except that the National Cooperative Consumer Federation Ltd., New Delhi, and the Centrosoyus, an apex organisation of the Consumer Cooperatives in the U.S.S.R., have, in a joint communique recently issued, agreed to develop friendly and business relations with each other.

(b) A copy of the joint communique is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L.T. 4695/73]**

(c) The proposals for collaboration indicated in the joint communique are expected to be beneficial to the consnmer cooperatives in India in the fields of technical know-how and training, as also in the development of trade relations.

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को कार्य सौंपना

5649. श्री रामावतार शास्त्री :

श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को इस प्रकार के कार्य सौंपते हैं जिनमें मामूली सा शैक्षणिक और सचिवालीय काम होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे यह प्रकट होता है कि इस संगठन के साथ मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय जैसा बर्ताव किया जाता है और इस प्रकार इसकी स्वायत्तता कम होती है;

(ग) क्या मंत्रालय अपने शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति करता है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार का कार्य सौंपा जाता है और उनकी शैक्षणिक योग्यता किस प्रकार बनाये रखी जाती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) रा०शै०अ०प्र०प० एक स्वायत्त निकाय है । यह शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के तथा अन्य मंत्रालयों के कर्मचारियों की सेवायें भी विदेश सेवा की शर्तों पर अपने यहां प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त कर सकती है । रा०शै०अ०प्र०प० को एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में नहीं समझा जाता है । शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय का अपना सलाहकार काडर है । यह नीतियों के निर्माण तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता करता है । इस काडर के अधिकारी, बैठकों, कर्मशालाओं, सेमिनारों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेकर शिक्षा के क्षेत्र में घटने वाली राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखते हैं ।

Transhipment of Cargo by Sea between USSR and India

5650. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether transhipment of cargo by sea between Soviet Russia and India is increasing progressively;

(b) if so, the annual transhipment of cargo between the two countries during the last three years; and

(c) the extent to which India has been benefited thereby indicating the nature thereof?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b): It is presumed that the Hon. Member is referring to transportation of cargo and not transhipment as there is direct shipping service between Soviet Ports and India. The volume of cargo carried by Liner Service operated between India and ports in USSR (black sea) during last three years is as follows:—

1970	937,841	Metric	Tonnes
1971	863,351	,,	,,
1972	928,190	,,	,,

It will be seen that the trade was steady at about 900,000 tonnes during last three years. These liftings represent considerable increase over cargo carried during earlier periods (1957—148,080, 1960—255,362 and 1965—790,621 Metric Tonnes)

(c) The service is of mutual benefit for India and U.S.S.R. for the following reasons:

(1) There is regularity of shipping service.

(2) The freight rates are expressed in Indian rupees and no outgo of foreign exchange is involved. The tariff is not subject to any fluctuation consequent on currency changes.

(3) There is relative stability of freight rates.

प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कृषि मजदूर ठेका और निर्माण समिति

5651. श्री भोगेन्द्र झा : क्या कृषि मंत्री प्रत्येक गांव के लिये सहकारी समिति बनाने के कार्यक्रम के बारे में 5 मार्च, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 190 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक पंचायत में कृषि श्रमिक ठेका और निर्माण समिति की स्थापना सुनिश्चित करने और उन्हें प्रोत्साहन तथा सुविधायें देने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं;

(ख) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, कृषि श्रमिक ठेका समितियों और बहुदेशीय सहकारी समितियों के राज्य वार आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या सहकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन समितियों के माध्यम से ऋण देने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) किसानों को सीधे ऋण देने के अलावा, वाणिज्यिक बैंकों ने उन क्षेत्रों में जहां केन्द्रीय सहकारी बैंक कमजोर हैं, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों को वित्त देने की एक नई योजना आरंभ की है ।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों की संख्या	श्रमिक ठेका सोसायटियों की संख्या	बहु-उद्देशीय सहकारी सोसायटियों की संख्या
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	15,040	495	कालम 2 में शामिल है
2. असम	2,968	23	,,
3. बिहार	17,171	197	,,
4. गुजरात	8,438	356	,,
5. हरियाणा	6,166	312	,,
6. हिमाचल प्रदेश	2,547	32	,,
7. जम्मू तथा काश्मीर	1,104	5	,,
8. केरल	2,134	57	,,
9. मध्य प्रदेश	9,884	114	,,
10. महाराष्ट्र	20,014	1060	,,
11. मणिपुर	—	—	
12. मैसूर	8,675	138	,,
13. नागालैंड	16	—	,,
14. उड़ीसा	3,759	270	,,
15. पंजाब	10,274	530	,,
16. राजस्थान	7,808	763	,,
17. तमिल नाडु	6,058	120	,,
18. त्रिपुरा	—	4	,,
19. उत्तर प्रदेश	25,922	287	,,
20. पश्चिम बंगाल	11,329	113	,,
21. केन्द्र शासित क्षेत्र	1,473	64	,,
योग	160,780	4940	

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशों को भेजे गये कलाकार

5652. श्री भागीरथ भंवर : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत दो वर्षों में विभिन्न देशों में कितने कलाकार भेजे गये थे; और

(ख) कलाकारों के नाम क्या हैं और उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया और उन पर कितना व्यय हुआ ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) :(क) 1971–72

अभिनय करने वाले कलाकार	--	कुछ नहीं
अभिनय न करने वाले कलाकार	--	9
1972–73		
अभिनय करने वाले कलाकार	--	44
अभिनय न करने वाले कलाकार	--	8
	कुल	61

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4696/73]**

इंडिया आफिस लाइब्रेरी, लंदन का स्थानान्तरण

5654. श्री पी० गंगादेव :

श्री एस० सी० सामन्त :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लन्दन स्थित इण्डिया आफिस लायब्रेरी के दिल्ली को स्थानान्तरण में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इसके स्थानान्तरण के रास्ते में क्या रुकावटें हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी०पी० यादव):(क) और (ख) मध्यस्थता के लिय यू०के० सरकार से प्राप्त करार के प्रारूप पर अभी विचार किया जा रहा है ।

दक्षिण अंदमान में इमारती लकड़ी के वृक्षों के अवैध रूप से जलाये जाने के विरूध अभ्यावेदन

5655. श्री आर० वी०बड़े : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अन्दमान के सभी प्रधानों ने दक्षिण अन्दमान डिवीजन में 300 एकड़ क्षेत्र में इमारती लकड़ी के वृक्ष के वृक्ष अवैध रूप से जलाये जाने के विरुध मुख्य आयुक्त को दो बार रिपोर्ट दी थी ;

(ख) वन विभाग ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या इस कांड में दक्षिण अन्दमान के वन विभाग अधिकारी भी शामिल हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) अंदमान प्रशासन ने सूचित किया है कि इस बात में कोई सचाई नहीं है कि दक्षिण अंदमान के सभी प्रधानों ने दक्षिण अंदमान प्रभाग में 300 एकड़ क्षेत्र में इमारती लकड़ी के वृक्ष अवैध रूप से जलाए जाने के विरुद्ध मुख्य आयुक्त को दो बार रिपोर्ट दी थी । लेकिन गराचराना की पंचायत के प्रधान ने मार्च, 1972 में एक शिकायत लिखित रूप में भेजी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि दक्षिण अंदमान प्रधाग के कालीकट गांव में 100 एकड़ वन क्षेत्र जला कर साफ कर दिया गया है और इस कार्य में वन विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी शामिल हैं ।

(ख) तथा (ग) शिकायत करने वालेर को साथ लेक संबंधित वन क्षेत्रों की जांच करने और मामले में पूछताछ करने के बाद पता चला कि काटे गए वन क्षेत्रों के बारे में वन विभाग के कर्मचारी पहले ही इन अपराधों के बारे में आप रिपोर्ट दर्ज करा चुके थे और पंचायत प्रधान गराचराना वन विभाग के कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर लगाए गये आरोपों को सही सिद्ध नहीं कर सके । अतः मामले को समाप्त कर दिया गया ।

Scheme for Loans to Farmers during fifth Five Year Plan

5656. Shri Jagannathrao Joshi : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a scheme for providing loans to farmers to the tune of Rs. 3,000 crores during the fifth Five Year Plan has been formulated; and

(b) if so, the main features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) :
(a) No Sir.
(b) Does not arise.

दिल्ली में कृषि संग्रहालय की स्थापना

5657. श्री एम०एम० जोसफ :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में कोई कृषि संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या ऐसे संग्रहालयों की स्थापना सभी राज्यों की राजधानियों में किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव कृषि मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) दिल्ली में कृषि संग्रहालय की स्थापना के लिये उपयुक्त स्थान का पता लगाया जा रहा है ।

Central Loan for Dairy Project in Madhya Pradesh

5658. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Central Government have agreed to provide assistance for dairy projects in Madhya Pradesh during the current year;

(b) if so, the total amount of loan to be given; and

(c) The number of dairy projects to be undertaken in the State?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof Sher Singh) : (a) Yes Sir.

(b) Since 1969-70, Central assistance is channelized to all State Governments in block loans and grants and is not related to any individual programme or Sector. Therefore, the total amount of Central loan to be given to the Government of Madhya Pradesh will be dependent upon the expenditure incurred on dairy schemes.

(c) During the year 1972-73, the total number of dairy projects proposed to be undertaken in the State is as follows:—

(a) New Milk Supply Scheme	2
(b) Expansion of Milk Scheme	1
(c) Rural Dairy Centres ..	6
Total	9

Funds to Madhya Pradesh for Supply of Drinking Water in Rural Areas

5659. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the Central Government had given any funds to Madhya Pradesh during the last year for supply of water to rural areas and if so, the number and names of schemes for which the funds were given, Scheme-wise;

(b) the names of schemes submitted by the Government of Madhya Pradesh in regard to supply of water in Hoshangabad and East Nimad Districts and the amount sought for each of these schemes and the names of those schemes, out of them, sanctioned by the Government as also the amount given for them; and

(c) the number of villages in Madhya Pradesh where drinking water facilities are not available ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) (a) Presumably the question pertains to Accelerated Rural Water Supply Programme initiated from 1972-73 underwhich grant-in-aid assistance to the extent of 100% is being given by the Central Government to the State Government for Rural Water Supply Schemes. Under this Programme a grant-in-aid amounting to Rs. 111.00 lakhs has been released to the Government of Madhya Pradesh during 1972-73. A statement giving the particulars of approved schemes is annexed.

(b) Under this programme the State Government have not recommended any scheme pertaining to Hoshangabad District. The following two Rural Water Supply Schemes for East Nimad District were recommended by the State Government:—

Name of the scheme	Estimated cost
1. Ramjipura Village Water Supply Scheme.	Rs. 25,000.00
2. Dhawani Thekha Village Water Supply Scheme.	Rs. 25,000.00

Both these schemes have been approved for being financed Under the Accelerated Rural Water Supply Programme.

(c) According to information furnished by the State Government, there were about 4,000 such problem villages in the beginning of 1972-73.

STATEMENT

List of Sanctioned Schemes under Central Schemes for Acceleration of Rural Water Supply in the Year 1972-73 for the State of Madhya Pradesh.

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Name of the Scheme	Estimated cost	Remarks
1	2	3	4
1.	Provision of drilled tubewells 633 Nos. in problem villages (441 Nos. spread over 44 tribal and backward Tehsils in 15 Districts of the State (population of each village is less than 500).	63.30	

1	2	3	4
2.	Provision of water supply by Pump and Tank scheme in 180 villages with population between 501 to 1000 in Tehsils as indicated at Sl. No. 1 above.	45.00	
3.	Provision of water supply in 90 villages with population between 1001 to 2000 by piped water supply and stand posts in areas mentioned at S. No. 1 above.	36.00	
4.	Provision of piped water supply in 20 bigger villages with the population exceeding 2000 in Tehsils as indicated at S. No. 1 above.	40.00	
5.	Provision of water supply arrangement in problem villages in non-tribal areas of the State, pump and tank scheme (with population between 501 to 1000) for 150 villages.	37.50	
6.	Provision of water supply arrangements in problem villages in non-tribal areas of the State. Piped water supply scheme with stand posts (with population 1001 to 2001) for 45 villages.	18.00	
7.	Provision of water supply arrangement in problem villages in non-tribal areas of the State. Piped Water Supply in 25 bigger villages with a population of more than 2,000.	50.00	
8.	Provision of drinking water supply arrangement in the 50 villages covered under special applied nutrition Programme in the Districts of Shahdol, Sarguja, Satna, Rewa, Jhabua, Raigarh, Sidhi & Dhar.	15.00	
	Grand Total	304.80	

Supply of Fertilizer produced in Madhya Pradesh to other States

5660. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to supply fertilizers produced in fertilizer companies in Madhya Pradesh State to other States;

(b) the total production of fertilizers in Madhya Pradesh State;

(c) the percentage to fertilizers to be sent to other states;

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) According to the coordinated supply Plans drawn up at the Zonal Conferences on Fertilizers held recently with the various State Governments and the fertilizer manufacturers, the production of nitrogenous and phosphatic fertilisers from the Fertilizer companies located in Madhya Pradesh, viz., M/S Dharamsi Morarji Chemical Co., Kumhari, and M/s Hindustan, Steel Ltd., Bhilai, for the period February to July, 1973 will be distributed in the States of Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Orissa and Maharashtra.

(b) The production of nitrogenous (N) and phosphatic (P) fertilizers in Madhya Pradesh State during 1972-73 upto the end of February, 1973 is as follows:

	N.	P.
D.M.C.C. (Kumhari)	—	9,086
H.S.L. (Bhilai)	5,404 tonnes	—

5/Lok Sabha/73—14

(c) The percentage of the production during February-July, 1973 of the above two units located in Madhya Pradesh and which will be distributed in Madhya Pradesh itself will be 81%; the balance of 19% will be distributed in the other States mentioned above in the proportion of 11% for Andhra Pradesh, 6% for Orissa and 2% for Maharashtra. In its turn, Madhya Pradesh will receive a substantial part of its requirements from fertilizer factories located in other states, viz., Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, Orissa Rajasthan and Goa.

Shortage of Audio-visual Material

5661. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether accute shortage of audio-visual material and implements is being felt as a result of which extension programme has been retarted; and

(b) if so, the steps being taken at Government level to make available the said material and priority basis.

The Minister of Agriculture (Shri F. A. Ahmed) : (a) Acute shortage of audio-visual equipments as such has not been felt by the field functionaries in implementing the agricultural extension programmes. There have been problems of supply of spare parts and the facilities for maintaining such equipments are rather not always readily available for their optimum utilisation.

(b) The Central Farm Information Unit of the Directorate of Extension in the Ministry of Agriculture has been regularly produing and widely distributing audio visual materials, like film, film strips, slides, posters, teaching charts, flip books, flash cards, photographs blocks and portable exhibits to the various field agencies throughout the country. The State Agricultural Information Units and other agencies on their own are also producing similar materials under the guidance of the Farm Information Unit at the Centre.

This Ministry has also been cooperating with the Ministry of Information and Broadcasting in disseminating agricultural technical know how through the Farm and Home Units of the All India Radio.

With the initiation of the Farmers Training Programme in the country, the work on supply of audio-visual materials to the Farmers Training Centres have been intencified. Under an agreement with the UNDP the Government of India has imported machineries for production of such material and have provided the State Agricultural Information Units and the Farmers training Centres with such equipment so that they can produce more of audio-visual materials and use them in farmers training. The Central Information Unit has also stepped up the production of audio visual aids and are supplying them to the States.

The Central Unit is also periodically organising workshops and seminar in the production and use of such visual-aids in the States and regularly supplying spare parts for maintenance of the equipment.

गन्ना उत्पादकों को देय बकाया राशियां

5662. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में गन्ना उत्पादकों को देय राशियों का कुल कितना बकाया है;

(ख) वर्ष 1972 के दौरान कितनी राशि की अदायगियां की गईं; और

(ग) चीनी मिल मालिकों से इस राशि को वसूल करने के लिये आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) और (ख) 1972–73 मौसम के दौरान 28–2–73 तक खरीदे गये गन्ने का देय मूल्य और भुगतान किया गया मूल्य और 28–2–73 को पिछले मौसमों के गन्ने के मूल्य के बकायों की राज्यवार स्थिति बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 4697/73]**

(ग) केन्द्रीय अधिनियम में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसके अधीन सरकार कारखानों से गन्ने के मूल्य के बकायों की वसूली करने के लिये आदेश दे सके। तथापि, राजस्व के बकायों के रूप में गन्ने के मूल्य के बकायों को वसूल करने के लिये उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे प्रमुख रूप से चीनी का उत्पादन करने वाले कुछ राज्य सरकारों को ऐसे अधिकार प्राप्त हैं।

उपर्युक्त संदर्भ में, राज्य सरकारों को समय-समय पर कहा गया है कि वे 14 दिन की निर्धारित अवधि के अन्दर कारखानों से गन्ने के मूल्य के बकायों का भुगतान करवाने की व्यवस्था करें और गन्ने के मूल्य का शीघ्र भुगतान कराने के लिये चूककर्ता कारखानों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करें जिनमें चलान करना भी शामिल है। जिन राज्य सरकारों के कानून में भू-राजस्व के रूप में गन्ने के मूल्यों के बकायों को वसूल करने की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है उनसे भी यह कहा गया है कि वे भी चूककर्ता कारखानों के विरुद्ध कारगर पग उठाने के लिये अपने यहां भी ऐसी व्यवस्था करने की दिशा में विचार करें। मैसूर, तमिलनाडु, पांडिचेरी और महाराष्ट्र की सरकारों ने सूचित किया है कि वे इस सुझाव पर विचार कर रहे हैं।

इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर भारत के रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को यह अनुदेश जारी किए हैं कि वे चीनी के स्टाक के प्रति दिए जाने वाले ऋण का एक भाग गन्ने के मूल्य का भुगतान करने के लिये अलग रखें। नई कार्यविधि से गन्ने के मूल्य के बकायों में पर्याप्त कमी हुई है।

के-8 के हानोयाम क्रालर ट्रैक्टरों का आयात तथा निर्माण

5663. श्री एस०एम० बनर्जी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे यक :

(क) राजस्थान कृषि-उद्योग निगम द्वारा कितने के-8 क्रालर ट्रैक्टरों का आयात किया गया है ;

(ख) क्या इन ट्रैक्टरों की कार्यकुशलता अत्यधिक संतोषजनक रही है;

(ग) इन से किन क्षेत्रों में काम लिया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो कृषि मंत्रालय द्वारा संभाव्य निर्माताओं, मैसर्स जैसफ एण्ड कम्पनी को सरकारी क्षेत्र में इन मशीनों के निर्माण के लिये न कहे जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) तीस।

(ख) प्रत्येक मशीन लगभग 100 घंटे चल चुकी है और इनका काम संतोषजनक रहा है।

(ग) ये ट्रैक्टर राजस्थान में राजस्थान नहर क्षेत्र, चम्बल कमांड क्षेत्र, अजमेर तथा भरतपुर क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश के पंतनगर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।

(घ) मैसर्स जैसफ एण्ड कम्पनी, कलकत्ता को प्रति वर्ष के-5 तथा के-7 माडल के 400 क्रालर ट्रैक्टर बनाने के लिये औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार को उनके निर्माण कार्यक्रम की 400 ट्रैक्टरों की लाइसेंसयुक्त क्षमता के अंदर के-8 माडल के ट्रैक्टरों का निर्माण शामिल करने के लिये भी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

गुजरात और महाराष्ट्र में सहकारी समितियों द्वारा सीधे तम्बाकू खरीदन की योजना

5664. श्री प्रभुदास पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और महाराष्ट्र में उत्पादकों से सीधे तम्बाकू खरीदने हेतु धन देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ सरकार ने इन राज्यों में सहकारी समितियों की श्रृंखला स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है ;

(ग) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय के कब तक लिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वरिष्ठ विज्ञान प्रतिभा अनुसन्धान पुरस्कृत व्यक्तियों की छात्रवृतियों की धनराशि में अन्तर

5665. श्री ई०वी० विखे पाटिल : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा वरिष्ठ विज्ञान प्रतिभा अनुसंधान पुरस्कृत व्यक्तियों को छात्रवृत्तियों की राशि में अन्तर तथा ट्यूशन शुल्क की वापसी के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) और (ख) जी हां । कुछ अभ्यावेदनों में कुछ असमानताओं का उल्लेख किया गया था । ये अभ्यावेदन समय समय पर छात्रवृत्ति की राशियों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप हुई वृद्धि के कारण नये उम्मीदवारों को दी गई छात्रवृत्तियों के मुकाबले में पुराने उम्मीदवारों द्वारा छात्रवृत्ति की कम राशि प्राप्त होने के संबंध में थे । राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की संबंधित समितियों के मामले की जांच कर रही हैं । अंतिम निर्णय होते ही, अभ्यावेदकों को सूचित कर दिया जाएगा ।

केन्द्रीय विद्यालयों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों का दाखिला

5666. श्री ई०वी० विखे पाटिल: : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में केन्द्रीय सरकार के केवल उन्हीं कर्मचारियों के बच्चों को दाखिला दिया जाता है, जिनका तबादला होता रहता है;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के उन बच्चों को भी उनमें दाखिला देने के प्रश्न पर विचार किया है जिनका तबादला नहीं होता है ताकि लोगों के एक बड़े भाग की शिक्षा में अधिक समानता लाई जा सके ;

(ग) क्या सरकार का विचार कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली जैसे महानगरों में केन्द्रीय विद्यालय पद्धति का विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा कार्मिकों सहित स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है । सुरक्षा तथा केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों की मांग पूरी करने के बाद यदि रिक्त स्थान उपलब्ध हों तो अन्य अस्थानांतरणीय सरकारी कर्मचारी भी इन स्कूलों में दाखिला पाने के पात्र हैं । इस योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, दाखिले के लिए निम्नलिखित प्राथमिकतायें निर्धारित की गई हैं :—

(1) सीमा सुरक्षा दल के बर्दी वाले कार्मिकों सहित स्थानांतरणीय सुरक्षा कार्मिकों के बच्चे ;

(2) स्थानांतरणीय केन्द्रीम सरकार के कर्मचारियों के बच्चे;

(3) अखिल भारतीय सेवाओं/स्वायत्त संगठनों/परियोजनाओं/सरकारी प्रतिष्ठानों/निगमों आदि के उन के अधिकारियों के बच्चे; जिनकी सेवायें स्थानांतरणीय हैं।

(4) अस्थानांतरणीय सुरक्षा कार्मिकों तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चे।

(5) अन्य यायावर जनता।

(ग) जी, हां। निधियां तथा सुविधायें उपलब्ध होने पर।

(घ) आगामी शैक्षणिक सत्र में बम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली में एक-एक और केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है।

नई दिल्ली में कृषि अनुसंधान तथा विकास पर हुई गोष्ठी

5667. श्री ई० बी० विखे पाटिल :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में ही नई दिल्ली में कृषि अनुसंधान तथा विकास पर हुई गोष्ठी के क्या मुख्य निष्कर्ष निकले ;

(ख) क्या असिंचित भूमि (ड्राईलैंड) फार्म टैक्नालोजी के तेजी से विकास तथा सुधार के लिए कोई सुझाव दिए गए थे ;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है अथवा बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) कृषि अनुसंधान तथा विकास संबंधी राष्ट्रीय गोष्ठी की मुख्य सिफारिशों के संबंध में एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4698/73]**

(ख) जी हां। 'सूखा तथा अनिश्चित मौसम के लिये योजना की तैयारी' के व्यापक शीर्षक के अन्तर्गत सात मुख्य सिफारिशें की गई हैं जो उपरोक्त (क) के उत्तर में उल्लिखित संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय गोष्ठी की मुख्य सिफारिशों पर आवश्यक कदम उठाने के विषय में विचार किया जा रहा है, किन्तु इस संबंध में अभी तक कोई विशेष योजना तैयार नहीं की गई है। बारानी खेती के क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास संबंधी योजनायें पहले ही चालू हैं।

(घ) इस समय प्रश्न ही नहीं होता।

गौ-रक्षा समिति के सदस्य और उस पर व्यय

5668. श्री ई० बी० विखे पाटिल: : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में गठित गौ-रक्षा समिति के गठन से लेकर आज तक इसके कौन-कौन सदस्य रहे हैं और इस पर कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) गोरक्षा समिति की वर्तमान संरचना को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। वर्ष 1967 से अब तक समिति पर हुए व्यय के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) अभी नहीं।

(ग) गौरक्षा समिति की स्थापना मूल रूप से 1967 में की गई थी। अगस्त, 1968 से अप्रैल 1972 तक इसके कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई, क्योंकि सर्वदलीय गौरक्षा महाभियान समिति के 3 सदस्यों ने समिति की बैठकों में भाग लेना बन्द कर दिया था। महाभियान समिति के 3 सदस्यों की जगह गौरक्षा के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले

3 अन्य सदस्यों को लेकर अप्रैल, 1972 में इस समिति का पुनर्गठन किया गया था। समिति के अध्यक्ष श्री ए० के० सरकार ने स्वास्थ्य ठीक न होने तथा अन्य कार्य की अधिकता के कारण समिति से त्याग-पत्र दे दिया था। 1 मार्च, 1973 के एक प्रस्ताव द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश श्री जी०के० मित्तर को पुनर्गठित समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आशा है कि अब समिति अपना कार्य करने लगेगी।

30–9–1973 तक समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

विवरण

1. श्री जी० के० मित्तर, सर्वोच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश	अध्यक्ष
2. श्री प्रकाश चन्द्र सेठी, मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश या उनके द्वारा नामजद एक मन्त्री	सदस्य
3. श्री कमलापति त्रिपाठी, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश या उनक द्वारा नामजद एक मंत्री	,,
4. श्री एम० करुणानिधि, मुख्य मंत्री, तमलिनाडु या उनके द्वारा नामजद एक मंत्री	,,
5. श्री सिद्धार्थ शंकर राय, मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल या उनके द्वारा नामजद एक मंत्री।	,,
6. श्री गोस्वामी गिरधारी लाल, प्रधान मंत्री, सनातन प्रतिनिधि सभा, पंजाब, भूपेन्द्र भवन, पहाड़गंज, नई दिल्ली।	,,
7. स्वामी योगश्वर विदेही हरिजी महाराज, द्वारा भारत गोसेवक समाज, 3–सदर थाना रोड, दिल्ली	,,
8. श्री अक्षय कुमार जैन, सम्पादक, नव भारत टाइम्स, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली	,,
9. डा० धर्म नारायण अध्यक्ष, कृषि मूल्य आयोग, नई दिल्ली	,,
10. डा० सी० कृष्ण राव, पशु-पालन आयुक्त, कृषि विभाग, नई दिल्ली	,,
11. डा० एच० ए० बी० पड़पिया, निदेशक, केन्द्रीय खाद्य तकनौलोजिकल अनुसन्धान संस्थान, मैसूर (अब त्यागपत्र दे दिया है)	,,
12. डा० वी० कुरियन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय डैरी विकास बोर्ड, आनन्द (गुजरात)	,,

Wheat supplied at fair price shops in Bihar contained Particles of Iron

5669. Dr. Laxmi Narayan Pandeya :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether an enquiry made of some Government stores of wheat and fair price shops in Bihar in February-March last, it was found that the wheat contained particles of iron ; and

(b) if so, the findings thereof and the action taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir. On an enquiry made through Food Corporation of India, it was found that 13,500 bags of wheat in the godowns of F.C.I. and State Government of Bihar, received from Doraha (Punjab) contained very fine iron filings which could be detected only with the help of a powerful magnet. It is suspected that these filings are the result of wear and tear of certain harvesting and threshing gadgets, which got mixed up in wheat.

(b) Issue of this wheat to Fair Price Shops was immediately suspended and it is proposed to issue this wheat to Roller Flour Mills where arrangements for magnetic separation of iron filing/particles exist.

Stoppage of unauthorised construction of Houses in Delhi

5670. **Dr. Laxmi Narayan Pandeya :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the number of persons living in houses constructed on land occupied unauthorisedly in Delhi is more than 20 lakhs ; and

(b) the steps taken or being taken by the Government to stop unauthorised construction of houses ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) No detailed survey has been carried out to determine the extent of people living in such houses.

(b) Action against unauthorised construction is taken by the Municipal Corporation of Delhi and the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of the Delhi Municipal Corporation Act and the Delhi Development Act, respectively.

Punishment for supplying Adulterated food Articles by food Corporation

5671. **Dr. Laxmi Narayan Pandeya :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether any shopkeeper in Delhi found selling adulterated food articles, is challaned or punished under the provisions of Law ;

(b) if so, the number of officers punished for supplying adulterated food stuffs by the Food Corporation for sales ; and

(c) if no punishment has been awarded to them the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) Yes.

(b) and (c) As far as information is available, no officer of the Food Corporation has been punished under the provisions of the prevention of Food Adulteration Act, as no case of adulterated Food Stuffs supplied by the Corporation in Delhi has come to notice.

मैसूर और अन्य राज्यों के लिए चावल का नियत मूल्य

5672. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य के लिये चावल का मूल्य 54 रुपये प्रति क्विंटल नियत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में व्यापार के सरकारीकरण के समय अन्य राज्यों के लिये क्या मूल्य नियत किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) चावल का थोक व्यापार 1973–74 के खरीफ मौसम से लिया जा रहा है। उस मौसम के लिये मूल्यों का निर्धारण अधिप्राप्ति मौसम के प्रारम्भ होने पर किया जाएगा।

उचित मूल्य की दुकानों से मुर्गियों के खाने का विक्रय

5673. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुर्गियों के खाने की उच्च कीमत और अण्डों के अधिक मूल्य पर उसके प्रभाव का पता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस की बिक्री का प्रबंध उचित मूल्य की दुकानों से करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, किन्तु स्थिति को सुगम बनाने की दृष्टि से भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(i) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों को पशु-आहार के लिये राज्य के पशु-पालन विभागों को उपलब्ध करने के लिये निदेश जारी किये गये हैं।

(ii) मूंगफली की खली के निर्यात पर राष्ट्रीय आधार पर सीमा निर्धारित करके प्रतिबंध लगा दिया गया है और ऐसे निर्यात पर दिए जाने वाले सामान्य नकदी प्रोत्साहन समाप्त कर दिये गये हैं।

(iii) पंजाब तथा हरियाणा, आदि कुछ राज्य सरकारों न आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत चावल की भूसी (वितरण) नियंत्रण आदेश जारी किए हैं, जिसके अन्तर्गत कुक्कुट-आहार विनिर्माताओं/कुक्कुट-पालकों को चावल की भूसी की विशिष्ट मात्रायें आबंटित की जा रही हैं।

(iv) राज्य पशु-पालन विभागों को सलाह दी गई है कि वे कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों को बड़ी मात्रा में उपयोग करने के लिये सम्भाव्यताओं का पता लगायें।

Completion of inter-State Bridges to link Rajasthan and Madhya Pradesh

5674. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1804 on 5th March, 1973 and state :

(a) whether separate proposals have been received from the State Governments to connect Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh by constructing brid es over the Chambal river;

(b) if so, the number of bridges proposed to be constructed over the Chambal river and the places where these bridges would be constructed; and

(c) the share of expenditure to be incurred thereon by the Central and State Governments separately ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana) : (a) to (c) Proposals received from U.P. Government for financial assistance under the Central Aid Programme of State Roads of inter-State or Economic Importance in the 5th Plan include , *inter alia*, a proposal for the construction of a bridge over the Chambal river near Pinhat on the Pinhat-Ambah road connecting U.P. with Madhya Pradesh at an estimated cost of Rs. 250 lakhs. In addition, recommendations made by the working group on Roads constituted by the Ministry of Home Affairs to suggest measures for eradicating the dacoits'

menace in Madhya Pradesh, Rajasthan and U.P. include, *inter alia*, a proposal for the construction of a bridge over the river Chambal near Mandrail on Karauli-Mandrail-Sabalgarh road linking Rajasthan with Madhya Pradesh. This bridge is estimated to cost Rs. 65 lakhs. Both these proposals will have to be considered along with other schemes for the 5th Five Year Plan. Since, however, the 5th Plan is at present in a preparatory stage, it is too early to indicate the share of expenditure, if any, which could be met by the Central Government in the Fifth Plan.

पंजाब वक्फ बोर्ड की नई दिल्ली में 19 अगस्त, 1972 को हुई बैठक में इसके विभाजन का निर्णय

5675. श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब वक्फ बोर्ड को दो भागों अथवा तीन भागों में बांटने के प्रश्न पर विचार करने के लिये 19 अगस्त, 1972 को नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने उक्त बैठक में भाग लिया और उनमें से, जिला-वार कितने व्यक्ति पंजाब और हरियाणा के थे;

(ग) क्या वर्तमान बोर्ड को तत्काल समाप्त करने और एक नए बोर्ड का गठन करने अथवा प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय किया गया था; और

(घ) क्या कार्यवाही वृत्तान्त के इस भाग को कार्यान्वित कर लिया गया है ?

कृषि मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी हां । पंजाब वक्फ बोर्ड के भावी स्वरूप के प्रश्न पर विचार करने के लिये 19 अगस्त, 1972 को केन्द्रीय वक्फ बोर्ड के तत्वावधान में एक बैठक बुलाई गई थी ।

(ख) इस बैठक में संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों के अलावा जिन 49 व्यक्तियों को आमन्त्रित किया गया था, वे इसमें उपस्थित हुए । इन 49 व्यक्तियों में से 10 पंजाब के और 26 हरियाणा के थे, इनके जिला-वार आंकड़े विवरण में दिये गये हैं ।

(ग) इस बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया था कि जब तक वक्फ जांच समिति द्वारा पूरे मामले की जांच नहीं कर ली जाती, केन्द्रीय सरकार से वर्तमान वक्फ बोर्ड के बजाये एक नए बोर्ड (संयुक्त बोर्ड) के गठन की शीघ्र घोषणा करने का अनुरोध किया जाए ।

(घ) यह मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

विवरण

पंजाब राज्य

संगरूर	7
पटियाला	1
जालंधर	1
लुधियाना	1

हरियाणा राज्य

गुड़गांव	22,
अम्बाला	4

5/Lok Sabha/73-15.

स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया की ग्रम्बाला शाखा से पंजाब वक्फ बोर्ड के लेखों का हस्तान्तरण

5676. श्री तेजासिंह स्वतन्त्र : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया की ग्रम्बाला शाखा से पंजाब वक्फ बोर्ड के सावधि जमा खातों में से काफी धनराशि राज्य से बाहर के ग्रन्य बैंकों में हस्तान्तरित कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन बैंकों को कितनी-कितनी राशि, किस तिथि को हस्तान्तरित की गई थी;

(ग) किसके ग्रादेशों ग्रौर निदेशों परयह धनराशि हस्तान्तरित की गई थी ग्रौर क्या इस राशि का इस प्रकार हस्तान्तर ग्रनियमित ग्रौर ग्रनुचित नहीं है; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मन्त्री (श्री फखरुद्दीन ग्रली ग्रहमद) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न तारीखों में इंडियन बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली में 9,62,833.32 रुपये की कुल राशि जमा की गई थी, जैसाकि विवरण में दिया गया है ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है ग्रौर प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) इस समय प्रश्न ही नहीं होता ।

विवरण

इण्डियन बैंक

एफ० डी० नं०	तिथि	राशि
सी०/ग्रो० 61235 65/एफ० डी०	16–7–69	100000.00
सी०/ग्रो० 87041 68/एफ० डी०	30–3–70	100000.00
087196	13–6–70	200000.00
सी० 172691	16–7–70	105500.00
218203	16–11–70	355000.00
218122	27–10–70	115000.00
218070	23–9–70	7333.32
127490	19–2–72	100000.00
		9,62,833.32

पंजाब वक्फ बोर्ड के कार्यकरण ग्रादि के बारे में शिकायतें

5677. श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब वक्फ बोर्ड के कार्यकरण ग्रौर उसके चेयरमैन, सदस्यों ग्रौर ग्रधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार ग्रौर कार्यकुशलता के बारे में सरकार को शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या कभी इन ग्रारोपों की जांच की गई थी तथा शिकायतों को सुना गया था; ग्रौर

(ग) क्या सरकार का विचार इन आरोपों की जांच करने के लिये निकट भविष्य में कोई जांच आयोग नियुक्त करने का ?

कृषि मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद): (क) जी हां ।

(ख) जी हां । शिकायतों की जांच की गई और जब कभी आवश्यक समझा गया जांच की गई ।

(ग) कोई जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

वर्तमान पंजाब वक्फ बोर्ड का विभाजन

5678. श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा के मुसलमानों ने मलेरकोटला और पानीपत (हरियाणा) में हुए वक्फ सम्मेलनों के माध्यम से अपनी प्रबल इच्छा व्यक्त की है कि वर्तमान पंजाब वक्फ बोर्ड का विभाजन किया जाए ;

(ख) केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1954 में प्रत्येक संघीय राज्य के लिये कितने अलग-अलग वक्फ बोर्ड हैं और क्या पंजाब तथा हरियाणा राज्य सरकारों ने इन राज्यों के लिये अलग-अलग वक्फ बोर्ड बनाने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में वर्तमान पंजाब वक्फ बोर्ड का विभाजन करने का है

कृषि मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद): (क) जी हां ।

(ख) वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 9(1) में प्रत्येक राज्य के लिये अलग-अलग वक्फ बोर्ड स्थापित करने की व्यवस्था की गई है । जहां तक पंजाब और हरियाणा का संबंध है पंजाब वक्फ बोर्ड पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के धारा 72(1) के अधीन एक अंतराज्यीय निकाय बन गया है जिसके अधिकार क्षेत्र में वे क्षेत्र भी आते हैं जिनमें राज्य के पुनर्गठित होने की तारीख 1 नवम्बर, 1966 से पहले से ही वक्फ ने कार्य करना शुरू कर दिया था ।

पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि उनके राज्यों के लिये अलग-अलग वक्फ बोर्डों की स्थापना की जाये ।

(ग) यह मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

उड़ीसा और देश के अन्य भागों में खोली गई उचित मूल्यों की दुकानें और उनको दिया गया अनाज

5679. श्री अर्जुन सेठी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में देश में उचित मूल्य की कितनी दुकानें खोली गई और उनको कितना अनाज दिया गया;

(ख) उड़ीसा में ऐसी कितनी दुकानें खोली गई और उनको कितना अनाज दिया गया; और

(ग) क्या उड़ीसा में अधिकांश उचित मूल्य की दुकानों के बारे में केवल कागजी कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे): (क) देश में इस समय कार्य कर रही उचित मूल्य की दुकानों की संख्या 1.65 लाख है और फरवरी, 1973 के दौरान इन दुकानों के माध्यम से वितरित की गयी खाद्यान्नों की मात्रा लगभग 8.12 लाख मीटरी टन थी ।

(ख) उड़ीसा में इस समय कार्य कर रही उचित मूल्य की दुकानों की संख्या 2,164 है और फरवरी, 1973 के दौरान इन दुकानों से वितरित खाद्यान्नों की मात्रा लगभग 12.2 हजार मीटर टन थी ।

(ग) जी नहीं ।

लघु कृषक विकास एजेंसी तथा सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत चुने गये जिले

5680. श्री अर्जुन सेठी :
श्री एम० कतामुतु :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि में सुधार करने के लिये लघु कृषक विकास एजेन्सी तथा सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत देश में राज्यवार कितने जिले चुने गए हैं ;

(ख) कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है और इस पर कितना व्यय हुआ है; और

(ग) इस योजना से कृषि श्रमिक और भूमिहीन कृषक किस सीमा तक लाभ उठा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह): (क) लघु कृषक विकास अभिकरणों और सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक अभिकरणों के अन्तर्गत राज्यवार जिलों के नाम संलग्न विवरण (अनुबन्ध 1) में दिए गए हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4699/73]**

(ख) इन कार्यक्रमों का उद्देश्य लघु और सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिकों को आधुनिक प्राद्योगिकी का लाभ पहुंचाना और उन्नत कृषि, सहायक धन्धों और अनुपूरक रोजगार के माध्यम से उनका आर्थिक स्तर उठाना है। इन अभिकरणों को कार्यक्रमों के प्रारम्भ से अब तक कुल 30.09 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।

(ग) भूमिहीन कृषि श्रमिकों की आय में वृद्धि करने के लिए डेरी फार्मिंग, कुक्कुटपालन, सुअर-पालन आदि सहायक धन्धों की व्यवस्था करने का विचार है। इसके अतिरिक्त उन कृषि श्रमिकों को जिन्हें केवल मौसमी रोजगार मिलता है, सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक विकास अभिकरणों द्वारा शुरू किए गए उत्पादनमुखी ग्राम निर्माण कार्यक्रमों के अन्तर्गत मन्दे मौसम के दौरान अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

कीट और बिमारियों से शीघ्र ग्रस्त हो जाने वाली धान की अधिक उपज देने वाली किस्म

5681. श्री अर्जुन सेठी: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में आरम्भ की गई धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों क बारे में कुछ कठिनाइयां है; जैसा कि उनका कीट और बीमारी से शीघ्रग्रस्त हो जाना तथा उनके लिये पानी रुकने की स्थिति का अनुपयुक्त होना;

(ख) यदि हां, तो आई०सी०ए०आर० परियोजना द्वारा इसमें क्या सुधार किए जा रहे हैं; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासहिब पी० शिंदे): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

चावल की फसल मुख्यतः मानसून के मौसम में उगाई जाती है जबकि नमी बहुत अधिक होती है। चावल की बुवाई के लिये अनुकूल मौसमी परिस्थितियां दुर्भाग्यवश कीटों और रोगों की वृद्धि के लिये भी अनुकूल होती हैं। जब पौधों को अधिक पोषक दिए जाते हैं तब रोग भी अधिक हो जाते हैं। चावल के संबंध में अधिक उत्पादनशील किस्म कार्यक्रम को मूलतः ताईचुंग नैटिव-1 ताईनन 3 और आई०आर० 8 जैसी विदेशी बोनी किस्मों से शुरू किया गया था। कुछ क्षेत्रों में ताईचूंग नटिव-1 किस्म जेविक रोग से प्रभावित हुई है। आई० आर०-के भी जीवाणु ग्रस्त होने वाले किस्म है और वह कई प्रकार क कीटों से प्रभावित हो सकती है। मानसून के मौसम में जलाक्रमणता भी एक समस्या है। शीघ्र उगने वाली अधिक उत्पादनशील किस्में दिन की लम्बी अवधि तक निश्चेतन रही और इसलिए उन्हें कुछ क्षेत्रों में अन्न के दाने बनने की अवधि के दौरान भारी वर्षा के कारण हानि उठानी पड़ी। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि जब तक विशिष्ट उगाने की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त सिद्ध होने वाली किस्मों को विकसित करके उन्हें लोकप्रिय नहीं बनाया जाता तब तक चावल की अधिक उत्पादनशील किस्म का कार्यक्रम अधिक प्रगति नहीं कर सकता। अतः अखिल भारतीय समन्वित

चावल सुधार परियोजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में किस्मों के विकास को अधिक प्राथमिकता दी गई। ऐसी कुछ किस्में जो उन विशिष्ट क्षेत्रों के लिये निर्मुक्त की गई जहां रोगों और कीटों की समस्यायें मौजूद हैं, नीचे दी गई हैं और इसके साथ उन किस्मों की सूची भी दी गई है जिनका मिनीकिट कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों के खेतों में विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है :--

किस्म	अवधि (दिन)	विशषतायें	सिफारिश किया गया क्षेत्र
		व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने के लिये किस्में	
कावेरी	95	भारी टिलरिंग, उम्दा अनाज की किस्म खराब किस्म के तृण	ग्रीष्म फसल मौसम, उत्तरी बिहार में ओस, तालाब के जल से संचित क्षेत्र जिनमें बाद में पौध रोपण किया गया। छोटा नागपुर की उच्च भूमि
रत्ना	120	बढ़िया अन्न और तुगरी वाइरस तथा स्टम-बोरर के लिए सहनशील	सामान्य किस्म की उच्च भूमि
जया	130	संतोषजनक अन्न, अधिक उत्पादनशील किस्म और स्थिर, सामान्य रूप से तुगरी वाइरस के लिए सहनशील, आंधी और जीवाणु ग्रस्त	सामान्य प्रयोजन वाली किस्म
आई०ई०टी०1991	130	बढ़िया अन्न की किस्म, तुगरीव के लिये सहनशील	सामान्य उपयोग की किस्म
विजया आई०आर०-2	135	अच्छी अन्न की किस्म तुगरी वाइरस तथा हर लीफ-हापर्स	अमन मौसम में निचरी भूमि वाले क्षेत्र
पंकज	145	अधिक उत्पादन किस्म तुंगरी वाइरस के लिए सहनशील	यथोक्त
जगन्नाथ	155	अच्छी अन्न की किस्म आंधी प्रभाव ग्रहण-शील	यथोक्त
		विस्तृत परीक्षण अन्तर्गत किस्में	
आई०ई०टी० 849	105	अच्छा अन्न, आंधी-रोधी अधिक उपज वाली	बहुफसली खरीफ
पूसा 2-21	105	खराबअनाज, आंधी प्रभावग्रहणशील अधिक उपज वाली	बहुफसली खरीफ
आई०ई०टी० 2508	105	अच्छा अनाज, तुगरीवाइरस के लिए सहन-शील हरा लीफ हापर्स खराब अनाज	हरे लीफ-हापर्स के बढ़ाव को कम करने के लिये ग्रीष्म और मौसम
आर०पी०डब्लू 6-12	130	बढ़िया अनाज, गालमिज रोधी	गालमिज जातीय रोगों वाले क्षेत्र
आर०पी०डब्लू 6-13	130	बढ़िया अनाज, गालमिज रोधी	यथोक्त
आई०ई०टी० 1136	140	बढ़िया अनाज, गालमिज पोरियम, आंधी-रोधी	निकले और जलमग्न क्षेत्र
आर.पी० 193-1	155	बढ़िया अनाज, अच्छी उपज	यथोक्त
आर०पी० 5-2	130	आंधी के लिये सहनशील	जया के समान आई०आर०-8
आई०ई०टी० 2507	135	जबढ़िया अनाज, तुगरी वाइरस रोधी	चावल तुगरी वाइरस जातीय रोगों वाले क्षेत्र

उपरोक्त किस्मों के अतिरिक्त राज्य कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालय स्थानीय परिस्थितियों के लिये उपयुक्त सिद्ध होने वाली विशिष्ट किस्में भी निर्मुक्त की हैं ।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं कि जिन किस्मों में महत्वपूर्ण कीटों और रोगों को प्रतिरोधी मात्रा है और जो उपज की परिस्थितियों के लिये विशेषकर अनुकूल है यथाशील किसानों को उपलब्ध की गई हैं या नहीं ।

1. राष्ट्रीय बीज निगम उन्नतशील किस्मों का निर्मुक्ति से पूर्व वर्धन कार्य करती है ।
2. राष्ट्रीय प्रदर्शन तथा मिनीकट कार्यक्रमों के अंतर्गत किसानों के खेतों में विस्तृत प्रदर्शन-एवं-परोक्षणों की व्यवस्था की जाती है ।
3. पांचवीं योजना के दौरान क्रियान्वित के लिये कीट नियंत्रण तथा जल प्रबंध संबंधी समेकित परियोजनायें विकसित की जा रही हैं ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड एंसीलरी काम्पलैक्स'

5682. श्रीमती सावित्री श्याम: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हिन्दुस्तान शिपयार्ड के 'एंसीलरी काम्पलैक्स' का संवर्धन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप रेखा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किया जाएगा और कब तक उत्पादन/कार्य आरम्भ होगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने, दो क्षेत्रों , एक शिपयार्ड कालोनी के समीप, और दूसरा गजुवाका क्षेत्र, में पांचवीं योजना के अपने प्रस्तावों के रूप में 3 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सहायक उद्योगों के उत्थान की एक योजना का सुझाव दिया है । ये प्रस्ताव विचाराधीन है ।

वर्ष 1973 में बिहार में खाद्यान्नों का उत्पादन, उनकी आवश्यकता तथा सप्लाई

5683. कुमारी कमला कुमारी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1973 तक बिहार में खाद्यान्न का कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ; और

(ख) बिहार राज्य सरकार को कुल कितने खाद्यान्न की आवश्यकता है तथा वर्ष 1973 में केन्द्रीय सरकार ने उसे कितना खाद्यान्न सप्लाई किया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) बिहार समेत सभी राज्यों के बारे में 1972–73 में खाद्यान्नों के उत्पादन के पक्के अनुमान चालू कृषि वर्ष की समाप्ति के बाद अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1973 में उपलब्ध होंगे ।

(ख) राज्य सरकार ने 1973 के समूचे वर्ष के लिये खाद्यान्नों की समेकित मांग प्रस्तुत नहीं की है । औसतन, 1973 के पहले चार महीनों के लिये लगभग 30,000 मीटरी टन गेहूं प्रतिमास आबंटित किया गया है ।

उड़ीसा में 11 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था

5684. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के दौरान उड़ीसा में 11 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिये अब तक शिक्षा सम्बन्धी क्या व्यवस्था की गई है; और

(ख) इस कार्य के लिये उड़ीसा को कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) उड़ीसा की चौथी पंच वर्षीय योजना के अनुसार, राज्य सरकार का उच्च प्राथमिक स्तर पर 4.15 लाख अतिरिक्त बच्चों को दाखिल करने का लक्ष्य है ।

(ख) राज्य में उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिये चौथी योजना का परिव्यय निम्नलिखित है :—

योजनागत योजनाएं

1. उच्च प्राथमिक स्कूल खोलना तथा प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूल बनाना	142.90	लाख	रुपये
2. भवनों का सुधार तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिये उपस्कर तथा पुस्तकालय की व्यवस्था करना	9.58	लाख	रुपये
3. उच्च प्राथमिक स्कूलों के भवनों का निर्माण	1.78	लाख	रुपये
जोड़	154.26	लाख	रुपये

उपरोक्त के अतिरिक्त, अवर प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा 6-14 वर्ष आयु वर्ग के लिये अतिरिक्त अध्यापकों इत्यादि की नियुक्ति करने हेतु शिक्षित बेरोजगारों के लिये केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 1972–73 के दौरान 150 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है ।

उड़ीसा में प्राथमिक शिक्षा के लिए अध्यापकों की नियुक्ति हेतु व्यवस्था

5685. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1971–72 और वर्ष 1972–73 में उड़ीसा में प्राथमिक शिक्षा के लिये अध्यापकों की नियुक्ति हेतु शत-प्रतिशत आधार पर सहायता की व्यवस्था की थी;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में कुल कितने अध्यापकों की नियुक्ति की गई है ;

(ग) उड़ीसा में वर्ष 1973–74 में कितने अध्यापकों की नियुक्ति की जानी है; और

(घ) उड़ीसा में 6–11 वर्ष की आयु सीमा में स्कूलों में कितने बच्चों के प्रवेश की सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में (उपमन्त्री श्री डी०पी० यादव) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने—प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में 1971–72 में 1500 अध्यापकों और 1972–73 में 1500 अध्यापकों की नियुक्ति के लिये शत प्रतिशत आधार पर केन्द्रीय सहायता दी गई थी । राज्य में सभी 3000 अध्यापक नियुक्त किए जा चुके हैं ।

(ग) 1973–74 के लिये योजना के अन्तर्गत विनिधानों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(घ) यह अनुमान किया जाता है कि चौथी पंच वर्षीय योजना के समाप्त होने तक अर्थात् 1974 में उड़ीसा में I-V कक्षाओं में सम्भाविक नामांकन, जो 6-11 आयु-वर्ग के अनुरूप होगा, लगभग 25 लाख बच्चे होने की सम्भावना है और यह इस आयु-वर्ग में जनसंख्या का लगभग 81.8 प्रतिशत होगा ।

उड़ीसा में जयन्ती ग्राम

5686. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के प्रत्येक ब्लाक में अब तक जयन्ती ग्रामों का चयन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पुरी जिले में किन ग्रामों का चयन किया गया है, और

(ग) आरम्भ किए गए विकास कार्यों में कितनी प्रगति हुई है तथा इन ग्रामों में कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) अब तक, उड़ीसा राज्य में कुल 314 खण्डों में से 311 खण्डों ने जयन्ती गांव चुन लिये हैं।

(ख) पुरी जिले में चुने गए जयन्ती गांवों के नामों की सूची संलग्न है।

(ग) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार, पुरी जिले के जयन्ती गांवों में कुल 51,000 रु० की लागत के, 10 कुएं, 11 सड़कें और एक टैंक बनाया गया है, 4 स्कूल भवनों का सुधार किया गया है, तीन गांवों में बिजली पहुंचाई गई है, एक लघु-सिंचाई परियोजना को सुधारा गया है, एक गांव में 'केयर' भोजन कार्यक्रम चालू किया गया है, एक गांव में महिला समिति तथा युवक संघ आरंभ किए गए हैं और एक गांव में दो मत्स्यपालन टैंक बनाए गए हैं

पुरी जिले के जयन्ती गांव की सूची

क्र०सं०	खण्ड का नाम	जयन्ती गांव का नाम
1.	ब्रह्मगिरी	गडरोडांग
2.	पुरी सदर	एमनगोढ़ हरिजन बस्ती
3.	गोप	गाडा-रूपास
4.	काकटपुर	ओथाका
5.	अष्टरगा	असना
6.	निमापाग	रेसि नगर
7.	पिपिली	पुबासासन (हरिजन साही)
8.	डैलेंगा	नुआगढ़
9.	कनासा	त्रिलोचनपुर
10.	सत्यबाड़ी	मालीसाही
11.	भुवनेश्वर-1	मोन्धसाल
12.	बलीपटना-1	टिकीपाड़ी (इन्दल कुमारी)
13.	बालीपटना-2 (बलियन्टा)	जगन्नाथपुर
14.	नयागढ़	गंभारिदिही
15.	पानपुर	रानपुरगढ़
16.	ओड़ागांव	हरिदबन्ध
17.	नुआगांव	मालीसाही
18.	खण्डापारा-1	सतगोच्छिया
19.	खण्डापारा-2 (भापुर)	छेलिया
20.	दासपल्ला	जाजपुर
21.	गनिया	कडुआ
22.	बोलागढ़	घोराड़िया
23.	टांकी	नालासिंह
24.	बेगूनिया	गौडिकिलो
25.	खुरदा	कुरधामल्ला
26	बानापुर	सन्हान्टोड़े
27.	कृष्णाप्रसाद	चिलिका नुआपाड़ा
28	चिलिका	हरिपुर
29.	जट्नी (नहीं चुना गया है)	

उर्वरक संवर्धन योजना के अन्तर्गत जिले

5687. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों और जिलों के नाम क्या हैं जिनको वर्ष 1972–73 के लिये उर्वरक संवर्धन योजना के अन्तर्गत रखा गया है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : वर्ष 1972–73 के केन्द्रीय प्रायोजित उर्वरक वर्धन कार्यक्रम को 17 राज्यों के 25 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है । राज्यों तथा जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	जिलों के नाम
1.	आंध्र प्रदेश	नाल गोंड तथा करनूल
2.	असम	दरांग
3.	बिहार	पुर्णिया तथा सहरसा
4.	गुजरात	मेहसाना
5.	हरियाणा	गुड़गांव
6.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा
7.	जम्मू तथा कश्मीर	जम्मू
8.	केरल	त्रिवेन्द्रम
9.	मध्य प्रदेश	मोरेना तथा छतरपुर
10.	महाराष्ट्र	जलगांव तथा परबानी
11.	मेघालय	गारो पहाड़ियां
12.	मैसूर	बेकारी तथा त्रिचूर
13.	उड़ीसा	बालासर
14.	पंजाब	संगरूर तथा फरीदकोट
15.	राजस्थान	श्री गंगानगर
16.	तमिल नाडु	नार्थ अर्कोट तथा साउथ अर्कोट
17.	उत्तर प्रदेश	हरदोई तथा वाराणसी

Scheme for supply of food variety of rice, wheat and potato seeds from 1974

5688. Shri Bibhuti Misra : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme for supplying good variety of rice, wheat and potato seeds throughout the country from 1973; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) & (b) **:** The production and distribution of seeds of paddy and wheat is primarily the responsibility of the State Governments, but three major seed producing organisations viz. National Seeds Corporation, Tarai Development Corporation and State Farms Corporation of India Ltd. are meeting considerable part of the demand for quality seeds all over the country. Since the demand and supply position of seeds fluctuate in the States from year to year on account of floods and drought, the Government of India has under consideration the possibility of maintaining a buffer stock of good quality seeds of cereals to meet any unforeseen contingency.

As regards potato, no scheme for supplying seed has so for been formulated but seeds of improved varaties developed by the Central Potato Research Institute and the National Seeds Corporation are distributed to various States every year by a Committee set up for finalising of programme of seed potato multiplication and distribution.

Eradication of illiteracy in rural areas

5689. Shri Bibhuti Misra : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) wether Shrimati Fisher has done a great service in Uttar Pradesh for eradication of illiteracy with the assistance of foriegn countries, in accordance with the ideals of Gandhiji; and

(b) if so, whether the Government of India are formulating any scheme to eradicate illiteracy in rural areas throughout the country on the model of Shrimati Fisher ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Shrimati Fisher has done good service by establishing "Literacy House, Lucknow"—a voluntary organisation working for eradication of illiteracy.

(b) Government of India is formulating a scheme for eradication of illiteracy on the basis of the following principles approved by the Central Advisery Board of Education at its meeting held on 18th & 19th September, 1972.

(i) The provision of universal primary education in the age-group 6-14 by 1980-81;

(ii) Liquidation of illiteracy in the age-group 15-25;

(iii) Linking of literacy programmes with employment programmes; and

(iv) Development of literacy programmes amongst adults through voluntary services especially by college students.

शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन

5690. श्री विभूति मिश्र : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्री ने दिनांक 25 फरवरी, 1973 को चण्डीगढ़ में शिक्षा शास्त्रियों को शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने का सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नरूल हसन) : (क) और (ख) चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के पच्चीसवें वार्षिक दीक्षान्त समारोह में अपने अभिभाषण में शिक्षा मंत्री ने देश में शैक्षणिक प्रणाली, विशेषरूप से विश्व-विद्यालय शिक्षा के सारांश के पुनर्निर्माण करने के मूल प्रयत्न की आवश्यकता पर बल दिया ताकि इसे सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन बनाया जा सके । केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने नई दिल्ली में दिनांक 18–19सितम्बर, 1972 को आयोजित अपनी 36वीं बैठक में "पांचवीं पंच वर्षीय योजना—1974–79 में शिक्षा" की रूपरेखा का पहले से ही अनुमोदन कर दिया है :—

इस कार्यक्रम की मुख्य मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(i) शिक्षा सम्बन्धी प्रणाली में परिवर्तन

(ii) स्तरों में सुधार

(iii) विशेषरूप से सामाजिक दलित वर्गों के लिये पूर्व-स्कूल विकास के एक व्यापक कार्यक्रम को आरम्भ करना ।

(iv) 6–11 वर्ष के आयु वर्ग के लिये 1975-76 तक तथा 6–14 आयु वर्ग के लिये 1980–81 तक सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था ।

(v) सभी राज्यों और संघ-शासित प्रदेशों में स्कूलों और कालेज कक्षाओं की एक समान पद्धति अर्थात् 10+2+3 का अपनाया जाना ।

(vi) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण और स्कूल स्तर पर कार्य अनुभव का शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में चालू करना ।

(vii) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति नीति का विकास करना जिससे प्रतिभाशाली विद्यार्थी तथा विशेषरूप से समाज के पद्दलित वर्ग के विद्यार्थियों को स्कूल तथा विश्वविद्यालय की सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिल सके ।

(viii) 14–25 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिये युवक आन्दोलन शुरू करना ।

(ix) कालेज तथा विश्वविद्यालयीय शिक्षा का पुनर्गठन ।

(x) तकनीकी शिक्षा का विकास ।

(xi) राष्ट्रीय समाज सेवा का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करना ।

(xii) विस्तार तथा कोटि में सुधार के इस महत्वपूण कार्यक्रम की योजना को तैयार करने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिये प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करना ।

राष्ट्रीय अभिभावक शिक्षक कन्वेंशन की गोष्ठी

5691. श्री विभूति मिश्र : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अभिभावक-शिक्षक कन्वेंशन की गोष्ठी 3 मार्च, 1973 को दिल्ली में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गये; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) से (ग) दूसरी एशियाई संगोष्ठी तथा पांचवां राष्ट्रीय अभिभावक शिक्षक सम्मेलन दिल्ली में 3 मार्च से 7 मार्च, 1973 तक हुआ था ।

सम्मेलन द्वारा स्वीकार किए गए संकल्पों की एक प्रतिलिपि संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4700/73]**

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने पांचवीं योजना में शैक्षिक विकास की एक रूप-रेखा स्वीकृत की है, जिस पर विचार किया जा रहा है । योजनागत योजनाओं के कार्यन्वयन के लिये सभी स्वेच्छिक संगठनों के सहयोग का स्वागत किया जाएगा । शैक्षिक प्रणाली में अध्यापकों की भूमिका निसंदेह कठिन है तथा अभिभावकों से होने वाला सहयोग प्रत्येक शैक्षिक संस्था के लिए महत्वपूर्ण होगा ।

Management of Gandhi Vidyapeeth at Perchhi in Surat District

5692. Shri Amar Singh Chaudhry : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether any Vidyapeeth under the name of Gandhi Vidyapeeth is functioning at Perchhi in Surat District of Gujarat;

(b) whether the management of the said Vidyapeeth have submitted any proposal for granting it the status of a University; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hassan) : (a) to (c) According to the available information, there is a Gandhi Vidyapith at Vedachhi (and not Perchhi) in Surat District of Gujarat. In November, 1971, The Registrar of the Vidyapith had applied for its recognition as an institution 'deemed' to be a University under Section 3 of the University Grants Commission Act. The University Grants Commission, to whom the application was referred for consideration did not recommend the proposal. Government had accepted the advice of the Commission and had informed the Vidyapith accordingly.

Setting up of Open National Library

5693. Shri Shrikrishna Agrawal : Will the Minister of **Education, Social Walfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to set up an open National Library in the country;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the time by which this library is likely to be set up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) No Sir.

(b) & (c) : Do not arise.

शोलापुर जिले में नसबन्दी आपरेशन से हुई मृत्यु

5694. श्री नरेन्द्र सिंह :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि शोलापुर जिले में नसबन्दी आपरेशन कराने वाले छः व्यक्तियों की टेटनस से मृत्यु हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार मामले की जांच कर रही है तथा जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

छोटे तथा सीमांत किसानों द्वारा किये जाने वाले पूंजी निवेश के बारे में समिति

5695. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने छोटे तथा सीमान्त किसानों द्वारा उनकी जोतों पर पूंजी निवेश करने को प्रोत्साहन देने के लिए कई नये उपायों की सिफारिश की है।

(ख) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों की व्यवहार्यता पर विचार कर लिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग): छोटे और सीमान्त किसानों को ऋण देने के सम्बन्ध इस मंत्रालय में किसी विशेषज्ञ समिति का गठन नहीं किया गया है। तथापि, संस्थागत स्रोतों से छोटे और सीमान्त किसानों को ऋण देने को प्रोत्साहित करने की सरकार की सामान्य नीति का अनुसरण करते हुए इन संस्थाओं को अपनी नीतियों और कार्य प्रणालियों में तदनुसार परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा। इनका समय-समय पर सरकार और रिज़र्व बैंक आफ

इण्डिया द्वारा पुनरीक्षण किया जाता है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित छोटे किसानों के विकास अभिकरणों और सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिक विकास अभिकरणों की विशेष योजनाओं के अधीन 87 परियोजना क्षेत्र में, ये अभिकरण, परियोजना क्षेत्रों में छोटे और सीमान्त किसानों का पता लगाते हैं, उनके लाभ के लिये विशेष कार्यक्रम बनाते हैं तथा चालू और पूंजीगत निवेश दोनों के लिए संस्थागत ऋण को प्रोत्साहित करते हैं। ये अभिकरण भागीदारों के पूंजी-निवेश पर राजसहायता देते हैं और अधिक ऋण देने के लिए सहकारी संस्थाओं के लिए जोखिम निधि की व्यवस्था करते हैं। इन अभिकरणों द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार चालू वर्ष के दौरान 1786 लाख रुपये का ऋण दिया गया, जबकि निवेश के लिए मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण क्रमशः 1124 लाख और 1804 लाख रुपए था।

नई दिल्ली में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सहकारिता आन्दोलन के बारे में किया गया निर्णय

5696. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में हाल में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सहकारिता आन्दोलन के बारे में कुछ महत्व-पूर्ण निर्णय दिये गए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) (1) गेहूं के थोक व्यापार को हाथ में लेने की राज्य की योजना के अन्तर्गत, सरकार की ओर से भारतीय खाद्य निगम, राज्य सहकारी विपणन परिसंघ और राज्य के खाद्य तथा सिविल आपूर्ति विभाग और राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए अन्य गैर सरकारी अभिकरण खरीद का काम करेंगे।

(2) खुदरा वितरण के लिए शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों और ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन तथा सेवा सहकारी सोसाइटियों का अधिकतम सीमा तक उपयोग किया जाना चाहिए।

बड़ी आटा-मिलों के प्रबन्धक-ग्रहण का प्रस्ताव

5697. श्री राम सहाय पांडे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं के निर्धारित दरों पर आटा और मैदा के वितरण और बिक्री के मामले में देश की बड़ी आटा मिलों में कुप्रबंध तथा अनियमितताओं के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार चार बड़ी आटा मिलों का प्रबंध अपने हाथ में लाने से सम्बन्धित किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्तावित उपायों की रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। लेकिन रोलर फलोर मिलों द्वारा उत्पादित गेहूं के पदार्थों का वितरण राज्य सरकार द्वारा पहले ही नियन्त्रित किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरक की सार्वजनिक वितरण प्रणाली

5698. श्री राम सहाय पांडे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश में सस्ती दर पर उर्वरकों के वितरण के लिए सरकार ने एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) तथा (ख) सरकार का उर्वरकों के वितरण के लिए पृथक कोई एजेंसी स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। तथापि, सरकार की नीति है कि कृषकों को यथा सम्भव सहकारी संस्थाओं तथा कृषि उद्योग निगमों आदि सार्वजनिक एजेंन्सियों के माध्मम से उर्वरकों का अधिकतम वितरण करने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाए।

इस समय आयातित तथा देशी दोनों प्रकार के उर्वरकों के 60-70 प्रतिशत भाग का वितरण सहकारी संस्थाओं ,कृषि उद्योग नियमों तथा सहकारी नियन्त्रण की अन्य संस्थागत एजेंन्सियों के माध्यम से किया जाता है। शेष 30-40 प्रतिशत भाग का वितरण गैर संस्थागत एजेन्सियों के माध्यम से किया जाता है। किन्तु, इस मात्रा के सम्बन्ध में भी राज्य सरकारें विनिर्माताओं से वितरण की अग्रिम योजनाएं प्राप्त करती हैं और प्राथमिकता के क्षेत्रों तथा प्राथमिक फसलों के लिए उर्वरकों की सप्लाई करने के लिए निर्देश दे सकती है।

जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, इस बात के लिए भरसक प्रयत्न किया जाता है कि देशी तथा आयातित उर्वरकों के उत्पादन के खर्च को दृष्टिगत रखते हुए कृषकों को आर्थिक मूल्यों के आधार पर उर्वरक उपलब्ध किया जाए। यूरिया, अमोनियम सल्फेट तथा कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट, आदि महत्वपूर्ण उवरकों के, (जिनकी सप्लाई भी सापेक्षत: कम है) खुदरा मूल्यों पर वे संवैधानिक रूप से नियंत्रित रखा जाता है और राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत उर्वरकों की जांच करके अपराधियों के स्टाक जब्त करने तथा उनपर मुकद्दमा चलाने के लिए पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं। राज्यों को यह अधिकार भी दिए गए हैं कि वे अपराधियों के विरुद्ध सरकारी मुकद्दमे चला कर उन्हें सजा दे सकते हैं।

Vasectomy Camps in Uttarkashi

5699. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item published in 'Aaj' newspaper dated the 29th December, 1972, that in a vasectomy camps, organised in Purola block of district Uttarkashi, innocent people were beaten by Patwari and Kanoongo after handcuffing and tying them with ropes and were compelled to get themselves sterilised;

(b) if so; Government's reaction thereto; and

(c) whether some of the ladies in Garhwal division who got loops inserted, have died in the absence of proper check-up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondaji Basappa) : (a) to (c) : According to information received from the Government of Uttar Pradesh, who got enquiries made into this news item, these allegations were found to be baseless. That Government has not received any report of death of any lady in Garhwal Division on account of loop insertion.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंडहार्बर) : मैं महान्यायवादी को बुलाये जाने के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली सूचना के पश्चात इस मामले को लिया जायेगा। कल इस बात पर सहमति हो गई थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर): मैं ने बार बार कहा है कि नियम समिति की बैठक बुलाई जानी चाहिए ताकि सदा के लिए इस बारे में कोई निर्णय लिया जा सके।

अध्यक्ष महोदय: मैं ने पिछले दिन बैठक बुलाने का निर्णय किया था परन्तु डाक्टरों के आन्दोलन के कारण बैठक नहीं बलाई जा सकी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) मैंने तीसरे तथा चौथे दर्जे के कमचारियों के साथ किये गए अन्याय के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली सूचना के पश्चात् इसको लिया जायेगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ।

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारतीय अभ्रक के निर्यात के लिए सोवियत संघ और पोलैण्ड के साथ करार करने में खनिज और धातु व्यापार निगम की असफलता का समाचार

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं वाणिज्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं । तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें:—

"भारतीय अभ्रक के निर्यात के लिए सोवियत संघ और पोलैण्ड के साथ करार करने में खनिज और धातु व्यापार निगम की असफलता का समाचार ।"

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव चटोपाध्याय) : अभी हाल तक भारत का अभ्रक के व्यापार पर वास्तविक अधिकार था । निर्यात रुपये में भुगतान करने वाले देशों और सामान्य मुद्रा क्षेत्र के बीच समान रूप से बटे हुए हैं, सोवीयत संघ अकेला सबसे बड़ा खरीदार है ।

2. निर्यात योग्य किस्म के अभ्रक का उत्पादन तथा साधित करने का काम बहुत बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों साधितकर्ताओं द्वारा किया जा रहा था किन्तु निर्यातों पर थोड़े से बड़े निर्यातकों का ही एकाधिकार था । स्पष्टतया यह निर्यातक छोटे उत्पादकों की, जिनके पास बिक्री के लिए कोई बाजार नहीं था, कीमत पर फलफूल रहे थे क्योंकि देश में इसकी मांग बिल्कुल नहीं थी । इस वर्ग की स्थिति दो रूपों में प्रथमत: सप्लाई किये जाने वाले माल के लिए पर्याप्त और उचित मूल्य के मामले में और दूसरे विलम्बित भुगतान के मामले में नाजुक थी । परिणामस्वरूप, उत्पादन भी घट रहा था ।

3. इन परिस्थितियों में सरकार ने 24 जनवरी 1972 से खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से साधित अभ्रक के निर्यात को मार्गीकृत करने का विनिश्चय किया । इसके साथ-साथ अभ्रक खनन उद्योग के विकास में सहायता करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया और अभ्रक बोर्ड का गठन विचाराधीन है ।

4. मार्गीकरण का उद्देश्य छोटे निर्यातकों द्वारा निर्यात व्यापार में भाग लिये जाने में सहायता करना था, जिस पर अब तक थोड़े से बड़े खान मालिकों तथा निर्यातकों का ही एकाधिकार था । यह देखा गया कि गत दो दशाब्दियों में निर्यात के सुस्थापित माध्यम अस्तित्व में आ गये थे । अत: खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने यह विवेकपूर्ण तथा आवश्यक समझा कि निर्यात कार्यों में क्रमबद्ध रूप से भाग लिया जाए । कार्य चालन की आरम्भिक अवस्थाओं में खनिज तथा धातु व्यापार न पड़े । निगम ने यथासंभव वर्तमान माध्यमों का प्रयोग करने का विनिश्चय किया ताकि विदेशी ग्राहकों को सप्लाई करने में व्यवधान छोटे उत्पादकों को उचित और न्यायपूर्ण भाग देने के मुख्य उद्देश्य से खनिज तथा धातु व्यापार निगम को समस्त व्यापार की सुव्यवस्था करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता का विकास करने और संगठन बनाने की भी सलाह दी गई । खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने तदनुसार अपने कार्यों को विनियमित किया ।

5. साथ ही साथ, खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने स्वतन्त्र रूप से विपणन करना शुरु किया और वह पहली बार नवम्बर 1972 में 3 करोड़ रु० मूल्य का अभ्रक सप्लाई करने के लिए जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य से एक दीर्घावधि संविदा प्राप्त करने में समर्थ हुआ । उन्होंने व्यापार के कमजोर वर्गों से सीधे निर्यात योग्य श्रेणियों के अभ्रक की खरीद भी शुरू कर दी इससे, जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य के साथ हुई संविदा तथा जापान और हांगकांग में अन्य खरीदारों के साथ की गई अन्य लघु संविदाओं को पूरा करने के लिए एक अच्छा आधार तैयार हो गया ।

6. समस्याओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण व्यवहारिक रहा है । संक्षेप में, इसका उद्देश्य यह रहा है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम मार्गीकरण के मुख्य उद्देश्य के अनुरूप खान मालिकों तथा साधित कर्त्ताओं से निर्यात योग्य श्रेणियों का अभ्रक खरीद लें । खनिज तथा धातु व्यापार निगम स्वयं भी एक उत्तम व्यापारिक सदन के रूप में क्वालिटी और तत्काल सुपुर्दगी के अपने उत्तरदायित्व के प्रति बहुत ही जागरूक रहा है और सरकार के सामाजिक उद्देश्यों के अनुसरण में छोटे उत्पादकों को उचित व पर्याप्त कीमत सुनिश्चित करता रहा है ।

7. यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने अभ्रक सहित निर्यात की गई मदों के सम्बन्ध में अनिवार्य पोत-लदान पूर्व निरीक्षण आरम्भ किया है। ग्राहकों का समाधान करने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अपना कठोर निरीक्षण तंत्र स्थापित किया है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि क्वालिटी निरीक्षण की यह सेवा भूतपूर्व निर्यातकों द्वारा नहीं दी जा रही थी।

8. समाचार पत्रों में मार्गीकरण के केवल कुछ पहलुओं और उनके सम्बन्ध में खनिज तथा धातु व्यापार निगम की भूमिका पर प्रकाश डाला है। इससे मुझे इस सम्मानय सदन को यह बताने का यह अवसर मिला है कि इन देशों को विक्रयों के बारे में वार्ताएं चल रही हैं और वे टूटी नहीं हैं। समाचार पत्रों ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा चलाई जा रही वार्ताओं के कतिपय वाणिज्यिक पहलुओं पर मुख्य रूप से टिप्पणी की है। इस प्रकार की वार्ताओं के चलने और उनके तय होने तक अन्य पहलु भी हैं जिनका ध्यान रखना है। आप मुझ से सहमत होंगे कि वाणिज्यिक सौदे के इन सभी पहलुओं पर विचार विमर्श पारस्परिक रूप से संतोषजनक समझौते में सहायक नहीं होगा।

9. तथापि, मैं नम्रता पूर्वक इस बात का दावा कर सकता हूं कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम एक मार्गीकृत निर्यातक के रूप में अपनी ठोस भूमिका को धीरे धीरे बढ़ा कर जो कुछ भी करने का प्रयत्न कर रहा है वह पूरी तरह से सरकार की घोषित नीति के अनुरूप है। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने तीन क्रय केन्द्र खोले है, दो बिहार में, जो कुछ समय से चल रहे हैं और एक हाल ही में आन्ध्र प्रदेश में। उनका शीघ्र ही राजस्थान में एक केन्द्र और खोलने का विचार है।

10. सरकार ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम के समनुषंगी निगम के रूप में अभ्रक व्यापार निगम की स्थापना का भी सिद्धांतरूप से अनुमोदन कर दिया है। अभ्रक का निर्यात बढ़ाने के अलावा यह निगम छोटे उत्पादकों को तकनीकी व वित्तीय सहायता देगा और माल की किस्म सुधार कर उसके मूल्य में वृद्धि करेगा। यह निगम साथ ही गवेषणा और विकास के क्षेत्र में भी प्रवेश करेगा, जो कुछ अपेक्षित सा ही रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री ने बहुत लम्बा वक्तव्य दिया है परन्तु वह अधिक स्पष्ट नहीं है। क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम को केवल छोटे स्पलायर ही माल सप्लाई करते हैं और क्या बड़े निर्यातकर्त्ताओं को इसमें से छोड़ दिया गया है? यदि हां, तो ऐसा किये जाने के कारण क्या हैं? दूसरे, क्या अभ्रक का सारा निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से ही किया जाएगा?

इस योजना में कितनी छोटी पार्टियों, छोटी खानों के मालिकों तथा परिष्काय करने वालों को शामिल किया गया है। यह माल कितनी खानों से लिया जायेगा और उन खानों में कितने कर्मचारी काम करते है जिनको माननीय मंत्री बन्द होने से बचाना चाहते हैं।

वक्तव्य में इस बात का खण्डन किया गया है कि बातचीत टूट गई है और कि रूस, पोलैंड आदि देशों ने अभ्रक क्रय करने से इंकार कर दिया है। माननीय मंत्री ने यह भी कहा है कि बात चीत चल रही है। क्या वह इस बारे में आशावादी हैं कि निकट भविष्य में बातचीत पूरी हो जायेगी। ऐसा लगता है कि किस्म के प्रश्न को लेकर करार करने में विलम्ब हो रहा है। मेरे विचार में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास लदान से पूर्व निरीक्षण, किस्म नियंत्रण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। अब प्रश्न यह है कि क्या खरीदारों ने लदान से पूर्व निरीक्षण के लिये अपने तकनीकी विशेषज्ञ भेजने की बात कही है ताकि वह माल के नमूनों का निरीक्षण कर सकें। इस प्रकार उपभोक्ता स्वयं को संतुष्ट कर सकता है। क्या उपभोक्ताओं को खानों में जाकर अभ्रक के नमूनों का निरीक्षण करने तथा स्वयं को संतुष्ट करने में कोई कठिनाई है। जब तक खरीदारों को हम ऐसी सुविधायें नहीं देते वे करार करने में हिचकिचायेंगे।

क्या गत तीन अथवा चार वर्षों से भारतीय अभ्रक के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि की जा रही है। इस प्रकार अभ्रक के निर्यात मूल्यों में 30–33 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। मेरे विचार में निर्यात मूल्यों को स्थिर रखना हमारे अपने हित में ही होगा।

मैं जानना चाहता हूं कि समाचारपत्रों में इस बात चीत के प्रति जो अभियान चल रहा है क्या उसके पीछे बड़े बड़े निर्यातकर्त्ताओं का हाथ है? मेरे विचार में कोई भी खरीदार यह नहीं कह सकता कि वह किसी प्रणाली विशेष के माध्यम से माल नहीं खरीदेगा।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम को खरीदारों की इन्स्पैक्शन की पूरी सुविधायें उपलब्ध करानी चाहियें जिससे वे स्वयं को माल की किस्म के बारे में संतुष्ट कर सकें।

क्या खानों के सरकारीकरण तथा उनको एक निगम के माध्यम से चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह ठीक नहीं है कि बातचीत टूट गई है। बातचीत अभी चल रही है। किसी भी समाजवादी देश ने यह नहीं कहा है कि वह खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से अभ्रक नहीं खरीदेगा।

मूल करारों में इस बात की व्यवस्था थी कि खरीदार स्वयं किस्म के बारे में निरीक्षण कर सकते हैं। खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास अब खानों में अपने इन्स्पैक्टर हैं। इस प्रकार किस्म के निरीक्षण के लिये दोहरी व्यवस्था है।

30 और 70 प्रतिशत का अनुपात अब भी रखा गया है। यह प्रतिबन्ध छोटे तथा बड़े खान-मालिकों तथा निर्यातकर्त्ताओं पर लागू होता है। छोटे तथा बड़े खान मालिकों तथा निर्यातकर्त्ताओं में कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। जब से कैनेलाइजेशन की प्रणाली अपनाई गई है तब से कोई भी खान बन्द नहीं हुई है। इससे पता लगता है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अभ्रक के व्यापार को अपने हाथों में लेने से सभी को विशेषकर, छोटे खान मालिकों तथा निर्यातकर्त्ताओं को लाभ हुआ है। खानों के राष्ट्रीयकरण का मामला एक महत्वपूर्ण मामला है और अभी हमारे पास इसके लिये तकनीकी जानकारी नहीं है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक इन खानों का सरकारीकरण करना ठीक नहीं है परन्तु इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा।

श्री बालदण्डायुत्तम (कोयम्बटूर) : अभ्रक की देश में बहुत कम खपत है। लगभग सारे अभ्रक का निर्यात किया जाता है। माननीय मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि अभ्रक का उत्पादन कम हो रहा है। इसके निर्यात में भी कमी हुई है।

समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है कि प्रतिवर्ष लगभग 2.5 करोड़ रुपये का अभ्रक चोरी छिपे ब्रिटेन तथा अन्य देशों को भेजा जाता है।

जर्मन जनवादी गणराज्य द्वारा इस सम्बन्ध में तीन करोड़ रुपये के करार को रद्द कर दिये जाने के क्या कारण हैं ? क्या वह अभ्रक की किस्म के बारे में संतष्ट नहीं थे ?

क्या प्रति वर्ष अभ्रक के मूल्य बढ़ाए जाने के कारण उपभोक्ता देश वैकल्पिक साधन ढूंढने पर विवश हो गये हैं ?

मैं जानना चाहता हूं कि समाचारपत्रों को यह सूचना किस प्रकार मिल गई कि बातचीत में कठिनाई उत्पन्न हो गई है ?

क्या सरकार इस अभ्रक के व्यापार में राजनीति नहीं खेल रही है? क्या सरकार अभ्रक की निर्मित वस्तुओं के निर्माण के लिये उद्योग स्थापित करने पर विचार करेगी ? अब ऐसी अवस्था आ गई है जबकि हम केवल अभ्रक के निर्यात पर ही निर्भर नहीं रह सकते। यदि हम निर्मित वस्तुओं का निर्यात करें तो हम 160 करोड़ रुपये का माल बाहर भेज सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि विदेश व्यापार मंत्रालय के कार्यकारी ग्रुप की सिफारिशें क्या हैं और क्या उनको क्रियान्वित कर दिया गया है ? क्या माननीय मंत्री अभ्रक के समूचे निर्यात व्यापार के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार करेंगे।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : खनिज तथा धातु व्यापार निगम के इस क्षेत्र में प्रवेश से पूर्व अभ्रक के उत्पादन में धीरे धीरे कमी हो रही थी। परन्तु अब ऐसी बात नहीं है। अब उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

जर्मन जनवादी गणराज्य ने अभ्रक क्रय करने से इन्कार नहीं किया है। दूसरे समाजवादी ग्रुप के किसी भी देश ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से अभ्रक खरीदने से इन्कार नहीं किया है। करारों को अन्तिम रूप देने में कुछ समय लगेगा।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच-बिहार) : निर्यात किये जाने वाले परिष्कृत अभ्रक की किस्म के बारे में खरीदारों को सन्देह हो रहा है। क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम परम्परागत उत्पादकों तथा निर्यातकर्त्ताओं से अभ्रक खरीदता है और कि उसकी किस्म वही है जो व्यापार प्रतिनिधिमण्डल को दिखाई गई थी ? यदि ऐसा है, तो फिर किस्म के बारे में प्रश्न के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं ? क्या यह सच है कि छोटी खानों के मालिकों की तथा

कथित परम्परागत निर्यातकर्त्ताओं तक उपेक्षा अथवा शोषण किया जा रहा है ? रिपोर्ट में यह कहा गया है कि छोटी खानों के मालिकों को खनिज तथा धातु व्यापार निगम से भी कोई सेवा प्राप्त नहीं हो रही है । खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा जिन मदों का निर्यात किया जाता है उन सभी के निर्यात में कमी हुई है । 1972 में देश से अभ्रक को बाहर भेजे जाने की क्या प्रणाली थी ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अभ्रक के निर्यात व्यापार के विस्तार के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ? दूसरे, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि बातचीत में जो बाधा पड़ गई है उस को किस प्रकार दूर किया जायेगा ?

क्या यह भी सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने विभिन्न देशों को अभ्रक के निर्यात के लिये अलग अलग नियम बना रखे हैं ? माननीय मंत्री इस बारे में स्थिति स्पष्ट करके बतायें ।

क्या छोटी खानों के मालिकों तथा उत्पादकों को उचित निर्यात मूल्य दिया जा रहा है ? मेरे पास एक परिपत्र है जिससे पता लगता है कि एक विशेष किस्म के अभ्रक का निर्यात मूल्य 529.37 रुपये प्रति किलोग्राम है जबकि इसका मुद्रित मूल्य 476.44 रुपये प्रति किलोग्राम है । निगम बाजार भाव से दस से बीस प्रतिशत कम मूल्य पर अभ्रक क्रय करता है । यदि ऐसा है, तो इससे छोटी अभ्रक खानों के स्वामियों को कैसे सहायता मिलेगी ।

सरकार छोटे खान मालिकों को राहत देने और सारे व्यापार को सरकारी माध्यम से करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है परन्तु क्या वह अभ्रक खान के मजदूरों को राहत देने के लिये भी उतनी ही उत्सुक है ? क्या कोयला मजूरी बोर्ड की तरह अभ्रक बोर्ड अथवा अभ्रक व्यापार निगम के माध्यम से एक अभ्रक खान श्रमिक मजूरी बोर्ड का गठन करेगी जिससे इन श्रमिकों के साथ न्यायोचित व्यवहार हो सके, अन्यथा सरकारी माध्यम से अभ्रक का व्यापार करने से अभ्रक के खान मजदूरों को लाभ नहीं होगा ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : खनिज और धातु व्यापार निगम के अधिकारी राजनीति में नहीं उलझे हैं, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा था । वे एक अच्छे अर्थ शास्त्र का अनुसरण कर रहे हैं ।

दूसरे उन्होंने कहा कि वे अधिकारी दुहरा मानदण्ड अपना रहे हैं—एक समाजवादी देशों के साथ और दूसरा गैर-समाजवादी देशों के साथ । मैं पहले ही इसका नकारात्मक उत्तर दे चुका हूं । मैं फिर से कहना चाहता हूं कि सब देशों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है ।

जिस मूल्य के बारे में उन्होंने उल्लेख किया, उसके बारे में अगर वह मुझे जानकारी दे देंगे, तो मैं इसकी जांच कराऊंगा और बाद में तत्सम्बन्धी परिणाम की जानकारी दे दूंगा । विवरण का अध्ययन किये बिना अचानक सदन में जानकारी दे सकना सम्भव नहीं है ।

जहां तक उद्योग को बढ़ावा देने का प्रश्न है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि सरकारी माध्यम से व्यापार करने से छोटे खान-मालिकों और निर्यातकर्त्ताओं को सहायता मिलेगी । अभ्रक की ओर उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिये निर्यात शुल्क और समर्थन मूल्यों में संशोधन करने के अलावा, मंत्रालय ने अन्य उपाय भी किये हैं । प्रक्रियाओं को सरल और उदार बना दिया गया है ।

परिष्कृत अभ्रक का व्यापार ही सरकारी माध्यम से करने का निर्णय किया गया है । वर्ष 1972–73 की तुलना में अभ्रक के निर्यात और अभ्रक-व्यापार से वर्ष 1973–74 में 2 से 3 करोड़ रुपये अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है । अभ्रक के निर्यात में वृद्धि करने के लिये मंत्रालय ने कुछ ठोस उपाय किये हैं ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि रूसी और पोलिश टीमें करार पर बिना हस्ताक्षर किये इसलिये वापस चली गईं कि वे अपनी रुचि की कम्पनियों के माध्यम से आयात करना चाहती थीं ताकि लाभ की राशि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जा सके ? नवभारत इन्टरप्राइजिज के माध्यम से रूस को जो तम्बाकू का एकाधिकारी निर्यात किया जाता है, उससे होने वाले लाभ की अधिकांश राशि एक पार्टी विशेष को दी जाती है ।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभ्रक का उत्पादन मंत्री महोदय के आश्वासन के बावजूद 27,000 टन से घटकर 13,000 टन रह गया है, जिससे खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अपेक्षित स्तर की सामग्री सप्लाई करने

की अक्षमता का पता चलता है, क्या रूस और पोलैंड की टीमें बिना समझौता किये इसलिये लौट गई कि उनकी रुचि की फर्मों के माध्यम से उनको आयात करने की अनुमति नहीं दी गई ? केवल 30 प्रतिशत व्यापार ही खनिज और धातु व्यापार निगम के माध्यम से करने के क्या कारण हैं ?

सरकार लगभग 200 छोटे अभ्रक खानमालिकों के हितों को सुरक्षित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? सरकार श्रमिकों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? जिस अभ्रक बोर्ड का गठन किया जा रहा है, वह वाणिज्य मंत्रालय के अधीन होगा अथवा इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : रूस और पोलिश टीमें इसलिये वापस नहीं गई कि वे अपनी रुचि की फर्म के माध्यम से अभ्रक का आयात करने के लिये सरकार पर दबाव डालने में असफल रहीं । इस तरह की बातें कहना ठीक नहीं हैं । उन्होंने सरकारी तौर पर कहा है कि बातचीत अभी टूटी नहीं है । बातचीत सन्तोषजनक रही है और आशा है कि निकट भविष्य में समझौता हो जायेगा । खनिज और धातु व्यापार निगम का कार्यकरण भी सन्तोषजनक रहा है । मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि छोटे खान मालिकों और निर्यातकर्त्ताओं की सरकार हर सम्भव सहायता करेगी और बड़े व्यापार गृहों का एकाधिकार समाप्त करने के लिये ही खनिज और धातु व्यापार निगम ने इस क्षेत्र में पदार्पण किया है ।

अभ्रक बोर्ड खनिज और धातु व्यापार निगम की एक शाखा है और यह वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेगा ।

श्री हरिकिशोरसिंह (पुपरी) : मंत्री महोदय ने बार बार कहा है कि बातचीत विफल नहीं हुई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि बातचीत में कितनी प्रगति हुई हैं और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं । विलम्ब से खनिज और धातु व्यापार निगम और अपने मित्र देश रूस के बारे में शंकायें उत्पन्न होती हैं । सरकार अभ्रक व्यापार को आर्थिक रूप से संकटग्रस्त मानती है अथवा नहीं; क्योंकि आंकड़ों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह एक आर्थिक रूप से संकट ग्रस्त उद्योग है । 1958 में कुल उत्पादन 31,942 टन था, जो 1968 और 1971 में घटकर क्रमश: 18265 टन और 14468 टन ही रह गया । वर्ष 1965 में 10948 टन चादर अभ्रक का निर्यात किया गया, जो वर्ष 1971 में घटकर 7,617 टन ही रह गया । इसी प्रकार 1965 में 25838 टन अभ्रक की छीलन का निर्यात किया गया था, जो वर्ष 1971 में घटकर 13,965 टन रह गया । 1966 में 665 खानें थीं, जो घटकर 504 ही रह गईं । क्या मंत्री महोदय अभ्रक उद्योग को संकटग्रस्त उद्योग मानते हैं अथवा नहीं ? यदि मानते हैं, तो क्या संकटग्रस्त कपड़ा उद्योग के बारे में सरकार ने जो कार्यवाही की है, उसी तरह की कार्यवाही इस उद्योग के बारे में भी की जायेगी ?

खनिज तथा धातु व्यापार निगम का कार्यकरण निराशाजनक रहा है, क्योंकि 23 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4455 के उत्तर के अनुसार खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा 18 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात करने के बावजूद, उक्त निगम लाभ अर्जित करने की स्थिति में नहीं है ।

सरकार ने 1 जनवरी, 1973 से अभ्रक उद्योग को निर्यात शुल्क में 15 प्रतिशत से 40 प्रतिशत मूल्यानुसार छूट दी है, परन्तु उद्योग की एकाधिकारी और बड़ी कम्पनियां फिर भी सन्तुष्ट नहीं हैं और खनिज तथा धातु व्यापार निगम और आयातकर्त्ता हमारे मित्र देशों को बदनाम कर रही हैं ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से अभ्रक का व्यापार करने के बारे में मंत्री महोदय ने बड़े बड़े दावे किये हैं । भारत अभ्रक उद्योग संघ द्वारा 5 जुलाई, 1971 को प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन के अनुसार, अभ्रक नियन्त्रण आदेश और भारत सरकार द्वारा निम्नतम मूल्य निर्धारित कर देने के पश्चात सारा निर्यात व्यापार बड़े निर्यातकर्त्ताओं के हाथ में चला गया है । यह भी आरोप लगाया गया है कि अभ्रक का न्यूनतम मूल्य अभ्रक निर्यात संवर्धन परिषद् की सिफारिश पर निर्धारित किया गया था, जिसमें बड़े निर्यातकर्त्ताओं का बहुमत है । मैं यह जानना चाहता हूं कि अभ्रक व्यापार सरकारी माध्यम से करने से छोटे व्यापारियों को क्या लाभ हुआ है ? क्या यह भी सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने आयातकर्त्ताओं को बढ़िया अभ्रक के बदले घटिया किस्म का अभ्रक सप्लाई किया ? अगर हां, तो यह बहुत ही गंभीर बात है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कुछ बड़े अभ्रक व्यापारी दिल्ली में अशोक होटल जैसे आलीशान होटलों में ठहरे हुए हैं और सरकार पर नीति बदलने के लिये दबाव डाल रहे हैं ?

क्या बिहार के अभ्रक उत्पादकों न सरकार को ऐसा कोई ज्ञापन दिया है जिसमें 'केनेलाइजेशन, स्कीम को पूरी तरह समाप्त करने की मांग की गई है ? 31 मार्च, 1973 को 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित समाचार को देखते हुए, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम और रूस, पोलैंड, चैकोस्लोवाकिया तथा हंगरी के प्रतिनिधियों के बीच जो बातचीत हुई थी, उसकी विफलता का समाचार कैसे प्रकाशित हुआ ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या गिरिडीह में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्य के प्रभारी अधिकारी श्री जैन के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं और यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? क्या परिष्कृत अभ्रक और परिष्कृत उत्पाद के मूल्यों में 1 : 10 का अनुपात है ? क्या सरकार विभिन्न देशों को परिष्कृत अभ्रक के निर्यात करने के बारे में विचार कर रही है ? क्या सरकार अभ्रक व्यापार के राष्ट्रीयकरण क प्रश्न पर विचार कर रही है अथवा नहीं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : माननीय सदस्य ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं और उनका मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं । समझौते के बारे में मैं बता चुका हूं कि निकट भविष्य में समझौता होने की संभावना है । बिना प्रमाण, आंकड़ों और निश्चित आरोपों के सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाना उचित नहीं ।

अशोक होटल में ठहरे हुए बड़े अभ्रक खान मालिकों के बारे में और मंत्रालय पर उनके दबाव के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री वर्मा, श्री मिश्र, श्री भट्टाचार्य, श्री ईरा सेझियान, श्री पटेल और श्री बसु ने वाक आउट के समय मेरे द्वारा कहे गये शब्दों पर आपत्ति की है । वाक आउट के बाद मैंने कहा था कि सप्ताह के अन्त में ही होते हैं । कुछ सदस्य इन्हें आक्षेपात्मक समझते हैं, अगर ऐसा है तो मैं इन्हें वापस लेता हूं । अगर आप समझते हैं कि मैं गलती पर हूं, तो मुझे कुछ नहीं कहना । कभी-कभी तनाव से मुक्ति पाने के लिये मैं ऐसा करता हूं । वाक आउट के बाद श्री राम सहाय पान्डे ने कहा था कि यह पूर्व-निर्धारित था । उनका कथन वाद-विवाद में नहीं आया है, परन्तु मेरा कथन वहां है । मैंने कहा था कि यह विचार विमर्श के बाद किया गया था । मेरी सभी के साथ अच्छी मित्रता और प्रेम है, परन्तु प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्नों पर हममें मतभेद हो सकता है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : वाद-विवाद में 14 स्थानों पर "अध्यक्ष महोदय" आया है और बीच में किसी के भी नाम का उल्लेख नहीं है । इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वागत कथन हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : जब दस सदस्य इकट्ठे खड़े हों, तो रिपोर्टर सबकी बात को नोट नहीं कर सकता । इसीलिये अगर एक एक करके सदस्य बोलें तो मैं सबको सुन सकूंगा । जब अध्यक्ष खड़ा हो जाये, तो आप लोगों को अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए ।

स्थगन प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT

आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम में संशोधन करने के बारे में उच्चतम न्यायलय के समक्ष महान्यायवादी के वक्तव्य का समाचार

अध्यक्ष महोदय : महा न्यायवादी के वक्तव्य के बारे में मुझे श्री दीनेन भट्टचार्य, श्री श्यामनन्दन मिश्र, श्री कल्याणसुन्दरम, श्री ज्योतिर्मय बसु और श्री इरा सेझियान से विशेषाधिकार प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए है । श्री ज्योतिर्मय बसु और श्री इरा सेझियान से स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं । श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री कल्याणसुन्दरम, प्रो० मधु दण्डवते और श्री भोगेन्द्र झा से नियम 377 के अधीन नोटिस प्राप्त हुए हैं । इसी विषय पर ग्यारह सदस्यों से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नोटिस भी प्राप्त हुए हैं ।

अब आप बतायें पहले किसे लिया जाए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : आप पहले स्थगन प्रस्ताव को लें ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। महान्यायवादी को यहां आकर वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : महान्यायवादी को सदन में बठने और बहस में भाग लेने का अधिकार है। क्यों न हम उनसे पहले जानकारी ले लें और फिर बाद में इस मामले पर विचार करें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह प्रश्न महान्यायवादी के कथन से ही नहीं, बल्कि न्यायाधीशों के कथन से भी सम्बन्धित है। राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा, इसलिये सरकार अध्यादेश जारी करने पर विचार कर रही है। हजारों आदमी जेल में सड़ रहे हैं, वे अब तक रिहा हो गये होते, परन्तु महान्यायवादी के इस प्रकार के वक्तव्य के कारण यह सब हो रहा है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रवक्ता होता है और वह जो कुछ भी उच्चतम न्यायालय अथवा अन्यत्र कहता है, वह सरकार के आदेशानुसार कहता है। इसलिये, मेरे विचार में एक उच्च और प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त महान्यायवादी के आचरण की भर्त्सना करना पूर्णतया अनुपयुक्त होगा। इस मामले में सरकार का हाथ है, क्योंकि अगर समाचार सही है तो इसके अनुसार सरकार देश के नागरिकों के सिविल अधिकारों का हनन करते हुए कानून में संशोधन करना चाहती है—इस प्रश्न पर लोक सभा को विचार करना है। अतः सरकार की भर्त्सना करने के लिये स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अगर सरकार अध्यादेश जारी करती है, तो हमारे सिविल अधिकारों पर चोट पहुंचेगी। सरकार के प्रवक्ता के रूप में बोलते हुए महान्यायवादी ने उच्चतम, न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध एक प्रतिगामी उपाय के रूप में कानून में संशोधन करने का आश्वासन दिया है और इस प्रकार संसद की भूमिका का महत्व कम करने का प्रयास किया है।

सरकार और सर्वोच्च न्यायालय जनता की न्यूनतम नागरिक स्वतन्त्रता के मामले में यह भूमिका अदा कर रहे हैं कि श्री डे० ने उच्चतम न्यायालय में यह कहा है कि न्यायालय निर्णय को स्थगित करे ताकि सरकार आवश्यक कार्यवाही कर सके। (**व्यवधान**) । यह बहुत गम्भीर मामला है। अतः इस मामले पर इस संदर्भ में विचार करना चाहिए। इस बारे में विनिर्णय दिया जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : महान्यायवादी अपनी निजी हैसियत से नहीं बोल रहे थे बल्कि वह निदेशानुसार कार्य कर रहे थे। क्या महान्यायवादी ने कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया है जिनका उल्लेख करने की उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी हम स्थगन प्रस्ताव का अनुरोध कर रहे हैं। हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैंने स्थगन प्रस्ताव और विशेषाधिकार के प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मेरा स्थगन प्रस्ताव सरकार द्वारा अपने कर्त्तव्य में असफल रहने से सम्बन्धित है। मेरा स्थगन प्रस्ताव बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार द्वारा महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की ओर से तर्क करने के लिये उचित सलाह न देने के परिणामस्वरूप आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम में विशेषरूप से संशोधन किया जायेगा जो संसद् के कृत्यों की उपेक्षा है।

मेरा विशेषाधिकार का प्रस्ताव निजीतौर पर महान्यायवादी के विरुद्ध है।

Shri Atal Bihari Vaipayee (Gwalior) : I request that the Adjournment Motion be taken up first. The Attorney General occupies a very important place in our constitution. But from his statement in the Supreme Court, it appears that he was not properly briefed by the Government.

I request that we should be allowed to bring an Adjournment Motion in this regard. The House should also be informed about the information supplied to the Attorney General.

Our Adjournment Motion should be admitted before a clarification is given by the Hon. Minister in this matter.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : सर्वप्रथम इस बात का पता लगाना चाहिए कि महान्यायवादी ने अपने को एक अधिवक्ता की हैसियत से प्रस्तुत किया था अथवा वह सरकार के वकील के रूप में पेश हुए थे, क्योंकि समस्त स्थगन प्रस्ताव महान्यायवादी से सम्बन्धित है, श्री नीरेन डे० से नहीं।

दूसरे, इस मामले का सम्बन्ध नागरिक स्वतन्त्रता से है। महान्यायवादी और उच्चतम न्यायालय द्वारा नागरिक स्वतन्त्रता पर रोक लगाने से यह मामला स्थगन प्रस्ताव के लिये उपयुक्त मामला है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सरकार न केवल महान्यायवादी को उचित सलाह देने में असफल रही है बल्कि उसने इस मामले में संसद की भी उपेक्षा की है। यह बहुत गम्भीर मामला है। सरकार ने इस मामले में न्यायालय और संसद को गुमराह किया है। अतः यह स्थगन प्रस्ताव के लिये उपयुक्त मामला है।

श्री वी० के० कृष्ण मेनन (त्रिवेन्द्रम) : महान्यायवादी को, जो अपने पक्ष की ओर से बोल रहे थे, सुनना उचित था। संसद में चल रही चर्चा से उनका कोई सम्बन्ध नहीं। सरकार ने इसमें संशोधन करने का उचित निर्णय किया है। इस चर्चा के परिणामस्वरूप इस देश के कानून के अंश रूप में निवारक निरोध के प्रश्न पर पूरी चर्चा का मार्ग खुल जाएगा इस मामले को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : स्थगन प्रस्ताव ही एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके माध्यम से सब बातों पर यहां चर्चा की जा सकती है। सरकार के प्रवक्ता के रूप में महान्यायवादी ने संसद के अधिकार स्वयं प्राप्त कर लिये और यहां तक कहा है कि वह उक्त विधेयक को पास करा देंगे अथवा इस कानून में संशोधन किया जायेगा। इससे मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है। अतः इन परिस्थितियों में स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए और हमें इस विषय पर पूरी चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् (तिरूचिरापल्ली) : यह बात अलग है कि इस मामले में महान्यायवादी उत्तरदायी है अथवा सरकार अथवा दोनों। यह बात समझ में नहीं आती कि श्री ठेंगड़े दो सप्ताह का समय देने के लिये कैसे सहमत हो गए जिससे संसद इस अधिनियम में संशोधन कर सके। संसद के बारे में लोग यही सोचेगें कि महान्यायवादी संसद में कोई भी कानून अपनी इच्छानुसार पास करवा सकते हैं। यह सभा का अवमान है। सभा की गरिमा को बनाये रखा जाना चाहिए। अतः स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यह बहुत गम्भीर मामला है क्योंकि देश में संवैधानिक प्रणाली अपनाने से ही सरकार संसदीय प्रक्रिया का आदर करती रही है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब संसद का सत्र आरम्भ होने वाला होता था तो उससे पहले ही अध्यादेश जारी कर दिये जाते थे। यह प्रक्रिया खतरनाक है। अब जब हमें इस मामले की जानकारी है और सभा का सत्र भी चल रहा है, संसद में विचार किये बिना अनेक बातें कही जा रही हैं। अतः जब तक हम इसी समय सरकार की निन्दा करने का अवसर प्राप्त नहीं कर लेते, हम देश में लोकतन्त्र की, जितना वह बचा है, रक्षा नहीं कर सकेंगे। अतः स्थगन प्रस्ताव को गृहीत किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि सरकार की असफलता की बात उठाई गई है, अतः विधि मंत्री स्थिति स्पष्ट करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप विधि मंत्री को इस अवस्था में बोलने की अनुमति कैसे दे सकते हैं ?

श्री मोहम्मद खुदा बख्श (मुर्शिदाबाद) : यदि हम इस मामले पर अभी चर्चा करते हैं तो ऐसा करना उच्चतम न्यायालय के बारे में निर्णय देना होगा।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : इस मामले में दो प्रश्न उठाये गये हैं। पहला प्रश्न उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन मामले से सम्बन्धित है जिसके बारे में महान्यायवादी ने आश्वासन दिया है। दूसरा प्रश्न महान्यायवादी के विरुद्ध विशेषाधिकार के मामले से सम्बन्धित है। नियम 58 के अनुसार स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए और न इसका सम्बन्ध किसी ऐसे मामले से होना चाहिए जो न्यायालय में विचाराधीन हो। लेकिन इस प्रस्ताव का एक ऐसे मामले से सम्बन्ध है जो उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और इसमें महान्यायवादी के विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला भी उठाया गया है। अतः इस प्रस्ताव को गृहीत नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री महाजन ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। इस मामले को या तो विशेषाधिकार का मामला या फिर स्थगन प्रस्ताव का मामला माना जा सकता है ; क्योंकि इस मामले में नियम स्पष्ट हैं। (**व्यवधान**) नियमों में यह व्यवस्था है कि इस विषय पर 4 बजे म० प० पर चर्चा की जायेगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : श्री राज बहादुर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) वाणिज्य पोतपरिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्य पोतपरिवहन (मछली पकड़ने के पोतों के इंजीनियरों और इंजिन ड्राइवरों की परीक्षा) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 136 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 4674/73]**

(2) मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली मोटरगाड़ी (छठा संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी, 1973 में अधिसूचना जन संख्या एफ० 3(80)/72-टी.पी टी में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 4675/73]**

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, के वर्ष 1971-72 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 4676/73]**

वाणिज्य मंत्री (प्रो डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं वर्ष 1973-74 के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति-- खण्ड 1 और 2 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 4677/73]**

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : मैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और 34 को मिलाने वाले विवेकानन्द पुल के सड़क भाग समेत बेलघरिया एक्सप्रैस-मार्ग के बारे में केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के बीच हुए दिनांक 13 दिसम्बर, 1972 के समझौते (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 4678/73]**

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के उपबंधों के अन्तर्गत आन्ध्र विश्व-विद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (1972 का संख्या 7) की एक प्रति, जो आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 30 दिसम्बर, 1972 को प्रख्यापित किया गया था।

(2) विधान-मण्डल के समक्ष अध्यादेश न रखे जा सकने की परिस्थितियां स्पष्ट करने वाला एक विवरण। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 4679/73]**

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं तीसरे वेतन आयोग का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं जो मुझे 31 मार्च, 1973 को पेश किया गया। सदस्यों की उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए, मैं प्रतिवेदन की साइक्लोस्टाईल की गई कुछ प्रतियां सभा-पटल पर रख रहा हूं। प्रतिवेदन को मुद्रित कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण तैयार किया जा रहा है जिसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

सरकार ने आयोग की सिफारिशों की शीघ्रता से जांच करने के लिये एक कक्ष की स्थापना की है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want to know whether it is the full report of the Pay Commission ? It should be distributed immediately to the hon. members.

We want an early opportunity to discuss the report. There is great discontentment amongst the Central Government employees regarding the report. Class III and Class IV employees may have to resort to agitation in this regard.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): वेतन आयोग का प्रतिवेदन तीन वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में भारी असन्तोष है । तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी प्रतिवेदन से बहुत अधिक असन्तुष्ट हैं । वेतन आयोग ने बहुत अन्याय किया है और मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि कर्मचारियों के साथ बातचीत की जानी चाहिए और इस विषय पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए । मैं वित्त मंत्री से इस बात का आश्वासन चाहूंगा कि प्रतिवेदन के कुछ पहलुओं को संयुक्त सलाहकार तंत्र और सलाहकार समिति से राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श किये बिना क्रियान्वित नहीं करना चाहिए ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर). : प्रतिवेदन पर चर्चा के लिये अवश्य समय निर्धारित किया जाना चाहिए । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन पर चर्चा के लिये हम समय निर्धारित करेंगे

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : वित्त मंत्री ने बताया है कि प्रतिवेदन का अध्ययन करने के लिये एक सैल की स्थापना की गई है । क्या इसकी स्थापना वित्त मंत्रालय अथवा प्रधान मंत्री सचिवालय में की गई है ? दूसरे, उक्त सैल द्वारा किये गये अध्ययन के परिणामों का कब तक पता लगेगा ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वित्त मंत्री को इस बात का आश्वासन देना चाहिए कि कई लाख कर्मचारियों की वेतनमानों सम्बन्धी सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व उनके साथ पूरी तरह विचार विमर्श किया जायेगा ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रतिवेदन की पूरी जांच करने से पूर्व ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता (**व्यवधान**) मेरे लिये इसके बारे में समय का उल्लेख करना कठिन है पर हम इस मामले पर शीघ्र निर्णय लेने का प्रयास करेंगे ।

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं उड़ीसा राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1973 और दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक, 1973 के बारे में राज्य सभा से प्राप्त दो संदेशों की सूचना देता हूं ।

उड़ीसा राज्य विधान मंडल शक्तियों का प्रत्यायोजन, विधेयक
ORISSA STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

सचिव : मैं उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1973, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं ।

विदेशों से 'माइलो' की खरीद के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: PURCHASE OF MILO FROM ABROAD

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : माननीय सदस्यों को चालू वर्ष के दौरान विदेशों से वाणिज्यिक आधार पर लगभग 20 लाख मी० टन गेहूं/माइलो के खरीदने के बारे में सरकार के निर्णय की जानकारी है। जहां तक माइलो का सम्बन्ध है, 6.5 लाख मी० टन माइलो खरीदने का ठेका हो चुका है और उसे जहाजों से लाने के लिये आवश्यक प्रबन्ध किए जा चुके हैं। माइलो के कुछ प्रेषणों में धतूरे बीज होने का पता लगने पर सरकार ने अब माइलो की और खरीदारी बन्द करने का निर्णय किया है। खरीद के ठेके की 6.5 लाख मी० टन माइलो में से 1.8 लाख मी० टन माइलो 20 मार्च, 1973 तक भारत की बन्दरगाहों पर पहुंच गई है जबकि माइलो की शेष मात्रा भेजी जा रही है। कुल मिलाकर शेष माइलो को जहाजों से लाने के लिये नौवाहकों आदि के साथ प्रबन्ध हो गए हैं और आवश्यक ठेका भी कर लिया गया है। सरकार को यह सलाह दी गई है कि इन प्रबन्धों और ठेके का पालन किया जाना चाहिए अन्यथा गम्भीर वित्तीय तथा कानूनी जटिलतायें पैदा हो सकती हैं। तथापि ये अनुदेश दिए गए हैं कि माइलो भेजने से पहले उसका बारीकी से निरीक्षण किया जाना चाहिए। जैसा कि सदन में पहले ही बताया जा चुका है, विदेशों से प्राप्त माइलो का वितरण करने से पहले उसे साफ करने के प्रबन्ध कर दिए गए हैं।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

28वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री० के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के 28वें प्रतिवेदन से, जो 30 मार्च, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के 28वें प्रतिवेदन से, जो 30 मार्च, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

स्टेनटोन पाईप एण्ड फाउन्डरी फैक्टरी, उज्जैन में हड़ताल के बारे में

RE: STRIKE IN STANTON PIPE & FOUNDRY FACTORY, UJJAIN

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : I gave a notice under Rule 377 to raise a matter of urgent public importance. In that regard I submit that strike is going on for the last 44 days in the Stanton Pipe and Foundry Factory, Ujjain which is a Government of India Undertaking. The cause of strike is that despite the workers demands for the last three years, the recommendations of the Pay Commission have not been implemented in the engineering Industry. This demand has not been conceded because the management and INTUC are hand in

glove with each other. Some of the striking workers were stabbed by the hooligans of INTUC and they have been admitted to the Hospital at Ujjain. It has become a headache for the local administration to maintain law and order there. Let the hon. Minister intervene immediately and get the strike called off as soon as possible and make a statement thereon.

अनुदानों की मांगें, 1973-74
DEMANDS FOR GRANTS, 1973-74

औद्योगिक विकास मंत्रालय तथा विज्ञान और औद्योगिकी विभाग

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जगन्नाथराव अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपर) : मैं एकाधिकार गृहों के विस्तार के बारे में बोल रहा था । एकाधिकार तथा निर्बंधात्मक व्यापार प्रथायें अधिनियम दोषयुक्त है । उसमें संशोधन किया जाना चाहिए । प्रतिवेदन में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है कि फरवरी, 1970 में लाइसेंस नीति में संशोधन किये जाने के परिणामस्वरूप बड़े-बड़े व्यावसायिक गृहों द्वारा अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कितना पूंजी निवेश किया गया । फरवरी, 1970 से फरवरी, 1973 तक कितना पूंजी निवेश किया गया और मध्यम तथा लघु उद्योगों द्वारा कितना पूंजी निवेश किया गया ।

सरकार को चाहिए कि मध्यम और लघु उद्योगों को पनपने दें ताकि वे बड़े-बड़े व्यावसायिक गृहों का विस्तार रोक सके ।

लघु उद्योगों ने अच्छा कार्य किया है और उनका उत्पादन भी बढ़ा है तथा वे निर्यात भी कर रहे हैं । फिर भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । लघु उद्योगों को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम विकास से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके और वे निर्यात बाजार भी स्थापति कर सकें ।

पिछड़े क्षेत्रों में बड़े और मध्यम उद्योग गृहों ने कोई उद्योग स्थापित नहीं किये हैं अतः सरकार का यह कर्त्तव्य है कि व प्रत्येक पिछड़े जिले में मुख्य-मुख्य स्थानों पर मध्यम उद्योग स्थापित करें ।

उद्योग का विकास नवीनतम औद्योगिकी और वैज्ञानिक विकास पर निर्भर करता है । 1954 में एन०आर०डी०सी० की स्थापना की गई थी परन्तु यह प्रशंसनीय कार्य नहीं कर रहा है । एन०आर०डी०सी०, सी०एस०आई०आर०, क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं, निजी उद्योग और विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं के बीच समन्वय होना चाहिए ताकि उद्योगों को पेश आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिये समन्वित प्रयास किया जा सके ।

मैं नहीं समझता कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, द्वारा प्रशिक्षण के लिये भेजे गये अधिकारियों का प्रशिक्षणोपरान्त, उन पदों पर उपयोग किया जाता है या नहीं, जिनके लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है ।

उद्योगों के काम में आने वाली सामग्री और उत्पादन के बीच उत्पादकता अनुपात होता है । उत्पादकता के लिये दो चीजें आवश्यक हैं, अर्थात, आधुनिक उपकरण और शिक्षित श्रमिक । यदि ये दोनों चीजें होंगी तो उत्पादकता अवश्यम्भावी है ।

प्रतिवेदन से मुझे पता चला है कि विदेशी सहयोग के लिये प्राप्त हुए 511 आवेदन-पत्रों में से 257 को मंजूरी दे दी गई है जिनमें से 36 आवेदन-पत्र विदेशी पूंजी निवेश के लिये हैं । विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति क्यों दी जाती है ?

गैर-सरकारी क्षेत्र से कहा जाना चाहिए कि वह अपने मुनाफे का कुछ अंश अनुसंधान और विकास कार्यों पर लगायें । मंत्रालय को इस बात के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि गैर-सरकारी क्षेत्र अपनी भूमिका निभाएं ।

आज सरकारी क्षेत्र की कठिनाई यह है कि इसे जितना विकास करना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। 1956 के औद्योगिक विकास संकल्प उद्योगों के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र को प्रमुख भूमिका प्रदान करता है। सरकारी क्षेत्र को अपनी भूमिका निभानी चाहिये ताकि यह देश की अर्थव्यवस्था और समृद्धि में शिखर पर पहुंच सके।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : 2 फरवरी, 1973 को नवीनतम लाइसेंस नीति की घोषणा की गई और कहा गया कि वे 1956 के संकल्प के अनुसार चलना चाहते हैं। 'द इकोनोमिक टाइम्स' में दिये गये आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1970–71 के दौरान 201 कम्पनियों की आस्तियों में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और पिछले दो वर्षों में एकाधिकार गृहों ने बहुत विस्तार किया है। क्या सरकार ने एकाधिकार गृहों के हाथों में आर्थिक जमाव न होने देने के लिये कदम उठाये हैं या वह इन गृहों को रियायत के बाद रियायत देकर अपनी नीति से पीछे हट रही है? नवीनतम औद्योगिक लाइसेंस नीति एकाधिकार गृहों के प्रति आत्म-समर्पण है।

इसी प्रकार विदेशी एकाधिकार के सहयोग के मामले में भी वृद्धि हुई है। विदेशी और भारतीय दोनों ही एकाधिकार गृह मिल कर देश का शोषण करने की कोशिश क्यों करते हैं? हम नहीं जानते कि एकाधिकार और निर्बंधात्मक व्यापार प्रथायें, अधिनियम, ऋण देने वाली संस्थाओं और औद्योगिक लाइसेंस नीति ने कहां तक कार्य किया है। क्या उन्होंने एकाधिकार गृहों पर रोक लगाने के लिये कार्य किया है या उनकी सहायता करने के लिये? लघु उद्योगों और सहकारी संस्थाओं को कठिनाई हो रही है।

जब तक सरकार एकाधिकार गृहों को अपने नियंत्रण में नहीं लेगी तब तक देश का संकट दूर नहीं हो सकता।

मैं यह नहीं कहता कि सरकारी क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। यदि सरकार उत्पादन कम होने की बात कहती है तो उसके लिये दोष श्रमिकों पर नहीं लगाया जाना चाहिए। यदि कोई इस मामले में कुछ जानना चाहे तो उसे गोष्ठियों की कार्यवाही को पढ़ना चाहिए। उन्हें पढ़ कर हम यह आशा करें कि सरकारी क्षेत्र के प्रबन्ध में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व हो ताकि वे प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभा सकें।

शायद एकाधिकार गृहों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की बनावटी कमी पैदा की जा रही है ताकि मूल्य बढ़ें।

मंत्री महोदय हमें बतायें कि सीमेंट की कमी वास्तविक है या बनावटी और सीमेंट उद्योग में क्या हो रहा है? सीमेंट का उत्पादन बढ़ा है परन्तु सीमेंट उद्योग में चोर बाजारी क्यों हो रही है?

ऐसे संकट के समय में सीमेंट उद्योग के श्रमिक भी असंतुष्ट हैं। गत वर्ष अक्टूबर में जब समूचे देश के सीमेंट उद्योग में आम हड़ताल हुई थी तो औद्योगिक विकास मंत्री ने श्रमिकों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया था कि द्वि-पक्षीय वार्ता से उनके विवाद को 31 दिसम्बर तक हल कर दिया जायेगा परन्तु उस दिशा में अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना औद्योगिक संस्थान के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गई थी। यह परिकल्पना की गई थी कि यह निगम स्वयं कुछ उद्योग चलायेगा परन्तु मुझे पता चला है कि अब यह निगम केवल परामर्शदाता संगठन ही बन कर रह गया है। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास परिषद् के प्रबन्ध-निदेशक के विरुद्ध इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा आरोप लगाया गया था और इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया था। वह अब भी उस पद पर बने हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को क्यों बने रहने दिया जाता है जिसने गलत जानकारी देकर समिति को गुमराह किया था।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए।**
Shri. K.N. Tiwary *in the Chair*]

संयुक्त क्षेत्र के लिये प्रस्ताव के बारे में सरकार को स्पष्टीकरण करना चाहिए। संयुक्त क्षेत्र, कुछ प्रभावशाली बड़े एकाधिकार गृहों और सार्वजनिक कोष को अपने सुधार के लिये प्रयोग में लाने में खतरनाक ढंग से कार्य कर रहा है। जब से मंत्री महोदय ने इस पद को संभाला है, छोटे उद्योगपतियों और श्रमिक नेताओं के दिमाग में यह आशंका घर कर गई है कि मंत्री महोदय बड़े-बड़े एकाधिकार गृहों के प्रति उदार हैं और नीतियों को उनका मतलब सिद्ध करने के लिये बदला जा रहा है। मंत्री महोदय को सत्तारूढ़ दल की उद्घोषणाओं के प्रति निष्ठावान होना चाहिए।

वर्ष 1971–72 के दौरान लाइसेंसों और आशय-पत्रों के लिये केन्द्रीय सरकार को कितने आवेदन पत्र दिये गये और उनमें से कितने निपटाये गए ?

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : 2 फरवरी, 1973 को औद्योगिक नीति की घोषणा करने के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

संविधान के निर्देशक सिद्धांतों में कहीं भी 1956 के औद्योगिक संकल्प के प्रतिकूल व्यवस्था नहीं है। मद्यनिषेध की नीति और निर्देशक सिद्धांतों की कुछ अन्य बातों का परित्याग करने से हमें ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपनी नीति स्पष्ट करे और मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि इस नीति को प्रस्तुत करके उन्होंने साहस का परिचय दिया। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस नीति में फेर-बदल न होने दें और इस मामले में बाहरी और दल के भीतरी किसी भी प्रभाव को आड़े न आने दें।

जहां तक औद्योगिक उत्पादन का सम्बन्ध है वह बढ़ नहीं रहा है और मूल्य बढ़ रहे हैं। कमी और मुद्रा-स्फीति महसूस की जा रही है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 90 प्रतिशत से भी अधिक उत्पादन और कुल राष्ट्रीय आय गैर-सरकारी क्षेत्र में है। सरकार कर्जदार है और जो कुछ धन सरकारी संस्थाओं के पास है वह निजी बचत से आता है। बचत इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे अधिकतम लाभ हो।

इस वर्ष विकास दर में लगभग 7.3 प्रतिशत वृद्धि हुई है परन्तु साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समूचे मूल्य सूचकांक में 8.8 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। इस प्रकार की वृद्धि का कितना प्रभाव पड़ता है। रुपये का मूल्य घट रहा है। अतः हमें अपने कार्यकरण का मूल्यांकन करने की समान पद्धति अपनानी चाहिए।

हमने देखा है कि पिछले दस वर्षों के दौरान पूंजीगत परिसंपत्तियों तथा कच्चे माल की लागत में 180 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है और श्रम लागत में 200 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। अतः मंत्री महोदय को कई संकटग्रस्त उद्योगों को नियंत्रण में लेने के लिये तैयार रहना चाहिए क्योंकि उनके पास घिसी हुई मशीनों को बदलने के लिये पर्याप्त धन नहीं है। पहले वर्ष के दौरान ब्रिटेन सरकार जो कुछ देती है जिससे कारखाने मशीनें बदलने के लिये ठेके कर सकते हैं, उसी पद्धति पर मूल्य-ह्रास भत्ता हो सकता है।

अब हमारे समक्ष पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने का प्रश्न है। वहां न तो संचार व्यवस्था है और न ही सड़कों की; न बिजली है और न प्रशिक्षण देने की सुविधायें हैं।

हमें चाहिए कि आधारभूत ढांचे में सुधार करने की कोशिश करें। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास की गति बढ़ाई जाये। सरकार ने पिछड़े पन के कारणों का पता लगा लिया है। हमें इन पिछड़े क्षेत्रों के लिये ग्राम्य विद्युतीकरण, संचार प्रणाली, समुचित सड़कें तथा यातयात के समुचित साधन प्रदान करने चाहियें। ऐसा करने से इन क्षेत्रों का पिछड़ापन काफी हद तक दूर हो जायेगा।

मैंने पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण को पढ़ा है। हमें किसी विशेष प्रणाली के अनुसार आयोजन करने की आवश्यकता नहीं है; हमें प्रत्येक प्रणाली के प्रति खुला दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमें इसे निष्पक्ष विचार से देखना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसी कुशल प्रणाली को अपनाया जाये जिससे कार्य की गति में अधिकतम वृद्धि हो।

वर्ष 1973 के बाद प्रगति में बाधा का मुख्य कारण बिजली है। इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि डीजल से बिजली उत्पन्न करने वाले सैट आयात करना हमारे लिये उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि ऐसा करने से एक यूनिट बिजली पर लगभग एक रुपया खर्च आयेगा। यह बहुत महंगी पड़ेगी। अतः हमें कम से कम 200 से 300 मैगावाट के बड़े यूनिटों का आयात करना चाहिए। बिजली की व्यवस्था यथाशीघ्र की जानी चाहिए। क्योंकि भारतीयों को रोजगार की और वस्तुओं की आवश्यकता है। वे इस संबंध में अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। प्रगति कम होने के लिये मौसम पर दोष डालना उचित नहीं।

देश में जिन वस्तुओं की कमी है उनका पता लगा कर इस बारे में उचित योजना बना कर उनकी कमी से होने वाली कठिनाई को दूर किया जा सकता है ।

जहां तक सरकारी क्षेत्र में स्थित इस्पात संयंत्रों का सम्बन्ध है, कुछ सदस्यों ने इनकी क्षमता कम होने की बात कही है । इन संयंत्रों द्वारा काम आरम्भ करने पर यह कहा गया था कि ये नये संयंत्र हैं और इनमें काम कर रहे लोग भी प्रशिक्षित नहीं है । अब यह कहा जा रहा है कि इन संयंत्रों के अनुरक्षण की आवयश्कता है । वे पुराने हो गये हैं और उनकी क्षमता घटती जा रही है । इस प्रकार की बातों से कोई लाभ नहीं । यह सर्वविदित है कि इस वर्ष इस्पात का उत्पादन 62 लाख है जबकि 1968 में इस्पात का उत्पादन 65 लाख था । इस उत्पादन में सब मदों का उत्पादन शामिल नहीं है ।

लघु क्षेत्र के बारे में मंत्रालय ने ऋण देने, मूल भूत ढांचे की व्यवस्था करने, निजी ऋण देने और क्षेत्रों का पता लगाने आदि जैसे कार्य किये हैं । लघु क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य के लिये मंत्रालय बधाई का पात्र है ।

हमें यह पता लगाना चाहिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयक कितने पेटेन्ट रजिस्टर किये गये हैं । यदि हम पेटेन्ट आदि के बारे में मूल्यांकन करें तो हमें पता लगेगा कि इस देश में रजिस्टर किये गये पेटेन्टों में से 90 प्रतिशत से अधिक पश्चिमी देशों से और 10 प्रतिशत से कम पेटेन्ट सर्वाधिकारवादी देशों से हैं । रजिस्टर किये गये डिजाइन शत प्रतिशत सर्वाधिकारवादी देशों के हैं । समाजवादी कहे जाने वाले देश भी मुख्यतया पश्चिमी देशों पर निर्भर करते हैं ।

मैंने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को पढ़ा है । सरकार का ऐसा उपयोगी उद्देश्य होना चाहिये जिससे आयात प्रतिस्थापन लाभ हो । इंजीनियरी उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए ।

सट्टेबाजी को रोकने के लिये प्रत्येक बार कोई न कोई उपाय सुझाया जाता है । इस सम्बन्ध में हमारे पास वायदा बाजार आयोग, कम्पनी विधि बोर्ड हैं । ये सब क्या कर रहे हैं ? हमारे पास सट्टाबाजार को रोकने के लिये उपाय हैं, लेकिन उनको अभी प्रयोग में नहीं लाया गया है । मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : प्राक्कलन समिति ने अपने 27वें प्रतिवेदन में औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के बारे में होने वाले विलम्ब के बारे में उल्लेख किया है और इस प्रक्रिया में सुधार करने के लिये सुझाव दिये हैं ताकि लाइसेंस जारी करने में विलम्ब न हो । अतः मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाइसेंसों के लिये प्राप्त अभ्यावेदनों पर लाइसेंस प्रदान करने वाली समिति शीघ्रता से विचार करे ।

कुछ उद्योगों के बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । उदाहरण के लिये, विदेशी फर्मों ने औषधियों, कोका कोला और सिग्रेट उद्योग में बहुत अधिक लाभ कमाया है । 75 विदेशी कम्पनियों ने 1971–72 के दौरान विदेशों में स्थित अपने मुख्यालयों को 8.54 करोड़ रुपये की लाभराशि भेजी है । एबट्स ने आरम्भ में एक लाख रुपये के निवेश से 1970 में 22.65 लाख रुपये, 1971 में 22.65 लाख रुपये अपने मुख्यालयों को भेजे और उसकी आस्तियां पांच करोड़ रुपये की हैं । अमरीकन फर्मों को अत्यधिक लाभ कमाने की अनुमति देकर सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से वियतनाम युद्ध का समर्थन किया है । इससे हमारे देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की हानि हुई है और हमारे उपभोक्ताओं को अधिक मूल्यों पर औषधियां प्राप्त हुई हैं ।

इन विदेशी फर्मों की गतिविधियों पर रोक लगाई जानी चाहिए और सरकार को सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थित भारतीय फर्मों के विकास के लिये ठोस कार्यवाही करनी चाहिए ।

इस सम्बन्ध में एक बात यह है कि औद्योगिक विकास मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद इन विदेशी फर्मों में नौकरियां मिल गई हैं और उन्होंने अपने प्रभाव से इन विदेशी फर्मों को सब सुविधायें उपलब्ध करा दी हैं ।

कुछ उद्योगों में अभी भी विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाती है । विदेशों से प्राप्त तकनीकी ज्ञान का देश में पूरा प्रयोग नहीं किया जाता । अतः सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि किसी भी परिस्थिति में विदेशी सहयोग की अवधि नहीं बढ़ाई जानी चाहिए और न ही विदेशी सहयोग खरीदा जाना चाहिए ।

इस बात की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि लाइसेंस जारी करने वाली समिति द्वारा तैयार किया गया संक्षिप्त विवरण पूरा और उचित नहीं होता। उसमें तथ्यों को छिपाया जाता है। महत्वपूर्ण मामलों में लाइसेंस सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष को सम्बन्धित फाइलें मंगानी चाहियें और इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि मामले पूरी तरह तथा समुचित ढंग से तैयार किये गये हैं।

औषधि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिये विदेशी कम्पनियों से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तत्सम्बन्धी ब्यौरा प्रकाशित किया जाना चाहिये जिससे सामान्य जनता को इस बारे में सुझाव अथवा शिकायतें करने का अवसर प्राप्त हो सके। विशेष कर औषधि तथा सिगरेट उद्योग और 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली फर्मों को अब पांचवीं योजना में अधिक निर्माण क्षमता की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसे केवल भारतीय फर्मों के लिये सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

लाइसेंस तथा आशय पत्र जारी करने में होने वाले विलम्ब की जांच के लिये संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि भारतीय उद्योगों का विकास उचित दिशा में हो।

Shri Ram Singh Bhai Verma (Indore) : Industry plays a very vital role in the economy and in the matter of national income of the Country, but our attitude towards industry is not proper. Our industries are making very slow progress.

All the sources of production should be under the control of the Government because the industries situated in the private sector earn a good deal of profits.

There is a go slow movement going on in the industries. I can say on the basis of my experience that the role played by trade Unions in industries is not proper. Most of the Corporations and public undertakings are not earning profits in the Country. The industries established in public sector have no firm policies. The Government should ensure that there should be no over-capitalisation in any industry because as a result of over-capitalisation, the cost of production increases.

Technical experts are necessary for running any industry successfully.

There are certain administrators in industries who have no experience in running them. They should have full knowledge of the situation in the market. Economists and technical experts are quite necessary for running the industries successfully in the Country. Due to non-availability of these persons, our industries in public sector have not been running successfully.

In the matter of industry, quality control is very important. We cannot earn profit without quality and cost Control. Industries established in public sector should look into all these aspects for making progress.

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : प्रत्येक वर्ष औद्योगिक उत्पादन की धीमी गति और पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया जाता है। इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया जाता है लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई सुधार नहीं हुआ है।

यह प्रसन्नता की बात है कि औद्योगिक उत्पादन में 7 प्रतिशत वृद्धि हुई है लेकिन यदि इस मामले की हम ध्यान से जांच करेंगे तो पता लगेगा कि केवल कपड़ा उद्योग और कुछ अन्य उद्योगों में ही उत्पादन में 9.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसके विपरीत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन में 35 प्रतिशत की कमी हुई है। यदि चौथी पंचवर्षीय योजना के चार वर्षों की औसत देखी जाये, तो हमारे लक्ष्य के 10 प्रतिशत की तुलना में यह वृद्धि केवल 3.5 प्रतिशत है, जो योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य का एक तिहाई है। इस सम्बन्ध में जो कुछ भी वृद्धि हुई है वह अनुपयुक्त क्षमता के उचित उपयोग के कारण हुई है, नये उद्योग स्थापित करने के कारण नहीं। नये उद्योगों की स्थापना नहीं की जा रही है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

लाइसेंस जारी करने में विलम्ब को रोकने के लिये उचित कार्यवाही न किये जाने से स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।

जुलाई, 1970 में लाइसेंस मांगें बिना लाइसेंस-प्राप्त क्षमता के 25 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन को बदल देने की सुविधा प्राप्त की । सरकार को यह बताना चाहिये कि उक्त सुविधा का कितनी कम्पनियों ने लाभ उठाया और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई ।

सरकार ने यह भी कहा है कि 1 करोड़ रुपये तक के विस्तार प्रस्तावों के लिये लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी । इस सम्बन्ध में यह भी बताया जाना चाहिये कि इस छूट से उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है । **(व्यवधान)** अधिकारी अधिक अधिकार प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वे छोटे उद्यमियों की सहायता नहीं कर रहे हैं ।

महत्वपूर्ण उद्योगों में अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार ने जनवरी, 1972 में वर्तमान क्षमता से 100 प्रतिशत अतिरिक्त निर्माण क्षमता की स्वीकृति दी, जिसके लिये औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते कि इसमें पूंजीगत सामान के आयात का प्रस्ताव न हो । इसके अन्तर्गत 54 उद्योग आये और बाद में इस सूची में 11 उद्योग और आ गये ।

इस बारे में कितने आवेदन पत्रों की जांच की गई और कितनी कम्पनियों को विस्तार किया गया और इस सम्बन्ध में लक्ष्य पूरा न होने के क्या कारण हैं ?

दुर्भाग्य से इस वर्ष देश को गम्भीर बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है । बिजली में 15 से 75 प्रतिशत तक की कटौती की गई है । इसके अतिरिक्त, वर्षा भी नहीं हुई है । यह भी कहा जा रहा है कि कोयला न मिलने से उद्योगों की क्षमता में 50 प्रतिशत कमी हो गई है । बिजली की कमी का चालू वर्ष में हमारे औद्योगिक उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ेगा । यदि उत्पादन कम होगा तो मूल्यों का बढ़ना स्वभाविक है । इन बातों का बहुत हद तक हमारी अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा । मेरे विचार में माननीय मंत्री इन बातों पर ध्यान देगें ।

अनेक बाधाओं को पार करने के पश्चात यदि किसी उद्यमकर्त्ता को लाइसेंस मिल जाता है तो फिर उसका आवेदन पत्र भारतीय वित्त निगम जैसी वित्तीय संस्था को जाता है जहां आवेदनपत्र की जांच पड़ताल में छ: महीने से लेकर एक वर्ष तक का समय लग जाता है । अत: इस प्रकार किसी भी उद्यमकर्त्ता को उत्पादन आरम्भ करने में तीन वर्ष तक का समय लग जाता है । इतने समय में आयात की जाने वाली मशीनों के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है और इसके बाद उद्यमकर्त्ता को पुन: पुनरीक्षित दरों के साथ सरकार के पास जाना पड़ता है । इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है । यही कारण है कि नये उद्योग नहीं लग रहे हैं और औद्योगिक उत्पादन नहीं बढ़ रहा है । जब तक कठोर कार्यवाही नहीं की जाती तब तक इस समस्या को हल करना कठिन है ।

इस समय देश में इस्पात, सीमेंट, उर्वरक तथा अन्य वस्तुओं की कमी है । हमें इन सभी वस्तुओं के आयात पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं ।

हाल में एक ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया था । उन्होंने कहा था कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग से विश्व में किसी अन्य स्थान पर सहयोग करना बेहतर है । आमतौर पर प्रभाव यह है कि भारत में विनिमय तथा नियम बहुत जटिल हैं । वे लोग हमारी सहायता करना चाहते हैं परन्तु यहां हर कार्य में असाधारण विलम्ब होता है । प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को कम किया जाना चाहिए लाइसेंस यथासम्भव शीघ्र दिये जाने चाहियें ।

हालांकि लक्ष्य 10 प्रतिशत वृद्धि का था परन्तु वास्तव में वृद्धि 3 प्रतिशत ही हुई है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भी 10 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य ही रखा जाएगा ।

1971-72 के मंत्रालय के प्रतिवेदन में बताया गया है कि 219 पिछड़े हुए जिले चुने गये हैं । इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने वालों को कुछ छूट तथा रियायत दी गई है । परन्तु इसके लिये संचार तथा परिवहन की सुविधायें उपलब्ध कराना आवश्यक है । जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक रियायतें आदि देने का कोई लाभ नहीं है । भोपाल के लिये ट्रंक काल का मिलना बहुत कठिन होता है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि संचार और परिवहन की सुविधाओं का उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है । माननीय मंत्री को इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिये कि उद्योग जो हैं वे केवल बड़े-बड़े नगरों के आसपास ही स्थापित न हों । प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को दूर किया जाना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : मैं भी माननीय मंत्री को लघु उद्योगों के विकास के लिये बधाई देता हूं। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिये लोगों को आश्वासन दिये थे। अतः माननीय मंत्री विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में और ऐसे उद्योग स्थापित किये जाएं तथा लोगों को और अधिक वित्तीय सहायता तथा तकनीकी जानकारी दी जाये ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित कर सकें।

मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने गत कुछ वर्षों में रेशम उद्योग पर उचित ध्यान दिया है। हमारे देश में चारों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। मलबरी रेशम के उत्पादन को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाकर लाखों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है इस पर पूंजी भी कम लगानी पड़ती है। इस अवधि के दौरान रेशम के निर्यात में भी वृद्धि हुई है। परन्तु रेशम के धागे के तथा रेशम के कपड़े के निर्यात को अभी और बढ़ाया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे रेशम की मांग बहुत बढ़ गई है। अतः यह एक बहुत अच्छा अवसर है जबकि हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपना माल बेच सकते हैं।

चीन ने एक नई प्रकार के टसर रेशम का विकास किया है। इस रेशम का विकास बलूत के वृक्षों पर किया जा सकता है जो कि हिमालय के क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पाये जाते हैं। यदि हम इस काम में कुछ करोड़ रुपये लगा सकें तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीन से स्पर्धा कर सकते हैं। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह इस ओर विशेष ध्यान दें।

यह ठीक है कि कुछ राज्यों में कुछ जिलों को पिछड़े हुए जिले घोषित किया गया है। परन्तु मेरा अनुरोध है कि जम्मू व काश्मीर राज्य में, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में अभी पिछड़ा हुआ है, लघु उद्योग स्थापित करने पर अधिक जोर दिया जाये। इस राज्य में दस्तकारी उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है। इस से विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है, परन्तु राज्य सरकार इस उद्योग की बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता नहीं कर सकती। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह राज्य में दस्तकारी के विकास के लिये और अधिक धन का आबंटन करे।

श्री मनोरंजन हाजरा (आरामबाग) : भूमि अभी भी जमींदारों तथा कुलक वर्ग के लोगों के हाथ में है। सिंचाई और विद्युत, उर्वरक तथा कीटनाशी औषधियों के बारे में कोई व्यापक कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को लागू न किये जाने के कारण प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन का अभाव है।

सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों का सहयोग प्राप्त नहीं किया जा रहा है। इसके विपरीत सरकार विदेशियों पर निर्भर करती है। हमारे देश में हजारों वैज्ञानिक तथा इन्जीनियर बेरोजगार हैं। अतः इन लोगों को विदेशों से बुलाने का कोई औचित्य नहीं है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार अनुसंधान संस्थाओं को अनुदान देकर उनकी सहायता करेगी। मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस प्रकार बड़े औद्योगिक गृह ही लाभान्वित होंगे। सरकार को बेरोजगार वैज्ञानिकों तथा इन्जीनियरों को रोजगार देने की ओर ध्यान देना चाहिए।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : गत नौ महीनों में 7.3 प्रतिशत की जो विकास दर प्राप्त की गई है वह कोई मामूली बात नहीं है। भारी उद्योग मंत्री ने दो दिन पूर्व कहा है कि उद्योगपति वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करने के लिये उत्सुक नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक कमी की स्थिति को समाप्त नहीं किया जाता तब तक एकाधिकार-विरोधी नीतियों को लागू नहीं किया जा सकता। मेरे विचार में इस मंत्रालय के समक्ष यह सबसे बड़ी चुनौती है। अतः इस कठिन स्थिति के समाधान के लिये हल ढूंढना होगा।

मेरे विचार में अर्थव्यवस्था में हम सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र ही रख सकते है। संयुक्त क्षेत्र को तो गैर-सरकारी क्षेत्र ही कहा जायेगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

यदि आप गैर-सरकारी क्षेत्र के पूंजी ढांचे को देखें तो पता लगेगा कि प्रत्येक कम्पनी ने सरकारी संस्थाओं से 75 प्रतिशत पूंजी ले रखी है। अतः जिन परियोजनाओं में सरकार अथवा सरकारी संस्थाओं ने पूंजी लगा रखी है उन्हें सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें ही समझा जाना चाहिये। अतः संयुक्त क्षेत्र की बात मेरी समझ में नहीं आई।

संयुक्त क्षेत्र के लिये नियम, विनियम, मानक और मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने और सरकारी क्षेत्र की वित्त व्यवस्था गैर सरकारी क्षेत्र के नियंत्रण में लाने के बजाये हमें इस सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के बारे में विचार करना चाहिए और गैर सरकारी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र में बदला जाए जिसमें 75 प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था सरकार या सरकारी क्षेत्र से की जाए। किन्तु नए संयुक्त क्षेत्र की कल्पना में सरकारी क्षेत्र का निवेश ही बाधा डालेगा ।

मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन से पता चलता है कि उत्पादन 7.3 प्रतिशत बढ़ गया है किन्तु यह वृद्धि कपड़े और पोलिस्टर धागे में ही हुई है । मुझे आशा है कि औद्योगिक विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि आर्थिक विकास अपेक्षित दिशा में हो । पोलिस्टर धागे आदि के उत्पादन में वृद्धि तो होनी ही चाहिये किन्तु हमारी वर्तमान आवश्यकता है कि भारी उद्योगों, पूंजीगत सामग्री उद्योगों, खाद्य, कच्ची सामग्री के उत्पादन में वृद्धि हो जिनके आयात के लिये हम 1700 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं । अतः हमें ऐसे तरीके अपनाने चाहियें जिनका सम्बन्ध आर्थिक विकास से हो ।

देश में विदेशी गैर-सरकारी क्षेत्र पर नियंत्रण के स्तर से बड़ा आश्चर्य होता है । स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्ष बाद भी इस देश में अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों पर विदेशी पूंजी लगी है । बड़े उद्योगों, जैसे पैट्रोलियम, रबड़, पटसन आदि के उद्योगों में 97 प्रतिशत तक विदेशी पूंजी लगी है । इन विदेशी कम्पनियों का लाभ और लाभांश 135 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है । पता लगा है कि ये विदेशी निजी कम्पनियां लाभांश, लाभ, स्वामित्व, जानकारी क निमित्त प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपये विदेश भेज रही हैं । हमारा घोषित राष्ट्रीय उद्देश्य है कि कम से कम अवधि में ही हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लें । आत्मनिर्भरता के लिये हमारे इस संघर्ष में 300 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष देश से बाहर जाना उचित नहीं है । अतः मंत्री महोदय को इस मामले पर पूर्णतः विचार करना चाहिये ।

वर्ष 1971–72 में विदेशी गैर सरकारी कम्पनियों की संख्या 541 थी और उनकी भारतीय सहयोगी कम्पनियों की संख्या 218 थी । 1970–71 के दौरान विदेशी कम्पनियों की कुल परिसंपत्ति 1468.6 करोड़ रुपये के मूल्य की थी जिसमें यूनियन कार्बाईड का उच्चतम शुद्ध लाभ 22 प्रतिशत था । इसके बाद कोलगेट का है । किन्तु उनके अपने देश अमरीका या ग्रेट ब्रिटेन में उन्हें केवल 7 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक ही लाभ मिलता है । इन कम्पनियों ने यह स्वीकार किया है कि भारत उन देशों में से एक है जहां उन्हें अपनी पूंजी निवेश से अधिकतम लाभ होता है ।

सरकार ने लाइसेंस देने की नीति बहुत उदार बना दी है । यहां तक कि जिन कम्पनियों ने चोरी छिपे अपनी क्षमता बढ़ा दी थी उनको भी गत वर्ष नियमित कर दिया गया है । अतः उत्पादन वृद्धि का प्रयास करते समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि विदेशी गैर सरकारी एकाधिकारी पूंजी का भारतीय गैर-सरकरी एकाधिकारी पूंजी से कोई सम्बन्ध न होने पाये ।

मंत्री महोदय की इस बात को सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि सरकार नियंत्रण को नियमित करने और विदेशी गैर-सरकारी पूंजी को देश से बाहर भेजने पर प्रतिबन्ध लगाने का उपाय कर रही है । हमें उन उपायों का ब्यौरा बताया जाये ।

मंत्री महोदय ने बताया है कि इस देश में विदेशी गैर-सरकारी एकाधिकार प्राप्त उद्योगों में विदेशी साम्य पूंजी में विविधता लाने के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये जा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस दिशा में कितनी प्रगति की है । एकाधिकार-गृहों को जारी किये गये लाइसेंसों की जांच करने के लिये दो या तीन वर्ष पूर्व गठित की गई लाइसेंस जांच समिति का क्या हुआ है । कितने एकाधिकार गृहों की जांच की गई है ? हमें बताया गया है कि इस समिति ने 3000 फाइलों की जांच की है । क्या जांच का क्षेत्र विस्तृत हुआ है ? इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

Shri R. N. Sharma (Dhanbad) : Sir, while supporting the Demands for Grants of the Ministry of Industrial Development. I want to give some suggestions. One of the aims of the Productivity Council is that workers will have their due share in the increased production. It was also decided that there shall be participation of the workers in the management of an industry. Both these things were accepted in 1957-58 but these have not been implemented so far because the representative of the workers in the Board of Director's was either a silent spectator or he could not do anything being the only representative of workers. This thing continues even today. Now the time has come when we should think of management of industries being given in the hands of workers. This practice will be better for the management of the industries.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण बाद में जारी रखें ।

स्थगन प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने अधिनियम में संशोधन करने के बारे में उच्चतम न्यायालय के समक्ष महान्यायवादी के वक्तव्य का समाचार

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले की विशेष परिस्थितियों में जिन में यह स्थगन प्रस्ताव गृहीत किया गया है, मैं नहीं जानता कि उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किस प्रकार परिहार्य है। फिर भी माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वे यथा सम्भव संयम और विवेक से काम लें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा अब स्थगित होती है।"

महान्यायवादी ने उच्चतम न्यायालय में सरकार की ओर से बोलते हुए यह आश्वासन दिया है कि एक निश्चित अवधि के पश्चात नजरबन्दी कानून को समाप्त करने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति, जिससे संसद का महत्व कम होता हो, के प्रत्युपाय के रूप में 10 दिन के अन्दर अधिनियम में संशोधन किया जायेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने, अनधिकृत रूप से न्यायालय का अवमान करते हुए और न्यायिक पद्धति का महत्व कम करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर महान्यायवादी को यह आश्वासन दिया है कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने अधिनियम सम्बन्धी निर्णय को 15 दिन तक रोका जा सकता है जिससे कि सरकार अधिनियम में संशोधन कर सके और कैदियों की रिहाई को रोका जा सके। इसके लिये सरकार ही जिम्मेदार है। महान्यायवादी सरकार का प्रतिनिधि है और सरकार के विशिष्ट अनुदेशों पर ही महान्यायवादी ने उच्चतम न्यायालय की धमकी देने का यह झूठा नाटक किया है जिससे सरकार को 10 या 15 दिन का समय मिल सके।

'टाइम्स आफ इण्डिया' के अनुसार महान्यायवादी ने बताया है कि इस समय केवल पश्चिम बंगाल में ही 5000 नजरबंदी हैं। यदि न्यायालय ने धारा 17 को समाप्त कर दिए तो इनमें से अधिकांश नजरबन्दियों को रिहा करना पड़ेगा जिससे सरकार को इन को पुनः नजरबंद करने के कठिनाइयों का सामना करना पड़ जायेगा। अतः सरकार ने महान्यायिवादी को जान बूझकर बढ़ा चढ़ा कर आंकड़े दिये हैं जिससे उन्हें गैर-कानूनी तौर से और संविधान के विरुद्ध नजरबन्द रखा जा सके। 31 जनवरी, 1973 को पश्चिम बंगाल में इन नजरबन्दियों की सही संख्या 2449 थी। अतः इससे स्पष्ट है कि सरकार कितनी बेइमान है। अतः सरकार ने नागरिकों के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता समाप्त करने के लिये गैर कानूनी ढंग से अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिये झूठ बोला है। अतः इससे संसद का अवमान हुआ है। महान्यायवादी श्री निरेन डे ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया था कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम की धारा 17क में 10 दिन के अन्दर उपयुक्त संशोधन किया जायेगा। चूंकि अब सरकार को भारी बहुमत प्राप्त है इसलिये वह जनता और इस सदन में विपक्ष के अधिकारों को लगातार कुचलती जा रही है। **(व्यवधान)**

'टाइम्स आफ इण्डिया' में यह भी समाचार प्रकाशित हुआ है कि सात न्यायाधीशों की न्यायपीठ में से एक न्यायाधीश ने बताया है कि महान्यायवादी द्वारा दिये गये आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए निर्णय दो सप्ताह तक स्थगित किया जायेगा जिससे कि सरकार आवश्यक कार्यवाही कर सके। यह कितनी हास्यास्पद बात है। यह न्यायालय नहीं है बल्कि सरकार का दुमछल्ला है। यह तो अन्याय को न्यायसंगत बनाना है।

अतः हमें सरकार स्पष्ट रूप से आश्वासन दे कि इस सम्बन्ध में कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जायेगा। न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाना चाहिये कि न्यायालय के कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। धारा 17क का निरसन किया जाना चाहिये। आपातकालीन स्थिति समाप्त कर देनी चाहिये और सब नजरबन्दियों को रिहा कर दिया जाना चाहिए और जिन लोगों को बिना मुकद्दमा चलाये नजरबन्द किया गया है उन्हें क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या विधि मंत्री महोदय उत्तर देंगे अथवा प्रधान मंत्री ? यदि प्रधान मंत्री उत्तर देंगी तो विधि मंत्री महोदय का उत्तर देना हस्तक्षेप समझा जायेगा। इस मामले पर पूर्ण रूप से वाद-विवाद होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार किसी भी प्रवक्ता को खड़ा कर सकती । मंत्री महोदय यहां हैं और अब वे बोलना चाहते हैं । अतः अब उत्तर देने का तो प्रश्न ही नहीं है । इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : यदि वह बोलना चाहते हैं तो वे दोबारा नहीं बोल सकते । मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि यदि विधि मंत्री अब बोलेंगे तो क्या यह माना जायेगा कि वे सरकार की ओर से बोलेंगे या संसद सदस्य की हैसियत से बोलेंगे । दूसरे, इस प्रश्न पर महान्यायवादी को भी हम सुनना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री वाद-विवाद में भाग लेंगे, इसका उत्तर नहीं देंगे । अध्यक्ष पीठ द्वारा बुलाये गये व्यक्ति की प्राथमिकता के बारे में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता । मैंने मंत्री महोदय को बोलने के लिये कहा है ।

विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं इसलिये बोलना चाहता हूं कि अब तक जो कुछ कहा गया है वह सब समाचार पत्रों के समाचारों के आधार पर कहा गया है । न्यायालय में जो कुछ हुआ है उसके बारे में मुझे महान्यायवादी से प्रामाणिक सूचना मिली है । क्योंकि समाचारों के आधार पर चर्चा नहीं हो सकती इसलिये मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यदि न्यायालय की कार्यवाही की प्रामाणिक सूचना मिल गई है तो उसे परिचालित किया जाए और वे हमें दी जाये, तभी हम अपना मत व्यक्त कर सकते हैं, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे विधि मंत्री और सरकार पर छोड़ता हूं जो इस पर निर्णय करेंगे । यदि विधि-मंत्री महोदय अब वाद विवाद में भाग लेना चाहते हैं तो वे भाग ले सकते हैं ।

श्री एच० आर० गोखले : प्रश्न यह है कि सारा वाद-विवाद समाचार पत्रों के समाचारों के आधार पर हुआ है । अतः मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये सब बातें गलत हैं । यह सूचना केवल महान्यायवादी से ही प्राप्त हुई है । यदि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि न्यायालय में वस्तुतः क्या हुआ तो वे मेरी बात को सुनें ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : जब तक न्यायालय की कार्यवाही का पूर्ण विवरण हमें परिचालित नहीं किया जायेगा तब तक इस वाद विवाद से कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश) : अब तक सारी कार्यवाही समाचारों के आधार पर हुई है, यदि मंत्री महोदय इसे गलत बताते हैं तो केवल महान्यायवादी ही यह बता सकते हैं कि न्यायालय में क्या हुआ । अतः महान्यायवादी को यहां बुलाया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय द्वारा दिये जाने वाले भाषण को व्यर्थ माना जाये तो सारा वाद-विवाद ही व्यर्थ माना जायेगा ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : विधि मंत्री महोदय कहते हैं कि इस सदन में जो कुछ कहा गया है वह सब समाचार पत्रों के समाचारों के आधार पर कहा गया है । किन्तु स्थिति इससे भिन्न है । क्या हमें विधि मंत्री और महान्यायवादी के बीच हुए वार्तालाप को मानना होगा या किसी अन्य प्रामाणिक सूचना को मानना होगा ? हम प्रामाणिक सूचना के आधार पर चलना चाहते हैं । यहां दूसरा पक्ष भी है । यदि न्यायालय की घटना का कोई विशेष विवरण है तो हम दूसरे पक्ष के विवरण को भी जानना चाहते हैं, अन्यथा न्यायालय की कार्यवाही के प्रामाणिक विवरण को ही मानना पड़ेगा और उसे यहां परिचालित किया जाना चाहिए ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मंत्री महोदय चर्चा को रोकना चाहते हैं । यदि समाचार पत्रों और उनकी सूचना म कोई परस्पर विरोध है तो यह गम्भीर बात है । महान्यायवादी से मेरी बातचीत हुई थी । मैं उस बात का उल्लेख नहीं करना चाहता था । यदि आवश्यकता पड़ी तो उसका उल्लेख करना पड़ेगा । हम सिद्धांत पर चलना चाहते हैं । यदि सरकार इससे बचना चाहती है तो ऐसी सरकार को सत्ता छोड़ देनी चाहिए ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gawalior) : Mr. Deputy Speaker, Sir, The honourable Law Minister's statement is absolutely correct that we have based one adjournmen motion on the reports published in the newspapers. If these reports were wrong, the

Government had the full opportunity for the last two days to contradict them. The whole proceedings of the Supreme Court should be laid on the Table of the House. The House would also like to listen to the Attorney General. The contradiction by the Law Minister is not sufficient.

Shri M. C. Daga (Pali): The question is not that the reports published in the news papers are not false. "Even if newspapers are admissible in evidence without formal proof, the paper itself is not proof of its content. It would merely amount to an anonymous statement and cannot be treated as proof of the facts stated in the newspaper. Due speech reported in a newspaper is not admissible to prove it". It could not be said that the reports published in a newspaper could not prove to be false.

उपाध्यक्ष महोदय : एक निवेदन यह है कि जब तक प्रमाणीकृत रिकार्ड न हो, मामले में आगे कार्यवाही नहीं हो सकती, क्योंकि तथ्यों के बारे में मतभेद है ।

स्थगन प्रस्ताव को विचारार्थ गृहीत किया जा चुका है और इस पर चर्चा करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं है महान्यायवादी को यहां उपस्थित करने के लिये निर्णय लेना सदन का काम है, परन्तु मेरे विचार में यह चर्चा शुरू होने के बाद हो सकता है । विधि मंत्री ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : उन्हें इस समय हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : राज्य सभा में भी यह प्रश्न उठाया गया था । कार्यवाही वृतान्त यह है. . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : सुबह भी मैंने आपको किसी कार्यवाही वृतान्त से पढ़ते देखा था । राज्य सभा के कार्यवाही वृतान्त से पढ़ना अत्यधिक आपत्तिजनक है । नियमानुसार दूसरी सभा की कार्यवाही का उल्लेख सरकारी नीति के बारे में ही किया जा सकता है ।

श्री एच० आर० गोखले : मैं वह गलतफहमी दूर करना चाहता हूं । जो समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के कारण पैदा हो गई है । जब से समाचार अखबारों में प्रकाशित हुए और विशेषाधिकार प्रस्ताव के नोटिस मुझे मिले, मैंने महान्यायवादी से तथ्य मालूम करने का प्रयास किया ।

इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह चार दिन तक विचार किया था । एक नजरबन्द व्यक्ति ने आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी । उसने यह तर्क प्रस्तुत किया था कि अगर यह अधिनियम अनुच्छेद 22 के अनुरूप भी है, फिर भी यह तब तक वैध नहीं हो सकता जब तक कि अनुच्छेद 19 की कसौटी पर भी खरा उतरे ।

दूसरा तर्क यह दिया गया था कि अगर यह तर्क सही नहीं है, तो भी यह अनुच्छेद 22 के खण्ड 7 के अनुरूप वैध नहीं हो सकता ।

इन तर्कों पर उच्चतम न्यायालय गोपालन केस में 1950 में ही विचार कर चुका था । उस समय बहुमत के निर्णय द्वारा इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया गया था । उस समय यह निर्णय दिया गया था कि अगर कोई मामला अनुच्छेद 22 की कसौटी पर खरा उतरता है, तो उसका अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं ।

अमुच्छेद 22(7) के अनुसार परिस्थितियों अथवा मामले की निर्धारित श्रेणी में से किसी एक का भी उल्लेख किया जा सकता है ।

संसद ने आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम, उच्चतम-न्यायालय द्वारा 20 साल पूर्व दिये गये निर्णय के अनुरूप ही पारित किया था । अब सरकार को उस तर्क का उत्तर देना था जिसके अनुसार मामले में निर्णय वर्ष 1950 के अल्पमत के अनुरूप होना था । दो तीन दिन के बाद महान्यायवादी ने मुझे बताया कि न्यायाधीशों के रुख से ऐसा लगता है कि पूरे अधिनियम को अथवा कम से कम धारा 17ए को असंवैधानिक घोषित किये जाने की संभावना है ।

सरकार ने उस समय प्रभावी कानून के अनुसार व्यक्तियों को नजरबन्द किया था । उच्चतम न्यायालय में शब्दश: कार्यवाही का वृतान्त नहीं रखा जाता । उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार "सुनवाई पूरी हो चुकी है और निर्णय सुरक्षित रखा गया है ।"

यह कानून 20—22 साल तक प्रभावी रहा है, इसलिए सरकार इस बारे में परिणामों के बारे में चिन्तित थी । इसलिए सरकार को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामों पर विचार करना है, अगर उच्चतम न्यायालय यह निर्णय दे देता है कि यह अधिनियम असंवैधानिक है ।

मुझे महान्यायवादी ने प्रामाणिक रूप में यह बताया है कि उन्होंने न्यायालय को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया कि कानून में संशोधन किया जाएगा अथवा कानून में संशोधन करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है । उन्होंने न्यायालय को यह बताया था कि अगर उच्चतम न्यायालय ने प्रतिकूल निर्णय किया तो सरकार उसके परिणामों पर विचार करेगी कि क्या कार्यवाही की जानी चाहिये और विचार के पश्चात अगर आवश्यक समझा गया, तो कानून में संशोधन किया जायेगा । इसलिये संसद की अवहेलना करने का कोई प्रश्न ही नहीं है और न ऐसा कोई आश्वासन ही दिया गया है कि कानून में संशोधन किया ही जायेगा ।

सरकार के विधि मंत्री द्वारा इस प्रकार का विचार प्रकट करना उचित ही है । श्री ज्योतिर्मय बसु के अपने कथन के अनुसार 2000 से अधिक व्यक्ति नजरबन्द हैं । नागालैण्ड में नागा विद्रोही भी नजरबन्द हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेरे पास जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल , मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और मिजोरम में क्रमशः 104, 1, 7, 1, 6, 5, 1, 1, 2, 2449, 5 और 1 व्यक्ति नजरबन्द हैं ।

श्री एच० आर० गोखले : मैंने कहा कि 2000 या उससे कुछ अधिक व्यक्ति नजरबन्द हैं । कुछ व्यक्तियों पर गम्भीर आरोप हैं और उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होने वाली स्थिति पर विचार करने का सरकार को अधिकार है ।

महान्यायवादी ने एक सप्ताह अथवा 10 दिन का समय देने के लिये न्यायालय से अनुरोध किया था । (**व्यवधान**) जिससे इस अवधि में सरकार आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम के बारे में विचार कर सके ।

यह आश्वासन नहीं दिया गया था कि कानून में संशोधन किया जायेगा । महान्यायवादी ने यह कहा था कि सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि क्या कोई संशोधन आवश्यक है । मैं सम्मान पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि संसद की उपेक्षा नहीं की गई है इसलिये पूरी चर्चा निराधार है ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : श्रीमान जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 368 के अनुसार अगर मंत्री महोदय किसी सरकारी कागज से उद्धरण देते हैं तो उन्हें वह पत्र सभा-पटल पर रखना होगा । यह नियम उन कागजात पर लागू नहीं होगा, जिन्हें सभा-पटल पर रखना जनहित में नहीं है । इसलिये यह कागजात सभा-पटल पर रखे जाने चाहियें।

श्री एच० आर० गोखले : मुझे इन्हें सभा-पटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उच्चतम न्यायालय के आदेश और महान्यायवादी के नोट से उन्होंने उद्धरण दिया है और उन्हें ये पत्र सभा-पटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री श्यामानन्दन मिश्र (बेगूसराय) : दोनों को सभा-पटल पर रखा जाए ।

श्री एस० ए० कादर (बम्बई-मध्य-दक्षिण) : जब तक हम इनका अध्ययन न कर लें, तब तक बहस स्थगित कर दी जाये ।

श्री एच० आर० गोखले : मैं इन कागजात को सभा-पटल पर रखता हूं । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4730/73]**

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मैं कांग्रेस पार्टी के अपने मित्रों सहित पूरे सदन से अनुरोध करता हूं कि जिस प्रश्न पर आज पूरा विरोधी पक्ष उत्तेजित है, उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें । इस समय विधि मंत्री द्वारा इसलिये हस्तक्षेप किया गया कि वह हमें यह बता सकें कि समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार सही हैं अथवा नहीं, परन्तु उन्होंने महान्यायवादी के एक नोट और न्यायालय के प्रमाणीकृत आदेश से उद्धरण दिया है । महान्यायवादी से मैंने कल ही व्यक्तिगत रूप से बात की थी और मैं विधि मंत्री के तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं ।

यह प्रश्न संसद के अपमान से सम्बन्धित है । यह प्रश्न उन लोगों के लिये बहुत महत्व रखता है, जो समाज के लोकतांत्रिक कार्यकरण में विश्वास रखते हैं । संसद का निश्चित रूप से अपमान किया गया है और इस बारे में किसी प्रकार के सन्देह की गुंजाइश नहीं है ।

आजादी के पच्चीस साल बाद भी नागरिकों पर बिना किसी अदालती कार्यवाही के निवारक नजरबन्दी कानून जैसे जंगली कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है । देश के नागरिक उच्चतम न्यायालय में जाते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा की मांग करते हैं । उनका कहना था कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, विशेष रूप से उसकी धारा 17(क) से संविधान के अनुच्छेद 22, खंड 7 का उल्लंघन होता है और यह कानून बुरा है, तब सरकार यह कहती है कि उस पर पुनः विचार किया जायेगा । और इसे इस प्रकार से संशोधित किया जायेगा कि उससे अनुच्छेद 22, खंड 7 का उल्लंघन नहीं होगा । साथ ही सरकार ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी जाये और उच्चतम न्यायालय ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया । परिणामतः उन नजरबन्द लोगों को राहत न मिली, जिन्हें उच्च कानून के संविधान के प्रतिकूल करार दिया जाने पर राहत मिल जाती । बिना मुकद्दमा चलाये किसी व्यक्ति को जेल में बंद कर देने की व्यवस्था के लिये इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा । यदि विद्यमान कानून के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को राहत मिलती है, तो उसे उससे वंचित नहीं किया जाना चाहिये ।

विधि मंत्री कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अच्छा नागरिक नहीं हैं । जनता में नागा विद्रोही और नक्सलवादी लोग भी हैं । कुछ युवक ऐसे हैं जो अपना जीवन देने और दूसरे का जीवन लेने पर उतारू हैं । मेरी समझ में यह नहीं आता कि ये राजनीतिक नेता अपने ही लोगों पर इतना अविश्वास क्यों करते हैं ?

आपने ठीक ही कहा है कि हम उच्चतम न्यायालय के जजों की आलोचना करने के लिये नहीं हैं । मैं किसी न्यायाधीश विशेष के काम करने के ढंग की आलोचना नहीं कर रहा हूं बल्कि पूरी न्यायपालिका के कार्यकरण की चर्चा कर रहा हूं । आज हमारी न्यायपालिका का गठन ऐसा है कि सरकार किसी भी सामाजिक आर्थिक विधेयक को न्यायपालिका से अपनी इच्छानुसार अनुमोदित नहीं करा सकती । किन्तु, जैसे ही कोई विधान पास कर दिया जाता है, वैसे ही वही न्यायपालिका सरकार की इच्छानुसार उसकी सहायता करती है । यह एक गम्भीर बात है और इस पर देशवासियों को ध्यान देना चाहिये । कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि हम लोगों का, युवकों का दिल जीत लेंगे । किन्तु क्या हजारों लोगों को जल में बन्द करके उनका दिल जीता जा सकता है ? ऐसा करने से तो लोगों में उल्टे रोष व्याप्त होता है । यदि सरकार असली वामपंथियों को, जिन्हें आजकल विद्रोही समझा जाता है, समझा-बुझाकर उनसे मित्रता का हाथ बढ़ाये तो सरकार की अनेक समस्यायें हल हो सकती हैं ।

ऐसा भी सुना गया है कि सरकार इस विषय पर अध्यादेश जारी करने वाली है, हालांकि लोक सभा का सत्र चल रहा है । चूंकि राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा है इसलिये संवैधानिक दृष्टि से अथवा तकनीकी दृष्टि से ऐसा किया जा सकता है । किन्तु यह लोकतन्त्र के विरुद्ध है । अतः सरकार को ऐसा करने का इरादा ही छोड़ देना चाहिये । नागरिकों की स्वतंत्रता पर सरकार का यह प्रहार सहन नहीं किया जायेगा । अतः ऐसे विधान का संसद में विरोध किया जाना चाहिये ।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : मेरे विचार से यह स्थगन प्रस्ताव, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पर आधारित है, सुविचारित नहीं है । जहां तक महान्यायवादी का प्रश्न है, सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते उसने सरकार को न्यायालय में चल रही कार्यवाही से अवगत कराया और यह भी बताया कि इस मामले में जजों का सम्मान किस ओर है । यह कोरी कल्पना है कि सरकार इस सम्बन्ध में एक अध्यादेश जारी करने जा रही है । इसके विपरीत सरकार तो अधिनियम में संशोधन करने हेतु विधेयक लाने पर विचार कर रही है । इस प्रकार स्थगन प्रस्ताव का आधार ही ढह जाता है । देखना यह है कि इस मामले में सरकार की क्या विफलता है । आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम ए० के० गोपालन के मामले में 1950 में संसद द्वारा पारित किया गया था और वह तब तक कानून है जब तक उसे अवैध घोषित नहीं किया जाता । यदि इस अधिनियम के बारे में अब न्यायालय के विचार बदलते हैं तो सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इस अधिनियम में संशोधन करे ।

श्री बसु और प्रो० मुकर्जी ने जो बातें उठाई हैं वे स्थगन प्रस्ताव पर विचार के दौरान नहीं उठाई जानी चाहिये थीं क्योंकि स्थगन प्रस्ताव का क्षेत्र सीमित होता है । निवारक नजरबन्दी से सम्बन्धित कानून देश में होना चाहिये अथवा

नहीं, नजरबन्दी वैध है अथवा अवैध, देश में आपात् स्थिति चलनी चाहिये अथवा नहीं, ये सब बातें उस समय करने की हैं जब सरकार अधिनियम में संशोधन करने के लिये विधेयक लायेगी और उस पर विचार होगा।

चूंकि संसद द्वारा पारित किये गये अधिनियम को सरकार अब तक लागू करती आ रही थी और न्यायालय में चल रहे तर्कों से महान्यायवादी द्वारा, लगाए गये अनुमान के आधार पर सरकार उसमें अब संशोधन करना चाहती है, इसलिये उसकी इसमें कोई विफलता नहीं है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम्) : आज जिस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, उससे देश और संसद के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित हुआ है। इस प्रश्न पर पूरे सदन द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये, क्योंकि इससे इस देश में लोकतंत्र के कार्यकरण पर प्रभाव पड़ता है। यह बात विचित्र है कि विधि मंत्री इतनी देरी से सदन के सामने कुछ संशोधनों के साथ आये हैं क्योंकि इस प्रश्न पर दूसरे सदन में चर्चा हो चुकी है। इस बारे में प्रैस रिपोर्टें भी आयी हैं जिनका खण्डन न तो सरकार के प्रवक्ता ने किया है और न ही महान्यायवादी ने किया है।

निवारक निरोध-अधिनियम को तेलंगाना के नाम पर सन् 1950 में एक वर्ष के लिये लाया गया था। 1951 के बाद इस अधिनियम को कई बार 3 वर्ष की अवधि बढ़ाने के लिये सदन के सामने लाया गया अब इसे आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने के अधिनियम के रूप में बदल दिया गया है। इस विधेयक को मई 1971 में इस सदन में पेश किया गया और बंगलादेश समस्या के कारण इसे मई-जुलाई, 1971 में पारित किया गया। उस समय भी अनेक सदस्यों ने अपनी आशंकायें प्रकट की थीं। पंत जी ने आश्वासन दिया था कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जायेगा और इसे लम्बे अर्से तक लागू नहीं रखा जायेगा। दिसम्बर, में भारत रक्षा अधिनियम पेश किया गया और इस धारा 17(क) को सम्मिलित किया गया। वास्तव में उस पर कुछ चर्चा हुई थी।

एक विस्तृत विधेयक की सभी धारायें तीन मिनट में पास की गयीं। इसकी धाराओं पर चर्चा के दौरान अनेक सदस्यों ने इसका दुरुपयोग करने सम्बन्धी आशंकायें व्यक्त कीं। अब सरकार एक अध्यादेश जारी करने के बारे में सोच रही है, जिससे उसका विचार है कि वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय को रद्द कर देगी।

जब तक उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय न दे, तब तक सरकार को अध्यादेश उदघोषित नहीं करना चाहिये। इसका अर्थ सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्तावित निर्णय को रद्द करना होगा बिना जांच के किसी व्यक्ति को जेल के अंदर रखना बहुत बुरी बात है। अब देश में ऐसा कोई संकट नहीं है जिसके लिये इस प्रकार का उपाय आवश्यक हो। अब अपात स्थिति निवारक निरोध अधिनियम और आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम को जारी रखने के लिये सरकार के पास कोई बहाना नहीं है।

यह विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने का उपयुक्त मामला है क्योंकि इसमें सरकार का दोष दिखाई दे रहा है। उन्हें निदेश जारी नहीं किये जाने चाहियें थे। क्योंकि श्री नीरेन डे की टिप्पणी के अनुसार वे अतिरिक्त समय लेना चाहते थे ताकि यदि तुरन्त निर्णय दिया जाता है तो यह सरकार के पक्ष में नहीं होगा। ऐसा करना अलोकतंत्रीय ढंग से कार्य करना है। समूचे प्रश्न पर विचार करना और इस बात का पता लगाना कि सभा को गुमराह किया गया है, सभा और विशेषाधिकार समिति का काम है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : मेरा सुझाव है कि आधे-घंटे की चर्चा को किसी बाद की तिथि के लिये स्थगित किया जाये ?

अनेक माननीय सदस्य : हम इससे सहमत हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैंने श्री ज्योतिर्मय बसु तथा प्रो० मुकर्जी के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना है। हम न तो इस विधान की धारा 17क के गुण दोषों पर चर्चा कर रहे हैं और न ही हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या इस समय सरकार धारा 17क को विशेष ढंग से संशोधन करने के लिये पेश करे अथवा नहीं, ताकि इसे अवैध घोषित होने से बचाया जा सके।

जिस बात के लिए सरकार की निंदा करने का प्रयास किया गया है, वह यह है कि महान्यायवादी ने पहले से ही धारा 17क का संशोधन अधिनियमित करके पुष्टि करने के द्वारा संसद की भूमिका को कम महत्व देने का प्रयास किया है। दूसरी बात जिसके लिए उच्चतम न्यायालय की आलोचना करने का प्रयास किया गया है वह यह है कि उसने

अपने निर्णय को 15 दिन के लिए रोक रखा है ताकि सरकार धारा 17क का आवश्यक संशोधन कर सके और सरकार को चुनौती का सामना न करना पड़े। अतः इस प्रस्ताव की परिधि बिल्कुल सीमित है।

महान्यायवादी ने वास्तव में कोई आश्वासन नहीं दिया है जिसके लिये सरकार की निंदा करने का प्रयास किया गया है और न ही उच्चतम न्यायालय ने इस अभिप्राय के लिये अपने निर्णय को स्थगित किया है जिसके लिये उच्चतम न्यायालय को दोषी ठहराया गया है। इसने तो दस दिन के लिये अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। अतः इस प्रकार का स्थगन प्रस्ताव राजनैतिक धोखाधड़ी का उदाहरण बन गया है।

Shri Attal Behari Vajpayee (Gwalior) : The opposition has drawn the attention of the country towards on important issue through this Adjournment Motion. It is not correct to say that the Adjournment Motion is based on press reports. The Law Minister cannot deny the fact that the Attorney General sought 10 days time draw the Supreme Court.

The Attorney General has not functioned according to his prestige.

Now there is no justification for continuing the emergency. The misguided youngmen cannot be reformed within the four walls of jails. We have finished all the naxalities which is not in tune with our way of democratic life.

Protection of law should be proceeded even to those who are a danger to the security of the state. No hasty amendment of law to circumvent the judgement of the Supreme court should be brought out.

I want an assurance from the Law Minister that judgement of the Supreme Court, whatever it may be, will be honoured.

Like other hon. members I also demand that the emergency should be lifted. There is no justification for its continuance.

There will be end of personal liberity, if the judiciary is allowed to be committed Judiciary should be independent and impartial.

श्री ए०के० सेन (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम): यदि हमें इस बात की तसल्ली हो जाये कि महान्यायवादी इस मामले में दोषी हैं तो प्रस्ताव का समर्थन करना कठिन नहीं होगा। यह सदन सभी व्यक्तियों तथा दलों से बड़ा है। जो कुछ न्यायालय में हुआ, उसके सारे इतिहास को मैं जानता हूं। यह समूचा मामला भारतीय रक्षा अधिनियम द्वारा, जो कि बहुत ही अनुचित अधिनियम है, शामिल की गई धारा 17क के सम्बन्ध में है। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति को बिना उसके मामले को सलाहकार समिति को भेजे दो वर्ष से अधिक समय तक नजरबन्द रखा जा सकता है। इस विधान के द्वारा सरकार, राज्य सरकारों और जिला मजिस्ट्रेटों तथा दूसरों को ऐसी शक्तियां दी गयीं जिनके द्वारा एक व्यक्ति को उसके मामले को सलाहकार समिति के पास भेजे बिना कारावास म रखा जा सकता है। अनेक मामलों में सलाहकार समितियों ने विचार किया है कि नजरबन्दी बहुत ही अन्यायपूर्ण है।

तर्क सुनने वाले न्यायाधीश महसूस करते हैं कि यह अत्याचारपूर्ण उपबंध है और महान्यायवादी द्वारा इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। लोकतंत्र में जब महान्यायवादी सरकार के लिये बोलते हैं, तो उनका न केवल सरकार के विचारों को व्यक्त करना कर्त्तव्य हो जाता है, अपितु इस सभा के विचारों को व्यक्त करना भी कर्त्तव्य होता है। उनका कर्त्तव्य न्यायाधीशों के विचारों को सरकार और इस सभा तक पहुंचाना भी होता है। यही कारण है कि महान्यायवादी सरकार का संवैधानिक सलाहकार है। यदि वह सरकार को इस बुरे उपबंध के बारे में न्यायधीशों की भावनाओं को सरकार तक नहीं पहुंचाते, तो वह अपने कर्त्तव्य को नहीं निभायेंगे।

जो कुछ समझा गया है, वह सब महान्यायवादी का कर्त्तव्य नहीं था। उन्होंने न्यायालय में कहा है कि मामले पर विचार किया जायेगा और आवश्यक हो तो संशोधन भी किया जायेगा। मैं स्वयं इस संशोधन का स्वागत करता हूं ताकि सरकार किसी भी व्यक्ति को तीन महीने तक सलाहकार बोर्ड के पास मामला भेजे बिना नजरबंद न कर सके।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Speaker *in the Chair*]

हमारा प्रजातंत्र दो स्तम्भों पर खड़ा है–यह सदन और न्यायपालिका । इन दोनों द्वारा एक दूसरे की बुनियादों को चोट पहुंचाना भयंकर मूर्खता होगी ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : विधि-मंत्री महोदय ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के बारे में जो कुछ कहा हम उससे सहमत नहीं हो सकते ।

समाचार पत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है उसे महान्यायवादी ने मानने से इन्कार कर दिया है । इस सभा के सदस्य को, जिसका महत्व देश के सार्वजनिक जीवन में शायद महान्यायवादी से अधिक है , महान्यायवादी ने कहा है कि समाचार पत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है वह पूर्णतः सही है ।

यहां पर हमें देखना यह है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित बातों को सिद्ध करने का साक्ष्य क्या है और क्या प्रो० मुखर्जी ने अपनी और महान्यायवादी के साथ हुई-बातचीत के बारे में जो कहा है वह सच है ? माननीय विधि मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि न्यायालय ने इस बारे में कुछ मत व्यक्त किये थे । दूसरे, उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त इन मतों के आधार पर उनके तथा महान्यायवादी के बीच विचार विमर्श हुआ था । तीसरे, सरकार प्रतिकूल निर्णय के परिणामों पर विचार करना चाहती थी । अतः यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय न्यायालय में उपस्थित सभी पक्षों को बता दिया गया था । इन आधारों पर समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों में कुछ सत्यता है ।

इन परिस्थितियों में जबकि दो प्रकार की रिपोर्टों में तालमेल नहीं है तो इस सदन का यह कर्त्तव्य है कि संचाई को जानने की कोई प्रक्रिया निर्धारित की जाये । मेरा अनुरोध यह है कि महान्यायवादी को इस सदन में बुलाया जाये और उनसे स्थिति को स्पष्ट करने को कहा जाये । दूसरे, हमें पूरा रिकार्ड उपलब्ध करना चाहिए । यदि कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के साथ बातचीत करने के लिये सदन की एक समिति बनाई जाये ।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Sir, I rise on a point of order. Supreme Court has not so for given its decision. The question to be considered is whether a Committee of this house can go to judges for enquiry?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस मामले के तीन पक्ष हैं––सरकार, नजरबन्दों के वकील और न्यायाधीश । तीनों से बातचीत के बाद ही हम सच्चाई को पा सकते हैं । इस सदन का सबसे पहला कर्त्तव्य सच्चाई का पता लगाना है और दोषी व्यक्तियों को सजा देना है । इसी कारण मैंने रिपोर्ट की सत्यता का पता लगाने के लिये प्रक्रिया निर्धारित करने का अनुरोध किया है ।

इस सारे मामले की सबसे बड़ी बात यह है कि महान्यायवादी और वास्तव में सरकार ने संसद के सभी अधिकार ग्रहण कर लिये हैं । यह फासिज्म की प्रवृत्ति है । संसद को रबड़ की मोहर मान लिया गया है और इस पर हमें गंभीर आपत्ति है । महान्यायवादी ने उच्चतम न्यायालय को प्रभावित करने का प्रयास किया है । इस प्रकार उच्चतम न्यायालय सरकार के फैलाये जाल में फंस गया है ।

अध्यक्ष महोदय : सुबह हमने निर्णय किया था कि न्यायाधीशों के आचरण व उच्चतम न्यायालय पर चर्चा नहीं की जायेगी ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं उनके आचरण पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा । न्यायालय का निर्णय रुक गया है । ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि कुछ नागरिकों को उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया गया है । न्यायालय यदि उसी समय निर्णय सुना देता तो शायद उन्हें उसी समय छोड़ दिया जाता ।

इस संबंध में मेरे दो सुझाव हैं । आपातकालीन स्थिति की घोषणा को रद्द किया जाये । इसका अब कोई औचित्य नहीं है । सरे, उच्चतम न्ययालय द्वारा उसी समय निर्णय सुनाने के परिणामस्वरूप जो व्यक्ति छोड़ दिये जाते उन्हें रिहा किया जाये ।

श्री विक्रम महाजन : संसद के इतिहास में इस प्रकार का स्थगन प्रस्ताव कभी भी प्रस्तुत नहीं हुआ । इसका आधार समाचारपत्रों में प्रकाशित उन समाचारों को बनाया गया है जिनका महान्यायवादी ने खण्डन कर दिया है ।

हमने हमेशा संसद की प्रभुता का प्रचार किया है। यदि कोई संसद के अधिकार लेना चाहता है तो हम उसके विरोधी हैं। परंतु यह एक ऐसा अवसर है जबकि सत्तारूढ़ दल को व्यर्थ बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही न्यायपालिका पर भी कीचड़ उछाला जा रहा है।

एक नजरबन्द के मामले पर उच्चतम न्यायालय में विचार हो रहा था तो यह विचार था कि न्यायालय द्वारा नजरबन्दी कानून के एक उपबन्ध को संविधान विरोधी करार दे दिया जायेगा। उस अवसर पर महान्यायवादी ने यह कहा कि वह सरकार से अनुरोध करेंगे कि उक्त उपबन्ध को संशोधन करने अथवा न करने के प्रश्न पर विचार किया जाये। विरोधी पक्ष वालों ने बहुत भावुकता भरी बातें की हैं। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी सरकारों के लिये जासूसी करने अथवा विद्रोही नागाओं व विद्रोही मिजो जैसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को पकड़ना है। सामान्य जीवन बिताने वाले नागरिकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु फिर भी इसका विरोध किया जा रहा है।

ईमानदार नागरिकों की सुरक्षा और देश की अखंडता की रक्षा करना सरकार का कर्त्तव्य है। इस कारण इस विधेयक का संशोधन करना आवश्यक है। विरोधी दलों के सामने राष्ट्र हित नहीं, वे राष्ट्र में अव्यवस्था चाहते हैं।

श्री एस०एम०बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ये सभी विरोधी दलों पर दोषारोपण कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री विक्रम महाजन : इस प्रकार के निरर्थक स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करना ही इस बात को सूचित करता है कि विरोधी दल देश म अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। अतः इस स्थगन प्रस्ताव को रद्द किया जाना चाहिये।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : स्वतन्त्रता के 25वें वष में भी इस प्रकार के कानून का होना हमारे लिये शर्म की बात है। 1950 में इस काले कानन को एक वर्ष के लिये लागू किया गया था। तब इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया और तत्पश्चात इसे निवारक निरोध अधिनियम का नाम दिया गया। 1971 में सीमा क्षेत्रों में गड़बड़ होने के कारण इसे आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम नाम दिया गया। किसी न किसी बहाने यह हमेशा ही लागू रहा है।

आज वैयक्तिक स्वतन्त्रता का मौलिक अधिकार संकट में है। हजारों लोग देश के विभन्न भागों में जेलों में बन्द हैं। उन्हें मुकद्दमें के बिना ही जेलों में रखा जा रहा है।

आज जब सदन द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है तो मैं महान्यायवादी पर रोष नहीं लगाना चाहता। वह तो सरकार के प्रतिनिधि- हैं। श्री गोखले ने सभा-पटल पर श्री नीरेन डे के वक्तव्य की जो प्रतिरखी है उससे भी समाचार पत्रों के समाचार की पुष्टि होती है।

महान्यायवादी ने बताया है कि उन्होंने न्यायालय को आश्वासन दिया कि सरकार इस बीच आन्तिरक सुरक्षा अधिनियम का संशोधन करने सहित मामले पर विचार करेंगी।

यह घमण्ड की सीमा है। महान्यायवादी को इस प्रकार का संकेत नहीं देना चाहिये था कि सरकार अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है। विधि मंत्री ने महान्यायवादी को इस प्रकार के आदेश दिये अतः मैं विधि मंत्री पर कर्त्तव्य की अवहेलना और सदन का अवमान करने का दोष लगाता हूं।

मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि आपातकालीन स्थिति को समाप्त किया जाये और आंतरिक सुरक्षा अधिनियम को रद्द करके इसके अन्तर्गत नजरबन्द किये गये व्यक्तियों को रिहा किया जाये।

श्री वी०के० कृष्णामेनन (त्रिवेन्द्रम) : इस अवसर पर विचार करने की बात यह नहीं है कि महान्यायवादी ने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है अथवा नहीं। मेरे विचार के अनुसार यह सर्वथा असंभव बात है।

निवारक निरोध एक निंदनीय मामला है। सभ्य संसदीय प्रणाली में इस प्रकार के कानून नहीं होते। लोक-तन्त्र के बाल्यकाल में इस प्रकार का कानून बनाया गया था परन्तु आज वह समय आ गया है कि जब हम यह महसूस करें कि देश में अनेक अपराधिक कानून हैं जिनके अन्तर्गत सरकार को पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं। अतः युद्ध की स्थिति

को छोड़ कर अन्य समय के लिये निवारक निरोध कानून उचित नहीं प्रतीत होते । इस प्रकार का कानून हमारे लोकतन्त्र पर एक धब्बा है ।

इस बात पर भी हमें ध्यान देना है कि देश में दो निवारक निरोध अधिनियम हैं अर्थात् आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम और भारत सुरक्षा अधिनियम । भारत सुरक्षा विनियमों का संशोधन करके इसे आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम में मिला दिया गया । परन्तु इससे यह संविधान के उपबन्धों के प्रतिकूल हो गया है । उक्त संशोधन के अनुसार गिरफतार व्यक्तियों को अनिर्दिष्ट अवधि के लिये कारावास में रखा जा सकता है । इसे न केवल उच्चतम न्यायालय में ही अपितु सभी उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जा रही है । अधिनियम की धारा 17(क) बहुत ही हानिकर है और यह संभावना है कि इसे रद्द कर दिया जायेगा ।

ऐसा उपबन्ध है कि परामर्श समितियों को 21 मास तक किसी मामले का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता नहीं है । अतः मैं परामर्श समिति की समूची संकल्पना का विरोध करता हूं । हमें यह बता दिया जाता है कि परामर्श समितियों, न्यायाधिकरणों की व्यवस्था है । परंतु वास्तविकता यह है कि यह समितियां एवं न्यायाधिकरण सभी चीज नहीं है । नजरबन्द व्यक्ति को समिति से जिरह करने का कोई अधिकार नहीं । परामर्श समितियों के रिकार्ड का पुनर्विलोकन गृह मंत्रालय अथवा आसूचना ब्यूरो द्वारा ही किया जा सकता है । इसे न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । इसके निर्णय के निर्धारण की कोई कसौटी नहीं है । यह अवैध है ।

किसी भी व्यक्ति को कारावास में डालने की शक्ति जिला मजीस्ट्रेटों, कमिश्नरों, तथा कई अन्य लोगों को दी गई है । परन्तु इस सब के लिये न तो कोई मानदण्ड है और न ही कोई सिद्धांत ही निर्धारित किया गया है । यहां तक कि मुआवजा देने के बारे में भी कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं है ।

इसका एक और पहलू भी है । कई बार ऐसे मामलों में भी इसका उपयोग किया जाता है । जबकि आपराधिक नियमों के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को सजा देने के लिये पर्याप्त साक्ष्य न हो । इन नियमों के इस प्रकार के प्रयोग की कभी भी कल्पना नहीं की गई थी ।

श्री शंकर राय सावन्त (कोलाबा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हम यहा पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि श्री नीरेन डे ने क्या कहा अथवा नहीं कहा । हम नियमों की वैधता पर इस समय चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें । वह समाप्त कर रहे हैं ।

श्री वी० के० कृष्णामेनन : मेरा यह सब कहने का तात्पर्य यही है कि सरकार को स्थिति पर विचार करना चाहिये । परामर्श बोर्डों की वांछनीयता के प्रश्न पर भी विचार होना चाहिये । इन समितियों को जिरह किए बिना साक्ष्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिये ।

इसी प्रकार पुनर्विलोकन की अवधि को तीन मास से बढ़ाने में भी कोई औचित्य नहीं है । हर एक नजरबन्द न्यायालय में नहीं जा सकता । न्यायालय की कार्यवाहियां बहुत महंगी हैं । फिर उनमें समय भी बहुत लगता है । यहां तक कि बन्दी के प्रत्यक्षीकरण पर भी उतना ही समय लगता है जितना कि न्यायालय के समक्ष रिट पर लगता है । इससे न्याय का सारा प्रयोजन असफल हो जाता है ।

सरकार इस बात पर विचार करे कि क्या स्वतन्त्रता के 25 वर्षों के पश्चात भी निवारक निरोध अधिनियम को सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थायी रूप देना आवश्यक है । इसके साथ ही मजिस्ट्रेटों, कमिश्नरों आदि को बिना किन्हीं शर्तों के शक्तियां देना भी कानूनी दोष है । यह संसद की प्रभुता को निराकृत करना है । संसद के अधिकार मजिस्ट्रेट को दिये गये हैं । यह असंवधानिक स्थिति है ।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : वास्तव में समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई बातों में और मंत्री महोदय के वक्तव्यों में कही गई बातों में कोई अन्तर नहीं है । उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि उच्चतम न्यायालय को संकेत दिया गया था कि संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे । यह बहुत ही स्पष्ट स्थिति है कि उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश इस बात को समझ लेगा कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से यह कह रही है कि अधिनियम के संशोधन की संभावना पर विचार किया जा रहा है । अतः न्यायालय के निर्णय को कुछ समय के लिये स्थगित रखा जाये ।

इस प्रकार संसद की उच्च सत्ता को यह एक चुनौती है । अतः संसद के अधिकारों और प्राधिकारों की सुरक्षा के लिये इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया है ।

हमें इस बात को देखना चाहिये कि इस प्रकार की परम्परा बने कि यदि किसी भी सदन की बैठक चल रही हो तो किसी प्रकार का अध्यादेश लागू नहीं किया जाना चाहिये । ऐसा करना लोकतन्त्र का हनन है । ऐसी आशा है कि सरकार ऐसा न करके सभा के अधिकारों एवं प्राधिकारों को संरक्षण देगी ।

श्रीमति माया रे (रायगंज) : श्री गोपालन का मामला 20 वर्ष तक प्रमुख रहा है । उसमें यह निर्णय था कि अनुच्छेद 22 एक सम्पूर्ण संहिता है । और इसके अन्तर्गत पारित कानूनों पर किसी अन्य अनुच्छेद का प्रभाव नहीं पड़ता । परंतु इस मामले में यह तर्क दिया जा रहा है कि अनुच्छेद 19 भी अनुच्छेद से सम्बद्ध है । इन परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय इस पर पुनर्विचार कर रहा है । अतः संसद को भी मामले का पुनर्विलोकन करना चाहिये । इसमें कोई बुराई नहीं है । संसद की ओर से किसी ने कोई वचनबद्धता नहीं की है । महान्यायवादी ने केवल यही कहा है कि सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है । संसद द्वारा पुनर्विचार और निष्पक्ष निर्णय लेने पर उक्त वक्तव्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वास्तव में यह सुझाव देना कि संसद इस पर पुनर्विचार नहीं कर सकती, संसद का अवमान करना है । इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही यह प्रतीत होता है कि संसद को इस मामले का पुनर्विलोकन करने से रोका जाये, जबकि इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है ।

क्रांति की भावना से प्रभावित होकर उग्र कार्यवाहियां करने वालों के विरुद्ध इसका उपयोग करने पर हुई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है । परन्तु क्या गरीब निर्दोष निहत्थे व्यक्तियों, स्त्रियों एवं बच्चों की हत्या से हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती । क्या ये व्यक्ति नागरिक नहीं है ? क्या उन्हें संरक्षण नहीं मिलना चाहिए ? यह ठीक है कि यह काला कानून है और लोकतन्त्र के अनुकूल नहीं है । परन्तु ऐसी आपातकालीन स्थितियां आ जाती हैं जब इसकी आवश्यकता पड़ती है । यदि इसका उपयोग सतर्कता से किया जाये तो यह संरक्षण भी दे सकता है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : महोदय : चर्चा के आरम्भ में ही मैंने न्यायालय के निर्णय तथा महान्यायवादी द्वारा भेजे गये नोट का उल्लेख कर दिया था । उस नोट को अब सभा-पटल पर भी रख दिया गया है । यह स्पष्ट हो गया है कि समाचारपत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुआ था वह न्यायसंगत नहीं था । यह कानून गत 20 वर्षों से लागू है तथा इसे संसद ने बनाया था । इतना ही नहीं यह कानून उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय के आधार पर बनाया गया था । आश्चर्य की बात है कि गोपालन के मामले के फैसले से उस कानून को 20 वर्षों के बाद रद्द किये जाने की संभावना थी । अतः यदि महान्यायवादी ने न्यायालय को यह बताया कि हमें स्थिति पर विचार करना पड़ेगा, तो इसमें कुछ अनुचित नहीं था ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : महोदय! मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में की गई टिप्पणी पर आपको आपत्ति करनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुपस्थिति में कुछ कहा गया होगा । यदि मैं यहां होता तो इसकी कभी अनुमति नहीं देता ।

श्री एच०आर० गोखले : विधेयक प्रस्तुत करते समय भी सरकार ने यह कहा था कि सामान्य स्थिति में निवारक निरोध विधान को लागू करने की इच्छा नहीं है । संविधान में भी यह व्यवस्था की गई है कि यदि परिस्थितियां विवश करें तो ऐसा कानून बनाया जा सकता है । मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार, सत्तारूढ़ दल तथा उसके सदस्य स्वतंत्रता में कम से कम उतना ही विश्वास रखते हैं जितना विपक्षी दल के सदस्य । अतः यह सिद्ध करने का प्रयत्न कि सरकार प्रजातंत्र विरोधी उपायों का अनुसरण कर रही है अनुचित है ।

क्या माननीय सदस्यों को याद नहीं है कि जून 1971 में देश के विभिन्न भागों में तथा विशेषकर पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति थी ? यदि यह विधेयक पास नहीं किया गया होता तो देश के विभिन्न भागों में लूटपाट, आगजनी और हिंसात्मक गतिविधियों का साम्राज्य होता । पश्चिम बंगाल में एक न्यायाधीश की हत्या कर दी गई थी । तथा राह चलते निर्दोष व्यक्तियों को छुरा भोंक दिया जाता था (**व्यवधान**) ।

निवारक निरोध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसे कुछ व्यक्तियों को जेल से बाहर नहीं आने दिया जाए जिनसे देश के असंख्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता को हानि पहुंचती रहे । यह कानून ऐसी ही परिस्थितियों में बनाया गया था ।

यह खेद की बात है कि चर्चा के दौरान कानूनी उपबन्धों के बारे में विभिन्न प्रकार के तर्क प्रस्तुत किये गये हैं जबकि न्यायालय अभी इस बारे में विचार कर रहा है तथा उसने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है । अधिनियम की धारा 17क में यह स्पष्ट उल्लेख है कि इस कानून को केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही लागू किया जा सकता है ।

मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि इस कानून के अन्तर्गत ऐसे विदेशियों को हिरासत में लेने की व्यवस्था है जो हमारे भूभाग में अवैध रूप से घुस आते हैं । इसका उद्देश्य यह है कि समाज विरोधी तत्वों को कोई गलत कार्य करने का अवसर देने से पहले ही हिरासत में ले लिया जाये ।

मेरे विचार से विरोधी दल जनता के मन में यह आशंका उत्पन्न करना चाहते हैं कि सरकार अधिनियम में संशोधन करने के लिये अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपयोग करने जा रही है । वे यह भी दिखाना चाहते हैं कि विरोधी दलों ने सरकार को यह कार्य नहीं करने दिया । वास्तव में सरकार ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के परिणाम-स्वरूप अधिनियम में संशोधन करने की बात सोची तक नहीं है । किन्तु सरकार को यह कहने का अधिकार अवश्य प्राप्त है कि वह समस्त स्थिति पर विचार करेगी तथा आवश्यक कार्यवाही करेगी । अतः जो कुछ महान्यायवादी ने कहा है वह न्यायसंगत है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : खेद है श्री गोखले जैसे वरिष्ठ संसदविज्ञ ने सभा को गुमराह करने का प्रयास किया है (**व्यवधान**) । श्री नीरेन डे के नोट में यह कहा गया है "कि महान्यायवादी ने अपने तर्क प्रस्तुत करने के बाद यह अनुभव किया कि बैंच के अधिकतर न्यायाधीश उसके तर्कों से प्रभावित नहीं हुए हैं तथा उन्होंने दूसरे पक्ष के तर्कों को अधिक स्वीकार्य समझा है । उसने यह भी महसूस किया कि आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने से सम्बन्धित अधिनियम की धारा 17(क) को संविधान के अनुच्छेद 22 के खण्ड (7)(क) के प्रतिकूल करार दिये जाने से पूरे देश में हिरासत में लिये गये बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों को तुरंत रिहा करना पड़ेगा । इस परिस्थिति में उसे यह सलाह दी गई कि वह न्यायालय से कुछ समय देने का अनुरोध करे । तथा न्यायालय को यह आश्वासन दे कि इस बीच सरकार कुछ आवश्यक कार्यवाही कर लेगी ।"

अतः माननीय मंत्री ने सभा को गुमराह किया है । यदि सरकार को इस बात का पता था तो उसने राज्य सभा में प्रेस रिपोर्ट का खण्डन क्यों नहीं किया । वास्तव में प्रेस ने बहुत अच्छा कार्य किया है (**व्यवधान**) ।

महोदय ! अप्रत्यक्ष फासिस्टवाद से प्रत्यक्ष फासिस्टवाद कहीं अच्छा है और सत्तारूढ़ दल अप्रत्यक्ष फासिस्ट-वाद का अनुकरण कर रहा है (**व्यवधान**) इस कानून का प्रयोग दलगत हितों की स्वार्थपूर्ति के लिये किये जा रहा है तथा सरकार विरोधी दलों को इसके सहारे कुचलना चाहती है । जब देश में आपातकालीन स्थिति नहीं है तो सरकार इस कानून को क्यों जीवित रखना चाहती है, केवल इसी लिये कि वह राजनीतिक विरोधियों को कुचलना चाहती है, समाज विरोधी तत्वों को नहीं, मुनाफाखोरों और चोरबाजारी करने वालों को नहीं (**व्यवधान**) ।

श्री हीरेन मुखर्जी ने केवल न्यायपालिका को देश की प्रगति में बाधा होने के लिये कैसे उत्तरदायी पाया ? उन्होंने इस तथ्य को कैसे भुला दिया जब कि सरकार न्यायपालिका से सांठ गांठ करके ऐसे कार्य करना चाहती है जो नितांत अहितकर हैं ?

सभा की प्रतिष्ठा की बात सही है किन्तु उन व्यक्तियों की प्रतिष्ठा की कैसे उपेक्षा की जा सकती है जो हमें यहां चुनकर भेजते हैं ? निवारक विरोध अधिनियम के अन्तर्गत हजारों व्यक्ति जेलों में सड़ रहे हैं तथा उनके परिवार नष्ट हो गये हैं ।

सभा में दिये गये उत्तर से यह ज्ञात होता है कि आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत लगभग 2600 व्यक्ति हिरासत में लिये गये जिनमें से 2449 व्यक्ति पश्चिम बंगाल के थे । क्या इसका तात्पर्य यह है कि सारे चोरबाजारी करने वाले तथा जमाखोर व्यक्ति पश्चिम बंगाल में ही एकत्र हो गये हैं तथा देश के अन्य भागों में ऐसे व्यक्ति नहीं हैं ?

श्री विक्रम महाजन के तर्क के उत्तर में मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान 9000 अल्पसंख्यकों को जेल में ठूंस दिया गया था । श्री ए० के० सेन ने कुछ निष्पक्ष बातें कहीं हैं किन्तु उन्होंने 1963 में जब वह मंत्री थे संविधान में 18वां संशोधन प्रस्तुत किया था । यह सच नहीं है कि 17क

के अन्तर्गत केवल दो वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता है । इसके अन्तर्गत हिरासत की अवधि अधिक से अधिक तीन वर्ष है अथवा जब तक भारत सुरक्षा नियम रहे । यह नियम सात वर्ष तक रहा । कांग्रेसियो ! हम आपको जानते हैं ।

गांवों में छापा मारने वाले युवकों का भी उल्लेख किया गया है मैं श्रीमती रे तथा श्री गोखले से पूछना चाहता हूं कि अब वे युवक कहां हैं ? क्या छात्रपरिषद् और युवा कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी का आश्रय प्राप्त नहीं है ? क्या ये वही युवक नहीं हैं जिनको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है ?

सरकार ने महान्यायवादी को गलत सलाह दी है जिससे सभा की प्रतिष्ठा का प्रश्न उत्पन्न हुआ है । सरकार इस घातक कानून को बनाये रखना चाहती है जबकि देश में कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा अब स्थगित होती है ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided :

पक्ष में	विपक्ष में
Ayes	**Noes**
42	**186**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

अनुदानों की मांगें, 1973-74

DEMANDS FOR GRANTS, 1973-74

औद्योगिक विकास मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में औद्योगिक विकास मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर चर्चा आगे होगी ।

Sh. M. C. Daga (Pali) : The new Industrial policy of the Government......

अध्यक्ष महोदय : वह कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 3 अप्रैल, 1973/ 13 चैत्र, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha than adjourned till eleven of the clock on Tuesday, April 3, 1973/Chaitra 13, 1895 (Saka).

MGIPNLK—5/Lok Sabha/73—26-7-73—490 Copies.

P.L.S. 48. XXV. 30.73 (N)
490

© 1973 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 380 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक, भारत सरकार मुद्रणालय. नीलोखेड़ी (हरियाणा) द्वारा मुद्रित ।

© 1973 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

Published under Rules 380 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and Printed by the Manager, Government of India Press, Nilokheri (Haryana).